प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम, 31 मार्च 2010 को समाप्त भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडार निगम के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जातें है।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2009–10 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। 2009–10 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के सीएजी के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2010 तक, बिहार राज्य में 25 कार्यशील (21 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगमों) एवं 40 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रम (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.22 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों ने 2009–10 में ₹ 2508.83 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.62 प्रतिशत था जो राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वहीन स्थान दर्शाता है। 30 सितम्बर 2010 तक अंतिमिकृत लेखों के अनुसार सा. क्षे. उपक्रमों की संचित हानि ₹ 4617.88 करोड़ थी।

सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2010 को, 65 सा. क्षे. उपक्रमों में ₹ 9622.02 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। 2009–10 में कुल निवेश का 80.86 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2009–10 में, सरकार ने ₹ 1670.15 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए दिये।

सा. क्षे. उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अंतिमिकृत किए गए लेखों के अनुसार, 25 कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में से आठ सा. क्षे. उपक्रमों ने ₹ 12.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 14 सा. क्षे. उपक्रमों को ₹ 1187.37 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 1.36 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (₹1.09 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि वहन करने वालों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹1102.28 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹55.74 करोड़) थे। लेखापरीक्षा ने सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यपालन में विभिन्न कमियाँ पायीं। भारत के सीएजी के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों ने ₹ 164.49 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 64.21 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा, जो बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रणीय था। इस प्रकार, यहाँ कार्यशैली को सुधारने एवं लाभ बढ़ाने का अच्छा अवसर है। सा. क्षे. उपक्रम अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों। यहाँ सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यकलाप में और अधिक व्यावसायिकता तथा जवाबदेही की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

सा. क्षे. उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2009–10 में सभी 15 कम्पनियों के लेखों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 11 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन से सम्बन्धित 13 उदाहरण पाये गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2010 तक 25 कार्यकारी सा. क्षे. उपक्रमों के 213 लेखे बकाया थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 21 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों थे जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय – I)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कार्य सम्पादन से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

प्रस्तावना

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के पुलों एवं पथों का निर्माण एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुलों से टॉल का संग्रहण करना है।

चूँकि कम्पनी का कार्य सामाजिक ढाँचागत संरचनाओं के सृजन से है ; अतः कम्पनी के कार्यों का निष्पादन समीक्षा आवश्यक समझा गया। यह समीक्षा कम्पनी द्वारा वर्ष 2005–10 के दौरान निष्पादित किये गये कार्यों पर आधारित है।

नियोजन

कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लागत का प्राक्कलन लम्प–सम (एकमुश्त आधार पर) विस्तृत स्थल निरीक्षण किये बिना किया गया, जिसके कारण आठ परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ तथा ₹ 134.30 करोड़ की निधि तीन से 17 महीनों तक बाधित रहा। पहुँच पथ का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण 45 पुलों का उपयोग 27 महीनों तक विलम्बित हो गया। पुल के निर्माण कार्य का प्राक्कलन अधूरा था, क्योंकि इसमें आवश्यक मदों को शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण सरकार द्वारा आवंटन में कमी, निधि का अवरूद्धन परिणत हुआ एवं साथ हीं कम्पनी ₹ 0.49 करोड़ की शतता (सेन्टेज) शुल्क अर्जित नहीं कर सकी।

कार्यान्वयन

वर्ष 2005–10 की अवधि में सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 5,574.73 करोड़ प्राक्कलित राशि पर कुल 742 पुलों का कार्य आवंटित किया गया जिसमें से कम्पनी ने ₹ 1415.20 करोड़ की लागत पर 538 पुलों का निर्माण किया जिसमें पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) से किया गया व्यय ₹ 11.74 करोड़ भी शामिल था। कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–10 के दौरान अधिकाधिक संख्या में ली गई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया। परन्तु, फिर भी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब का मामला पाया गया, जिसका मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, परियोजनाओं का निरस्तीकरण इत्यादि शामिल था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र एवं लोक कार्य विभाग संहिता का उल्लंघन कर कम्पनी द्वारा न्यूनतम निविदादाता को दर वार्ता के लिये आमंत्रित किया गया।

योजनाओं का कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (मु.मं.से.नि.यो.)

वर्ष 2007–10 के दौरान मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत आवंटित कुल 522 पुलों के विरूद्ध कम्पनी द्वारा 404 पुलों का निर्माण किया गया। इनमें से पूर्ण किये गये 60 पुलों के निर्माण में एक से 26 महीनें का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण पुलों का निर्माण दो से 22 महीनों तक विलम्बित था जिसका मुख्य कारण, कार्य प्रारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा निष्पादन में विलम्ब तथा स्थल मुक्तान्तर में विलम्ब होना था। दरभंगा प्रमण्डल में बिना एकरारनामा किये कार्य–निष्पादन करने के कारण ₹ 12.13 करोड़ की हानि हुई। कप्तान पुल, पूर्णियाँ, के सम्बन्ध में निविदा निष्पादन में विलम्ब ₹ दो करोड़ लागत की वृद्धि का कारण बना।

रेलवे उपरी पुल का निर्माण (आर. ओ. बी.)।

कुल आठ आर. ओ. बी. में से ₹ 80.15 करोड़ के वास्तविक प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 86.60 करोड़ की लागत पर सिर्फ तीन आर. ओ. बी. पूर्ण किए जा सके। शेष आर. ओ. बी. जुलाई 2010 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। इनकी पूर्णता तिथि भिन्न–भिन्न थी।

टर्न–की संविदाओं का निष्पादन।

तीन टर्न–की संविदाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वास्तविक जी.ए.डी., परिमाण विपत्र एवं प्राक्कलन की तुलना

संवेदक द्वारा सौंपे गए प्रारूप से नहीं किया गया था एवं परियोजना की वास्तविक लागत का विश्लेषण संवेदकों को भुगतान करने से पहले नहीं किया गया था। हमने प्रेक्षण में पाया कि आर. ओ.बी., पूर्णियाँ में संवेदक को ₹ 43.84 लाख का अधिक भुगतान, आर.ओ.बी., सुल्तानगंज में संवेदक से ₹ 0.80 करोड़ की अल्प वसूली, दरभंगा के रसियारि घाट, समस्तीपुर के लरझा घाट के सम्बन्ध में लागत में बिना किसी अतिरिक्त कटौती के कम मात्रा वाले प्रारूप को स्वीकार करने के कारण ₹ 13.21 करोड़ की हानि हुई।

योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत पुलों का निर्माण

वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी को योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत 212 पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 3103.56 करोड़ प्राप्त हुआ जिसमें से ₹ 886.71 करोड़ की लागत पर कम्पनी ने कुल 161 पुलों का निर्माण किया। शेष 51 पुलों का निर्माण प्रगति में था (सितम्बर 2010)। हमने प्रेक्षण में पाया कि तीन प्रमण्डलों–भागलपुर, कटिहार, दरभंगा में शुरू किये गये कुल 41 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ तीन से 19 वर्षों की विलम्बता से पूर्ण किया गया था। शेष 17 चालू परियोजनाओं में से सात परियोजनाएँ पहले हीं आठ से 23 महीनो की परास अवधि से विलम्बित था।

सीलिंग दर से उपर कार्यों के आवंटन के कारण अधिक व्यय

111, 43 और 80 कार्य नामांकन आधार पर सिलिंग दर/सीमा दर से क्रमशः 10, 12 और 15 प्रतिशत उपर आवंटित किया गया जिसके कारण ₹ 1.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पथों का निर्माण

वर्ष 2007–08 से कम्पनी द्वारा पथों का निर्माण भी शुरू किया गया जब–जब यह पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया। कुल 72 पथों में से सितम्बर 2010 तक सिर्फ 44 पथ (61 प्रतिशत) पूर्ण किया गया था। पथों के निर्माण में विभिन्न कारणों से, जैसे कार्यारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा धीमा कार्य निष्पादन, कार्यों का निरस्तीकरण तथा पुनः आवंटन के कारण 21 महीनों तक का विलम्ब था।

अनुश्रवण

प्रमण्डल स्तर पर कोई गुण नियंत्रण कोषांग नहीं था और कम्पनी मुख्यालय भी आवश्यक मशीनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं था। एस.बी.डी. के उपवाक्य के उल्लंघन करने से ₹ 15.18 करोड़ अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु चूककर्ता अभिकरणों के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं किया गया था (सितम्बर 2010)। सामग्रियों के गुण एवं विशिष्टता को सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि इसे सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज (फार्म एम. एवं एन.) किसी भी परियोजना के विपत्र के साथ संलग्नित नहीं पाया गया था। मोर्थ (**MORTH**) विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ मूल्य का 4674.46 घनमीटर का बी.एम. कार्य निम्न कोटि का हो गया क्योंकि वहाँ दो परतों के चढ़ाने के बीच छः से नौ महीने का अन्तराल पाया गया था, जो कि 48 घंटों में हो जाना चाहिए था। 4955.40घनमीटर स्टोन चिप्स जो कि अस्वीकृत खान से लाया गया था, की ढुलाई पर ₹ 22.54 लाख का अनाधिकृत भुगतान प्रेक्षित किया गया था।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

कम्पनी अपनी लेखों को अद्यतन नहीं किया था और यह वर्ष 2002–03 से ही बकाया था। कम्पनी की वार्षिक वित्तीय लेखें वर्ष 2006–07 से ही निदेशक मण्डल से अनुमोदित होना बाकी था। अव्यवहृत निर्माण कार्यो की राशि जो की आवधिक जमाओं में रखा गया था, पर अर्जित ब्याज वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की कुल आय का 14.68 प्रतिशत से 51.48 प्रतिशत था।

वित्तपोषण

वर्ष 2005–10 के दौरान उपलब्ध निधियों की कुल उपयोगिता लगभग 80 प्रतिशत रही, जिसमें वर्ष 2007–08 से सामान्य वृद्धि पाया गया, जो कि मु.मं.से.नि.यो. के परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप था। अतिरिक्त व्यय हेतु सरकार से पूर्व स्वीकृति नहीं लेने के कारण कम्पनी के ₹ 84.98 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

निर्मित पुलों का हस्तांतरण

चार प्रमण्डलों से सम्बन्धित 141 पुल जो वर्ष 2005–10 के दौरान पूर्ण किये गये थे, को सरकार को 48 महीनों के विलम्ब

के बाद भी अब तक समर्पित नहीं किया गया था।

आन्तरिक नियंत्रण

कम्पनी का आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं था। कम्पनी के पास आन्तरिक अंकेक्षण कोषांग नहीं था। सनदी लेखाकारों की फर्में आन्तरिक अंकेक्षण, बैंक खातों के समाधान इत्यादि के लिए नियुक्त किये गये थे। आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तकनीकी अंकेक्षण एवं व्यय के औचित्य का आच्छादन नहीं करता था।

(अध्याय – II)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

बिहार के ऊर्जा शक्ति उत्पादन संस्थाओं से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

जीवन के हर पहलू के लिए ऊर्जा शक्ति अति आवश्यक है एवं इसे मूलभूत आवश्यकताओं की तरह माना गया है। बिहार में इसका उत्पादन बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि0 (कम्पनी) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2010 तक को बोर्ड के पास एक वाष्प शक्ति उत्पादन स्टेशन जोकि बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) है एवं कम्पनी के पास 11 नहर आधारित जल विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान जोकि 372.80 मेगावाट (मे.वा.) प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ है। 2009–10 में बोर्ड का वार्षिक विक्रय ₹ 2795 करोड़ एवं कम्पनी का ₹ 6.78 करोड़ था, जोकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कमशः 1.80 प्रतिशत एवं 0.005 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2010 तक ब.वा.श.प्र. में 586 कर्मचारी एवं कम्पनी में 107 कर्मचारी कार्यरत थे।

क्षमता वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधन

31 मार्च 2010 तक राज्य क्षेत्र में कुल प्रतिष्ठापित शक्ति उत्पादन क्षमता 372.80 मेगा वॉट (मे.वा.) थी। 2005–10 में राज्य में शक्ति उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2500 मे.वा. के अधिकतम माँग के विरूद्ध 1508 मे.वा. की पूर्ति ही हो पायी जिसमें 992 मे.वा. का घाटा संलग्न नही है जबकि वास्तविक वृद्धि 8.7 मे.वा. (कम्पनी द्वारा) की थी। यहाँ वाष्पशक्ति क्षमता मे कोई वृद्धि नही हुई थी। अतः वर्ष 2005–10 के दौरान ऊर्जा शक्ति उत्पादन के साथ–साथ ऊर्जा शक्ति के क्रय में 2909.58 मिलियन यूनिट्स (मि.यू.) से 12297.11 मि.यू. तक की कमी के कारण राज्य ऊर्जा शक्ति की माँग की पूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं था।

संविदा प्रबंधन

वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की 21 संविदाओं जिसका मूल्य ₹ 36.38 करोड़ था, का निष्पादन किया गया। लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान निविदा के निपटान एवं कार्य प्रदान करने में विलम्ब प्रेक्षित किया गया जिससे तीन परियोजनाओ के लागत में ₹ 7.06 करोड़ की वृद्धि हुई।

परिचालन निष्पादन

वर्तमान उत्पादन प्रतिष्ठान का निष्पादन सामग्रियों की दक्षतापूर्वक प्रयोग, मानवशक्ति एवं संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे संयंत्र का प्रचालन बिना प्रभावित हुए अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन लम्बे समय तक हो। परिचालन निष्पादन पर हमारी संवीक्षा निम्न है:–

ईंधन की प्राप्ति

2008–09 तक चार वर्षों के दौरान मानक लिंकेज समिति द्वारा अनुमोदित कुल लिंकेज की तुलना में कोयले की कम प्राप्ति (71.41 प्रतिशत) के कारण उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कमी पाया गया। कोयला कम्पनियों से अनुबंध के अभाव में 0.43 लाख मिलियन टन (मि.ट.) घटिया/कोटिविहीन कोयला की प्राप्ति हेतु बोर्ड ने ₹ 6.29 करोड़ का भुगतान किया जोकि बोर्ड का हानि था।

ईंधन का उपभोग

कोयले में कम ग्रॉस कैलोरिफिक गुण के साथ ही साथ प्रतिष्ठान की ताप दर जो डिजाइन ताप दर से अधिक थी के कारण 2005–10 की अवधि में कोयले की अधिक खपत के कारण बोर्ड ने ₹ 48.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

मानवशक्ति की प्रतिनियुक्ति

ब.वा.श.प्र. में 31 मार्च 2010 तक बोर्ड के पास 586 कर्मचारी थे जो कि स्वीकृत क्षमता के अंदर थे परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के मानक से ज्यादा थे। वही दूसरी ओर कम्पनी के पास 31 मार्च 2010 तक 107 कर्मचारी थे। मानवशक्तियों की प्रतिनियुक्ति विवेकपूर्ण नही थी क्योंकि कम्पनी में सी.इ.ए. के निर्धारित मानक से अधिक नियुक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

प्लांट लोड फैक्टर

कम्पनी के जल विद्युत संयंत्र एवं ब.वा.श.प्र. का संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फैक्टर) वर्ष 2005–10 की अवधि के दौरान सभी वर्षो में राष्ट्रीय प्लांट लोड फैक्टर से कम था। इसके परिणामस्वरूप 3952.9 मि.यू. की उत्पादन हानि हुई। इसके अलावा कम्पनी को ₹ 39.59 करोड़ की अंशदान क्षति हुई।

निष्क्रियता

सभी पाँच वर्षो (2005–10) में सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत मानकों से निष्क्रियता अधिक रहा और यह 12.90 से 81.19 प्रतिशत के बीच था। ब.वा.श.प्र. की इकाई सं0 6 की निष्क्रियता वर्ष 2005–10 के दौरान कुल उपलब्ध घंटो का 73 प्रतिशत था। 2006–07 की अवधि में, 13977 घंटो के योजनाकारी निष्क्रियता के विरूद्ध 11817 घंटा परिहार्य था जिसके कारण 3 .49 मि. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सहायक खपत

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी एवं ब.वा.श.प्र. की वास्तविक सहायक खपत सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पायी गई जिसके परिणामस्वरूप 48.97 मि.यू. उत्पादन की हानि हुई।

वित्तीय प्रबंधन

ऋण पर ली गई निधियों पर कम्पनी की निर्भरता वर्ष 2005–06 में ₹ 290.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 499.60 करोड़ हो गया। इसी प्रकार बोर्ड का ऋण वर्ष 2005–06 में ₹ 7773.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 12605.44 करोड़ (62.16 प्रतिशत) हो गया। संचित हानि में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2009–10 के अंत तक कम्पनी के लगभग दो तिहाई प्रदत्त पूँजी का क्षय हो गया।

पर्यावरणीय मुद्दें

बोर्ड ने 7.08 लाख मि.ट. कोयला जिसमें राख अधिक मात्रा में होता है (भारित औसत 41.27 से 46.24 प्रतिशत के मध्य) के उपयोग से पहले सफाई हेतु कोई कारगर कदम नही उठाए। ब.वा.श.प्र. द्वारा न तो पर्याप्त मूक संयंत्र स्थापित किया गया और न ही ध्वनि स्तर को अंकित करने हेतु ध्वनि अनुश्रवण संयंत्र स्थापित किया गया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

कम्पनी अपने नये स्थापित जल विद्युत उत्पादन इकाईयों के अपने योजनानुसार व्यवसायिक उत्पादन हेतु प्रारंभ नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती माँगो को पूरा नहीं कर सकी। बोर्ड भी आ. वि./पु. एवं आ. (ब.वा.श.प्र.) कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती हुई माँग को पूरा नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप वा.श.प्र. के स्वास्थ्य में आगे भी अवनति हुई। परियोजना प्रबंधन अप्रभावी था चूँकि वर्ष 2005–10 में शुरू की गई परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि के अनेक उदाहरण थे। कोयले की अल्प प्राप्ति एवं साथ ही साथ घटिया किस्म के कोयले की प्राप्ति, उच्च ताप दर जिसके फलस्वरूप कोयले की अधिक खपत हुई, के कारण संयंत्र के परिचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ हीं, प्लांट लोड फैक्टर और संयंत्र की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत स्तर से कम बनी रही। संयंत्रों के व्यवसायिक परिचालन में विलम्ब के फलस्वरूप अत्यधिक पूँजीगत व्यय एवं ऋणों पर पर्याप्त वापसी के अभाव में ब्याज प्रतिदेयता के कारण परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई। आगत दक्षता प्राचलिक के सन्दर्भ में उच्च स्तरीय प्रबंधन ने मानकों/लक्ष्यों के अनुपालन हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए थे। समीक्षा में सात अनुशंसाएँ है जिसमें प्रभावशाली नियोजन और प्रबोधन, निर्धारित मानकों के अनुसार कोयले के उपभोग को सुनिश्चित करना, बाध्यकारी निष्क्रियता एवं सहायक उपभोग को कम करना और पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना इत्यादि सम्मिलित है।

(अध्याय – III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबंधन की कमियाँ जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की है :-

नियमों, दिशानिर्देशों, पद्धतियों, संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पाँच मामलों में ₹ 184.52 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.1, 4.4, 4.5, 4.7 एवं 4.8)

अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण प्रबोधन प्रणाली के कारण ₹ 0.24 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.2 (ख))

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने के कारण दो मामलों में ₹ 3.67 करोड की हानि।

(कंडिका 4.3 एवं 4.6)

दोषयुक्त/त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण दो मामलों में ₹ 3.45 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.9 एवं 4.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :–

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा अपने साधारण सभा की पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ के दान का निर्णय, न केवल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंधन में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

(कंडिका 4.1)

अनुबंध के उपबंध को लागू करने में **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड** की विफलता के कारण ₹ 0.32 करोड़ के सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली न होना।

(कंडिका 4.3)

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उच्च विभव सेवा–1 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नहीं करने के कारण **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड)** को ₹ 0.82 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.4)

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण न करने के कारण **बोर्ड** को ₹ 0.52 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(कंडिका 4.5)

भूमिगत केबल के अनावश्यक क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गई एवं **बोर्ड** को ₹ 1.41 करोड़ के ब्याज की आनुषंगिक क्षति हुई।

(कंडिका 4.6)

टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण **बोर्ड** को ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.8)

अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा.क्षे.उ. की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती हैं। बिहार में राज्य सा.क्षे.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वहीन स्थान रखते हैं। सितम्बर 2010 तक अंतिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2009–10 में ₹ 2508.83 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2009–10 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 1.62 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा.क्षे.उ. की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2009–10 के लिये कुल ₹ 1199.09 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2010 को उन्होनें 0.22 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था। राज्य सा.क्षे.उ. में सात प्रमुख विभागीय उपक्रम (डी.यू.) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है, परन्तु सरकारी विभागों के अंग हैं। इन डी.यू. से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य की सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2010 को 65 सा.क्षे.उ. थे एवं इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी।

सा.क्षे.उ. का प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	अकार्यशील सा.क्षे.उ.[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	21	40	61
सांविधिक निगमें	4	–	4
योग	25	40	65

1.3 वर्ष 2009–10 की अवधि में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित हैं। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं (मानित सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी

1 35 सा.क्षे.उ. के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
2 अकार्यरत सा.क्षे.उ. है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
3 619–बी कम्पनियाँ सहित।

नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सनदी अंकेक्षकों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

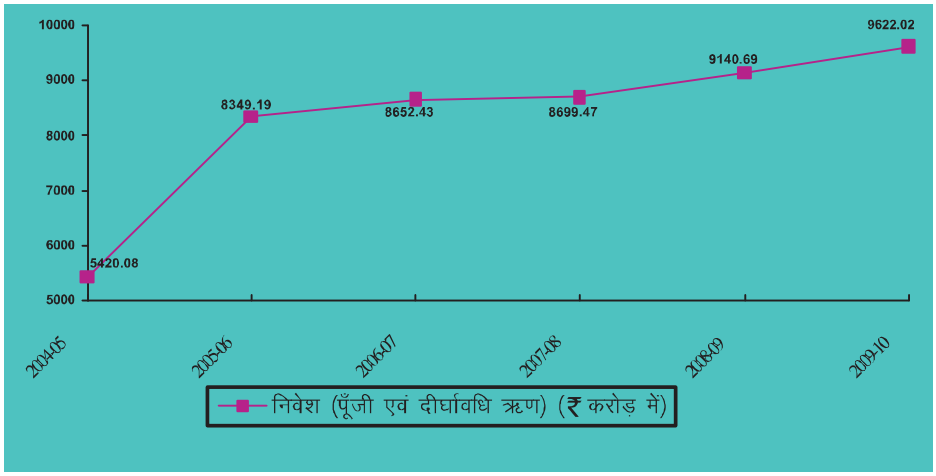
1.7 31 मार्च 2010 को, 65 सा.क्षे.उ. (619–बी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 9622.02 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्न हैं।

(राशि: ₹ करोड़ में)

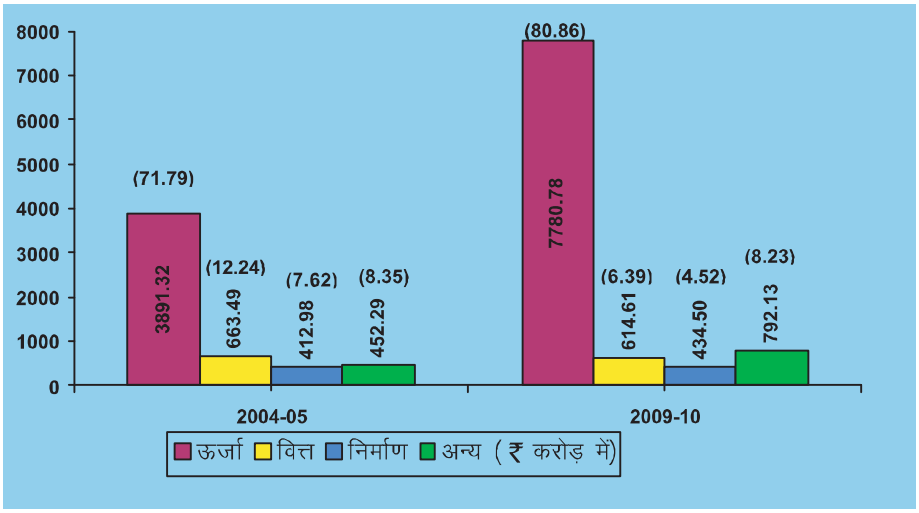
सा.क्षे.उ. के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	214.92	496.56	711.48	185.53	7993.06	8178.59	8890.07
अकार्यशील सा.क्षे.उ.	183.97	547.98	731.95	–	–	–	731.95
योग	398.89	1044.54	1443.43	185.53	7993.06	8178.59	9622.02

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2010 तक राजकीय सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 92.39 प्रतिशत कार्यशील सा.क्षे.उ. में तथा शेष 7.61 प्रतिशत अकार्यशील सा.क्षे.उ. में था। इस कुल निवेश का 6.07 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 93.93 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2004–05 के ₹ 5420.08 करोड़ से 77.53 प्रतिशत बढ़कर 2009–10 में ₹ 9622.02 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित हैं।



1.9 31 मार्च 2005 तथा 31 मार्च 2010 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा.क्षे.उ. में निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश कुल निवेश का 2004–05 के 71.79 प्रतिशत से बढ़कर 2009–10 में 80.86 प्रतिशत हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में कुल वृद्धि 2004–05 की तुलना में 2009–10 में 99.95 प्रतिशत था। यद्यपि सभी निवेश के आलोक में वर्ष 2009–10 में दूसरें क्षेत्रों में तुलनात्मक कमी थी।



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

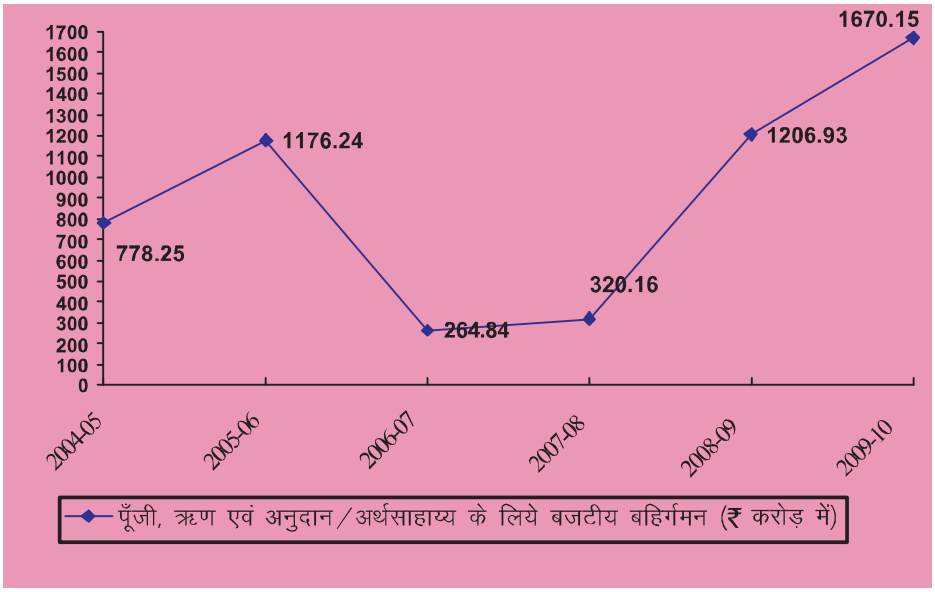
1.10 राज्य सा.क्षे.उ. के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। 2009–10 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	2	4.05	3	1.56	3	26.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	2	293.11	4	469.63	3	770.36
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	1	23.00	3	735.74	3	873.79
4.	कुल बहिर्गमन[4]	5	320.16	9	1206.93	8	1670.15
5.	अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज	1	11.56	1	11.56	1	0.12
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	3	71.79	2	104.47	–	–
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	–	–	1	157.51	1	44.15

4 वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन कम्पनियों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में है ।

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-



राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के रूप में 2004–05 से 2009–10 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रूख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2009–10 में ₹ 1670.15 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 में तीन[5] (दो कार्यशील एवं एक अकार्यशील) सा.क्षे.उ. ने कुल ₹ 873.79 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया जिसमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से ₹ 840.00 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया । वर्ष के अंत में, पाँच[6] सा.क्षे.उ. के विरूद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के सम्बन्ध में कुल ₹ 156.21 करोड़ बकाया थे। दो[7] कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा 1982–83 से प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 37.58 लाख देय थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2010 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशि : ₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों* के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	446.50	477.25	30.75
ऋण	13034.67	8511.87	4522.80
प्रत्याभूतियाँ	714.97	156.21	558.76

[5] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विधुत बोर्ड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि0।

[6] बिहार राज्य मत्सय विकास निगम लि0, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि0, बिहार राज्य विधुत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[7] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

* यह सूचना उन 38 सा.क्षे.उ. के सम्बन्ध मे है जिनका उल्लेख वित्त लेखों मे किया गया है।

1.13 हमने पाया कि यह अन्तर, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो कि एक नई स्थापित कम्पनी हैं, उन 42 सा.क्षे.उ., में था जिनमें राज्य सरकार का निवेश था। समाशोधन के विषय को मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के पास ले जाया गया (मार्च 2010)। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा.क्षे.उ. का कार्य–निष्पादन

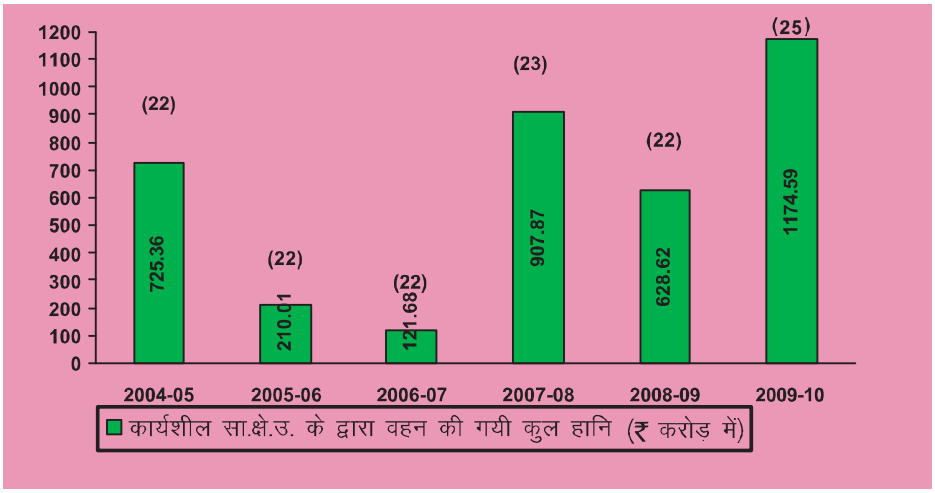
1.14 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट 2, 5 एवं 6** में वर्णित हैं। सा.क्षे.उ. के आवर्त तथा राज्य के जी.डी.पी. का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2004–05 से 2009–10 की अवधि में कार्यशील सा.क्षे.उ. का आवर्त तथा राज्य के जी.डी.पी. का विवरण दिया गया है :-

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आवर्त[8]	1601.99	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83
राज्य का जी.डी.पी.[9]	73654	79382	99579	114616	142504	155051
राज्य के जी.डी.पी. का आवर्त प्रतिशत	2.18	1.51	1.34	1.39	1.40	1.62

राज्य सा.क्षे.उ. का आर्वत 2005–06 के बाद विगत पाँच वर्षो में वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2005–06 के बाद राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परन्तु यह सा.क्षे.उ. के आवर्त में हुई प्रतिशत वृद्धि के अनुपातिक नहीं थी। राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर राज्य सा.क्षे. उ. के आवर्त के प्रतिशत में 2005–06 के 1.51 प्रतिशत से 2009–10 में 1.62 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि देखी गई।

1.15 2004–05 से 2009–10 की अवधि में राज्य कार्यशील सा.क्षे.उ. के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :-



(कोष्ठक में आँकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या को दर्शाते हैं।)

[8] आवर्त 30 सितम्बर 2010 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

[9] राज्य जी.डी.पी. के आँकडे वर्त्तमान मूल्यों पर, 2007–08 (औपबंधिक), 2008–09 (त्वरित अनुमान) एवं 2009–10 (अग्रिम अनुमान)।

राज्य कार्यशील सा.क्षे.उ. ने सामूहिक रूप से निरंतर हानि वहन की जो कि 2004–05 में ₹ 725.36 करोड़ से बढकर 2009–10 में ₹ 1174.59 करोड़ हो गयी। 30 सितम्बर 2010 को अधतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 25 कार्यशील सा.क्षे.उ. मे से, आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 12.78 करोड़ का लाभ कमाया और 14 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1187.37 करोड़ की हानि वहन की। तीन[10] कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 1.36 करोड़), एवं बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड (₹ 1.09 करोड़) मुख्य थे। ज्यादा हानि वहन करने वाले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1102.28 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे।

1.16 सा.क्षे.उ. की हानि के कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन की कमी, अनुपयुक्त नियोजन, अमितव्ययी परिचालन तथा खराब पर्यवेक्षण थें। सीएजी के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 164.49 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 64.21 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो कि बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रणीय था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया गया हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	योग
शुद्ध हानि	907.87	628.62	1174.59	2711.08
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	26.68	104.60	33.21	164.49
निष्फलित निवेश	60.41	0.35	3.45	64.21

1.17 चूँकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हानियाँ सा.क्षे.उ. के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं अतः वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं ज्यादा होगी। अतः भविष्य में हानियों से बचने एवं इन सा.क्षे.उ. की प्रगति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से शीघ्र एवं उपयुक्त कार्रवाई करने का निवेदन किया जाता है। सा.क्षे.उ. अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो, उपरोक्त परिस्थिति राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलाप में पेशेवरपन, जवाबदेही तथा पारदर्शिता की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	शून्य	16.94	17.68	शून्य	7.44	शून्य#
ऋण	4796.29	7724.63	8012.25	8152.92	8614.53	9037.60
आवर्त[11]	1601.99	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83
ऋण/आवर्त अनुपात[12]	2.99:1	6.42:1	5.99:1	5.13:1	4.33:1	3.60:1
ब्याज का भुगतान	525.91	301.93	613.25	924.16	918.70	991.72
संचित हानियाँ	5165.94	1584.62	1686.94	2956.74	3593.15	4617.88

(आवर्त को छोड़कर, जो कार्यशील सा.क्षे.उ. का है, उपरोक्त आँकड़े समस्त सा.क्षे.उ. के हैं।)

10 बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लि0, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0 एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0।

शून्य नियोजित पूँजी पर नकरात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

11 कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा 30 सितम्बर 2010 को अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार।

12 ऋण/आवर्त अनुपात, आवर्त के ऋण से विभाजन को दर्शाता है।

1.19 30 सितम्बर 2010 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सभी सा.क्षे.उ. में निवेशित पूँजी पर कुल प्रत्याय 2005–06 के 16.94 प्रतिशत से घटकर 2009–10 में 5.50 प्रतिशत हो गया। यद्धपि, ऋण/आवर्त अनुपात 2005–06 के 6.42:1 से घटकर 2009–10 में 3.60:1 हो गया, जो इन वर्षो में आवर्त में हुई आपेक्षिक वृद्धि के कारण क्रमशः कम हुए दबाव को दर्शाता है।

1.20 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। आठ सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 12.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु किसी भी सा.क्षे.उ. ने अब तक लाभांश घोषित नहीं किया हैं।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकायें

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सितम्बर 2010 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	22	23	22	23	25
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	14	20	13	15	17
3.	लम्बित लेखों की संख्या	198	201	197	205	213
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का औसत बकाया (3/1)	9.00	8.74	8.95	8.91	8.52
5.	लम्बित लेखों वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	22	23	22	23	25
6.	लम्बित लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 22	1 से 19	1 से 19	1 से 20	1 से 21

1.22 चार सांविधिक निगमों सहित 25 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से किसी भी कम्पनी/निगम ने 30 सितम्बर 2010 तक वर्ष 2009–10 के लिए अपने खातों का अंतिमीकरण नहीं किया था। 21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के खाते एक से 21 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे और प्रति सा.क्षे.उ. औसत बकाया 2005–06 के 9 से सीमान्त रूप से घटकर 2009–10 में 8.52 हो गया था। लेखों के बकाये का कारण प्रबंधन/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण में विलम्ब, वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब, मानव संसाधन की कमी एवं निदेशक मंडल के सदस्यों का न होना, था।

1.23 इसके अतिरिक्त अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों का अंतिमीकरण भी लंबित था। 40 अकार्यशील सा.क्षे.उ. में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा. क्षे.उ. के 15 से 33 वर्ष के परास तक के लेखे बकाये थे।

1.24 जैसा कि **परिशिष्ट–4** में दिया गया हैं, राज्य सरकार ने 28 सा.क्षे.उ. में ₹ 3236.87 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 112.26 करोड़, ऋण : ₹ 1947.90 करोड़, अनुदान : ₹ 913.29 करोड़ तथा अन्य : ₹ 263.42 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा सही तरीके से किया गया था, तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ

या नहीं और इस प्रकार ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच के बाहर रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता हैं।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों के बारे में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को प्रत्येक तिमाही में सूचना दी गयी थी, तथापि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। लेखाओं के बकायों को एक समयबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना, ने मुख्य सचिव एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक (जून 2010) भी की थी ।

1.26 उपरोक्त वर्णित बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार बकाये के समापन के अनुश्रवण हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित करे तथा प्रत्येक कम्पनी हेतु लक्ष्य निश्चित करे जिनका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ भी कर्मचारियों की कमी है अथवा कुशलता की कमी है, वहाँ सरकार लेखों के बनाने के कार्य को आउटसोर्स करने पर विचार कर सकती है।

अकार्यशील सा.क्षे.उ. का समापन

1.27 31 मार्च 2010 को 40 अकार्यशील सा.क्षे.उ. (कम्पनियाँ) थीं । इनमे से सात सा.क्षे.उ. में समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चूकी हैं। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यशील कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है :-

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अकार्यशील कम्पनियों की संख्या	40	40	40	40	40

अकार्यशील सा.क्षे.उ. को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली हैं। 2009–10 की अवधि में तीन[13] अकार्यशील सा.क्षे.उ. ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 1.48 करोड़ व्यय किये।

1.28 अकार्यशील सा.क्षे.उ. की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	अकार्यशील सा.क्षे.उ. की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से:	–	–	–
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	3[14]	–	3
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	4[15]	–	4

[13] बिहार राज्य लघु उधोग निगम लिमिटेड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[14] परिशिष्ट 1 का क्र.सं. स–20, 36 एवं 39 ।

[15] परिशिष्ट 1 का क्र.सं. स–14, 15, 26 एवं 29 ।

1.29 वर्ष 2009–10 के दौरान किसी कम्पनी/निगम का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 10 वर्षों से अधिक समय से समापन प्रक्रिया मे हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाना/अधिक बढावा दिया जाना चाहिए। सरकार को शेष 33 अकार्यशील सा.क्षे.उ., जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनके समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए। सरकार अकार्यशील कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार कर सकती है।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.30 वर्ष 2009–10 में सात कार्यशील कम्पनियों ने अपने 15 अंकेक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से छः कम्पनियों के छः लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	2	1.71
2.	हानि में वृद्धि	5	3.00	2	4.31	10	16.63
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	8.56	1	10.02	1	0.15
4.	वर्गीकरण में गलतियाँ	1	5.80	2	7.87	शून्य	शून्य

1.31 वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त सभी 15 लेखों पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 11 लेखों[16] में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 13 उदाहरण पाये गये।

1.32 कम्पनियों के लेखो के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:-

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (2006–07)

- वर्ष 1999 मे वितरित पेशेवर कर्ज की राशि, जिसकी वसूली लाभर्थियों के पता नहीं चल पाने के कारण संदिग्ध थी, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के हानि तथा चालू दायित्वों एवं प्रावधानों का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (1998–99)

- सेवा अभिकर्ताओं से प्राप्य राशि, जो लम्बे समय से अदत्त थी एवं जिसकी वसूली संदिग्ध थी, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के विविध देनदारों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

16 बिहार राज्य वित्तीय निगम (2008–09), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (1998–99), (1999–2000), (2000–01), (2001–02) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (2006–07), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (1992–93), (1993–94), (1994–95), एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (1997–98) एवं (1998–99) ।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (1987–88)

- बिहार स्कूटर लिमिटेड को दिये गये अग्रिम की राशि, जिसकी वसूली वर्ष 1982–83 से इसके बंद रहने के कारण संदिग्ध है, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

1.33 इसी प्रकार, 2009–10 के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने लेखे प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लेखा, जो सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित था, लेखापरीक्षाधीन था (30 सितम्बर 2010) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम का लेखा अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी के द्वारा एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है:-

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	16.00	2	14.61	1	1.74
2.	हानि में वृद्धि	7	655.24	3	562.74	2	3475.34
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	2.34	2	12.08	1	7.08
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	4.51	3	67.67	1	2.47

1.34 सांविधिक निगमों के लेखों, जो वर्ष 2009–10 के दौरान अंतिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत हैं :-

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2007–08)

- ब.वा.श.प्र. के परित्यक्त कार्यों के मूल्य के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 7.08 करोड़ के क्रियमान पूँजीगत कार्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- लम्बे समय से लेखों में ली जा रही ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत पी.जी.सी.आई. एल. को दिये गये अग्रिम की असमायोजीत राशि के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 51.98 करोड़ के हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- परित्यक्त कार्यों के मूल्य ₹ 5.27 करोड़ को राजस्व लेखे पर प्रभारित नहीं कि जाने के फलस्वरूप ₹ 5.27 करोड़ के हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- ऋणों एवं अग्रिमों में आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम की ₹ 14.25 करोड़ की असमायोजित राशि सम्मिलित है, इसके फलस्वरूप ₹ 14.25 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- ब.वा.श.प्र. मे कोयले की श्रेणी के अंतर के असमायोजित राशि के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 7.96 करोड़ के विविध प्राप्तियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य मे 2001–06 की अवधि के लिए वार्षिक अर्थसाहाय्य की राशि ₹ 3329.10 करोड़ सम्मिलित है, जिसका बोर्ड ने न हीं दावा किया और न हीं जिसकी राज्य सरकार द्वारा सहमति प्राप्त की गयी, जिसके फलस्वरूप ₹ 3329.10 करोड़ के राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- ऊर्जा क्रय करने पर यू.आई. (असूचिबद्ध विनिमय) प्रभार के रूप मे देय ब्याज के अप्रावधान के फलस्वरूप, ₹ 11.34 करोड़ के चालू दायित्वों एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2002–03)

- बिक्री कर के बकाये के भुगतान नहीं करने के कारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा जब्त की गयी राशि, जिसकी वसूली संदिग्ध है, के अप्रावधान के फलस्वरूप, ₹ 7.22 करोड़ के सम्पत्तियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- दरभंगा प्रमण्डल से सम्बन्धित 31 मार्च, 2003 तक वसूलनीय राशि, जिसका कोई विवरण उपलब्ध नही है, के अप्रावधान के फलस्वरूप, कर्मचारियों को ₹ 1.15 करोड़ के अग्रिम का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2008–09)

- प्राप्य किराये मे पुराने विवादित मदों के प्रति ₹ 1.63 करोड़ सम्मिलित है, जिसकी वसूली संदिग्ध है तथा जिसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया है। इसके फलस्वरूप, ₹ 1.63 करोड़ प्राप्त किराये एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.35 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती हैं। सांविधिक अंकेक्षको द्वारा 2008–09 में नौ कम्पनियों[17] तथा 2009–10 में आठ कम्पनियों[18] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणीयों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमे अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	04	अ–1, अ–9, अ–13, अ–18,
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	06	अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–18
3.	अचल सम्पत्तियो से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे परिमाणात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, ह्रासित स्थायी सम्पतियों के मूल्य तथा उनकी स्थिति	08	अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–15, अ–18, स–5

17 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–4 ,अ– 6, अ–8, अ–11, अ–13, अ–19, स–4, स–5 एवं स–16।
18 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–15, अ–18 एवं स–5 ।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.36 2009–10 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, विभिन्न सा.क्षे.उ. के प्रबन्धन को ₹ 66.93 करोड़ की वसूली के मामले प्रकट किये थे, जिनमे से ₹ 13.98 करोड़ के मामले सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2009–10 में ₹ 5.11 करोड़ राशि की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.37 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प.प्र. विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प.प्र. विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ.ले.प.प्र. को विधायिका के समक्ष ने रखने के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1999-2000	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	30.06.2004 12.03.2007 24.10.2007 20.02.2008 29.04.2008 15.01.2009 26.05.2009 15.04.2010	विधायिका के समक्ष अभी रखा जाना है।
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2008-09	2006-07	30.09.2008	सम्बन्धित विभाग द्वारा विधायिका के समक्ष उपस्थापित करने के लिए प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 1990-91 (17) विवरण 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	 9.6.1997 2.9.1998 2.9.1998 4.12.1998 18.4.2000 19.3.2004 19.10.2004 12.4.2005 07.10.2005 24.09.2007 26.10.2007 25.01.2010	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हैं।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.38 राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2009–10 में कोई कदम नहीं उठाया गया था। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा.क्षे.उ. की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 कम्पनियों/निगमों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबंधन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। यद्यपि इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच कम्पनियों/निगमों[19] के सम्बन्ध में किया गया है (सितम्बर, 2010)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.39 राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बि.ई.आर.सी.) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। 2009–10 के दौरान बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दिसम्बर 2009 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बी.एस.एच.पी.सी.) को दर निर्धारण के लिए तथा बगासे (खोई) एवं बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए दर निर्धारण का आदेश जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निजी उद्यमियों से ऊर्जा क्रय करने को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए गए एवं उपभोक्ता आपत्ति निवारण फोरम (सी.जी.आर.एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश, राज्य में बिजली की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में एवं संचरण एवं वितरण हानि को कम करने के लिए स्थायी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए।

1.40 कार्य–क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रुप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	मार्च 2010 तक उपलब्धि
1.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस. ई. आर. सी.)	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस. ई. आर. सी.) की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं0 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए अंतिम टैरिफ आदेश 26.08.2008 को संसूचित किया गया।
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	39,015 गाँवों में से 24,645 (63.17 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (मार्च 2010)।
3.	बोर्ड का पुनर्संगठन	बोर्ड का पुनर्संगठन के लिए बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा वित्त निगम को सलाहकार नियुक्त किया गया है एवं कार्य राज्य सरकार के स्तर से किया जा रहा है।
4.	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अदत्त बकायों की सुरक्षा	बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2075.61 करोड़ के अदत्त बकायों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली गई है।

[19] बिहार राज्य बीज निगम लि0, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि0, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0 ।

5.	11 के.वी. के सभी वितरण फीडरों को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना	सभी 16 अंचलों में उपभोक्ताओं (62.45 प्रतिशत) एवं 11 के.वी. के वितरण फीडरों (71.22 प्रतिशत) में मीटर लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है (सितम्बर 2010)।
6.	ऊर्जा लेखापरीक्षा	ऊर्जा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2010 तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है क्योंकि सभी विद्युत सम्बन्धों को मीटरीकृत करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है (सितम्बर 2010)।
7.	पारेषण एवं वितरण (पा. एवं वि.) क्षति को कम करके 15.5 प्रतिशत तक लाना	पारेषण एवं वितरण क्षति वर्ष 2007–08 में 39.06 प्रतिशत था जो वर्ष 2008–09 के दौरान घटकर 37.98 प्रतिशत हो गया।
8.	स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत प्रत्याय	बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत के प्रत्याय को वर्ष 2008–09 तक प्राप्त नहीं कर सका था।
9.	वितरण सूचना प्रबंधन प्रणाली	वितरण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन एस. सी.ए.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है। (सितम्बर 2010)
10.	न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) ने कृषि सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 के लिए 125.94 पैसे/इकाई की दर स्वीकृत की है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षर हुए एम ओ यू के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अध्याय–II

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

2. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड



कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के पुलों एवं पथों का निर्माण एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुलों से टॉल का संग्रहण करना है।

चूँकि कम्पनी का कार्य सामाजिक ढाँचागत संरचनाओं के सृजन से है ; अतः कम्पनी के कार्यों का निष्पादन समीक्षा आवश्यक समझा गया। यह समीक्षा कम्पनी द्वारा वर्ष 2005–10 के दौरान निष्पादित किये गये कार्यों पर आधारित है।

नियोजन

कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लागत का प्राक्कलन लम्प–सम (एकमुश्त आधार पर) विस्तृत स्थल निरीक्षण किये बिना किया गया, जिसके कारण आठ परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ तथा ₹ 134.30 करोड़ की निधि तीन से 17 महीनों तक बाधित रहा। पहुँच पथ का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण 45 पुलों का उपयोग 27 महीनों तक विलम्बित हो गया। पुल के निर्माण कार्य का प्राक्कलन अधूरा था, क्योंकि इसमें आवश्यक मदों को शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण सरकार द्वारा आवंटन में कमी, निधि का अवरूद्धन परिणत हुआ एवं साथ हीं कम्पनी ₹ 0.49 करोड़ की शतता (सेन्टेज) शुल्क अर्जित नहीं कर सकी।

कार्यान्वयन

वर्ष 2005–10 की अवधि में सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 5,574.73 करोड़ प्राक्कलित राशि पर कुल 742 पुलों का कार्य आवंटित किया गया जिसमें से कम्पनी ने ₹ 1415.20 करोड़ की लागत पर 538 पुलों का निर्माण किया जिसमें पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) से किया गया व्यय ₹ 11.74 करोड़ भी शामिल था।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–10 के दौरान अधिकाधिक संख्या में ली गई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया। परन्तु, फिर भी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब का मामला पाया गया, जिसका

मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, परियोजनाओं का निरस्तीकरण इत्यादि शामिल था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र एवं लोक कार्य विभाग संहिता का उल्लंघन कर कम्पनी द्वारा न्यूनतम निविदादाता को दर वार्ता के लिये आमंत्रित किया गया।

योजनाओं का कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (मु.मं.से.नि.यो.)

वर्ष 2007–10 के दौरान मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत आवंटित कुल 522 पुलों के विरूद्ध कम्पनी द्वारा 404 पुलों को निर्माण किया गया । इनमें से पूर्ण किये गये 60 पुलों के निर्माण में एक से 26 महीनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण पुलों का निर्माण दो से 22 महीनों तक विलम्बित था जिसका मुख्य कारण, कार्य प्रारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा निष्पादन में विलम्ब तथा स्थल मुक्तान्तर में विलम्ब होना था। दरभंगा प्रमण्डल में बिना एकरारनामा किये कार्य–निष्पादन करने के कारण ₹ 12.13 करोड़ की हानि हुई। कप्तान पुल पूर्णियाँ, के सम्बन्ध में निविदा निष्पादन में विलम्ब ₹ दो करोड़ लागत की वृद्धि का कारण बना।

रेलवे उपरी पुल का निर्माण (आर. ओ. बी.)।

कुल आठ आर. ओ. बी. में से ₹ 80.15 करोड़ के वास्तविक प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 86.60 करोड़ की लागत पर सिर्फ तीन आर. ओ. बी. पूर्ण किए जा सके। शेष आर. ओ. बी. जुलाई 2010 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। इनकी पूर्णता तिथि भिन्न–भिन्न थी।

टर्न–की संविदाओं का निष्पादन।

तीन टर्न–की संविदाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वास्तविक जी.ए.डी., परिमाण विपत्र एवं प्राक्कलन की तुलना संवेदक द्वारा सौंपे गए प्रारूप से नहीं किया गया था एवं परियोजना की वास्तविक लागत का विश्लेषण संवेदकों को भुगतान करने से पहले नहीं किया गया था। हमने प्रेक्षण में पाया कि आर. ओ.बी., पूर्णियाँ में संवेदक को ₹ 43.84 लाख का अधिक भुगतान, आर.ओ.बी., सुल्तानगंज में संवेदक से ₹ 0.80 करोड़ की अल्प वसूली, दरभंगा के रसियारि घाट, समस्तीपुर के लरझा घाट के सम्बन्ध में लागत में बिना किसी अतिरिक्त कटौती के कम मात्रा वाले प्रारूप को स्वीकार करने के कारण ₹ 13. 21 करोड़ की हानि हुई।

योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत पुलों का निर्माण

वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी को योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत 212 पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹3103.56 करोड प्राप्त हुआ जिसमें से ₹886.71 करोड़ की लागत पर कम्पनी ने कुल 161 पुलों का निर्माण किया। शेष 51 पुलों का निर्माण प्रगति में था (सितम्बर 2010)। हमने प्रेक्षण में पाया कि तीन प्रमण्डलों– भागलपुर, कटिहार, दरभंगा में शुरू किये गये कुल 41 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ तीन से 19 महीनों की विलम्बता से पूर्ण किया गया था। शेष 17 चालू परियोजनाओं में से सात परियोजनाएँ पहले हीं आठ से 23 महीना की परास अवधि से विलम्बित था।

सीलिंग दर से उपर कार्यों के आवंटन के कारण अधिक व्यय

111, 43 और 80 कार्य नामांकन आधार पर सिलिंग दर/सीमा दर से क्रमशः 10, 12 और 15 प्रतिशत उपर आवंटित किया गया जिसके कारण ₹ 1.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पथों का निर्माण

वर्ष 2007–08 से कम्पनी द्वारा पथों का निर्माण भी शुरू किया गया जब–जब यह पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया। कुल 72 पथों में से सितम्बर 2010 तक सिर्फ 44 पथ(61 प्रतिशत) पूर्ण किया गया था। पथों के निर्माण में विभिन्न कारणों से, जैसे कार्यारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा धीमा कार्य निष्पादन, कार्यों का निरस्तीकरण तथा पुनः आवंटन के कारण 21 महीनों तक का विलम्ब था।

अनुश्रवण

प्रमण्डल स्तर पर कोई गुण नियंत्रण कोषांग नहीं था और कम्पनी मुख्यालय भी आवश्यक मशीनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं था। एस.बी.डी. के

उपवाक्य के उल्लंघन करने से ₹ 15.18 करोड़ अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु चूककर्ता अभिकरणों के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं किया गया था (सितम्बर 2010)। सामग्रियों के गुण एवं विशिष्टता को सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि इसे सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज (फार्म एम. एवं एन.) किसी भी परियोजना के विपत्र के साथ संलग्नित नहीं पाया गया था। मोर्थ (MORTH) विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ मूल्य का 4674.46 घनमीटर का बी.एम. कार्य निम्न कोटि का हो गया क्योंकि वहाँ दो परतों के चढ़ाने के बीच छः से नौ महीने का अन्तराल पाया गया था, जो कि 48 घंटों में हो जाना चाहिए था। 4955.40 घनमीटर स्टोन चिप्स जो कि अस्वीकृत खान से लाया गया था, की ढुलाई पर ₹ 22.54 लाख का अनाधिकृत भुगतान प्रेक्षित किया गया था।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

कम्पनी अपनी लेखों को अद्यतन नहीं किया था और यह वर्ष 2002–03 से ही बकाया था। कम्पनी की वार्षिक वित्तीय लेखें वर्ष 2006–07 से ही निदेशक मण्डल से अनुमोदित होना बाकी था। अव्यवहृत निर्माण कार्यों की राशि जो की आवधिक जमाओं में रखा गया था, पर अर्जित ब्याज वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की कुल आय का 14.68 प्रतिशत से 51.48 प्रतिशत था।

वित्तपोषण

वर्ष 2005–10 के दौरान उपलब्ध निधियों की कुल उपयोगिता लगभग 80 प्रतिशत रही, जिसमें वर्ष 2007–08 से सामान्य वृद्धि पाया गया, जो कि मु.मं.से.नि.यो. के परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप था। अतिरिक्त व्यय हेतु सरकार से पूर्व स्वीकृति नहीं लेने के कारण कम्पनी के ₹ 84.98 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

निर्मित पुलों का हस्तांतरण

चार प्रमण्डलों से सम्बन्धित 141 पुल जो वर्ष 2005–10 के दौरान पूर्ण किये गये थे, को सरकार को 48 महीनों के विलम्ब के बाद भी अब तक समर्पित नहीं किया गया था।

आन्तरिक नियंत्रण

कम्पनी का आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं था। कम्पनी के पास आन्तरिक अंकेक्षण कोषांग नहीं था। सनदी लेखाकारों की फर्में आन्तरिक अंकेक्षण, बैंक खातों के समाधान इत्यादि के लिए नियुक्त किये गये थे। आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तकनीकी अंकेक्षण एवं व्यय के औचित्य का आच्छादन नहीं करता था।

2.1 परिचय

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में हुआ था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार में नदी ट्रेनिंग कार्यों और पुलों के लिए पहुँच पथों से सम्बन्धित सुविधाओं एवं कार्य हेतु सभी प्रकार के पुलों, पथों एवं अन्य ढाँचाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, पूर्ण करना, सुधार, कार्य, विकास, प्रशासन, प्रबंध, नियंत्रण अथवा रख–रखाव करना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी को सौंपे गये पुलों, पहुँच पथों के इस्तेमाल हेतु यात्रियों एवं सामानों की ढुलाई पर टॉल का अधिरोपण एवं संग्रहण हेतु अधिकृत किया गया था। कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा उन पुलों पर जिन्हें बिहार टॉल नियमावली 1979 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, से टॉल संग्रहण कार्य और इस संग्रहित राशि को बिहार पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) में जमा करना भी सौंपा गया था, जिसका उपयोग मरम्मति, रख–रखाव एवं सरकार द्वारा स्वीकृत नये पुलों के निर्माण के लिए करना था। वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी अपनी गतिविधियों को एक निर्माण अभिकरण के रूप में सीमित रखा जिसमें मुख्य रूप से योजना, गैर–योजना, विधायक/ सांसद निधि, राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए पुलों, नाबार्ड, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना इत्यादि के

अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये पुलों, पथों एवं अन्य ढाँचाओं का निर्माण करना था।

कम्पनी का प्रबंधन एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें कुल नौ निदेशक हैं। निदेशक मण्डल के पूर्णरूपेण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहते हुए कम्पनी के उद्देश्यों एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों को लागू करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक पर है। प्रबंध निदेशक की सहायता हेतु अन्य प्रबन्धक एवं अधिकारीगण थे। कम्पनी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट–7** में दिया गया है।

2.2 कम्पनी द्वारा अपने लेखाओं को अद्यतन नहीं किया गया था और यह वर्ष 2002–03 से बकाया था। कम्पनी अपनी परिचालन व्ययों को, संविदाओं की लागत पर प्रभारित सेवा शुल्क अधिभार जिसे शतता (सेन्टेज) शुल्क के नाम से जाना जाता है, से पूर्ण करती है।

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्राप्त आदेश–पुस्तिका की स्थिति नीचे प्रस्तुत है। 2005–06 के आरंभ में ₹ 442.29 करोड़ मूल्य के 77 परियोजनाएँ कम्पनी के हाथ में थी और कम्पनी ने इस अवधि के दौरान ₹ 5132.44 करोड़ मूल्य की अन्य 665 परियोजनाएँ प्राप्त किया।

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति		कुल योग		पूर्ण		अपूर्ण	
	परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाएँ की संख्या	पूर्ण कार्य पर भारित व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत (₹ करोड़ में)
2005-06	77	442.29	15	47.94	92	490.23	08	26.82	84	463.41
2006-07	84	463.41	134	619.16	218	1082.57	26	83.42	192	999.15
2007-08	192	999.15	392	1732.80	584	2731.95	77	160.06	507	2571.89
2008-09	507	2571.89	54	496.63	561	3068.52	192	460.77	369	2607.75
2009-10	369	2607.75	70	2235.91	439	4843.66	235	684.13	204	4159.53

जुलाई 2003 में बिहार सरकार ने कम्पनी को बंद करने का निर्णय लिया था। हालांकि, यह निर्णय जून 2006 में वापस ले लिया गया था। इन वर्षों के दौरान, कम्पनी ने अपनी निर्माण गतिविधियों को जारी रखा।

अवधि 2000–05 के लिए कम्पनी की निर्माण गतिविधियाँ, जिसकी समीक्षा कालान्तर में की गई थी, को 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वा0), बिहार सरकार, में शामिल किया गया था और इसपर लोक उपक्रम समीति द्वारा विचार विमर्श किया गया (सितम्बर 2007)। लोक उपक्रम समिति ने अपनी बैठक में यह स्वीकार किया था कि, निधियों को विलम्ब से मुक्त करने के कारण विभिन्न परियोजनाओं की लागत एवं समय में वृद्धि हुई थी और यह सिफारिश किया था कि ऐसे मामलों में लागत एवं समय वृद्धि को टालने हेतु कम्पनी/विभाग सतर्क रहे। यह भी निर्देशित किया गया था कि ऐसी परियोजनाएँ जहाँ कुल व्यय कुल प्राक्कलित लागत से अधिक थी, का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन कम्पनी को दो

महीनों के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए और सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात एक महीने के अन्दर कम्पनी के खाते में राशि जमा करा देना चाहिए।

लोक उपक्रम समिति की उपरोक्त सिफारिश के बावजूद यह पाया गया था कि ₹ 100.15 करोड़ मूल्य की 18 जमा कार्यों जो कि 2005–10 की अवधि के दौरान पूर्ण किये गये थे और जिसका वास्तविक व्यय प्राक्कलित लागत से अधिक था, का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन कम्पनी ने प्रस्तुत नहीं किया था। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2010) कि 10 परियोजनाओं से सम्बन्धित पुनर्रीक्षित प्राक्कलन सरकार को सौंपे जा चुके थे।

2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी के मुख्यालय एवं 12 में से चार[1] क्षेत्रीय इकाईयों (कुल प्रमण्डलों का 33 प्रतिशत से अधिक) के कार्यों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित दस्तावेजों की संवीक्षा द्वारा संपन्न किया गया जिसका चयन 31 मार्च 2010 तक क्रियान्वित कार्यों की मात्रा एवं भौगोलिक स्थितियों के आधार पर किया गया था। कुल हस्तान्तरित निधियों की तुलना में कुल 37 प्रतिशत निधि इन प्रमण्डलों[2] को हस्तांन्तरित किया गया था।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कम्पनी के निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य निष्पादन की समीक्षा यह मूल्यांकन एवं निर्धारण करने हेतु किया गया था कि:

- कार्यों का निष्पादन एकरारनामा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार था और कम्पनी समय एवं लागत वृद्धि की जोखिम के प्रति संवेदनशील थी;
- उचित अनुश्रवण प्रणाली लागू थी;
- योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उचित नियोजन किया गया था;
- कम्पनी के पास बेहतर ढंग से निर्मित नैगमिक योजना थी, और इनके निर्माण कार्य गतिविधियों के संदर्भ में, का आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रभावकारी था।
- पर्याप्त निधि समय पर उपलब्ध कराये गये थे और उनका दक्षतापूर्वक उपयोग किया गया था;
- कम्पनी बिहार टॉल नियमावली 1979 के अनुसार टॉल का संग्रहण सुनिश्चित कर सका था;
- पूर्ण परियोजनाएँ सरकार को समय पर सौंपा गया था।

2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित कम्पनी के कार्य निष्पादन की जाँच उसके अधिदेश, नियमों एवं प्रक्रियाएँ, अपनायी गई बिहार लोक कार्य संहिता, अन्य लागू अधिनियमों एवं

[1] कार्य प्रमण्डल भागलपुर, दरभंगा, कटिहार एवं पथ प्रमण्डल, पटना
[2] ₹ 792.74 करोड़

नियोजन, निष्पादन, अनुश्रवण एवं संविदा प्रबंधन में प्रचलित श्रेष्ठ प्रथा के आलोक में किया गया था।

2.6 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा मापदण्ड के प्रसंग में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो पद्धति अपनायी गई उसमें उच्च प्रबंधन पदाधिकारियों के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या करना, मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों के दस्तावेजों की संवीक्षा, कार्यालय कर्मियों के साथ वार्ता, लेखापरीक्षा मापदण्ड सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श करना और प्रबंधन की प्रतिक्रिया हेतु प्रारूप समीक्षा प्रबंधन को जारी करना सम्मिलित था।

2.7 लेखापरीक्षा परिणाम

कम्पनी की गतिविधियों पर निष्पादन समीक्षा के चयन की सूचना सरकार एवं प्रबंधन को देने हेतु एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया (मार्च 2010) था। कम्पनी की निर्माण गतिविधियों की निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप पायी गई लेखापरीक्षा परिणामों को सरकार/प्रबंधन को (जुलाई 2010) प्रतिवेदित किया गया एवं इस सम्बन्ध में एक बहिर्गमन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया (अक्टूबर 2010)। बहिर्गमन सम्मेलन में प्रबंधन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों एवं जवाब (सितम्बर 2010) को समीक्षा को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है।

2.8 व्यवसायिक दृष्टिकोण

कम्पनी का विकास कम्पनी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त किये गये परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करता है। कम्पनी ने किसी भी खुली निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और अपने व्यवसाय को जारी रखने हेतु पूर्णरूपेण राज्य सरकार की परियोजनाओं पर निर्भर था। ऐसी अवस्था में अतः यह कहना प्रासांगिक होगा कि अपनी सतत उत्तरजीविता के लिए यह पूर्णरूपेण राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर है।

मुद्रा की मूल्य को प्राप्त करने हेतु यह अति आवश्यक है कि परियोजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन एवं सूक्ष्म अनुश्रवण होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में पायी गई त्रुटियाँ, जो कम्पनी की कार्यकलापों की समीक्षा के दौरान हमने प्रेक्षित किया, उनका वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.9 नियोजन

कार्यों के क्रियान्वयन के पहले उचित और प्रभावी नियोजन अति आवश्यक हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का ससमय एवं उचित क्रियान्वयन के लिए नियोजन में परियोजना के विभिन्न स्तरों के निष्पादन हेतु तय की गई समयसूची से सम्बन्धित एक कार्य योजना होना चाहिए। इस सम्बन्ध में समय एवं लागत वृद्धि, निधियों का अवरोधन एवं उपयोगिता में विलम्ब को टालने हेतु परियोजना की समय पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है।

नियोजन में सही एवं यथार्थ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना, स्थल सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं मिट्टी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारूप एवं प्राक्कलन तैयार करना भी शामिल होता है। वास्तविक परिणाम विपत्र एवं प्राक्कलनों की तैयारी हेतु प्रारूप को स्थल विशिष्ट होना चाहिए। परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब को टालने के लिए आवश्यक भूमि का ससमय अधिग्रहण एवं भूमि की लागत का पर्याप्त

प्राक्कलन भी नियोजन में शामिल है। त्रुटिपूर्ण कार्य योजना के कारण, हमने लाभ उपार्जन की हानि प्रेक्षित किया।

2.9.1 भूमि अधिग्रहण का त्रुटिपूर्ण नियोजन

विस्तृत स्थल निरीक्षण किए बिना भूमि अधिग्रहण का प्रावधान एक मुश्त राशि के आधार पर करने के फलस्वरूप ₹ 134.30 करोड़ तीन से 17 महीनों तक अवरोधित रहा।

आवश्यक भूमि का ससमय अधिग्रहण परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब को टालने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सरकार से न्यून आवंटन को रोकने के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का पर्याप्त प्राक्कलन आवश्यक है। हालांकि, हमने इस सम्बन्ध में कम्पनी के नियोजन को अपर्याप्त पाया। कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत का प्राक्कलन बिना स्थल निरीक्षण किए ही एकमुश्त राशि के आधार पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आठ परियोजनाओं[3] के निर्माण में विलम्ब हुआ तथा ₹ 134.30 करोड़ तक का निधि तीन से 17 महीनों तक अवरोधित हो गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2010) कि आवश्यक विवरण के साथ भूमि अधिग्रहण योजना जिला प्रशासन को सौंप दिया जाता है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है। भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पश्चात भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। प्रबंधन ने आगे यह भी बताया कि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति एवं अंततः भूमि अधिग्रहण की लागत पर निर्णय करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। इस प्रकार अधिग्रहण की वास्तविक लागत कम्पनी को थोड़ा देर से ज्ञात होता है।

सरकार ने सहमति जताते हुए कहा (अक्टूबर 2010) कि इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश सम्बन्धित प्राधिकरणों को जारी किया जायेगा।

2.9.2 पहुँच–पथ नहीं बनने के कारण पुलों के उपयोग में विलम्ब

पुलों के साथ पहुँच पथ के पूर्णता के मामलों में दोषपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप 27 महीनों तक ₹ 106.72 करोड़ अवरूद्ध रहा।

किसी भी पुल को ससमय इस्तेमाल योग्य बनाने हेतु, इसका निर्माण कार्य इस प्रकार सुनियोजित होना चाहिए कि पुल एवं पहुँच पथ दोनों का निर्माण एक साथ पूर्ण हो जाए। यह प्रेक्षित किया गया कि पुलों के साथ पहुँच–पथों के निर्माण के पूर्ण होने का नियोजन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था। हमने प्रेक्षित किया कि पहुँच पथों के निर्माण में विलम्ब के कारण 2006 से 2010 के दौरान निर्मित कुल ₹ 106.72 करोड़ के 45 पुलों के उपयोग में 27 महीने तक का विलम्ब हुआ **(परिशिष्ट–8)** जो कि ₹ 106.72 करोड़ की राशि के अवरोधन (दो पहुँचपथ भूमि अधिग्रहण के कारण अभी भी अपूर्ण है) के अतिरिक्त जनहितार्थ में विलम्ब तथा टॉल से होने वाली राजस्व के विलम्बन के रूप में परिणत हुआ।

सरकार/प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2010) कि 45 पुलों में से 31 पुलों के निर्माण में विलम्ब विभिन्न कारणों जैसे विद्युत खंभों का स्थानांतरण, पहुँचपथ में निजी जमीन/ढाँचा, मौनसून ऋतु, जल जमाव आदि था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में पहुँच पथ में हुए मिट्टी कार्य को (स्वभाविक व्यवस्थापना/सघनता हेतु) एक निश्चित समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है।

3 (1) मुंगेर जिला में बरियारपुर आर.ओ.बी. (2) सीवान आर.ओ.बी. (3) किशनगंज–315 आर.ओ.बी. (4) दुर्गावती नदी पर रामपुर गाँव में (मिरीया पंचायत) पुल (5) जमूई जिला में जिनहारा–पीद्रॉन पथ में पुल (6) ढोली कल्याणपुर पथ में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल (7) समहो उच्च विधायलय से धाधाराहा पथ के पहले कि.मी. में किऊल नदी पर पुल एवं (8) नालंदा के बर्दवान आर्युवेदिक संस्थान, पावापुरी में चाहर दीवारी का निर्माण

2.9.3 त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन

पुल कार्य आरम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा एक प्राक्कलन तैयार किया जाता है और इसे सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। किसी भी परियोजना का प्राक्कलन उचित कहा जायेगा यदि इसमें शतता शुल्क के साथ सभी आवश्यक मदों की लागत का समावेश हो, ताकि सरकार से परियोजना मद के विरूद्ध पर्याप्त निधि का आवंटन सुनिश्चित हो सके। हमने यह प्रेक्षित किया कि बिना स्थल निरीक्षण किए त्रुटिपूर्ण एवं अवास्तविक परिमाण विपत्र तैयार करने के फलस्वरूप नमूना जाँच किये गये 37 परियोजनाओं के मामले में प्राक्कलन पुनर्रीक्षित हुआ था चूँकि वास्तविक व्यय इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति से ₹ 53.59 करोड़ अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट–9** में विवरणित है।

भागलपुर जिला में लोहारी नदी पर ममलाख एवं लैलाख के बीच उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के मामले में भी तैयार किया गया प्राक्कलन भी त्रुटिपूर्ण पाया गया। यह कार्य कम्पनी को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया था (मार्च 2008)। कम्पनी ने इस परियोजना हेतु ₹ 3.98 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया था जिसका अनुमोदन सरकार द्वारा कर दिया गया था (मार्च 2008)।

अपूर्ण पुल के निर्माण का प्राक्कलन अपूर्ण था चूँकि इसमें आवश्यक मदों का समावेश नहीं था जिसके कारण सरकार से कम निधि का आवंटन, निधि का अवरूद्धीकरण एवं कम्पनी द्वारा ₹ 0.49 करोड़ शतता (सेंटेज) शुल्क उपार्जित नहीं किया जा सका।

हमने प्रेक्षित किया कि पुल निर्माण कार्य के लिए किया गया प्राक्कलन अपूर्ण था क्योंकि इसमें उन आवश्यक मदों को शामिल नहीं किया गया था जैसे पहुँच पथ, पथांतरण एवं भूमि अधिग्रहण की लागत। यहाँ तक कि प्राक्कलन में शतता शुल्क को भी शामिल नहीं किया गया था। यह निधि के न्यून आवंटन में परिणत हुआ। चूँकि आवंटित निधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका, ₹ 7.65 करोड़ का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन (वास्तविक प्राक्कलन से 192 प्रतिशत अधिक) तैयार कर विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया (जनवरी 2009)। हालांकि, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति अभी मिलना बाकी है (सितम्बर 2010)।

आगे, यह कि ₹ 3.98 करोड़ कुल आवंटन के विरूद्ध पुल के निर्माण में कुल ₹ 4.85 करोड़ व्यय किया गया जिसके फलस्वरूप कम्पनी का निधि ₹ 87 लाख अवरूद्ध रहा। इसके अतिरिक्त कम्पनी ₹ 0.49 करोड़ की शतता शुल्क अर्जित करने से वंचित रह गया (एक प्रतिशत आकस्मिकता एवं नौ प्रतिशत शतता)।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा गया कि लागत में वृद्धि का कारण जनता की माँग पर पथांतरण बनाना एवं भूमि अधिग्रहण में जनता द्वारा बाद में और नीजि भूमि होने का दावा करना था। हालांकि, तथ्य यह है कि प्रबंधन ने आवश्यक मदों जैसे पहुँच पथ की लागत, भूमि अधिग्रहण की लागत एवं शतता शुल्क को शामिल नहीं किया था जिसके कारण प्राक्कलन की लागत में वृद्धि हुई थी। ₹ 7.65 करोड़ का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अभी भी बाकी था (सितम्बर 2010)।

2.10 परियोजना कार्यान्वयन

राज्य सरकार से कार्य आवंटन के पश्चात परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ होता है। कम्पनी एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करती है तथा इसे सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजती है। कम्पनी द्वारा निष्पादित कार्य दो श्रेणी में विभाजित किये गये हैं: (i) जमा कार्य और (ii) संविदा कार्य। जमा कार्य कम्पनी को सरकार द्वारा लागत जोड़ आधार पर सौंपा जाता है, जिसमें अधिसूचित लागत एवं शतता शुल्क[4] होता है, जो कम्पनी की उपरिव्यय को पूर्ण करने के लिए

[4] ₹ 100 करोड़ के कुल बिक्री का 13.5 प्रतिशत, ₹ 100 से ₹ 250 करोड़ के कुल बिक्री पर 12.5 प्रतिशत एवं ₹ 250 करोड़ से ऊपर के बिक्री पर 10 प्रतिशत जिसमें एक प्रतिशत आकस्मिक शुल्क खर्च सम्मिलित है।

प्रदान किया जाता है। कम्पनी द्वारा सिर्फ जमा कार्यों का ही निष्पादन किया गया था एवं कम्पनी ने कोई भी कार्य संविदा द्वारा प्राप्त नहीं किया था क्योंकि कम्पनी ने किसी भी खुली निविदा में भाग नहीं लिया था।

जमा कार्यों का निष्पादन, या तो निविदा बुलाकर अथवा नामांकन द्वारा जिसमें बिना निविदा बुलाए हीं संवेदकों को कार्य आवंटन किया जाता है, के माध्यम से किया जाता है। नामांकन के अन्तर्गत कार्य को भिन्न–भिन्न हिस्सों में विभाजित किया जाता है एवं अलग–अलग संवेदकों को सिलिंग दर पर दिया जाता है जिसकी गणना दरों की सूची (एस.ओ.आर.) के आधार पर किया जाता है।

पुलों के निर्माण हेतु कम्पनी को निधि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से योजना, गैर–योजना मु.मं.से.नि.यो. एवं अन्य शीर्षों के तहत उपलब्ध कराया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित कुछ पुलों का वित्त पोषण पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) से किया जाता है जिसका रखाव कम्पनी द्वारा सरकार के वास्ते किया जाता है।

2.10.1 लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति

वर्ष 2005–2010 की अवधि में कम्पनी के पास सरकार द्वारा आवंटित 742 पुल (जिसमें 2005–06 का आरंभिक शेष भी शामिल हैं) था जिसका प्राक्कलित लागत ₹ 5,574.73 करोड़ था। इसमें से कम्पनी ने ₹ 1415.20 करोड़ की लागत पर 538 पुलों का निर्माण पूर्ण किया जिसमें ₹ 11.74 करोड़ का व्यय पुल विकास निधि से पूर्ण किया गया था। 204 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में था (अप्रैल 2010) जिसपर कम्पनी ₹ 2963.84 करोड़ का वास्तविक व्यय कर चुका था।

कम्पनी ने 2008–10 के दौरान प्राप्त किए गये अधिकतम परियोजनाओं को पूर्ण किया था। फिर भी, परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब था जिसमें निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा कार्य निष्पादन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, स्थल का मुक्तान्तर नहीं होना, संवदिाओं का निरस्तीकरण एवं कार्यों का पुनः आवंटन इत्यादि कारण शामिल था।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को वर्षवार मील–पत्थरों एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। ऐसे मील पत्थर न सिर्फ भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे बल्कि वित्तीय प्राचलिकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

2.10.2 निविदाकरण

सी.वी.सी. के परिपत्र एवं पी.डब्लू.डी. संहिता का उल्लंघन करते हुए कम्पनी के न्यूनतम (एल 1) निविदादाता को दर वार्ता के लिए आमंत्रित करने के कारण कार्यान्वयन में समय वृद्धि हुई।

स्वीकृत प्राक्कलनों के आधार पर कम्पनी निविदा आमंत्रण सूचना (एन. आई. टी.) जारी करती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के परिपत्र[5] के अनुसार न्यूनतम निविदाकर्ता के साथ दर वार्ता कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबन्धित हैं। इस परिपत्र को न मानते हुए कम्पनी ने न्यूनतम निविदाकर्ताओं को दर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। हमने दर वार्ता में विफलता को प्रेक्षित किया और नमूना जाँच किए गये तीन प्रमण्डलों के 23 मामलों में यह पाया कि कम्पनी ने दरवार्ता में विफलता के बाद पुनः निविदा करने को प्राथमिकता दिया। इस प्रक्रिया के कारण निविदाओं पर अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब हुआ जिसके कारण इन परियोजनाओं के निष्पादन में समय वृद्धि हुआ।

5 परिपत्र सं0 04/03/07 दिनांक–25.10.2005

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा कि (सितम्बर 2010) कम्पनी सतर्कता विभाग, बिहार सरकार के परिपत्रों एवं आदेशों द्वारा निर्देशित होती है। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। प्रबंधन ने आगे यह भी कहा कि कम्पनी दर वार्ता के सम्बन्ध में पी.डब्लू.डी. संहिता की धारा 164 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करती है।

जवाब सही नहीं था क्योंकि पी.डब्लू.डी. की धारा 164 में यह प्रावधान है कि, न्यूनतम निविदाकर्ता से दर वार्ता तभी किया जाना चाहिए जबकि दिया गया न्यूनतम दर बहुत अधिक समझा जाय। हमने यह पाया कि 25 संविक्षीत मामलों नें न्यूनतम निविदादाता को एक सामान्य प्रक्रिया के तहत दर वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया निर्देश भी कम्पनी के लिए तल चिह्न है।

2.11 योजनाओं का क्रियान्वयन

2.11.1 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (मु.मं.से.नि.यो.)

वर्ष 2006–07 के दौरान बिहार सरकार ने ग्रामीण सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य के विभिन्न ग्रामों के पथों एवं नदियों के अन्तराल को जोड़ने के उद्देश्य से मु.मं.से.नि.यो. योजना को प्रारम्भ किया। इस योजना के तहत, ऐसी नई पुलों का निर्माण जिसकी व्यक्तिगत लागत ₹ 25 लाख से अधिक हो, सरकार द्वारा कम्पनी को वर्ष 2006–07 एवं इसके आगे की अवधि के लिए दिया गया।

वर्ष 2007–10 के दौरान, कुल आवंटित 742 पुलों में से ₹ 1033.56 करोड़ के प्राक्कलित लागत पर 522 पुलों का निर्माण मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत कम्पनी को दिया गया। इनमें से कम्पनी ने ₹ 645.28 करोड़ की लागत पर 404 पुलों का निर्माण पूर्ण किया। शेष 118 पुल जिसपर ₹ 388.28 करोड़ व्यय किया जा चुका था निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में था।

नमूना जाँच किये गये दो प्रमण्डलों (कटिहार एवं दरभंगा) में पाया गया कि 2007–08 से 2009–10 के दौरान कुल 113 पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया जिसमें से केवल 66 पुल पूर्ण किया गया। चार पुलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया चूँकि सरकार द्वारा आवश्यक निधि का आवंटन नहीं किया गया था (मार्च 2010)।

हमनें प्रेक्षित किया कि 60 पूर्ण पुलों के निर्माण में एक से 26 महीना तक विलम्ब था। 43 अपूर्ण पुलों में से 41 पुलों के निर्माण में दो से 22 महीनों तक के विलम्ब का मुख्य कारण कार्यारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा निष्पादन में विलम्ब, निष्पादन कार्य शुरू होने से पूर्व स्थलों का मुक्तान्तर न होना इत्यादि था। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2010) कि 32 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चूकी है एवं शेष 15 परियोजनाएँ दिसम्बर 2010 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

- *एकरारनामा किए बिना कार्य का निष्पादन करने के कारण हानि*

मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत पुल निर्माण कार्य निविदा निष्पादन के पश्चात आवंटित किया जाता है एवं कार्य केवल मानक संविदा दस्तावेज (एस.सी.डी.) में एकरारनामा करने पर ही आरम्भ किया जा सकता है। एस.सी.डी. के खंड 14 के अनुसार यदि एकरारनामा का निरस्तीकरण संवेदक की गलती के कारण होता है, तो कम्पनी को अपूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा वहन किये जाने वाले जोखिम एवं लागत पर पूर्ण करने का अधिकार है। आगे, यदि शेष कार्य को पूर्ण करने में कम्पनी को कोई अतिरिक्त व्यय/अथवा शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु कम्पनी द्वारा किए जाने वाले व्यय है, तो संवेदक को लिखित में इसकी सूचना दी जायगी और 31 दिनों के अन्दर वह ऐसे अतिरिक्त व्यय के भुगतान हेतु जिम्मेवार होगा।

एकरारनामा के हस्ताक्षर के बिना कार्यारम्भ के कारण सरकार को ₹ 12.13 करोड़ की अतिरिक्त लागत/हानि हुई।

हमने प्रेक्षण में पाया (जून 2010) कि दरभंगा प्रमण्डल में चार पुलों[6] का निर्माण कार्य में बिना एस.सी.डी. एकरारनामा किये हीं संवेदकों को कार्य प्रारंभ करने की अनुमति[7] दे दी गई। 8.5 से 38.65 प्रतिशत कार्य करने के बाद संवेदकों द्वारा काम बंद कर दिया गया और कम्पनी ने अंततः संविदा को निरस्त कर दिया। संवेदकों को उनके कार्य निष्पादन के अनुसार भुगतान, संवेदकों को भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु एफ–2[8] फार्म में एकरारनामा करने के पश्चात् किया गया। शेष कार्यों को नामांकन के आधार पर आवंटन किया गया। चूँकि मानक संविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, कम्पनी एस.सी.डी. के उप वाक्य जो चूककर्ता संवेदकों पर दण्ड का प्रावधान करता है, के अर्न्तगत दण्ड नहीं लगा सका। इसके फलस्वरूप अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹ 12.13 करोड़ का अतिरिक्त अनुमानित व्यय फलित हुआ, जिसकी गणना पुनर्रीक्षित प्राक्कलन पर की गई थी।

जवाब में प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि समय की बचत हेतु प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने के बाद निविदा की समानान्तर प्रक्रिया शुरू की जाती है परन्तु एकरारनामा सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् हीं किया जाता है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उपरोक्त चार परियोजनाओं में संवेदकों ने कीमतों की वृद्धि के कारण कार्य पूर्ण करने से इन्कार कर दिया था। प्रबंधन का मंतव्य सही नहीं है क्योंकि कार्यो का क्रियान्वयन बी.पी.डब्ल्यू.डी.[9] संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में एवं सामानान्तर निविदा प्रक्रिया अतिरिक्त लागत के रूप में परिणत हुआ जो कि चूककर्ता संवेदक से वसूला जा सकता था एवं कोषागार के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सकती थी।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के द्रष्टव्य को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2010)।

- *निविदा निष्पादन में विलम्ब के कारण हानि*

पूर्णियाँ (कप्तान पुल) में एन0एच0–31 के 407वें कि.मी. पर मु.मं.से.नि.यो. अर्न्तगत पुल निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण, प्रारूप तैयार करने एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्य एक परामर्शी को दिया गया था जिसने ₹ 3.10 करोड़ की परिमाण विपत्र का प्राक्कलन तैयार किया (अप्रैल 2007) और सरकार ने आवश्यक निधि उपलब्ध करा दिया (जुलाई 2007)।

6 बेगूसराय में इसफा घाट, परीहारा घाट एवं रामपुर – कर्क पथ एवं दरभंगा में चक्का पथ पर।

7 इसफा घाट–जुलाई 2007, परीहारा घाट–दिसम्बर 2007 एवं रामपुर कर्क पथ–जून 2007 एवं चक्का पथ पर नवम्बर–2007।

8 विभागीय कार्य जो किए जाने थे का कार्यादेश का प्रपत्र।

9 नियम 130 (क)।

हमने प्रेक्षण में पाया कि निष्पादन हेतु एन.आई.टी. आमंत्रित की गई थी (अप्रैल 2007) लेकिन कम्पनी इसे अंतिम रूप देने में विफल रही (नवम्बर 2007) और कम्पनी ने पुनः निविदा आमंत्रित करना अच्छा समझा क्योंकि न्यूनतम (एल 1) निविदादाता दर वार्ता में निविदित दर को और अधिक घटाने के लिए तैयार नहीं था। पुनः निविदीकरण में (अक्टूबर 2007) कम्पनी को निविदा के विरूद्ध कोई बोली प्राप्त नहीं हुआ। अंततः कार्य नामांकन के आधार पर संवेदक को आवंटित किया गया (नवम्बर 2007)।

हमने प्रेक्षित किया कि

निविदा निष्पादन में विलम्ब एवं कार्यक्षेत्र के बदलाव के कारण कार्य लागत में ₹ 2 करोड़ की वृद्धि हुई।

- निविदा पर निर्णय लेने में पाँच महीने (मई 2007 से अक्टूबर 2007) से अधिक का विलम्ब था, परिणामस्वरूप प्रचलित दरों की सूची पर कार्य की लागत में वृद्धि हो गई।
- भयंकर बाढ़ आने के कारण नदी के तल का कटाव बढ़ गया एवं कार्य के क्षेत्र को पुनर्रीक्षित करना पड़ा (मार्च 2010) जिसके फलस्वरूप कार्य की लागत ₹ 5.72 करोड़ प्राक्कलित किया गया।
- मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत कार्य की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के 20 प्रतिशत तक ही सीमित थी। इसी कारण कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने तकनीकी स्वीकृति मात्र ₹ 3.72 करोड़[10] तक ही दिया। पुनर्रीक्षित प्राक्कलन पर सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2010)।

प्रबंधन ने जवाब में बताया (सितम्बर 2010) कि इस परियोजना हेतु निविदा का आमंत्रण दो बार किया गया परन्तु उसको अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुआ था। अतः संवेदक को कार्य नामांकन के आधार पर दिया गया। फिर भी तथ्य यही रहा कि प्रबंधन ने न्यूनतम निविदादाता को दरवार्ता के लिए बुलाया था जिसने निविदित दर को और कम करने से इंकार कर दिया था तथा जिसके पश्चात कम्पनी ने पुनः निविदा आमंत्रित करना उचित समझा जिसके कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब हुआ और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप लागत में ₹ 2 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.11.2 रेलवे ऊपरी पुलों (आर.ओ.बी.) के निर्माण में विलम्ब

आठ में से केवल तीन आर. ओ. बी. ₹ 6.45 करोड़ के अधिक व्यय पर पूर्ण किए गए थे।

रेल मंत्रालय के साथ लागत बँटवारे के आधार पर आठ[11] आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने ₹ 241.82 करोड़[12] की प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2007) प्रदान की। लागूकर्ता अभिकरण के रूप में कम्पनी ने कार्य निष्पादन हेतु टर्न–की निविदा आमंत्रित किया (मार्च 2007) जिसमें संवेदकों द्वारा कार्य के अनुमोदित सामान्य व्यवस्थापन चित्र (जी.ए.डी.) के आधार पर अपना सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं विस्तृत प्रारूप तैयार करना शामिल था। रेलवे के हिस्से के बाहर का पहुँच पथ में मिट्टी कार्य सहित, ढाँचागत कार्य, उप–ढाँचा, उपरि ढाँचा, रि–इनफोर्सड मिट्टी की दीवार/पहुँच पथ, सर्विस पथ, स्लीप रोड एवं अन्य कार्य शामिल था। संवेदकों के साथ

10 ₹ 3.10 करोड़ + ₹ 3.10 करोड़ (ए.ए.) का 20 प्रतिशत।

11 आर. ओ. बी. मोहनियाँ, सिवान, सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमूई, पुर्णियाँ, किशनगंज–315, किशनगंज–316।

12 बिहार सरकार का हिस्सा ₹ 128.91 करोड़ एवं रेल मंत्रालय का हिस्सा ₹ 112.91 करोड़।

किये गये एकरारनामा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के आदेश[13] की तिथि से 18 महीने के अन्दर कार्य को पूर्ण करना था। निर्माण पूर्ण करने की यह अवधि संविदा का सार था। आगे, कार्य में विलम्ब करने की स्थिति में संविदा मूल्य पर 0.05 प्रतिशत की दर के बराबर प्रतिदिन विलम्ब की दर से दण्ड भारित करना था बशर्ते कि यह अधिकतम संविदा मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक न हो।

हमने पाया कि कुल आठ आर.ओ.बी. में से सिर्फ तीन[14] ₹ 86.60 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था जो कि वास्तविक प्राक्कलन ₹ 80.15 करोड़ से अधिक था। शेष 5 आर.ओ.बी.[15] समय के अन्दर पूर्ण नहीं हुआ था (जुलाई 2010), जो लागत वृद्धि का कारण बना। ₹ 144.50 करोड़ के वास्तविक प्राक्कलन की तुलना में अप्रैल 2010 तक ₹ 10.70 करोड़ अधिक व्यय हो चुका था। इन आर.ओ.बी. से सम्बन्धित पुनर्रीक्षित प्राक्कलन पथ निर्माण विभाग के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका स्वीकृति अभी तक (सितम्बर 2010) प्रतिक्षित था।

हमने पाया कि दो[16] आर.ओ.बी. का निर्माण भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण बंद था जिसके लिए कम्पनी के पास कोई कालबद्ध कार्य योजना नहीं था। आर.ओ.बी. (किशनगंज हटवार लिंक पथ–315) का निर्माण रोक दिया गया था क्योंकि निर्माण स्थल पर दुकानों को तोड़ने का काम नहीं हुआ था। एक परियोजना (आर.ओ.बी., भभुआ) के सम्बन्ध में, कार्य की प्रगति संवेदक की चूक के कारण बहुत धीमी थी और जिसके विरूद्ध कोई दण्ड नहीं लगाया गया था। एक दूसरी परियोजना (आर.ओ.बी., जमुई) के सम्बन्ध में कम्पनी और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी पाया गया। कम्पनी ने इसका कारण रेलवे प्राधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य देर से प्रारंभ करना बताया ।

जवाब में सरकार/प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2010) कि पाँच अपूर्ण पुलों में से तीन का निर्माण कार्य पहुँच पथ के साथ पूर्ण कर लिया गया है। शेष दो आर.ओ.बी. का निर्माण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण अवरूद्ध है। हलाँकि, फिर भी तथ्य वही रहा कि 18 माह की निर्माण अवधि के विरूद्ध, परियोजनाओं का निर्माण न्यूनतम 18 महीनों से विलम्बित था जिसके कारण ₹ 10.70 करोड़ की लागत वृद्धि से राजकोष की क्षति हुई।

2.11.3 टर्न–की संविदाओं का कार्यान्वयन

उच्च स्तरीय पुलों एवं आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य कम्पनी ने कार्य टर्न–की आधार पर भी आवंटित किया। टर्न–की निविदाओं को आमंत्रित करने से पहले कम्पनी ने सामान्य व्यवस्थापन प्रारूप (जी.ए.डी.), परिमाण विपत्र एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया। प्राक्कलित राशि के आधार पर पुलों के निमार्ण हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई। टर्न–की संवदिाओं की नियमों एवं शर्तों के अनुसार संवेदक को स्थल सर्वेक्षण, भू–तकनीकी निरीक्षण कराना था एवं इन प्रतिवेदनों के आधार पर विस्तृत प्रारूप एवं आरेखण तैयार करना था। आगे, भिन्न–भिन्न स्तरों के निर्माण पूर्ण करने पर संवेदक को प्रतिशत के आधार पर भुगतान करना था जैसे प्रारूप एवं कार्यकारी आरेखण को

13 आर. ओ. बी. के कार्यारम्भ की तिथिः भौना–जनवरी 2008, बरियारपुर–अप्रैल 2007, जमुई–जनवरी 2008, किशनगंज–315– मई 2007, किशनगंज–316–मई 2007, पूर्णियाँ–मई 2007, सिवान–जनवरी 2008 एवं सुल्तानगंज–अप्रैल 2007।

14 आर.ओ.बी. पूर्णियाँ, आर.ओ.बी. सुल्तानगंज एवं आर.ओ.बी. किशनगंज–316।

15 आर.ओ.बी. सिवान, जमुई, भभुआ, बरियारपुर एवं किशनगंज–315।

16 आर. ओ. बी. बरियारपुर एवं सिवान।

टर्न–की संविदाओं का क्रियान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि मूल जी.ए.डी., बी. ओ. क्यू. एवं प्राक्कलन की तुलना संवेदक द्वारा सौंपे गए प्रारूप एवं कार्यक्षेत्र से नहीं किया गया था।

सौंपने पर, आधार कार्य पूर्ण करने पर, सब–स्ट्रक्चर, सुपर–स्ट्रक्चर, पहुँच पथ के पूर्ण होने पर, इत्यादि।

नमूना जाँच किए गये तीन[17] वृहत टर्न–की परियोजनाओं में हमने प्रेक्षित किया कि इनका क्रियान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि संविदा देने से पूर्व कम्पनी द्वारा तैयार किया गया जी.ए.डी., परिमाण विपत्र एवं प्राक्कलन की तुलना संवेदक द्वारा सौंपे गये प्रारूप एवं कार्यक्षेत्र से नहीं की गई थी एवं परियोजना की वास्तविक लागत का विशलेषण कम्पनी द्वारा भुगतान करने के पूर्व नहीं किया गया था। हमलोगों ने निम्नलिखित विशेष दृष्टांत प्रेक्षित किया।

- ***संवेदक को अधिक भुगतान***

कार्यान्वयन में अनेक कमियों के बावजूद कम्पनी द्वारा संवेदक का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान किए जाने के कारण संवेदक को ₹ 43.84 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत एक आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु मेसर्स इरकॉन द्वारा जी.ए.डी. एवं विस्तृत परिमाण विपत्र तैयार किया गया (जून 2006)। पुल का कुल प्राक्कलित लागत ₹ 27.28 करोड़ था जिसमें क्रैश बैरियर (टकराव अवरोधक) (लम्बाई 1394 मीटर) के साथ मेटैलिक रेलिंग के निर्माण की लागत ₹ 4056.39 प्रति रनिंग मीटर (क्रैश बैरियर की लागत ₹ 3338.99/आर.एम. और रेलिंग की लागत ₹ 717.40/आर. एम.) एवं ₹ 22,637.76 प्रति पोल की लागत पर 80 बिजली पोल/खम्भों का निर्माण शामिल था।

कार्य का आवंटन टर्न–की आधार पर ₹ 27 करोड़ की लागत पर एक संवेदक को सौंपा गया (अप्रैल 2007)। संवेदक ने एक नया आरेखण प्रस्तुत किया जिसे कम्पनी द्वारा स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2007)।

हमने प्रेक्षित किया कि बनाए जाने वाली टकराव अवरोधक की कुल लम्बाई (1394 मीटर) एवं खम्भों की कुल संख्या संवेदक द्वारा सौंपे गये नये आरेखण में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हमने आगे भी प्रेक्षित किया कि



पूर्णियाँ जिलान्तर्गत आर.ओ.बी. का चित्र

संवेदक ने 1394 मीटर टकराव अवरोधक जो कि परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) में शामिल था के विरूद्ध मात्र 760 मीटर टकराव अवरोधक का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त

17 आर.ओ.बी. सुल्तानगंज, रामपुर रसियारी घाट का आर.सी.सी. पुल एवं लरझा घाट का आर.सी.सी. पुल।

कोई मेटैलिक रेलिंग भी नहीं लगाया गया था। परिमाण विपत्र में 80 विद्युत खम्भों के विरूद्ध संवेदक ने सिर्फ 24 विद्युत खम्भों का प्रतिष्ठापन किया था।

इन सब कमियों के बावजूद, कम्पनी ने संवेदक को ₹ 27 करोड़ का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान कर दिया (दिसम्बर 2008)। यह संवेदक द्वारा न किये गये कार्य के लिए ₹ 43.84 लाख[18] तक के अतिरिक्त भुगतान के रूप में परिणत हुआ जिसे संवेदक से वसूल किया जाना चाहिए था।



पूर्णियाँ जिलान्तर्गत आर.ओ.बी. का चित्र

जवाब में प्रबंधन के कहा कि प्राक्कलित लागत में मेटैलिक रेलिंग एवं टकराव अवरोधक मीटर ज्यादा प्रावधनित था जो सफल निविदादाता के प्रस्तावित प्रारूप से हटा दिया गया था। वास्तव में इरकॉन द्वारा तैयार किया गया परिमाण विपत्र में आवश्यकता से अधिक प्रावधान था जिसे संवेदक के प्रारूप से हटा दिया गया था तथा टर्न–की राशि ₹ 27.25 करोड़ स्वीकृत राशि की तुलना में घटाकर ₹ 27 करोड़ कर दिया गया था।

प्रबंधन का जवाब तथ्यों से पुष्टित नहीं था क्योंकि परिमाण विपत्र के अनुसार पुल की लम्बाई 697 मीटर था एवं टकराव अवरोधक की कुल लम्बाई 1394 मीटर था (जोकि 697 X 2)। अतः इरकॉन द्वारा अधिक प्रावधान नहीं किया गया था। आगे, ₹ 27 करोड़ की निविदा को अंतिम रूप संवेदकों द्वारा विस्तृत प्रारूप एवं कार्यकारी आरेखण सौंपने के पूर्व दिया गया था।

- ***संवेदक से अल्प वसूली***

आर.ओ.बी. सुल्तानगंज के निर्माण हेतु एक जी.ए.डी. एवं विस्तृत परिमाण विपत्र ₹ 25.50 करोड़ (₹ 5.05 करोड़ लागत का पहुँच पथ) की लागत मेसर्स इरकॉन द्वारा तैयार किया गया (मार्च 2007)। निविदा आमंत्रण की सूचना आमंत्रित किया गया एवं कार्य को टर्न–की आधार पर संवेदक को सौंपा गया। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार संवेदक द्वारा एक विस्तृत प्रारूप तैयार करना था और इसे कम्पनी द्वारा स्वीकृत करा लेना था। संवेदक को भुगतान भिन्न–भिन्न स्तरों के निर्माण पर प्रतिशत के आधार पर करना था (जैसे फाऊंडेशन, सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, पहुँच पथ इत्यादि)। स्वीकृत

[18] (₹ 717.40 X 1394 आर. एम.) + (₹ 3338.94 X 634 आर. एम.) + (₹ 22637.76 X 56 सं०) = 43.84 लाख।

प्रारूप के अनुसार संवेदक को 254.50 मीटर लंबा पहुँच पथ एवं रिटेनिंग (आर.ई.) दीवार बनाना था।

साम्यमुक्त आधार पर कार्य नहीं करने के मद में वसूली में विफलता के फलस्वरूप संवेदक से ₹ 0.80 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

हमने प्रेक्षित किया कि संवेदक ने सिर्फ 198.50 मीटर लम्बा आर.ई. दीवार एवं पहुँच पथ बनाया जो कि स्वीकृत प्रारूप से 56 मीटर छोटा था तथा जिसकी लागत ₹ 1.11 करोड़ था और जिसे संवेदक के विपत्र से घटा लेना चाहिए था। हलांकि, ₹ 0.31 करोड़ संवेदक के अंतिम विपत्र से घटाया गया था जिसकी गणना प्रतिशतता आधार पर किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ अल्प वसूली के रूप में परिणत हुआ।

जवाब में प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि कुल लागत (₹ 25.25 करोड़) का सात प्रतिशत जो कि ₹ 1.77 करोड़ होता है, 254.50 मीटर लंबी पहुँच पथ जिसमें आर.ई. दीवार भी शामिल है के निर्माण पर भुगतान हेतु, भुगतान की अधिसूची में रखा गया था। परन्तु जमीन न होने के कारण पहुँच पथ सिर्फ 176.75 मीटर ही बनाया गया। अतः 77.75 मीटर अन्तर के लिए आनुपातिक आधार पर ₹ 34.16 लाख वसूल किया गया।

फिर भी तथ्य यही रहा कि वसूली बी.ओ.क्यू. में दिए गए पहुँच पथ एवं आर.ई. दीवार के निर्माण के लागत के आधार पर होनी चाहिए थी, ना कि भुगतान के अधिसूची के प्रतिशत पर।

यद्यपि, सरकार लेखापरीक्षा के मंतव्य से सहमत थी (अक्टूबर 2010) तथापि सरकार ने प्रबंधन को रकम वसूलने हेतु निर्देश दिए।

- ***लागत में कमी किए बिना कम कार्य वाले प्रारूप को स्वीकार करने से हानि***

लागत में कमी किए बिना कम कार्य वाले प्रारूप के स्वीकार करने के कारण सरकार को ₹ 13.21 करोड़ की हानि हुई।

(अ) समस्तीपुर जिले में करेह नदी के लरझा घाट पर एक उच्चस्तरीय पुल (20 स्पैन X 21.75 मीटर) बनाने के लिए कम्पनी ने ₹ 24.57 करोड़ के प्राक्कलित राशि का प्राक्कलन एवं बी.ओ.क्यू. के साथ एक जी.ए.डी. बनाया, जिसमे आधार के 21 पायों (20 स्पैन) के कार्य की लागत ₹ 14.90 करोड़ जो कि कुल प्राक्कलन का 60 प्रतिशत था, सम्मिलित था। प्रारूपनुसार एवं टर्न–की आधार पर निर्मित प्राक्कलित राशि के आधार पर पुलों के निर्माण कार्य हेतु एक एन.आई.टी. आमंत्रित किया गया (अप्रैल 2008)। निविदा शर्तों के अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर प्रतिशत के आधार पर संवेदक को भुगतान करना था। कार्य को ₹ 25.74 करोड़ के लागत पर आवंटित कर दिया गया (मई 2008)। संवेदक ने एक नया प्रारूप बनाया जिसमे केवल 11 पाये (10 स्पैन 43.65 मीटर के) थे। मूल जी.ए.डी. के साक्षेप प्रभाव विश्लेषण/लागत विश्लेषण किए बिना कम्पनी ने इस प्रारूप का अनुमोदन कर दिया (सितम्बर 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2010) कि जी.ए.डी. (जिसके आधार पर प्राक्कलित राशि की गणना की गई थी) में 21 पायों के आधार बनाने का कार्य सम्मिलित था किन्तु संवेदक द्वारा बनाए गए नए प्रारूप में केवल 11 पाये थे। इसके फलस्वरूप, संवेदक ने 10 पायों के आधार कार्य के लागत को एक परिवर्तित प्रारूप को बनाकर बचा लिया। प्रारूप में परिवर्तन एवं शुरूआती जी.ए.डी. के मुकाबले कम पायों को बनाने के बावजूद, संवेदक को ₹ 25.74 करोड़ का भुगतान वास्तविक प्राक्कलन के आधार पर कर दिया गया। इससे सरकार को कम पाये बनाने के कारण ₹ 5.40 करोड़ की हानि हुई (गणना 11 पायों के अनुपात के आधार पर की गई है)।

(ब) दरभंगा जिले के रासियारी घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल (14 स्पैन X 21.75 मीटर) बनाने के लिए कम्पनी ने एक डी.पी.आर. बनाया (फरवरी 2007)। परियोजना की प्राक्कलित राशि ₹ 16.37 करोड़ रूपये थी, जिसमें ₹ 9.99 करोड़ की राशि (कुल लागत का 61.03 प्रतिशत) 15 पायों के 35 मीटर तक गहराई (आधार कार्य) की लागत शामिल था। पुल को टर्न–की आधार पर बनाने के लिए प्राक्कलित राशि पर एक एन. आई.टी. आमंत्रित किया गया (अप्रैल 2008)। निविदा प्रपत्रों के अनुसार, परियोजना के विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर प्रतिशत के आधार पर संवेदक को भुगतान करना था। ₹ 18.26 करोड़ की अनुमानित लागत पर संवेदक को कार्य आवंटित किया गया (अक्टूबर 2008)। अतएव संवेदक ने एक नया प्रारूप बनाया था (सितम्बर 2008) जिसमें 20 मीटर गहराई के केवल 9 पाये थे। इस परियोजना के लिए बनाए गए शुरूआती डी. पी.आर. के साक्षेप में नए प्रारूप का कोई लागत तुलना किए बिना नए प्रारूप का अनुमोदन कम्पनी ने कर दिया (अक्टूबर 2008)।

हमने प्रेक्षण में पाया कि संवेदक को ₹ 17.95 करोड़ का (98 प्रतिशत) भुगतान मार्च 2010 तक पूर्ण किए गए चरणों के आधार पर बिना कार्य के वास्तविक लागत के, जिससे सरकार को ₹ 7.81 करोड़ की हानि हो सकती है (गणना 9 पायों के 15 मीटर गहराई के अनुपात के आधार पर) कर दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि पायों पर आई वास्तविक लागत कम हो सकती है पर इसी समय अन्य भागों जैसे उपरी ढाँचे पर लागत अधिक हो सकती है एवं बोली के अनुमोदनोपरांत इस तरह का विश्लेषण न ही किया गया और न ही यह भुगतान से सम्बन्धित था क्योंकि कार्य खुले प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर आवंटित किया गया था।

हम यह विचार रखते हैं कि, कम्पनी ने कम मात्रा में कार्य के लागत का विश्लेषण नहीं किया जिसके फलस्वरूप सरकार को इन दो परियोजनाओं में ₹ 13.21 करोड़ की हानि हुई।

2.11.4 योजना/गैर–योजना शीर्ष में पुलों का निर्माण

वर्ष 2005–10 में, योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत 212 पुलों के निर्माण के लिए ₹ 3103.56 करोड़ की राशि कम्पनी को मिली, जिसमे से कम्पनी ने 161 पुलों का निर्माण ₹ 886.71 करोड़ की लागत पर किया। शेष 51 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा था (सितम्बर 2010)। हमने यह भी पाया कि तीन[19] प्रमण्डलों में क्रियान्वित 41 परियोजनाओं में से 24 का निर्माण तीन महीने से 19 वर्षों (पूर्व से चली आ रही परियोजनाएँ) के विलम्ब से पूर्ण हुआ। शेष 17 चालू परियोजनाओं में से सात परियोजनाएँ आठ से 23 महीनों से पहले से ही विलम्बित हो चुकी थी।

सीमा दर से ऊपर कार्य आवंटन से अधिक व्यय

कम्पनी के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (दिसम्बर 1986) कि पुलों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित कार्यों का प्राक्कलन प्रचलित दरों की सूची (एस. ओ. आर.) तथा उसपर 10 प्रतिशत संवेदक को देय अतिरिक्त लाभ के आधार पर आधारित था। निदेशक पर्षद ने सम्बन्धित पुलों के मामलों में सभी आपूर्ति तथा श्रम पर दर निर्धारण का निर्णय लिया। सभी मामले में अधिकतम सीमा दर सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलित लागत से सात प्रतिशत कम होना था। अधिकतम सीमा दर का पुनर्रीक्षण अनुसूची दर में पुनर्रीक्षण के अनुसार होना था।

19 भागलपुर, कटिहार एवं दरभंगा

15 प्रतिशत अधिकतम सीमा दर से उपर नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन के फलस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

हमने पाया कि कोई भी कार्य जो अधिकतम सीमा दर से 8 से 15 प्रतिशत अधिक पर आवंटित था के फलस्वरूप निधि की हानि हुई क्योंकि यह प्राक्कलन के मुकाबले लागत को 1 से 8 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। संवीक्षा के दौरान, तीन प्रमण्डलों (भागलपुर, दरभंगा एवं कटिहार) में समीक्षा अवधि के दौरान नामांकन पर आवंटित कार्यों की जाँच में हमने प्रेक्षित किया कि 111, 43 एवं 80 नामांकन अधिकतम सीमा दर से क्रमशः 10, 12 एवं 15 प्रतिशत अधिक पर आवंटित किया गया था। इसके फलस्वरूप, प्राक्कलित राशि की तुलना में ₹ 1.95 करोड़ **(परिशिष्ट–10)** का अधिक व्यय हुआ।

जवाब में प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2010) अधिकतम सीमा दर के ऊपर कार्य आवंटन पर कम्पनी को कोई हानि नही हुई क्योंकि अधिव्यय को सरकार से माँग लिया जाता है।

हमारा यह मंतव्य है कि अधिकतम सीमा दर से अधिक पर कार्य आवंटन से सरकारी कोष को हानि हुई। कम्पनी को परियोजनाओं का कम लागत पर गुणात्मक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.11.5 पथों का निर्माण

वर्ष 2007–08 से कम्पनी द्वारा पथों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया जब–जब यह पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया। वर्षवार प्रशासनिक अनुमोदन, पथों के निर्माण की एकरारनामा की राशि, पथों की संख्या लम्बाई के साथ, व्यय एवं भौतिक स्थिती की विवरणी सितम्बर 2010 तक निम्नलिखित है:

वर्ष	पथ जिसके निर्माण कार्य लिए गए			सितम्बर 2010 तक वास्तविक व्यय	सितम्बर 2010 तक भौतिक प्रगति	सितम्बर 2010 तक पूर्ण किए गए पथ (प्रतिशत)
	प्र./अ. राशि (₹ करोड़ में)	पथों की लम्बाई (कि.मी.)	पथों की संख्या	(₹ करोड़ में)	सतह (कि.मी.)	
2007–08	309.1037	549.90	33	272.43	398.657	18 (55)
2008–09	133.2641	130.55	12	102.03	103.840	9 (75)
2009–10	170.9258	185.06	27	72.57	103.695	17 (63)
कुल	**613.2936**	**865.51**	**72**	**447.03**	**606.192**	**44 (61)**

यह प्रेक्षित किया गया कि

- 2007–08 मे 865.51 कि. मी. लम्बाई, जिसकी कुल प्रशासनिक अनुमोदित राशि (प्र.अ.) ₹ 613.29 करोड़, के 72 पथों के विरूद्ध कम्पनी ने सितम्बर 2010 तक ₹ 257.11 करोड़ की लागत पर केवल 44 पथों (61 प्रतिशत) का निर्माण कार्य पूर्ण किया।
- पथों को पूर्ण करने में 21 महीने तक का विलम्ब हुआ जिसके विभिन्न कारण जैसे कार्य आरंभ करने में विलम्ब, संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य सम्पादन, एकरारनामा का निरस्तीकरण तथा कार्य का पुनः आवंटन इत्यादि थे।

- कम्पनी द्वारा वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में लिए गए कुल 33 एवं 12 पथों में से 15 एवं तीन पथ सितंबर 2010 तक अपूर्ण थे जो कि क्रमशः 45 एवं 25 प्रतिशत होता है।

- मानक निविदा प्रपत्र के कंडिका 8 मे यह प्रावधानित है कि कार्य पूर्ण होने के 10 दिनों के अंदर, ऐजेंसी को कार्य पूर्णता की सूचना देगी और कार्यापालक अभियंता किए गए कार्य का निरीक्षण करेंगे एवं अगर कार्य में कोई कमी नहीं पायी जाती है तो ऐजेंसी को कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएंगे अन्यथा भौतिक पूर्णता का एक औपबंधिक प्रमाण–पत्र जिसमें सभी कमियों (अ) जिसको एजेंसी द्वारा दूर करना होगा (ब) जिसके लिए भुगतान घटे हुए दर से होगा को दर्शाते हुए निर्गत करेंगे। तथापि, पूर्ण किए गए 44 में से 40 पथों में इन उपबंधों का पालन नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि शेष 28 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएँ वर्ष 2011–13 में पूर्ण होने के लिए निर्धारित है तथा शेष 26 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2010–11 के बचे हुए समय में पूर्ण कर लिया जाएगा।

2.12 अनुश्रवण

कार्य की गुणवता को एकरारनामा एवं निर्दिष्ट विधानों एवं आवश्यक मानकों इत्यादि के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्य में लिप्त सभी कम्पनियों के लिए अनुश्रवण महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया अनुमोदन से प्रारम्भ होती है एवं क्रियान्वयन तथा पूर्णता के उपरान्त स्तर तक चलती है। कम्पनी में वास्तविक क्रियान्वयन का अनुश्रवण सम्बन्धित अभियंताओं द्वारा कार्यस्थल पर किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि परियोजनाओं का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था जिसकी परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.12.1 गुण नियंत्रण प्रक्रिया

निर्माण कार्य के दौरान विभिन्न जाँच हेतु कम्पनी के पास एक आंतरिक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है। विभिन्न कार्य प्रमण्डलों द्वारा घनों के नमूने, मिश्रण एवं मोरटार के नमूनों को उनके सुदृढ़ मजबूती एवं वर्गीकरण के जाँच हेतु मुख्यालय के प्रयोगशाला में भेजा जाता है। पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच हेतु कम्पनी के पास तीसरी पार्टी गुणवत्ता सलाहकार अभिकरण भी है जिनको निरीक्षण किए गए कार्यस्थल तथा किए गए जाँच प्रतिफल एवं टिप्पणियों के साथ से सम्बन्धित एक मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होता है। कम्पनी मुख्यालय गुणवत्ता का अनुश्रवण तीसरी पार्टी सलाहकार के द्वारा करता है। प्रमण्डलों के पास कोई स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण विभाग नहीं है।

हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला आवश्यक यंत्रों से लैस नहीं था जैसे पाईल जाँच यंत्र जिससे पाइलों को निर्धारित गहराई तक ढाला जाता है, न्यूक्लियर डेनसिटी गौज एवं स्वचालित कम्पैक्टर इत्यादि जिससे मिट्टी के कम्पैक्शन अथवा सघनता की जाँच की जाती है। इसके अलावा प्रयोगशाला में कुछ यंत्रों का विलम्ब से प्रतिस्थापना हुआ। नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न कार्य प्रमण्डलों से प्राप्त नमूनों को जाँचने में सामान्य विलम्ब हुआ।

2.12.2 अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं होना

एकरारनामा की कंडिका 14 को लागू नहीं करने के कारण कम्पनी दोषी संवेदकों से शेष कार्य के लिए ₹ 15.18 करोड़ के अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं कर सकी।

एस.बी.डी. की कंडिका 14 में यह निहित है कि संवेदक की गलती के कारण रद्द एकरारनामों की स्थिति में, शेष बचे हुए कार्यों को संवेदक के जोखिम एवं लागत पर किसी भी तरीके से पूर्ण किया जाएगा। हमने प्रेक्षित किया कि पथ निर्माण (लम्बाई 80.50 कि. मी.) से सम्बन्धित पाँच परियोजनाओं[20] में जिसका प्राक्कलित लागत ₹ 49.61 करोड़ था, संवेदक की गलती के कारण एकरारनामा रद्द कर दिया गया था एवं शेष बचे हुए कार्य को नए संवेदकों को ₹ 49.23 करोड़ पर जो कि वास्तविक एकरारनामें से ₹ 17.45 करोड़ अधिक था, आवंटित किया गया। आगे, एस.बी.डी. के कंडिका 14 का उल्लंघन करते हुए दोषी अभिकरणों से ₹ 15.18 करोड़ (सितम्बर 2010) की अतिरिक्त लागत, जिसकी गणना निष्पादन गारंटी एवं सुरक्षित जमा को घटा कर किया गया है, की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2010), कि एस.बी.डी. के अनुसार दण्ड लगाया गया था, एकरारनामें के समय जमा की गई निष्पादन गारंटी को जब्त कर लिया गया था एवं विपत्रों से काटी गई सुरक्षित जमा राशि को भी जब्त कर लिया गया है। तथ्य वही रहा कि कम्पनी एस.बी.डी. की कंडिका 14 के अनुसार दण्ड लगाने में विफल रही जिससे शेष बचे हुए कार्य करने के लिए आवश्यक ₹ 15.18 करोड़ की अतिरिक्त लागत दोषी संवेदकों से उनके जोखिम एवं लागत पर वसूली की जा सके और कम्पनी के पास अन्य दण्ड लगाने का कोई और साधन नहीं था।

2.12.3 प्रपत्रों का सत्यापन नहीं

बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार, कार्य में उपयोग हेतु लाए गए समानों जैसे स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स, बालू आदि के विपत्रों के साथ सम्पुष्टि हेतु प्रपत्र एम. एवं एन.[21] तथा चलान लगाना होगा जो कि सम्बन्धित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। इन प्रपत्रों द्वारा उल्लिखित एकरारनामों के अनुसार सामग्रियों की मात्रा एवं विशेषता को सुनिश्चित करना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि सामग्रियों को निर्धारित खदानों से, अनुमोदित लीड प्लान (दूरी योजना) के अनुसार लाया गया है। भुगतान हेतु वरीय परियोजना अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इन सत्यापित प्रपत्रों को विपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तथापि हमने देखा कि सामग्रियों की गणुवत्ता एवं विनिर्देशनता का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि किसी भी परियोजनों के विपत्र के साथ ये प्रपत्रें (प्रपत्र एम. एवं एन.) संलग्न नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि फार्म एम. एवं एन. निर्माण कार्यों के उपयोग मे लाए गए सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता की जाँच हेतु कोई आधार नहीं है बल्कि यह इंगित करता है कि सामग्री को कहाँ से लाया गया है एवं लगान के भुगतान की स्थिति क्या है। लगभग सभी खदानों में अनुपयोगी सामग्री काफी मात्रा में था। अतः केवल उसी खदान से सामग्री लाने से यह स्थापित नहीं होता कि सामग्री आवश्यक गुणवत्ता एवं विशेषता का है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि हर खदान के सामग्रियों की एक अनूठी गुणवत्ता एवं विशिष्टता होती है तथा सामग्री को लाने हेतु एक खदान का अनुमोदन प्राक्कलन में

20 हाजीपुर–भैरोपुर–महनार पथ (2007–08), बाल्थी–मुशरिया पथ (2007–08),करनपुर–राजनपुर पथ (2007–08), प्रतापगंज–छातापुर पथ (2007–08) एवं हसनपुर–साहपुर पथ (2007–08).

21 प्राधिकृत खदान/बिक्रेता से संवेदक द्वारा क्रय किया गया लघु खनिज से सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रपत्र एम है तथा प्राधिकृत खदान/बिक्रेता से निर्गत लघु खनिज का विवरण प्रपत्र एन है

किया जाता है। भाड़ा दूरी भुगतान की राशि की गणना इसी अनुमोदित खदान के आधार पर होती है। फार्म एम. एवं एन. का सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट गुणवत्ता का सामग्री ही अनुमोदित खदान से लाया गया है तथा उसके बाद ही भाड़ा का भुगतान करना चाहिए।

2.12.4 मोर्थ विनिर्देशनों का अप्रेक्षण

मोर्थ[22] (MORTH) द्वारा निर्गत भारतीय पथ कांग्रेस की कंडिका 504.5 के अनुसार बिटुमिनस मैकेडम (बी.एम.) को अधिकतम अड़तालीस घंटों के अंदर ही दूसरी पेभमेंट स्तर से या वियरिंग कोर्स, जो भी उचित हो, से ढक देना चाहिए। अगर इसमें कोई विलम्ब है तो कोर्स को यातायात हेतु खोलने से पूर्व जैसा की कंडिका 513 के अनुसार आवश्यक है, सील कोट से ढ़क देना चाहिए।

पथ–प्रमण्डल, बि.रा.पु.नि.नि., पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि (अप्रैल 2010) हाजीपुर–भैरोपुर–महनार पथ के निर्माण में, 4674.46एम^3 बी.एम. कार्य नवम्बर 2008 से फरवरी 2009 के मध्य कराया गया था। दूसरी स्तरीय परत (एस.डी.बी. सी.) को केवल सितम्बर 2009 में बनाया गया था जो कि लगभग छः से नौ महिनों के विलम्ब से था एवं कोई भी सील कोट नहीं चढ़ाया गया था।

मोर्थ विनिर्देशनों के अनुपालन नहीं करने से ₹ 2.79 करोड़ का बी. एम. कार्य निम्नकोटि का हो गया।

मोर्थ विनिर्देशनों के अनुपालन नहीं करने से, 4674.46एम^3 का बी.एम. कार्य जिसका मूल्य ₹ 2.79 करोड़ था निम्नकोटि का साबित हो गया क्योंकि वहाँ दो परतों के चढ़ाने के बीच छः से नौ महीनों का अंतराल था जो कि सिर्फ अड़तालीस घंटो का होना चाहिए था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि हाजीपुर–भैरोपुर–महनार पथ में एजेंसी का एकरारनामा रद्द कर दिया गया था। तत्पश्चात् शेष बचे हुए कार्य को नए संवेदक को आवंटित किया गया था। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग गया था, इसलिए बी.एम. तथा एस.डी.बी.सी. कार्य में लम्बा अंतराल प्रेक्षित किया गया अन्यथा बी.एम. कार्य के बाद निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत एस.डी.बी.सी. कार्य करवाने का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। फिर भी सभी कमियों को पूर्ण कर लिया गया था तथा पथ को पूर्ण कर लिया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2010) एवं कहा कि इन विनिर्देशनों के अनुपालन नहीं होने से निर्माण की गई पथों के जीवन काल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह विश्वास दिलाया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

2.12.5 अनाधिकृत भुगतान

संवेदक ने वैसे खदान से स्टोन चिप्स का उठाव किया जिसका अनुमोदन नहीं हुआ था, परन्तु भुगतान अनुमोदित खदान के आधार पर किया गया जिसके फलस्वरूप ढुलाई में ₹ 22.54 लाख का अधिक व्यय हुआ।

कार्य के प्राक्कलन में ढुलाई का लागत भी सम्मिलित रहता है जिसकी गणना अनुमोदित खदान तथा वास्तविक कार्य स्थल (दूरी योजना) के बीच की दूरी एवं परिवहन के माध्यम के आधार पर की जाती है। प्रभावशाली अनुश्रवण इनका अनुपालन सुनिश्चित करता है। अगर इसमें कोई विचलन होता है (कम दूरी) तो ढुलाई का भुगतान वास्तविक दूरी के आधार पर करना चाहिए। तथापि हमने देखा (अप्रैल 2010) कि खैरा–सत्तारघाट पथ के निर्माण में, स्टोन चिप्स को अनुमोदित ढुलाई दर ₹ 1419.79 एम^3 की दर से अनुमोदित पाकुड़ के खदान से लाना था। फिर भी, संवेदक ने स्टोन चिप्स का उठाव ₹ 964.96 प्रति एम^3 की दर से शेखपुरा के खदान से किया जो कि अनुमोदित नहीं था। इसके फलस्वरूप, पाकुड़ खदान के दूरी योजना के आधार

22 उच्च पथ एवं परिवहन का मंत्रालय।

पर 4955.40 प्रति एम[3] के स्टोन चिप्स के ढुलाई हेतु ₹ 22.54 लाख[23] का अधिक भुगतान हुआ।

2.13 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2006–07 से कम्पनी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा अभी भी किया जाना बाकी है। औपबंधिक आकड़ों के आधार पर कम्पनी के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति 2009–10 तक **परिशिष्ट–11** में दी गई हैं।

2005–10 के दौरान कम्पनी की कुल आय में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई थी। कम्पनी की कुल आय का 14.68 से 51.48 प्रतिशत निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि को उपयोग नहीं करने एवं उसे सवाधि जमा में से रखने से अर्जित ब्याज की थी। इन पाँच वर्षों में कम्पनी की कुल आय में शतता शुल्क का प्रतिशत भी 59.03 (2005–06) से बढ़कर 76.51 (2009–10) हो गया। कम्पनी ने अपनी संचित हानि को वर्ष 2006–07 में समाप्त कर दिया तथा 2007–08 में लाभ में से राशि को संचय एवं आधिक्य में आवंटित करना प्रारंभ कर दिया।

2.14 वित्तपोषण

2.14.1 प्राप्त राशि एवं उसका उपयोग

विभिन्न परियोजनाओं (पुल, पथ एवं अन्य) के निर्माण हेतु कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा योजना, गैर–योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, सांसद/विधायक निधि, सड़क प्रक्षेत्र, मु.मं.से.नि.यो. आदि शीर्षों के अन्तर्गत राशि प्राप्त हुआ। किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2010 तक पिछले पाँच वर्षों में वर्षवार उपलब्ध राशि एवं उनका उपयोग का विवरण निचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	शुरूआती प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल राशि उपलब्ध	राशि का उपयोग	अंत शेष
2005–06	30.94	223.15	254.09	57.39	196.70
2006–07	196.70	459.65	656.35	95.89	560.46
2007–08	560.46	404.93	965.39	417.48	547.91
2008–09	547.91	743.64	1291.55	756.01	535.54
2009–10	535.54	881.42	1416.96	853.85	563.11
कुल		**2712.79**		**2180.62**	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005–10 के दौरान उपलब्ध राशि का कुल उपयोग लगभग 80 प्रतिशत रहा जिसमें मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2007–08 से राशि के उपयोग में सामान्य वृद्धि हुई। वर्ष 2005–10 के दौरान उपलब्ध राशियों के अनुपयोग का कारण वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में कम परियोजनाओं का निष्पादन था। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में आवंटित 92 एवं 218 परियोजनाओं के विरूद्ध कम्पनी ने क्रमशः केवल आठ और 26 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया और इन दो वर्षों में आवंटित परियोजनाओं पर कार्य नहीं किया। पटना मे दो पुलों के निर्माण हेतु प्राप्त ₹ 59 करोड़

23 ₹ 454.83 X 4955.40 एम[3] = 22.54 लाख।

की राशि (मार्च 2005) में से ₹ 0.45 करोड़ शुरूआती कार्य पर व्यय करने के बाद ₹ 58.55 करोड़ की राशि पिछले पाँच वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी हुई है।

प्रबंधन ने जवाब में कहा कि प्रत्येक वर्ष तीन किश्तों में राशि प्राप्त होती है। परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद निविदा प्रक्रिया एवं कार्यारम्भ में कुछ समय लग जाता है। आगे, प्रबंधन ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की अलग–अलग समापन अवधि होती है एवं बहुत सारे मामलों में, उनमें भी जिनकी समापन अवधि एक वर्ष से अधिक होती है, कुल राशि की प्राप्ति अनुमोदन के समय ही हो जाती है।

जवाब जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाता है क्योंकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय से नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2006–07 और 2007–08 में पिछले वर्षों के शेष राशि का भी कम्पनी उपयोग नहीं कर सकी।

2.14.2 पुनर्रीक्षित प्राक्कलन का प्रस्तुतीकरण/अनुमोदन नहीं होना

सरकार से पूर्व अनुमोदन की प्राप्ति के बिना अधिक व्यय के कारण कम्पनी ₹ 84.98 करोड़ के निधि का अवरोधन हुआ।

राजकीय वित्तीय नियम के प्रावधानों के अनुसार प्राक्कलन से अधिक व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन आवश्यक होता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह प्रेक्षित किया गया कि उन परियोजनाओं में जहाँ वास्तविक व्यय प्राक्कलित व्यय से अधिक था, कम्पनी ने सरकार का पूर्वानुमोदन नहीं लिया था। वर्ष 2005–10 के दौरान सात* प्रमण्डलों के 39 परियोजनाएँ की प्राक्कलित लागत एवं किये गये व्यय, नीचे दी गई तालिका में दर्शित है:–

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ण की गई परियोजनाओं की सं0	प्राक्कलित लागत	किए गए व्यय	अधिक व्यय	प्राक्कलित लागत से अधिक किए गए व्यय का प्रतिशत
2005–06	1	0.75	1.27	0.52	69
2006–07	1	2.25	3.27	1.02	45
2007–08	3	8.59	15.37	6.78	79
2008–09	7	22.94	36.31	13.37	58
2009–10	27	196.30	259.59	63.29	32
कुल	**39**	**230.83**	**315.81**	**84.98**	

नमूना जाँच में यह पाया गया कि 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी द्वारा 39 परियोजनाओं, जो ₹ 230.83 करोड़ की प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 315.81 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए, पर किया गया व्यय सभी वर्षों में प्राक्कलित लागत से अधिक था एवं जिसका प्रतिशत परास 32 और 79 के बीच था। कम्पनी ने केवल 21 परियोजनाओं के मामले में ₹ 153.15 करोड़ की प्राक्कलित राशि के विरूद्ध ₹ 240.94 करोड़ का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया। फिर भी, 18 परियोजनाओं के मामले में ₹ 22.51 करोड़ के व्यय की स्वीकृति सितम्बर 2010 तक नहीं हुई थी। इसमें दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में ₹ 4.84 करोड़ का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन सम्मिलित है जिन्हें सितम्बर 2006 एवं फरवरी 2007 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा कि आज की तिथि तक 39 परियोजनाओं में से मुजफ्फरपुर प्रमण्डल की छः परियोजनाओं में पुनर्रीक्षित प्र.अ. की कोई आवश्यकता नहीं है, गैर–योजना के दो परियोजनाओं में राशि की प्राप्ति हो चुकी है एवं शेष हुए 31

*कार्य प्रमण्डलः भागलपुर, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना–I, सहरसा, सीतामढ़ी।

परियोजनाओं में से आज की तिथि तक 12 परियोजनाओं का पुनर्रीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा चुका है।

2.14.3 पुलों पर पथकर

बि.रा.पु.नि.नि. को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित पुलों पर पथकर वसूलने का कार्य भी दिया गया है एवं जो राशि वसूली की जाती है उनको पु.वि.नि. में जमा किया जाता है जिसका उपयोग मरम्मति, रख–रखाव एवं सरकार द्वारा अनुमोदित नए पुल बनाने हेतु किया जाता है।

वर्ष 2005–09 में पथकर वसूली की नीलामी हेतु प्रचारित पुलों का विवरण, उन पुलों की संख्या जिनकी निलामी का समापन हुआ एवं एकरारनामा किया गया, एकरारनामा की राशि, आदि नीचे वर्णित है:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	नीलामी हेतु प्रचारित पुलों की संख्या	उन पुलों की संख्या जिसके लिए एकरारनामा किया गया	एकरारनामा की राशि
2005–06	23	14	1.40
2006–07	26	23	4.76
2007–08	23	14	4.67
2008–09	23	14	4.11
कुल	**95**	**65**	**14.94**

तथापि, 30 पुलों की नीलामी नहीं की जा सकी जिससे कम्पनी निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले राजस्व अर्जित करने के अवसर से वंचित रह गई। यह देखा गया कि बोली स्वीकार करने से सम्बन्धित एकरूप नीति के अभाव के कारण कम्पनी इन पुलों की नीलामी नहीं कर सकी।

2.15 पूर्ण किए गए पुलों का हस्तान्तरण

2005–10 में चार प्रमण्डलों में पूर्ण 141 पुलों का हस्तान्तरण अब तक, 48 महीनों के विलम्ब तक, नहीं हुआ था।

पुलों के निर्माण को पूर्ण करने के बाद इनका हस्तान्तरण सरकार/विभाग को कर देना चाहिए क्योंकि जबतक इन पुलों का हस्तान्तरण नहीं होगा तब तक इन पुलों की मरम्मति एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी कम्पनी की ही होती है। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी द्वारा पूर्ण किए गए पुलों का ससमय हस्तान्तरण सरकार को नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा के नमूना जाँच से यह पता चला कि वर्ष 2005–10 में चार प्रमण्डलों[24] से सम्बन्धित पूर्ण किए गए 141 पुलों का हस्तान्तरण सरकार को, सितम्बर 2010 तक 48 महिनों तक के विलम्ब से, नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार करते हुए कहा कि जैसे ही किसी परियोजना का लेखा–बंदी होता है, उसको सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। सरकार ने पुलों के हस्तान्तरण में विलम्ब को स्वीकार किया (अक्टूबर 2010)।

24 कार्य प्रमण्डल पटना– I (41 पुलों), पटना– II (23 पुलों), सीतामढ़ी (42 पुलों) एवं भागलपुर (35 पुलों)।

2.16 आन्तरिक नियंत्रण

कम्पनी का लेखा 2002–03 से बकाया था। लेखों के बकाये को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी प्रबन्धन को अत्यधिक उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह कहना प्रासंगिक है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 (धारा 166 एवं 216 के साथ पढ़ा जाय) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणी के साथ) कम्पनी के लेखाओं को रखा जाना चाहिए। आगे, धारा 210 (5) कम्पनी के सभी निदेशकों को (चाहे सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी या अन्यथा), प्रत्येक वित्तिय वर्ष के समाप्ति के छः महीने में वार्षिक लेखों के बनने एवं उनके अनुमोदन के कार्य को सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाता है, वैसी स्थिति में जहाँ निदेशक अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहता है तो, यह धारा छः महीने तक की कारावास अथवा 10000/– रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों, का दण्ड प्रावधानित करता है। धारा 210(6) एक कदम आगे बढ़कर यह प्रावधानित करता है कि उपरोक्त वर्णित दण्ड उस व्यक्ति पर भी लगाया जाएगा जो कि निदेशक तो नहीं है परन्तु धारा 210 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उत्तरदायित्व से प्रभारित है।

कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। कम्पनी के पास कोई आंतरिक लेखा–परीक्षा शाखा नहीं थी। सनदी लेखाकारों की फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षा एवं लेखों के संकलन का कार्य, बैंक खातों का समाशोधन इत्यादि कार्यों हेतु नियुक्त किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में तकनीकी लेखापरीक्षा एवं व्ययों का औचित्य सम्मिलित नहीं था जिसके फलस्वरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने एवं वित्तीय एवं भण्डारों के लेन–देन पर आंतरिक जाँच लागू करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

निष्कर्ष

यद्यपि कम्पनी ने 2008–10 की अवधि में हस्तगत परियोजनाओं में से समुचित संख्या में परियोजनाओं को पूर्ण किया परन्तु कई कारणों, जैसे निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा परियोजनाओं का विलम्ब से क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, कार्य स्थल का मुक्तान्तर नहीं होना, संविदा का निरस्तीकरण, कार्य का पुनः आवंटन इत्यादि के फलस्वरूप परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने/विलम्ब से क्रियान्वयन के उदाहरण पाये गए।

मु.मं.से.नि.यो. का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें (i) बिना एकरारनामा के क्रियान्वयन (ii) विलम्ब से कार्य का प्रारम्भ एवं त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन आदि के कारण हानियाँ हुई। टर्न–की परियोजनाओं का क्रियान्वयन, संवेदकों को अधिक भुगतान/अल्प वसूली, बिना लागत घटाए कम मात्रा में कार्य के प्रारूपों को स्वीकार करने से हानि, पुलों के विलम्बित निर्माण के फलस्वरूप अपरिहार्य भुगतान इत्यादि से बिगड़ गया था। योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत पुलों के निर्माण में सीमा दर से अधिक पर कार्य आवंटन के कारण बिना एकरानामा के भुगतान/अनियमित भुगतान के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ था। (iii) अनुश्रवण दोषपूर्ण था जिसके फलस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ मिला, निम्नकोटि क्रियान्वयन हुआ तथा संवेदकों से अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं हुई। नियोजन जिसमें प्राक्कलन तथा बी.ओ.

क्यू.बनाना सम्मिलित है, त्रूटिपूर्ण था जिसके फलस्वरूप राशि की हानि/अवरूद्धीकरण हुआ एवं परियोजनाओं की पूर्णता विलम्ब से हुआ।

कम्पनी, पुलों के पथकर वसूली से पु.वि.नि. हेतु राशि जुटाने में विफल रही। कम्पनी द्वारा पूर्ण किए गए पुलों का सरकार को हस्तान्तरण विलम्बित हो रहा था।

अनुशंसाएँ

- नियोजन विनिर्दिष्ट स्थल सर्वेक्षण एवं मिट्टी जाँच पर आधारित वास्तविक प्राक्कलन एवं बी.ओ.क्यू. पर आधारित होनी चाहिए।
- कम्पनी को सरकार द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन/लागत तक ही व्यय को सीमित करने हेतु समुचित प्रयास करना चाहिए।
- कम्पनी को एक सशक्त वास्तविक भूमि अधिग्रहण योजना बनानी चाहिए।
- क्रियान्वयन अनुमोदित प्रारूपों पर आधारित होना चाहिए।
- अनुश्रवण एवं निरीक्षण को इतना कुशल होना चाहिए जिससे मोर्थ/कोडों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और अधिक भुगतान को टाला जा सके।
- उपलब्ध राशि को उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए जिससे कार्य अनुमोदित प्राक्कलन में ही पूर्ण हो जाए।
- कम्पनी को पूर्ण की गई परियोजनाओं को सरकार को ससमय हस्तान्तरण कर देना चाहिए।

अध्याय–III

सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

3. बिहार के ऊर्जा शक्ति उत्पादन संस्थाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

जीवन के हर पहलू के लिए ऊर्जा शक्ति अति आवश्यक है एवं इसे मूलभूत आवश्यकताओं की तरह माना गया है। बिहार में इसका उत्पादन बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि0 (कम्पनी) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2010 तक को बोर्ड के पास एक वाष्प शक्ति उत्पादन स्टेशन जोकि बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) है एवं कम्पनी के पास 11 नहर आधारित जल विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान जोकि 372.80 मेगा वाट (मे.वा.) प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ है। 2009–10 में बोर्ड का वार्षिक विक्रय ₹ 2795 करोड़ एवं कम्पनी का ₹ 6.78 करोड़ था, जोकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 1.80 प्रतिशत एवं 0.005 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2010 तक ब.वा.श.प्र. में 586 कर्मचारी एवं कम्पनी में 107 कर्मचारी कार्यरत थे।

क्षमता वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधन

31 मार्च 2010 तक राज्य क्षेत्र में कुल प्रतिष्ठापित शक्ति उत्पादन क्षमता 372.80 मेगा वॉट (मे.वा.) थी। 2005–10 में राज्य में शक्ति उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2500 मे.वा. के अधिकतम माँग के विरूद्ध 1508 मे. वा. की पूर्ति ही हो पायी जिसमें 992 मे.वा. का घाटा संलग्न नही है जबकि वास्तविक वृद्धि 8.7 मे.वा. (कम्पनी द्वारा) की थी। यहाँ वाष्पशक्ति क्षमता मे कोई वृद्धि नही हुई थी। अतः वर्ष 2005–10 के दौरान ऊर्जा शक्ति उत्पादन के साथ–साथ ऊर्जा शक्ति के क्रय में 2909.58 मिलियन यूनिट्स (मि.यू.) से 12297.11 मि.यू. तक की कमी के कारण राज्य ऊर्जा शक्ति की माँग की पूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं था।

संविदा प्रबंधन

वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की 21 संविदाओं जिसका मूल्य ₹ 36.38 करोड़ था, का निष्पादन किया गया। लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान निविदा के निपटान एवं कार्य प्रदान करने में विलम्ब प्रेक्षित किया गया जिससे तीन परियोजनाओ के लागत में ₹ 7.06 करोड़ की वृद्धि हुई।

परिचालन निष्पादन

वर्तमान उत्पादन प्रतिष्ठान का निष्पादन सामग्रियों की दक्षतापूर्वक प्रयोग, मानवशक्ति एवं संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे संयंत्र का प्रचालन बिना प्रभावित हुए अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन लम्बे समय तक हो। परिचालन निष्पादन पर हमारी संवीक्षा निम्न है:–

ईंधन की प्राप्ति

2008–09 तक चार वर्षों के दौरान मानक लिंकेज समिति द्वारा अनुमोदित कुल लिंकेज की तुलना में कोयले की कम प्राप्ति (71.41 प्रतिशत) के कारण उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कमी पाया गया। कोयला कम्पनियों से अनुबंध के अभाव में 0.43 लाख मिलियन टन (मि.ट.) घटिया/कोटिविहीन कोयला की प्राप्ति हेतु बोर्ड ने ₹ 6.29 करोड़ का भुगतान किया जोकि बोर्ड का हानि था।

ईंधन का उपभोग

कोयले में कम ग्रॉस कैलोरिफिक गुण के साथ ही साथ प्रतिष्ठान की ताप दर जो डिजाइन ताप दर से अधिक थी के कारण 2005–10 की अवधि में कोयले की अधिक खपत के कारण बोर्ड ने ₹ 48.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

मानवशक्ति की प्रतिनियुक्ति

ब.वा.श.प्र. में 31 मार्च 2010 तक बोर्ड के पास 586 कर्मचारी थे जो कि स्वीकृत क्षमता के अंदर थे परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के मानक से ज्यादा थे। वही दूसरी ओर कम्पनी के पास 31

मार्च 2010 तक 107 कर्मचारी थे। मानवशक्तियों की प्रतिनियुक्ति विवेकपूर्ण नही थी क्योंकि कम्पनी में सी.इ.ए. के निर्धारित मानक से अधिक नियुक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

प्लांट लोड फैक्टर

कम्पनी के जल विद्युत संयंत्र एवं ब.वा.श.प्र. का संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फैक्टर) वर्ष 2005–10 की अवधि के दौरान सभी वर्षो में राष्ट्रीय प्लांट लोड फैक्टर से कम था। इसके परिणामस्वरूप 3952.9 मि.यू. की उत्पादन हानि हुई। इसके अलावा कम्पनी को ₹ 39.59 करोड़ की अंशदान क्षति हुई।

निष्क्रियता

सभी पाँच वर्षो (2005–10) में सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत मानकों से निष्क्रियता अधिक रहा और यह 12.90 से 81.19 प्रतिशत के बीच था। ब.वा.श.प्र. की इकाई सं0 6 की निष्क्रियता वर्ष 2005–10 के दौरान कुल उपलब्ध घंटो का 73 प्रतिशत था। 2006–07 की अवधि में, 13977 घंटो के योजनाकारी निष्क्रियता के विरूद्ध 11817 घंटा परिहार्य था जिसके कारण 3.49 मि. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सहायक खपत

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी एवं ब.वा.श.प्र. की वास्तविक सहायक खपत सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पायी गई जिसके परिणामस्वरूप 48.97 मि.यू. उत्पादन की हानि हुई।

वित्तीय प्रबंधन

ऋण पर ली गई निधियों पर कम्पनी की निर्भरता वर्ष 2005–06 में ₹ 290.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 499.60 करोड़ हो गया। इसी प्रकार बोर्ड का ऋण वर्ष 2005–06 में ₹ 7773.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 12605.44 करोड़ (62.16 प्रतिशत) हो गया। संचित हानि में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2009–10 के अंत तक कम्पनी के लगभग दो तिहाई प्रदत्त पूँजी का क्षय हो गया।

पर्यावरणीय मुद्दें

बोर्ड ने 7.08 लाख मि.ट. कोयला जिसमें राख अधिक मात्रा में होता है (भारित औसत 41.27 से 46.24 प्रतिशत के मध्य) के उपयोग से पहले सफाई हेतु कोई कारगर कदम नही उठाए। ब.वा.श.प्र. द्वारा न तो पर्याप्त मूक संयंत्र स्थापित किया गया और न ही ध्वनि स्तर को अंकित करने हेतु ध्वनि अनुश्रवण संयंत्र स्थापित किया गया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

कम्पनी अपने नये स्थापित जल विद्युत उत्पादन इकाईयों के अपने योजनानुसार व्यवसायिक उत्पादन हेतु प्रारंभ नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती माँगो को पूरा नहीं कर सकी। बोर्ड भी आ. वि./पु. एवं आ. (ब.वा.श.प्र.) कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती हुई माँग को पूरा नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप वा.श.प्र. के स्वास्थ्य में आगे भी अवनति हुई। परियोजना प्रबंधन अप्रभावी था चूँकि वर्ष 2005–10 में शुरू की गई परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि के अनेक उदाहरण थे। कोयले की अल्प प्राप्ति एवं साथ ही साथ घटिया किस्म के कोयले की प्राप्ति, उच्च ताप दर जिसके फलस्वरूप कोयले की अधिक खपत हुई, के कारण संयंत्र के परिचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ हीं, प्लांट लोड फैक्टर और संयंत्र की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत स्तर से कम बनी रही। संयंत्रों के व्यवसायिक परिचालन में विलम्ब के फलस्वरूप अत्यधिक पूँजीगत व्यय एवं ऋणों पर पर्याप्त वापसी के अभाव में ब्याज प्रतिदेयता के कारण परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई। आगत दक्षता प्राचलिक के सन्दर्भ में उच्च स्तरीय प्रबंधन ने मानकों/लक्ष्यों के अनुपालन हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए थे। समीक्षा में सात अनुशंसाएँ है जिसमें प्रभावशाली नियोजन और प्रबोधन, निर्धारित मानकों के अनुसार कोयले के उपभोग को सुनिश्चित करना, बाध्यकारी निष्क्रियता एवं सहायक उपभोग को कम करना और पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना इत्यादि सम्मिलित है।

3.1 परिचय

जीवन के हर पहलू के लिए ऊर्जा शक्ति अति आवश्यक है एवं इसे मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना गया है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास हेतु विश्वसनीय एवं गुणवत्ता ऊर्जा शक्ति की प्रतियोगात्मक दर पर उपलब्धता काफी अहम है। विद्युत अधिनियम, 2003 ऊर्जा क्षेत्र के विकास, पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता को प्रोत्साहित एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु एक अनुकूलतम ढ़ाँचा प्रावधानित करता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा–3 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा फरवरी 2005 में राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा./सी.ई.ए.) के परामर्श से संसाधनों के उचित प्रयोग जैसे कोयले, गैस, परमाणु सामग्री, जल एवं पुनरूद्धार ऊर्जा शक्ति के स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु एक राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई। नीति का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु दिशा निर्देश जारी करना है। नीति के अनुसार हर पाँच वर्ष मे एक बार सी.ई.ए. को राष्ट्रीय विद्युत योजना का निर्माण करना होगा। योजना कि निम्नतम अवधि पाँच साल होगा और 15 वर्षों का परिदृश्य प्रदान करेगा।

2005–06 के दौरान बिहार में 10293 मि.यू. विद्युत की आवश्यकता आँकी गई जिसमें से सिर्फ 7383.42 मि.यू. उपलब्ध था और 2909.58 मि.यू. का अभाव था। बिहार राज्य मे कुल प्रतिष्ठापित उर्जा उत्पादन क्षमता 1424.10 मेगा वाट (मे.वा.)[1] थी। राज्य क्षेत्र की 364.10 मे.वा. क्षमता के विरूद्ध प्रभावी उपलब्ध क्षमता 264.10 मे.वा.[2] थी जबकि उच्चतम माँग 1175 मे.वा. थी तथा माँग के विरूद्ध 910.90 मे.वा. का अभाव था। 31 मार्च 2010 को आवश्यक एवं उपलब्ध ऊर्जा के तुलनात्मक आंकड़े 21900 मि.यू. और 9602.89 मि.यू. थे तथा 12297.11 मि.यू. का अभाव था। तथापि, कुल प्रतिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2932.80 मे.वा. थी। राज्य क्षेत्र की 372.80 मे.वा. क्षमता में उच्चतम 2500 मेवा. की उच्चतम माँग के विरूद्ध प्रभावी उपलब्ध क्षमता 272.80 मे.वा. थी, 1508 मे.वा. माँग की पूर्ति हुई तथा 992 मे.वा. का अभाव था। इस प्रकार 2005–10 के दौरान 11607 मि.यू. की ऊर्जा वृद्धि की आवश्यकता थी जबकि राज्य क्षेत्र में मात्र 8.70 मे.वा. क्षमता की वृद्धि हुई।

बिहार में वाष्पीय ऊर्जा शक्ति का उत्पादन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) द्वारा किया जाता है जिसका समामेलन 1 अप्रैल 1958 को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन हुआ। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का बँटवारा अभी तक (नवम्बर 2010) सम्पन्न नहीं हुआ फिर भी 8 कम्पनियों का समामेलन किया जा चुका है जो वित्तीय पुनर्संरचना के कारण अब तक प्रचालन में नहीं आ सका है। बोर्ड ऊर्जा के उत्पादन, संचरण एवं वितरण में संलग्न है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जिनकी सहायता हेतु निम्न पदाधिकारी होते हैं:–सदस्य (वित्त एवं राजस्व), सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण) एवं सदस्य (उत्पादन एवं संचरण)। बोर्ड के पास एक वाष्प आधारित उत्पादन प्रतिष्ठान था, जिसकी स्थापित क्षमता 320 मे.वा. थी जो बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) कहलाता है। वर्ष 2009–10 में बोर्ड का टर्न–ओवर ₹ 2795.00 करोड़ था जो क्रमशः राज्य सा.क्षे.उ. के टर्न–ओवर का 53 प्रतिशत एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.80 प्रतिशत था। 31 मार्च 2010 तक बोर्ड ने अपने बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा. श.प्र.) में 586 कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

बिहार में जल विद्युत का उत्पादन बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है, जिसका समामेलन 31 मार्च 1982 को पूर्णतः राज्य

1 2x50 मे.वा. + 2x110 मे.वा. वाष्प का एवं 44.10 मे.वा. राज्य क्षेत्र के हाईडल का एवं 1060 मे.वा. केन्द्रीय क्षेत्र से।

2 2x110 मे.वा. वाष्प का एवं 44.10 मे.वा. हाईडल का, 2x50 मे.वा. अप्रचालित रहा।

सरकार की कम्पनी के रूप में ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया गया। कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल, जिसमें कम से कम 4 और अधिकतम 7 निदेशक जिसमें प्रबन्ध निदेशक भी शामिल होते है, द्वारा किया जाता है और जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च 2010 को यहाँ प्रबन्ध निदेशक को मिलाकर 3 निदेशक थे। दिन प्रतिदिन के कार्यो का संचालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जो कि कम्पनी का कार्यकारी प्रमुख है और इनकी मदद हेतु मुख्य अभियंता (विद्युत), अधीक्षण अभियंता (सिविल), वित्तीय सलाहकार (पद खाली) एवं निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) होते हैं। 31 मार्च 2010 को कम्पनी के पास 11 नहर आधारित जल विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान हैं जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 52.80 मे.वा. है। वर्ष 2009–10 में कम्पनी का टर्न–ओवर ₹ 6.78 करोड़ था जो कि क्रमशः राज्य सा.क्षे.उ. के 0.34 प्रतिशत एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (2009–10 के लिए) के 0.005 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2010 को कम्पनी ने 107 कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के कार्यकलाप पर समीक्षा सम्मिलित थी। इस प्रतिवेदन पर अभी भी लोक उपक्रम समिति (लो.उ.स.) द्वारा विचार किया जाना है (नवम्बर 2010)।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान उत्पादन गतिविधियों के संदर्भ में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम के कार्य सम्पादन पर समीक्षा फरवरी 2010 से मई 2010 के मध्य में किया गया। समीक्षा मुख्यतः योजना, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, परिचालन निष्पादन, पर्यावरणीय मुददे एवं उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण से सम्बन्धित है। लेखापरीक्षा की जाँच में मुख्यतः मुख्य कार्यालय एवं 12[3] (कुल स्थापित क्षमता 372.80 मे.वा.) में से 5[4] (कुल क्षमता 364.10 मे.वा.) उत्पादन प्रतिष्ठान की है जिनको उच्च क्षमता एवं कोटि के आधार पर चुना गया है।

लेखापरीक्षा मापदण्ड से सन्दर्भित लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गई पद्धति में उच्च प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को समझाना, मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, अधिकारियों से वार्तालाप, लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर प्रबंधन से विचार–विमर्श एवं प्रबंधन की प्रतिक्रिया हेतु प्रारूप समीक्षा निर्गत करना शामिल था।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था :–

नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन

- यह मूल्यांकन करना कि क्या राज्य में ऊर्जा के अभाव को समाप्त करने हेतु आरम्भ किए गए अथवा आरम्भ किए जाने वाले क्षमता वृद्धि कार्यक्रम 2012 तक सभी लोगों के लिए ऊर्जा के राष्ट्रीय नीति के अनुरूप था।

3 11 जलविद्युत शक्ति प्रतिष्ठान अगनूर (1 मे.वा.), बारूण (2x1.65 मे.वा.), डेहरी (4x1.65 मे.वा.) ढेलाबाग(1 मे.वा.), जयनगर (1 मे.वा.), कटैया (4x4.8 मे.वा.), नासरीगंज (1 मे.वा.), सेबारी (1 मे.वा.), शिरखिण्डा (0.7 मे.वा.), त्रिवेणी (2x1.5 मे.वा.) एवं वाल्मिकी नगर (3x5 मे.वा.) + बरौनी में 1 वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (2x50 मे.वा. + 2x110 मे.वा.)।

4 बारूण में 4 जलविद्युत शक्ति प्रतिष्ठान (2x1.65 मे.वा.), डेहरी (4x1.65 मे.वा.), कटैया (4x4.8 मे.वा.) एवं वाल्मिकी नगर (3x5 मे.वा.) + बरौनी में 1वाष्प शक्ति स्टेशन (2x50 मे.वा. + 2x110 मे.वा.)।

- यह देखना कि वर्तमान उत्पादन क्षमता के उचित उपयोग हेतु क्रियात्मक योजना है कि नहीं।
- यह सुनिश्चित करना कि ठेका देने में मितव्ययिता एवं पारदर्शिता बरती गई है या नहीं।
- यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन मितव्ययिता, प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक किया गया है कि नहीं।

वित्तीय प्रबंधन

- यह सुनिश्चित करना कि नई परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण एवं वर्तमान उत्पादन इकाईयों के पुनरूद्धार के साथ अभीष्ट उद्देश्यों हेतु पहचान एवं समुचित उपभोग वास्तविक है।
- उत्पादन इकाईयों की वित्तीय सुदृढ़ता को आँकना।

परिचालन निष्पादन

- यह देखना कि क्या उत्पादन इकाईयाँ दक्षतापूर्वक प्रचलित हुई तथा यथा निर्धारित प्रतिबंधात्मक रख–रखाव किया गया था ताकि बाध्यकारी निष्क्रियता को न्यूनतम किया जा सके।
- यह देखना कि प्रत्येक वर्ग के ईंधन के आवश्यकता को सही रूप से आँका गया था, मितव्ययी रूप से खरीदा गया था तथा दक्षतापूर्वक उपयोग किया गया था।
- यह देखना कि मानवशक्ति की आवश्यकता वास्तविक थी एवं इसका समुचित उपयोग हुआ।
- यह देखना कि आयु वृद्धि कार्यक्रम (पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण) का नियोजन एवं निष्पादन मितव्ययी, उपयोगी तथा दक्षतापूर्वक ढ़ंग से किया गया था।
- इकाईयों के परिचालन निष्पादन पर पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण/आयु वृद्धि (पु. एवं आ./आ.वि.) गतिविधियों के प्रभाव को आँकना।

पर्यावरणीय मुद्दें

- यह देखना कि क्या उत्पादन इकाईयों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक (वायु, जल, ध्वनि, जोखिम अपशेष) निर्धारित मानक के अन्दर हैं तथा आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते है।
- कचड़ा प्रबंधन व्यवस्था तथा इसके क्रियान्वयन की पर्याप्तता को देखना।

प्रबोधन एवं मूल्यांकन

- यह सुनिश्चित करना कि अनुश्रवण, प्रभाव मूल्यांकन एवं प्रतिक्रियाओं का उपयोग भविष्य की योजनाओं को तैयार करने हेतु संस्थान में पर्याप्त एम.आई. एस. था।

3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गए थे :

- राष्ट्रीय विद्युत योजना, परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के मानकों/निर्देशों।
- संविदा देने की मानक कार्यविधि जो मितव्ययिता, प्रभावी एवं दक्षता के सिद्धांतों से सम्बन्धित हो।
- ऊर्जा की उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य।
- संयत्र की उपलब्धता, प्लान्ट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) आदि का निर्धारित प्राचलिक।
- क्षेत्रों में सर्वोत्तम सफलकर्मियों का निष्पादन/अखिल भारतीय औसत।
- योजनाबद्ध निष्क्रियता के लिए निर्धारित मानक, और
- पर्यावरणीय मुददें से सम्बन्धित अधिनियमें।

3.5 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

कम्पनी की पाँच वर्षो की वित्तीय स्थिति, जो 2009–10[5] को समाप्त होती है, निम्नवत् है।

हाईडल

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (औपबंधिक)
क. दायित्व					
प्रदत्त पूँजी	99.04	99.04	99.04	99.04	99.04
संचय तथा आधिक्य (सिर्फ पूँजीगत अर्थसाहाय्य)	1.72	5.83	11.76	13.40	15.81
उधार (ऋण कोष)					
असुरक्षित	290.26	363.35	406.69	440.36	499.60
चालू दायित्व तथा प्रावधान	9.05	9.99	10.86	11.57	12.00
कुल	400.07	478.21	528.35	564.37	626.45
ख. सम्पत्तियाँ					
सकल मूल्य	106.73	126.17	147.72	171.57	202.66
घटाये : ह्रास	42.41	47.29	52.88	59.26	66.69
शुद्ध स्थायी सम्पतियाँ	64.32	78.88	94.84	112.31	135.97
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	74.96	88.62	95.78	89.12	279.17
विविध व्यय[6]	160.60	171.17	186.24	199.19	4.50
चालू सम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम[7]	85.29	121.15	124.87	123.44	144.35

[5] तालिका में 2005–06 से 2009–10 के दिखाए गए आँकड़े अलेखापरीक्षित वार्षिक लेखा पर आधारित है।

[6] परियोजना पर प्रारम्भिक व्यय, ऋण पर सूद एवं परियोजना पर विकास व्यय सम्मिलित है।

[7] भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे एवं अल्प अवधि के बैंक जमा के आँकड़े सम्मिलित।

संचित हानियाँ	14.90	18.39	26.62	40.31	62.46
कुल	400.07	478.21	528.35	564.37	626.45

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:–

- कम्पनी का असुरक्षित ऋण ₹ 290.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 499.60 करोड़ अर्थात 72 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण बिहार सरकार/नाबार्ड के ऋण पर उपार्जित ब्याज था। ऋण के साथ–साथ उपार्जित ब्याज के पुनर्भुगतान नहीं होने के कारण समीक्षा की अवधि में यह सतत् रूप से बढ़ता गया। इस प्रकार कम्पनी का ऋण समता अनुपात सतत् रूप से 2005–06 में 288 से 2009–10 में 4.35 बढ़ गया।

संचित हानियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2009–10 के अन्त तक कम्पनी के दो तिहाई प्रदत्त पूँजी का क्षय हो गया।

- उसी प्रकार कम्पनी की संचित हानि विगत पाँच वर्षो 2009–10 के अन्त में ₹ 14.90 करोड़ से ₹ 62.46 करोड़ अर्थात 319.19 प्रतिशत बढ़ गई जिसके कारण लगभग दो तिहाई प्रदत्त पूँजी का क्षय हुआ। पुनः 2009–10 के अन्त तक ₹ 279.17 करोड़ पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य के अन्तर्गत पड़ा हुआ था, जिसका मुख्य कारण निर्धारित समय पर योजनाओं का पूरा नहीं होना है।
- जबकि 2009–10 में कम्पनी का शुद्ध मूल्य ₹ 114.85 करोड़ था, कम्पनी की संचित हानि ₹ 62.46 करोड़ थी। अतः कम्पनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं प्रतीत होती है तथा इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
- संचय एवं आधिक्य में न्यू एण्ड रिनिवेबल (एम.एन.आर.ई.) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्रतिवर्ष प्राप्त पूँजीगत अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।

थर्मल

2009–10 में समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षो में बोर्ड की वित्तीय स्थिति सभी गतिविधियों (उत्पादन, संचरण एवं वितरण) को सम्मिलित करते हुए नीचे दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क. दायित्व					
अंशदान, अनुदान एवं पूँजीगत सम्पत्तियों के लागत के प्रति अर्थसाहाय्य (पूँजी अनुदान के साथ लेकिन ह्रास संचय को छोड़कर)	148.61	152.99	199.91	522.13	652.11
उधार (ऋण कोष)					
सुरक्षित + असुरक्षित	7773.25	9253.80	9988.32	11245.52	12605.44
चालू दायित्व तथा प्रावधान	3400.94	2812.26	3049.34	3302.59	3738.72
कुल	11322.80	12219.05	13237.57	15070.24	16996.27
ख. सम्पत्तियाँ					
सकल मूल्य	2516.28	2242.43	2418.34	2556.51	2864.80
घटाये : ह्रास	1822.99	1630.81	1684.45	1740.85	1800.57
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	693.29	611.62	733.89	815.66	1064.23
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	606.27	833.97	808.73	934.10	881.20

निवेश	349.48	415.02	503.94	899.78	829.57
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	4326.91	4554.47	4702.34	4927.47	5316.13
संचित हानियाँ	670.10	1424.71	2109.41	3113.97	4525.88
विनियामक सम्पत्तियाँ	-	60.00	60.00	60.00	60.00
सम्पत्तियाँ जो व्यवहार में नहीं हैं	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
राज्य से प्राप्त होने वाले अर्थसाहाय्य	4673.14	4315.65	4315.65	4315.65	4315.65
कुल	11322.80	12219.05	13237.57	15070.24	16996.27

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :–

- बोर्ड द्वारा लिया गया ऋण ₹ 7773.25 करोड़ से ₹ 12605.44 करोड़ अर्थात 62.16 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार के ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज ₹ 2589.04 करोड़ तथा ₹ 1771.84 करोड़ के पूँजीगत दायित्वों (राज्य सरकार के ऋणों के किश्तों) की भुगतेय है। संचित हानि विगत पाँच वर्षों 2009–10 के अन्त में ₹ 670.10 करोड़ से ₹ 4525.88 करोड़ अर्थात 575 प्रतिशत बढ़ गई, जिसका मुख्य कारण अन्य स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय के कीमतों में वृद्धि, कर्मचारी व्यय तथा ब्याज और वित्तीय परिव्यय हैं।

- चालू दायित्व तथा प्रावधान के अन्तर्गत मुख्यतः कर्मचारियों से संबंधित दायित्व; (पेंशन के लिए प्रावधान, उपादान, जी.पी.एफ. आदि) जो 2005–06 में ₹ 1982 करोड़ से बढ़कर 2009–10 में ₹ 2191 करोड़ हो गई।

- चालू सम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों में बढ़ोतरी मुख्यतः रोकड़ और बैंक शेष में वृद्धि (₹ 264 करोड़ से) विविध प्राप्य (₹ 263 करोड़ से) हुई। इसमें तत्कालीन बि.रा.वि.बो.[8] के विघटन के समय झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से वसूलनीय दावा भी शामिल है।

- राज्य सरकार से 2005–06 में प्राप्य विविध अर्थसाहाय्य की राशि ₹ 4673.14 करोड़ था जो 2006–07 में घटकर ₹ 4315.65 करोड़ हो गया और यह राशि इसी स्तर पर रहा चूँकि 2009–10 तक राज्य सरकार ने भुगतान अथवा बकाये राशि के भुगतान पर निर्णय नहीं लिया। यद्यपि, बकाया अर्थसाहाय्य को रोकड़ आधार पर 2006–07 से 2009–10 तक क्रमशः वर्षों में भुगतान किया गया, जो कि ₹ 3416.93 करोड़ था।

कम्पनी में उत्पादन लागत की चढ़ती हुई वृद्धि का मुख्य कारण कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय और ब्याज एवं वित्तीय परिव्यय में वृद्धि था।

कम्पनी एवं बोर्ड (केवल प्रबंधन द्वारा सौंपे गए ब.वा.श.प्र. के सन्दर्भ में) का कार्यकारी परिणाम का विवरण जैसे ऊर्जा उत्पादन की लागत, राजस्व वसूली, शुद्ध आधिक्य/हानि और आमदनी और प्रचालन की प्रति इकाई लागत का विवरण ***परिशिष्ट 12 एवं 13*** में दिया गया है।

परिशिष्ट–12 को देखने से यह प्रतीत होता है कि कम्पनी की कुल उत्पादन सतत् रूप से 72.75 मि.यू. से 34.66 मि.यू. (52.36 प्रतिशत) घट गई है। ऊर्जा की कम उत्पादन का मुख्य कारण नहरों से कम्पनी की सभी चालू परियोजनाओं के लिए कम छोड़ा गया पानी है। तथापि, 2009–10 में भारी कमी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कोशी एवं गण्डक नदी के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण है। तदानुसार, उत्पादन राजस्व 2005–06 में ₹ 13.61 करोड़ से 2009–10 में ₹ 6.78 करोड़

[8] 2005–06 में ₹ 659 करोड़ एवं 2008–09 में ₹ 855 करोड़।

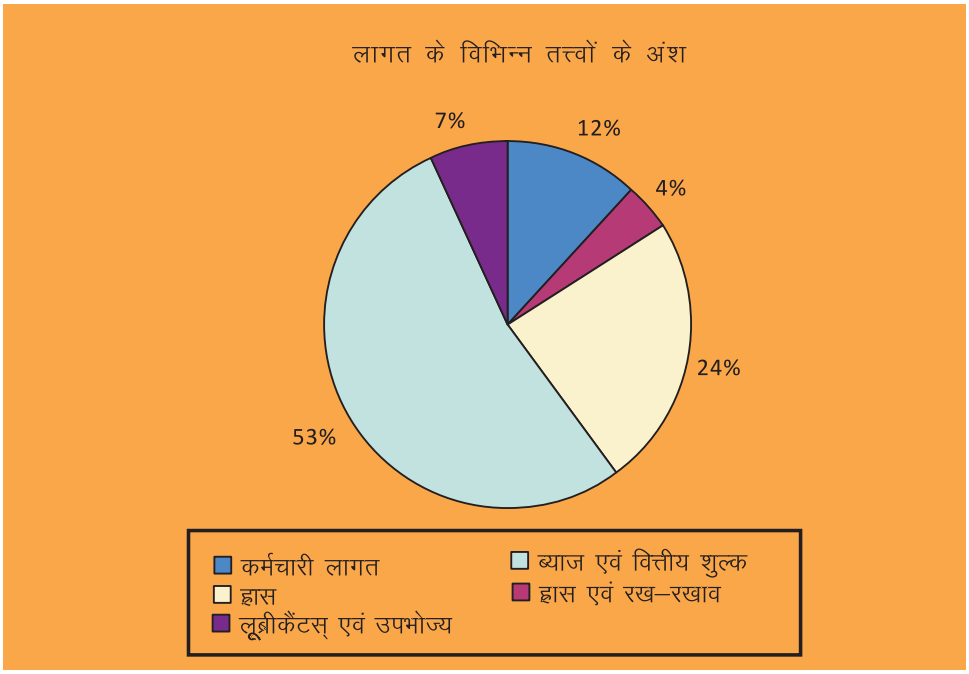
(50.18 प्रतिशत) घट कर रह गई। तथापि, उत्पादन की कुल लागत सतत् रूप से बढती गई जो कि 2005–06 में 16.30 करोड़ से 2009–10 में बढ़कर ₹ 31.99 करोड़ हो गई, जो लगभग 96.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जिसका मुख्य कारण कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय और ब्याज एवं वित्तीय परिव्यय में वृद्धि है।

इसी प्रकार, वर्ष 2005–10 के दौरान ब.वा.श.प्र. की कुल उत्पादन (***परिशिष्ट 13***) 37.25 मि.यू. और 264.71 मि.यू. के बीच में है, जबकि उत्पादन की प्रति इकाई लागत ₹ 4.82 से ₹ 12.34 के परास में है। हमने प्रेक्षित किया कि इकाई सं0 6 के पुनर्स्थापन तथा इकाई सं0 7 के आधुनिकीकरण एवं पुनरूद्धार के कारण संयंत्र की उत्पादन 2006–07 में घटकर 37.25 मि.यू. हो गई है, जबकि उत्पादन की स्थायी लागत समान वित्तीय वर्ष में बढ़ गई। इस प्रकार उत्पादन की लागत 2006–07 में उच्चतम ₹ 12.34 प्रति इकाई हो गई है।

लागत के तत्व

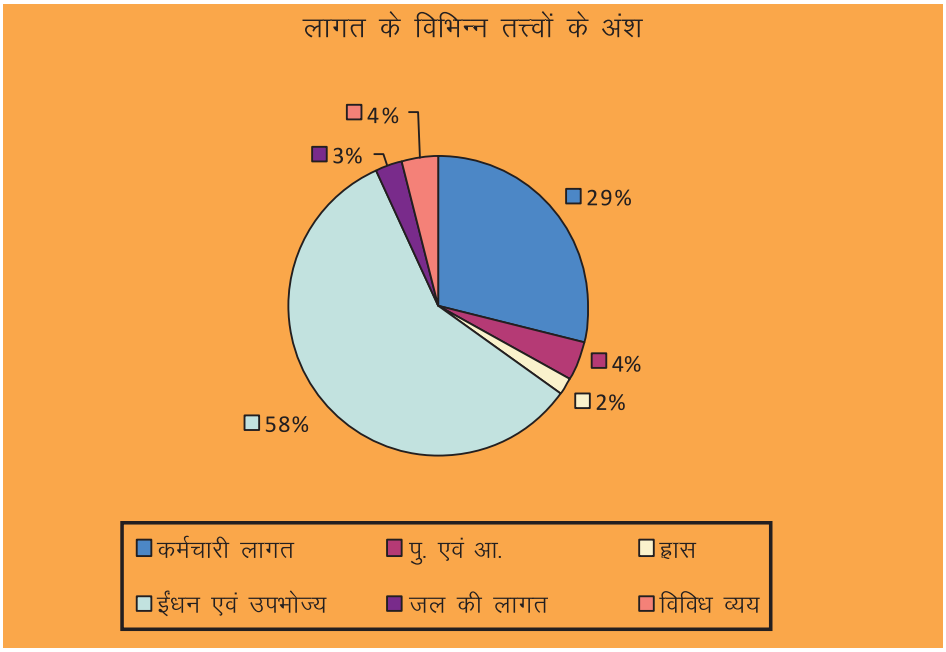
हाईडल

ब्याज और वित्तीय परिव्यय एवं ह्रास लागत, लागत के मुख्य तत्त्व हैं। 2009–10 के लागत का खण्डवार प्रतिशत नीचे के वृत्त–चित्र में दर्शाया गया है :



थर्मल

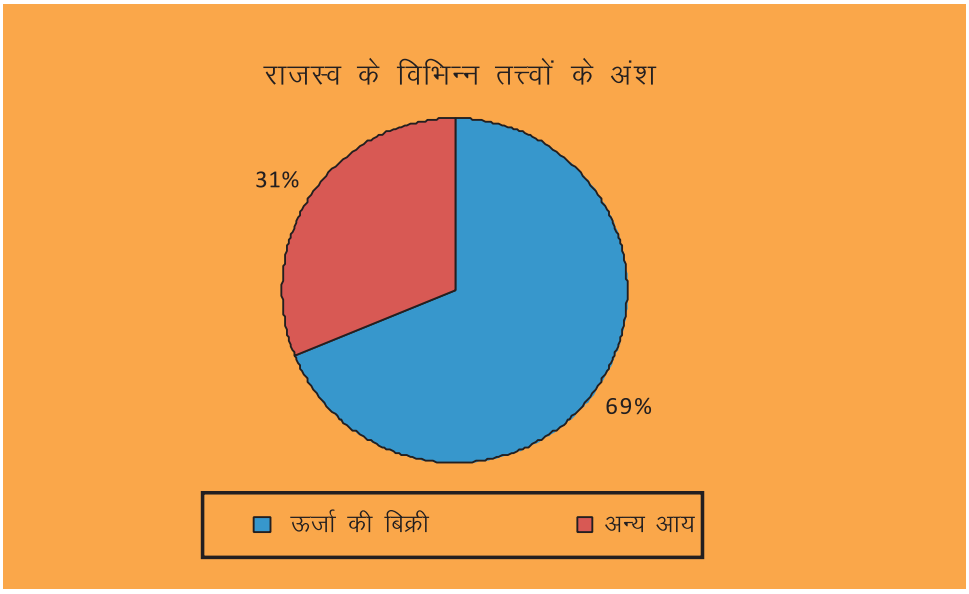
ईंधन एवं उपभोज्य और कर्मचारी लागत, लागत के मुख्य तत्त्व हैं। 2009–10 के लागत का खण्डवार प्रतिशत नीचे के वृत्त चित्र में दर्शाया गया है :



राजस्व के तत्त्व

हाईडल

राजस्व का मूल तत्त्व ऊर्जा शक्ति का विक्रय है। 2009–10 में राजस्व का खण्डवार प्रतिशत नीचे के वृत्त चित्र में दर्शाया गया है :



थर्मल

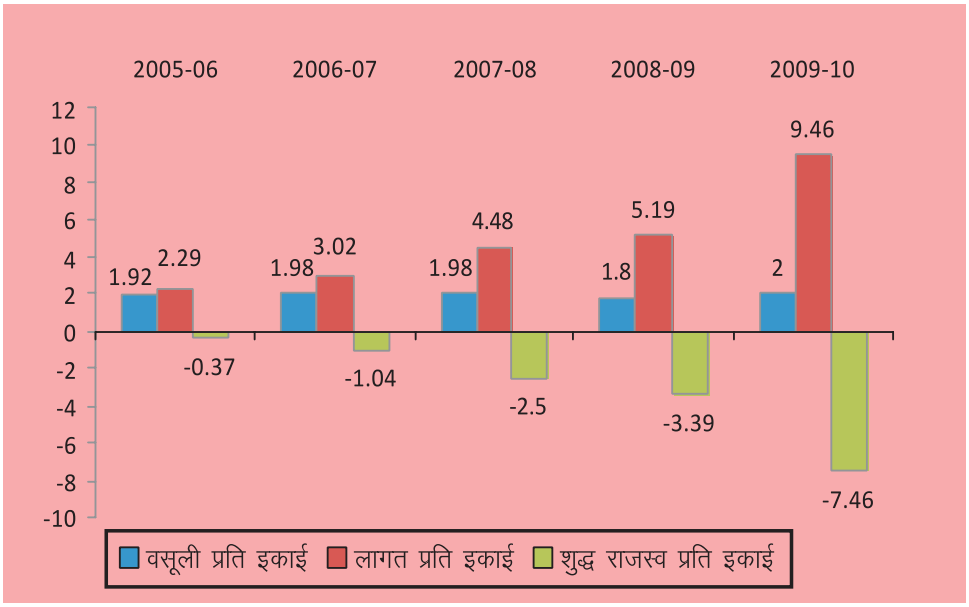
ऊर्जा शक्ति का विक्रय बोर्ड के लिए राजस्व का मुख्य तत्त्व है तथा 2009–10 में कुल राजस्व का 99.75 प्रतिशत था।

परिचालन लागत की वसूली

हाईडल

कम्पनी अपने प्रचालन लागत की वसूली में असमर्थ था। 2009–10 को समाप्त होनेवाले विगत पाँच वर्षो में कम्पनी की शुद्ध राजस्व ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है :

कम उत्पादन के कारण कम्पनी उत्पादन लागत को वसूल करने में विफल रही।

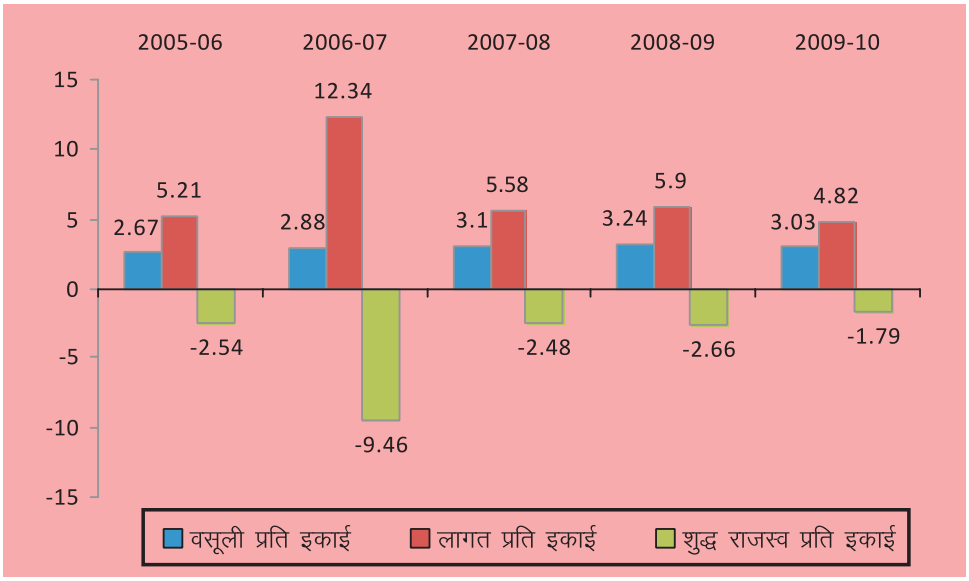


2009–10 में बहुत कम उत्पादन (34.66 प्रतिशत मि.यू.) और उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण प्रति इकाई शुद्ध राजस्व ₹ 7.46 तक ऋणात्मक हो गया था। यदि कम्पनी द्वारा उपार्जित कुल राजस्व लागत को पूर्ण करने में पर्याप्त रहती तो समीक्षा की अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि/आयु वृद्धि कार्यक्रमों के लिए ₹ 66.42 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होती। उत्पादन की उच्च लागत का मुख्य कारण क्षमता का कम उपयोग, निकाय निष्पादन का क्षीण होना, सहायक खपत की उच्च सीमा, उच्चतर प्रशासनिक एवं ब्याज लागत, कर्मचारी लागत इत्यादि था।

थर्मल

ब.वा.श.प्र. भी प्रचालन की लागत वसूल करने में असमर्थ था। 2009–10 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षो में शुद्ध राजस्व ऋणात्मक था जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है :

बहुत कम उत्पादन के कारण उत्पादन लागत प्रति इकाई 2006–07 में काफी अधिक ₹ 12.34 तक पहुँच गया था।



यदि बोर्ड द्वारा उपार्जित कुल राजस्व, लागत को पूर्ण करने में पर्याप्त रहती तो समीक्षा अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि/आयु वृद्धि कार्यक्रमों के लिए ₹ 142.48 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होती। उत्पादन की उच्च लागत का कारण क्षमता का न्यूनतम उपयोग, उच्च प्रशासनिक व्यय इत्यादि था।

3.6 लेखापरीक्षा परिणाम

कम्पनी/बोर्ड को 16 फरवरी 2010 को आयोजित आगमन सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् प्रारूप समीक्षा कम्पनी/बोर्ड तथा सरकार को उनके मंतव्यों हेतु जुलाई 2010 में निर्गत किया गया। उनका उत्तर (सितम्बर/अक्टूबर 2010) तक प्राप्त हुआ तथा बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन 9 नवम्बर 2010 को किया गया। उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को उपयुक्त जगहों पर समावेश किया गया है।

3.7 परिचालन निष्पादन

कम्पनी एवं बोर्ड का वर्ष 2009–10 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षों का परिचालन निष्पादन ***परिशिष्ट–14*** में दिया गया है। कम्पनी तथा बोर्ड के परिचालन निष्पादन का मूल्यांकन विभिन्न परिचालन प्राचलिकों के आधार पर किया गया है जो नीचे वर्णित है। यह भी अवलोकित किया गया कि क्या कम्पनी/बोर्ड राज्य की बढ़ती हुई ऊर्जा–माँग के साथ क्षमता वृद्धि के मामलों में समन्वय स्थापित करने में समर्थ था। इस सन्दर्भ में लेखा प्रेक्षणों की परिचर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है। इन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से प्रतिबिम्बित होता है कि हानियाँ नियंत्रणीय थी तथा निष्पादन में सुधार के अवसर विद्यमान थे।

3.8 नियोजन

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2012 तक प्रति कैपिटा 1000 इकाईयों से अधिक विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती हैं। बिहार राज्य की ऊर्जा उपलब्धता परिदृश्य, स्वयं की उत्पादन, ऊर्जा का क्रय, उच्चतम माँग और शुद्ध कमी को इंगित करते हुए नीचे दिखाया गया है।

(मे.वा. में)

वर्ष	कुल उत्पादन (हाईडल+थर्मल)	औसत माँग	उच्चतम माँग	वास्तविक उत्पादन का औसत माँग से प्रतिशत	वास्तविक माँग का उच्चतम माँग से प्रतिशत
2005–06	42.72	950	1175	4.50	3.64
2006–07	37.48	1040	1275	3.60	2.94
2007–08	64.17	1500	1800	4.28	3.57
2008–09	72.15	1600	1900	4.51	3.80
2009–10	56.35	2050	2500	2.75	2.25

समीक्षा अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन काफी कम था और यह उच्चतम माँग के 2.25 प्रतिशत से 3.80 प्रतिशत के परास में था एवं औसत माँग के 2.75 प्रतिशत से 4.51 प्रतिशत था।

उपर्युक्त सारणी को देखने से यह प्रतीत होता है कि अवधि 2005–10 में वास्तविक उत्पादन, उच्चतम तथा औसत माँग की अपेक्षा बहुत कम था। वास्तविक उत्पादन, औसत माँग का सिर्फ 2.75 से 4.51 प्रतिशत तथा उच्चतम माँग का 2.25 से 3.80 प्रतिशत था।

उपलब्ध ऊर्जा की कुल आपूर्ति, आयात के बावजूद उच्चतम माँग को पूरा करने में असमर्थ था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(मे.वा. में)

वर्ष	उच्चतम माँग	उच्चतम माँग पूर्ण की गई	उच्चतम माँगों को पूर्ण करने का स्त्रोत		उच्चतम कमी (उच्चतम माँग का प्रतिशत)
			स्वयं	आयात	
2005-06	1175	1095	42.72	1052.28	80 (6.81)
2006-07	1275	1213	37.48	1175.52	62 (4.86)
2007-08	1800	1244	64.17	1179.83	556 (30.89)
2008-09	1900	1348	72.15	1275.85	552 (29.05)
2009-10	2500	1508	56.35	1451.65	992 (39.68)

बोर्ड ने वर्ष 2005–10 में अतिरिक्त ऊर्जा निकासी के अर्थदण्ड के रूप में ₹473.04 करोड़ व्यय किया।

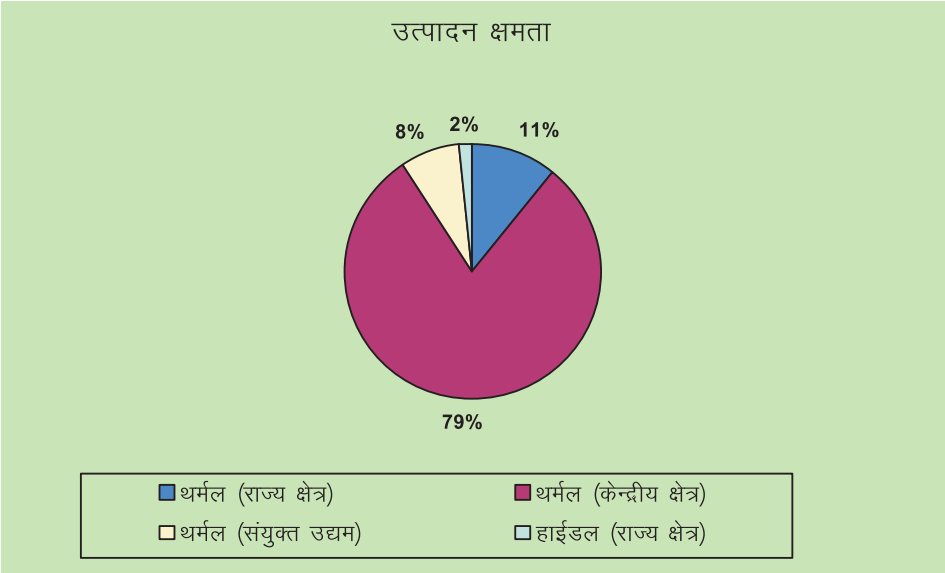
यहाँ यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि में उच्चतम माँग में भारी वृद्धि हुई। इस अवधि में कमी, आयात के बावजूद 62 से 992 मे.वा. (4.86 से 39.66 प्रतिशत) था। परिणामस्वरूप, चक्रानुक्रम भार शेड राज्य की जनसंख्या पर बलित था। बोर्ड को 2005–10 में दूसरे स्त्रोतो से 40792.12 मि.यू. ऊर्जा खरीदने पर ₹ 7535.72 करोड़ व्यय करना पड़ा। इसके अलावा बोर्ड को समीक्षा अवधि में 1170.82 मि.यू. अतिरिक्त ऊर्जा निकासी के मद में अर्थदण्ड के रूप में ₹ 473.04 करोड़ व्यय किया। इसके विरूद्ध 2005–10 में कम्पनी तथा बोर्ड का अपना उत्पादन मात्र 956.47 मि.यू. था। यह अन्य स्त्रोतों पर अति–निर्भरता को दर्शाता है।

यह खण्ड क्षमता वृद्धि तथा वर्तमान व्यवस्थाओं के समुचित उपयोगिता से सम्बन्धित है। पर्यावरणीय मुद्दों की परिचर्चा अनुवर्त्ती अनुच्छेदों में की गई है।

क्षमता वृद्धि

बिहार में उत्पादन क्षमता मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्र के वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (एन. टी. पी. सी.), संयुक्त उद्यम (एन.टी.पी.सी. तथा बि.रा.वि.बो.), राज्य

क्षेत्र में (बि.रा.वि.बो.) तथा राज्य क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा शक्ति प्रतिष्ठान (बि.रा.ज.वि.श.नि.) 31 मार्च 2010 तक 2932.80[9] मे.वा. था, जो निम्न वृत्त–चित्र में दर्शाया गया है।



केवल राज्य क्षेत्रों (बि.रा.वि.बो. एवं बी.एस.एच.पी.सी.) में वर्ष 2005–06 के प्रारम्भ में ही बिहार राज्य के पास कुल प्रतिस्थापित क्षमता 364.10[10] था और यह 2009–10 के अंत तक बढ़कर 372.80[11] मे.वा. हो गया।

वर्ष 2005–10 में 2227.20 मे.वा. क्षमता विस्तार की आवश्यकता के विरूद्ध वास्तविक वृद्धि 8.70 मे.वा. था।

राज्य में 21900 मि.यू. के ऊर्जा उत्पादन माँग को पूर्ण करने के लिये 2005–10 में 2227.20 मे.वा. के क्षमता विस्तार की आवश्यकता थी। फिर भी (एन.ई.पी.) के अनुसार समीक्षा अवधि में कोई भी परियोजना जिसका वर्गीकरण जैसे निर्माणाधीन परियोजना एवं वचनबद्ध परियोजना[12], क्षमता विस्तार हेतु राज्य क्षेत्र में नहीं था।

समीक्षा अवधि में क्षमता वृद्धि पर विचार, वास्तविक वृद्धि तथा उच्चतम माँग की तुलना में ऊर्जा आपूर्त्ति का विवरण निम्न है।

(थर्मल + हाईडल)

क्रम सं0	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1(क)	वर्ष के शुरूआत में क्षमता (मे.वा.) (बि.रा.वि.बो.+कम्पनी)	364.10	364.10	366.10	367.10	371.10
1(ख)	केन्द्रीय सा.क्षे.उ.	1060	1060	1060	1060	1060
2.	राष्ट्रीय विद्युत योजना (मे.वा.) के अनुसार वर्ष के दौरान आयोजित क्षमता विस्तार	-	-	396.87	432.59	471.52
3.	राज्य (मे.वा.) के द्वारा आयोजित	1.00	5.00	3.90	4.50	11.00

9 वाष्पशक्ति विद्युतः– केंद्रीय क्षेत्र (एन.टी.पी.सी. कहलगाँव) –2340 मे. वा. संयुक्त उद्यम, (एन.टी.पी.सी. तथा बि.रा.वि.बो., काँटी) –220 मे.वा., राज्य क्षेत्र (बि.रा.वि.बो. बरौनी) –320 मे.वा.) तथा जलविद्युत (राज्य क्षेत्र, बि.रा.ज.वि.श.नि.)–52.80 मे.वा.।

10 320 मे.वा. वाष्पशक्ति तथा 44.10 मे.वा. जलविद्युत ।

11 320 मे.वा. वाष्पशक्ति तथा 52.80 मे.वा. जलविद्युत ।

12 राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वचनबद्ध परियोजना वह परियोजना है जिसमें परियोजना को आरम्भ करने की औपचारिक अनुमति सी.ई.ए. से ली जा चुकी है।

	क्षमता विस्तार					
4.	राज्य क्षेत्र (मे.वा.) में वास्तविक क्षमता विस्तार	0.00	2.00[13]	1.00[14]	4.00[15]	1.70[16]
5 (क)	वर्ष (मे.वा.) के अंत में क्षमता (1+4) (बि.रा.वि.बो.+ कम्पनी)	364.10	366.10	367.10	371.10	372.80
5 (ख)	केन्द्रीय सा.क्षे.उ.	1060	1060	1060	1060	2560
6.	राज्य क्षेत्र में क्षमता वृद्धि में कमी (मे.वा.) (4–3)	1.00	3.00	2.90	0.50	9.30
7.	बि.रा.वि.बो. के सी.एल.डी.सी. द्वारा सौंपे गए उच्चतम माँग (मे.वा.)	1175	1275	1800	1900	2500
	ऊर्जा माँग (मि.यू.)	10293	11169	15768	16644	21900
8.	आपूर्तित ऊर्जा (मि.यू.)					
	(क) बि.रा.वि.बो.[17] द्वारा सौंपे गए शुद्ध ऊर्जा उत्पादित (जलविद्युत + वाष्प विद्युत)	148.73 (52.91+ 95.82)	73.36 (46.76+ 26.60)	159.58 (45.23+ 114.35	131.75 (41.54+ 90.21	241.89 (15.29+ 226.60)
	ऊर्जा क्रय	7234.69	7884.60	7710.00	8601.83	9361.00
	कुल	7383.42	7957.96	7869.58	8733.58	9602.89
9.	माँग में कमी (मि.यू.) (7–8)	2909.58	3211.04	7898.42	7910.42	12297.11

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि समीक्षा अवधि में राज्य द्वारा नियोजित (जल विद्युत शक्ति के सन्दर्भ में) 25.4 मे.वा. क्षमता वृद्धि के विरूद्ध केवल 8.7 मे.वा. का क्षमता वृद्धि हुआ था जिसके कारण 16.7 मे.वा. की कमी पाई गई। हमने यह भी प्रेक्षित किया कि बोर्ड ने मार्च 1986 से कोई नई परियोजना निष्पादित नहीं किया है। 2008 में नवीनगर में एक नई वाष्प शक्ति परियोजना, बोर्ड एवं एन.टी.पी.सी. के संयुक्त उद्यम से शुरू किया गया। यह परियोजना 2015–16 में समाप्त होना है। इसके अलावा ब.वा. श.प्र. में 2x250 मे.वा. परियोजना का विस्तार शरूआती दौर में है तथा मौजूदा 2x250 मे.वा. इकाई (सं0 4 एवं 5) को बदलने हेतु एक दूसरी 1x250 मे.वा. इकाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना (डी.पी.आर.) तैयार किया जा रहा है (नवम्बर 2010)।

अतः राज्य ऊर्जा की माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं था चूँकि ऊर्जा उत्पादन एवं ऊर्जा विक्रय वर्ष 2005–06 में 2909.58 मि.यू. तक कम हो गया था और यह गिरावट 2009–10 में बढ़कर 12297.11 मि.यू. हो गई थी। इसके अलावा कथित अवधि में परियोजनाओं के निष्पादन में शिथिलता के कारण कम्पनी अपने 25.4 मे. वा. क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इससे पहले दसवीं पँचवर्षीय योजना (2002–03 से 2006–07) में कम्पनी ने 33.90 मे. वा. क्षमता वृद्धि प्रस्तावित किया था लेकिन कथित अवधि में कम्पनी केवल 2 मे. वा.[18] क्षमता वृद्धि कर सका।

13 अग्नूर ल.ज.वि.प. (1 मे.वा.) अगस्त 2006 में तथा ढ़ेलाबाग ल.ज.वि.प. (1 मे.वा.) अगस्त 2006 में।

14 नासरीगंज ल.ज.वि.प. (1 मे. वा.) अगस्त 2007 में।

15 जयनगर ल.ज.वि.प. (1 मे.वा.) जनवरी 2009 में तथा त्रिवेणी ल.ज.वि.प. (3 मे.वा.) फरवरी 2009 में।

16 शिरखिण्डा ल.ज.वि.प. (0.7 मे.वा.) सितम्बर 2009 में और सेवारी ल.ज.वि.प. (1 मे.वा.) फरवरी 2010 में एवं शेष 500 मे.वा. केन्द्रीय क्षेत्र में।

17 यहाँ पर प्रतिवेदित हाईडल का शुद्ध ऊर्जा उत्पादन प्रबंधन द्वारा सौंपे गए आँकड़ों से भिन्न है और इसका समाधान कम्पनी एवं बोर्ड के बीच होना बाकी है।

18 अग्नूर ल.ज.वि.प. (2 x 0.5 मे.वा.) (अगस्त 2006 में) एवं ढ़ेलाबाग ल.ज.वि.प. (2 x 0.5 मे.वा.) (अगस्त 2006 में)।

वर्तमान सुविधाओं का समुचित उपयोग

ऊर्जा की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये न अतिरक्त क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है बल्कि वर्तमान सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु एक सटीक योजना होना चाहिए एवं वर्तमान सुविधाएँ जो पूर्ण होने के कगार पर है का ससमय मरम्मत/संधारण के साथ–साथ आयु वृद्धि/रख–रखाव का कार्य शुरू करना चाहिए। वर्ष 2009–10 को समाप्त होने वाली पाँच वर्षीय अवधि के दौरान ऐसी ऊर्जा शक्ति उत्पादन इकाईयाँ जिनका पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण/आयु विस्तार कार्यक्रमों (सी.ई.ए. मानकों के अनुसार) देय था एवं साथ ही साथ वास्तव में कितना हुआ, इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रम सं0	संयत्र का नाम	इकाई सं0.	स्थापित क्षमता	नियत तिथि (सी.ई.ए. मानकों के अनुसार)	तिथि जिस दिन कार्य शुरू किया गया
1	ब.वा.श.प्र.	4th	50 मे. वा.	1989	पु. एवं आ./आ. वि. का कार्य शुरू नहीं हुआ (अप्रैल 1996 से बंद)
2	–वही–	5th	50 मे. वा.	1991	पु. एवं आ./आ. वि. का कार्य शुरू नहीं हुआ (मार्च 1995 से बंद)
3	–वही–	6th	110 मे. वा.	2003	मार्च 2006–नवम्बर 2007 (केवल पुनरूद्धार कार्य)
4	–वही–	7th	110 मे. वा.	2005	कार्य प्रगति में है (नवम्बर 2010)

पु. एवं आ./आ. वि. कार्य के निर्धारित समय पर निष्पादन नही होनें के कारण वा. श. प्र. के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा एवं फलस्वरूप 50 मे. वा. की दो इकाईयाँ आर्थिक रूप से अव्यवहार्य घोषित कर दी गई।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि चार इकाईयाँ जिनका पुनरूद्धार एवं आधुनीकीकरण/आयु विस्तार कार्यक्रम देय था, उसके विरूद्ध किसी भी इकाई में कार्य निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया गया जिसका कारण पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त प्रबधन नियंत्रण आदि था।

ब.वा.श.प्र. की इकाई सं0 4 एवं 5 पुर्नसज्जीकरण कार्य के कारण 1995-96 से ही बंद था। 12 वर्षो के विलम्ब के बाद, बोर्ड सी.ई.ए. के पास जून 2008 में इन इकाईयों के पु. एवं आ. हेतु सम्पर्क किया। सी.ई.ए. ने निष्कर्षित किया (अगस्त 2008) कि इन इकाईयों का पु. एवं आ./आ. वि. का अब तकनीकी–सह–आर्थिक व्यवहार संभव नहीं है चूंकि ये इकाईंयाँ काफी पुराने है तथा लम्बे समय से बंद हैं। 11वें पंचवर्षीय योजना में सी.ई.ए. ने इन इकाईयों को 2011–12 तक सेवानिवृत्ति के लिए चिह्नित किया तथा ऊर्जा मंत्रालय के परियोजना प्रबोधन कक्ष ने यह निर्णय (अक्टूबर 2009) लिया कि ब.वा.श.प्र. की वर्तमान 2x250 मे. वा. इकाईयों (सं0 4 एवं 5) को 1x250 मे. वा. इकाई में बदल दिया जाए एवं जिसके लिए विश्व बैंक से मदद लिया जाए।

मरम्मत/रख–रखाव एवं आयु विस्तार कार्यक्रमों से सम्बन्धित विस्तृत प्रेक्षण अनुवर्ती अनुच्छेदों में विचारित किया गया है।

3.9 परियोजना प्रबंधन

परियोजना प्रबंधन में समय पर भूमि का अधिग्रहण समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृति पाना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि समीक्षा अवधि के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में

समन्वय प्रणाली के अभाव के कारण समय एवं लागत वृद्धि पाया गया जिसकी परिचर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

नीचे दी गई तालिका ऊर्जा शक्ति प्रतिष्ठानों के पूर्णता की निर्धारित एवं वास्तविक तिथियाँ, संचरण आरम्भ करने की तिथि, ऊर्जा शक्ति प्रतिष्ठानों के प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय वृद्धि को इंगित करती है।

समय वृद्धि

(महीनों में)

कम्पनी की सात ल. ज.वि.प. के सम्बन्ध में 6 से 71 महीनों के परास समय वृद्धि के कारण ₹ 43.46 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

क्रम सं0	इकाई का चरणबद्ध नाम	विवरण	डी. पी. आर. के अनुसार	वास्तविक समय	समय वृद्धि
1.	अग्नूर ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (जनवरी 2006)	18	79	61
		संचरण के शुरू होने की तिथि (अगस्त 2006)	15	86	71
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (अगस्त 2006)	18	86	68
2.	ढ़ेलाबाग ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (अगस्त 2006)	24	49	25
		संचरण शुरू होने की तिथि (अगस्त 2006)	15	49	34
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (अगस्त 2006)	24	49	25
3.	नासरीगंज ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (जून 2007)	24	60	36
		संचरण के शुरू होने की तिथि (अगस्त 2007)	15	62	47
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (अगस्त 2007)	24	62	38
4.	जयनगर ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (दिसम्बर 2008)	24	30	6
		संचरण के शुरू होने की तिथि (जनवरी 2009)	15	31	16
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (जनवरी 2009)	24	31	7
5.	त्रिवेणी ल.ज.वि.प. (2*1.5 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (फरवरी 2009)	48	87	39
		संचरण के शुरू होने की तिथि (फरवरी 2009)	39	87	48
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (फरवरी 2009)	48	87	39

6.	शिरखिण्डा ल.ज.वि.प. (2*0.35 मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (अगस्त 2009)	24	50	26
		संचरण के शुरू होने की तिथि (सितम्बर 2009)	15	51	36
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (सितम्बर 2009)	24	51	27
7.	सेवारी ल.ज.वि.प. (2*0.5मे. वा.)	इकाई के पूर्ण होने की तिथि (फरवरी 2010)	24	59	35
		संचरण के शुरू होने की तिथि (जनवरी 2010)	15	-	48
		व्यवसायिक प्रचालन/इकाई के आरम्भ होने की तिथि (अभी तक किया जाना है)	24	-	49 (नवम्बर 2010 तक)

उपर्युक्त के अध्ययन से यह पता चलता है कि समीक्षा अवधि में कम्पनी द्वारा क्रियान्वित सात परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना नियत समय में पूर्ण नहीं हुआ था और यह विलम्ब 6 से 71 महीनों के परास था। लेखापरीक्षा में चयनित इकाईयों के नियत समय से पूरा नहीं होने के कारणों की विश्लेषण में पाया गया कि क्रियान्वयन के विविध चरणों में इन विलम्बो को टाला जा सकता था और ये निम्नवत थे :

- भूमि अधिग्रहण (अग्नूर ल.ज.वि.प. एवं त्रिवेणी ल.ज.वि.प.) एवं चयनित स्थल के सौपें जाने में विलम्ब;
- विविध निरूपणों (अग्नूर ल.ज.वि.प.) के अनुमोदन में विलम्ब;
- विद्युत शक्ति के निष्कासन के लिए संचरण लाइनों (अग्नूर ल.ज.वि.प. एवं सेवारी ल.ज.वि.प.) के पूर्ण होने में विलम्ब;
- उपकरणों की आपूर्ति में संवेदक द्वारा विलम्ब (त्रिवेणी ल.ज.वि.प.)

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2010) कि अग्नूर एवं त्रिवेणी ल.ज.वि.प. के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समय वृद्धि नहीं था, बल्कि यह नियत समय के पूर्व प्रारम्भ हो गया था। तथापि, यह हमें उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के तथ्यों एवं आँकड़ों के विरूद्ध है।

विविध परियोजनाओं के सम्बंध में किये गये कुछ मामलों के अध्ययन में पायी गयी व्यक्तिगत अनियमितताएँ निम्नवत हैः–

विद्युत शक्ति के निष्कासन हेतु संचरण लाइन के पूर्ण होने में विलम्ब

सेवारी ल.ज.वि.प. के सम्बन्ध में संचरण लाइन के पूर्ण होनें में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹ 1.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

यद्यपि, सेवारी लज.वि.प. की इकाईयाँ फरवरी 2010 में पूर्ण हो गई थी, निष्कासन सुविधाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण परियोजना अब तक शुरू नहीं हुई थी (नवम्बर 2010)। इसके फलस्वरूप फरवरी 2010 से नवम्बर 2010 (10 महीनें) की अवधि में ₹ 1.14 करोड़ मूल्य के 4.84 मि.यू. शक्ति के उत्पादन की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2010) कि यद्यपि परियोजना 2009 के अन्त तक पूर्ण हो गयी थी फिर भी उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि नहर को मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया था।

समाप्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने मे विलम्ब

न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा सात[19] लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिये ₹ 10.27 करोड़ अर्थसाहाय्य की स्वीकृति दी गई (अक्टूबर 2004 और मार्च 2007) और उसके अनुसार ₹ 7.70 करोड़ दिया गया। यद्यपि सातों परियोजनाएँ प्रारम्भ हो गयी है तथापि समाप्ति प्रतिवेदन नहीं जमा करने के कारण अन्तिम किस्त की राशि ₹ 2.57 करोड़ यानि स्वीकृत अर्थसाहाय्य राशि का 25 प्रतिशत अभी तक अप्राप्य था (नवम्बर 2010)। इन परियोजनाओं में से एक परियोजना ढ़ेलाबाग ल.ज.वि.प. का कार्य अगस्त 2006 में पूरा हो गया था। हमने प्रेक्षित किया कि यद्यपि परियोजनाएँ पूरी हो गयी थी तथापि संवेदकों के अन्तिम विपत्रों का निपटान नहीं हुआ था। आगे यह भी देखा गया कि ये परियोजनाएँ स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग भार पर नहीं चली तथा न ही इनका परीक्षण किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2010) कि अर्थसाहाय्य के 25 प्रतिशत की राशि का दावा तभी किया जायेगा जब वैकल्पिक जल विद्युत निगम (ए.एच.ई.सी.), आई.आई.टी., रूड़की इन परियोजनाओं के सम्बंध में अपना निष्पादन प्रतिवेदन समर्पित करेगी। ए.एच.ई.सी. को आवश्यक ढाँचा का निर्माण करने के बाद इनका परीक्षण करना है। लेकिन परामर्शी संस्था अपने ढाँचाओं की रूपरेखा ही बदल रही है, जिसके कारण परीक्षण नहीं किया गया था।

परियोजनाओं के पूर्ण होने के समय में वृद्धि के कारण डी.पी.आर. की अनुमानित लागत से ₹ 43.46 करोड़ की लागत वृद्धि हो गई, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन की लागत विचार किए गए 96 पैसे से 162 पैसे प्रति इकाई बढ़ गई और प्रति मे.वा. लागत 2005–06 में ₹ 4.91 करोड़ से 2009–10 में ₹ 8.97 करोड़ बढ़ गई।

विभिन्न चरणों के अन्तर्गत निष्पादित ऊर्जा शक्ति प्रतिष्ठानों की अनुमानित लागत, वास्तविक लागत, मूल्य वृद्धि और लागत में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा निम्न है।

लागत वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	चरणबद्ध इकाई का नाम	डी.पी.आर. के अनुसार अनुमानित लागत	लागत जिस पर कार्य दिया गया	31 मार्च 2010 तक वास्तविक लागत	अनुमान से ऊपर एवं अधिक व्यय	डी.पी.आर. की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)–(3)	(7)
1.	अग्नूर ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	2.47	7.97	19.60	17.13	693.52
2.	ढ़ेलाबाग ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	6.87	6.70	11.33	4.46	64.92
3.	नासरीगंज ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	5.44	5.68	9.94	4.50	82.72
4.	जयनगर ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	5.31	5.30	9.45	4.14	77.97

[19] नासरीगंज, त्रिवेणी, ढ़ेलाबाग, जयनगर, शिरखिण्डा, सेवारी और अरवल में ल.ज.वि.प.।

5.	त्रिवेणी ल.ज.वि.प. (2*1.5मे. वा.)	9.15	13.47	19.38	10.23	111.80
6.	शिरखिण्डा ल.ज.वि.प. (2*0.35 मे. वा.)	4.87	4.97	6.51	1.64	33.68
7.	सेवारी ल.ज.वि.प. (2*0.5 मे. वा.)	5.68	5.64	7.04	1.36	23.94
	कुल	39.79	49.73	83.25	43.46	

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि में कम्पनी द्वारा सात क्रियान्वित परियोजनाओं में लागत वृद्धि परियोजनाओं के प्राक्कलित लागत के 23.94 प्रतिशत से 693.52 प्रतिशत के परास में था। लेखापरीक्षा में चयनित इकाईयों के सन्दर्भ में हमलोगों द्वारा विश्लेषित लागत वृद्धि के कारण निम्नवत हैं:–

- ऊर्जा प्रतिष्ठान के आरेखण योजना का अंतिमीकरण नहीं होना, व्यक्तिगत जमीन का अधिग्रहण नहीं होना, आरेखण की स्वीकृति में देरी, विद्युत शक्ति के निष्कासन के लिए संचरण लाइन के बनने में विलम्ब के कारण ₹ 17.13 करोड़ की लागत वृद्धि (अग्नूर ल.ज.वि.प.);
- विभिन्न पैकेजों के पूर्णता पर प्रभावी नियंत्रण में कमी (त्रिवेणी ल.ज.वि.प.);
- आगत के अत्यधिक उपयोग के कारण ₹ 3.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (नासरीगंज, सेवारी और शिरखिण्डा ल.ज.वि.प.);
- डी.पी.आर. में विचारित नहीं किये गए अतिरिक्त कार्यो के मद में ₹ 1.27 करोड़ की राशि व्यय किया गया (सेवारी ल.ज.वि.प. और शिरखिण्डा ल.ज.वि.प.)।

तथापि प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2010) कि लागत वृद्धि पुर्नरीक्षित लागत के 10 प्रतिशत के अनुमत्य सीमा के अन्दर था। फिर भी, डी.पी.आर. से परे लागत में हुई वृद्धि के कारण उत्पादन की प्रति इकाई और प्रति मेगावाट लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिससे परियोजना के नियोजन के समय विचारित परियोजना के आर्थिक व्यवहार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा।

मार्च 2010 को समाप्त हुए पाँच वर्षो में नाबार्ड द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाओं के सम्बंध में व्यक्तिगत अनियमितताओं के पाँच मामलों के अध्ययन का विवरण **परिशिष्ट–15** में दिया गया है।

3.10 संविदा प्रबंधन

संविदा प्रबंधन किसी संविदा (निविदा आमंत्रण एवं कार्य देने सहित) का दक्षतापूर्ण तरीके से प्रबंधित एवं कार्य को प्रभावी एवं मितव्ययी तरीके से निष्पादन कराने की प्रक्रिया है। सामान्यतः कार्य टर्न–की आधार (संयुक्त रूप से) पर एक पक्ष को दी जाती है जिसमें असैनिक निर्माण, मशीनरी की आपूर्ति एवं सहायक कार्य सम्मिलित होती है। वर्तमान समीक्षा के दौरान पूर्ण हुये परियोजनाओं की संविदा प्रबंधन से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियाँ भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार के बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के परियोजना क्रियान्वयन एवं उत्पादन निष्पादन की निष्पादन समीक्षा में पहले ही दर्शायी जा चुकी है। समीक्षा की अवधि में कम्पनी के ₹ 36.38 करोड़ की लागत से 21 संविदाएँ कार्यान्वित की गई थी। अनुबंध असैनिक कार्यों एवं विविध कार्यो से सम्बंधित था। ₹ 9.01 करोड़ की तीन संविदाओं की संवीक्षा लेखापरीक्षा में की गई थी।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिया गया है:–

निविदा को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब

डेहरा ल.ज.वि.प. (2*500 के.डब्ल्यू.) और सिपाहा ल.ज.वि.प. (2*500 के.डब्ल्यू.) के निष्पादन के लिए प्राक्कलित व्यय ₹ 5.83 करोड़ तथा ₹ 5.43 करोड़ था जिनमें से क्रमशः ₹ 4.10 करोड़ और ₹ 3.81 करोड़ की निधि की स्वीकृति (मई 2003) ग्रामीण ढाँचा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)–VIII के अन्तर्गत नाबार्ड के द्वारा दी गई थी। दोनों परियोजनाएँ मार्च 2005 तक पूरी हो जानी थी। फिर भी, हमने प्रेक्षित किया कि डेहरा ल.ज.वि.प. के लिए आशय पत्र मई 2006 में 36 महीनों के विलम्ब के पश्चात निर्गत किया गया। लेकिन, मूल्य परिवर्तन मुद्दे पर विवाद के कारण इसे रद्द (मार्च 2007) कर दिया गया और नया अनुबंध (मार्च 2010) ₹ 6.18 करोड़ के लागत पर किया गया। इस तरह कार्य को प्रदान करने को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण कम्पनी स्वीकृत निधि का लाभ उठाने में विफल रही। सिपाहा ल.ज.वि.प. के साथ भी यही स्थिति थी जहाँ फरवरी 2010 में ₹ 6.97 करोड़ के लागत पर अंतिम अनुबंध किया गया था और जिसके लिए आशय पत्र मई 2006 में निर्गत हुआ था।

इस प्रकार निधियों की उपलब्धता के बावजूद निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण न केवल दोनों परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ बल्कि परियोजना के व्यय में भी प्रारंभिक व्यय से ₹ 1.89 करोड़ की वृद्धि हुई । उपर्युक्त परियोजनाओं के निष्पादन में कम्पनी की विफलता के कारण राज्य 2 मे. वा. ऊर्जा शक्ति के क्षमता वृद्धि एवं 8.76 मि. यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन से वंचित रह गया।

कम्पनी ने जनवरी 2009 में उसी परियोजना के लिए निष्पादन की स्वीकृति आर.आई. डी.एफ.-XIV के अंतर्गत नाबार्ड से माँगी थी, किन्तु इसे मंजूरी नहीं मिली। आगे, आर. आई.डी.एफ.-XV के तहत कथित परियोजना की स्वीकृति के लिए कम्पनी द्वारा नाबार्ड को एक नया प्रस्ताव दिया गया (अप्रैल 2009) किन्तु उसकी स्वीकृति अभी भी मंजूर किया जाना बाकी है (नवम्बर 2010)।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2010) कि दोनों अभिकरणों ने, जिन्हें आशय पत्र (एल.ओ.आई.) उक्त दोनों ल.ज.वि.प. के लिए निर्गत किये गये थे, कार्य करने से इंकार कर दिया। इस परिस्थिति में उक्त कथित आश्य पत्र (एल.ओ.आई.) रद्द करना पड़ा। तथापि हमने प्रेक्षण किया कि संविदा की अस्वीकृति हेतु दण्ड धारा के अभाव और नये निविदा को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना के निष्पादन में असामान्य रूप से देर हुई जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई।

कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब (पहरमा ल.ज.वि.प. - 2*0.5 मे. वा.)

उक्त परियोजना के अनुमानित व्यय ₹ 5.55 करोड़ पर निष्पादन के लिए कम्पनी ने निविदा आमंत्रित किया (अप्रैल 2001) और आशय पत्र (एल.ओ.आई.) 3 वर्ष बाद अभिकरण को निर्गत किया (जून 2004)। इस अभिकरण ने काम करने से इंकार कर दिया (सितंबर 2005) क्योंकि आशय पत्र में लागत वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कम्पनी ने पुनः निविदा चार महीनों के विलम्ब के बाद आमंत्रित किया (फरवरी 2006) और दूसरे अभिकरण को नवम्बर 2006 में काम करने के लिए दे दिया। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में 5 वर्षो से अधिक विलम्ब हुआ जिसका कारण मुख्यतः प्रबंधन द्वारा निम्नस्तरीय निर्णय था। निविदा को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण परियोजना का लागत ₹ 5.17 करोड़[20] से बढ़ गया।

20 पुनर्रीक्षित लागत (अप्रैल 2007) ₹ 10.72 करोड़–वास्तविक अनुमानित लागत ₹ 5.55 करोड़

प्रबंधन ने अपने जवाब में (सितंबर 2010) यह स्वीकार किया कि कार्य अधिनिर्णय करने में उसके सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद वह सफल नहीं हो सकी क्योंकि कुछ कार्य–कारक उसके नियंत्रण के बाहर थे।

3.11 परिचालन निष्पादन

कम्पनी के उत्पादन का परिचालन उसकी आगत क्षमता पर निर्भर करता है जिसमें सामग्रियों और मानवशक्ति दोनों होते हैं तथा उत्पादन क्षमता से संबंधित प्लांट लोड फैक्टर, संयंत्र उपलब्धता, क्षमता का उपयोग, निष्क्रियता (आउटेज) एवं अतिरिक्त खपत पर भी परिचालन निर्भर रहता है। इन पहलुओं की परिचर्चा नीचे की गई है।

आगत क्षमता

कोयला की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों की संयंत्र क्षमता, औसत प्लांट लोड फैक्टर एवं पिछले निष्पादन पर विचार करते हुए उसके उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। बोर्ड ऐसे निर्धारित लक्ष्य के आधार पर और पूर्व में कोयले की खपत के अनुसार कोयले की आवश्यकता का आकलन करता है। यथा आकलित कोयले की आवश्यकता की सूचना ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के स्थायी संयोजन समिति (एस. एल. सी.) को सूचना दे दी जाती और जो वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों को तिमाही आधार पर आपूर्ति किए जाने वाले कोयले के स्त्रोत एवं मात्रा पर निर्णय लेती है। एस. एल. सी. द्वारा अनुमोदित कड़ी स्त्रोत के आधार पर बोर्ड कोलियरी के साथ कोयले की आपूर्ति के लिए अनुबंध करता है। तथापि भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में कोयले वितरण की नई नीति की अधिसूचना जारी की और अप्रैल 2009 के प्रभाव से कड़ी (लिंकेज) के शासन के स्थान पर प्रतिष्ठान ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) अपना ली। तद्नुसार, प्रति वर्ष 340000 मि.ट. कोयला आपूर्ति हेतु पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड, बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल और बि.रा.वि.बो. के बीच प्रतिष्ठान ईंधन आपूर्ति अनुबंध, जो अप्रैल 2009 से प्रभावी था, 6 नवम्बर 2009 को किया गया।

ब.वा.श.प्र. की निर्धारित कोयला कड़ी एवं कोयला प्राप्ति की वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक की स्थिति इस प्रकार हैः–

विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
निर्धारित कोयला कड़ी एफ.एस.ए. (मि.ट.)	330000	420000	330000	375000	340000
प्राप्त कोयले की मात्रा (मि.ट.)	160876	46183	142335	67075	291903
प्राप्त कोयले में कमी (मि.ट.)	169124	373817	187665	307925	48097

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005–09 में एस. एल. सी. द्वारा तय किए गए कोयले की समस्त कड़ी 14.55 लाख मि.ट. थी जिसके विरूद्ध केवल 4.16 लाख मि.ट. कोयला प्राप्त किया गया जिसके फलस्वरूप 10.39 लाख मि.ट. कोयले की अल्प प्राप्ति हुई। यह देखा गया कि ऐसा मार्च 2006 से नवम्बर 2007 (पुनरूद्धार कार्य हेतु) तक यूनिट सं0 6 के बंद रहने तथा 2007–08 के बाद यूनिट सं0 7 के बंद रहने के कारण हुआ। अतः ब.वा.श.प्र. एस. एल. सी. द्वारा तय किए गए कोयला कड़ी का भी उपयोग नहीं कर सका।

अपर्याप्त ईंधन भंडारण के कारण बोर्ड को वर्ष 2009–10 में ₹ 30.75 करोड़ के उत्पादन राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2009–10 से एफ.एस.ए. लागू हो गया। तथापि, प्रबंधन 2009–10 में कोयले की अनुबंधित मात्रा (340000 मि.ट.) को प्राप्त नहीं कर सकी। हमने प्रेक्षित किया कि अपर्याप्त ईंधन भंडारण के कारण ब.वा.श.प्र. की इकाई सं0 6 वर्ष 2009–10 में 966 घंटे (करीब 40 दिन) तक बंद रही जिसके फलस्वरूप ₹ 30.75 करोड़ के मूल्य के 101.50 मि.यू. के उत्पादन की क्षति हुई जिसे प्रबंधन द्वारा प्रथम दृष्टया नियंत्रित किया जा सकता था।

कोयले की गुणवत्ता

बोर्ड ने ₹ 6.29 करोड़ का भुगतान 0.43 लाख मि. ट. घटिया/निम्न कोटिविहीन कोयला को प्राप्त करने के लिए किया जिसे टाला जा सकता था।

प्रत्येक थर्मल स्टेशन का रूपांकण खास प्रकार के कोयले के उपयोग हेतु किया जाता है। विचारे हुए गुणवत्ता के कोयले का उपयोग, ऊर्जा शक्ति उत्पादन का समुचितकरण एवं उत्पादन लागत का किफायतीकरण करती है। हमने प्रेक्षित किया कि कोयलियरी से प्राप्त कोयले की गुणवत्ता हमेशा थर्मल पावर स्टेशन के आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट कोटि का नहीं होता था और यह घटिया अथवा कोटिविहीन होता था। वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान ब.वा.श.प्र. ने कुल प्राप्त किये गए 7.08 लाख मि.ट. कोयले में से 0.43 लाख मि.ट. घटिया/कोटिविहीन कोयला प्राप्त किया और जिसके लिए भुगतान घोषित/भारित कोटि के अनुसार किया गया। इसके फलस्वरूप कोयलियरीयों को ₹ 6.29 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ। बोर्ड ने कोयले की कोटि के अन्तर को लेकर किसी राशि का दावा नहीं किया क्योंकि ऐसे दावे को लेकर कोई अनुबंध नहीं हुआ था।

ईंधन की खपत

कोयले की अत्यधिक खपत

कोयले की खपत उसके कैलोरिफिक मूल्य पर निर्भर करती है। उच्चतम एवं न्यूनतम कोयले की खपत की तुलना में राज्य में विद्युत की एक इकाई के उत्पादन हेतु विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए तथा वर्ष 2009–10 को समाप्त पाँच वर्षो की अवधि के दौरान कोयले की न्यूनतम/अधिकतम खपत के लिए परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित मानकों को निम्न तालिका में चित्रित किया गया है:–

(कि. ग्रा. में)

स्टेशन का नाम	परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित मानक	वर्ष के दौरान औसत न्यूनतम खपत	वर्ष के दौरान औसत अधिकतम खपत
ब.वा.श.प्र. इकाई सं0 6	0.519	0.954 (2008–09)	1.100 (2005–06)
ब.वा.श.प्र. इकाई सं0 7	0.519	0.954 (2005–06)	1.100 (2006–07)

(कोष्ठ में दिए आँकड़े उन वर्षो को इंगित करते है जिसमें न्यूनतम/अधिकतम खपत हुआ था।)

निम्न यू. एच. भी. कोयले की प्राप्ति एवं व.श.प्र.के उच्च ताप दर के कारण 2005–10 के दौरान कोयले की अत्यधिक खपत पर बोर्ड ने ₹ 48.71 करोड़ का व्यय किया।

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि के दौरान दोनों इकाईयों में खपत मानक से अधिक रहीं। समीक्षा अवधि के दौरान मानक से अधिक खपत 3.17 लाख मि. ट. कोयले की अधिक खपत में फलित हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट–16** में दिया गया है। इस तरह कम कैलोरिफिक मूल्य ने भी अधिक खपत में अंशदान किया जिसे प्रथम दृष्टया प्रबंध के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में कोयले की इस अधिक खपत का मूल्य ₹ 48.71 करोड़ निकाला गया जिसे **परिशिष्ट–16** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि 3.17 लाख मि. ट. की कुल अधिक खपत में से 2.37 लाख मि. ट. अधिक ताप के कारण

तथा शेष 0.80 लाख मि. ट. कोयला का कम उपयोगी ताप मूल्य (यू.एच.भी.) के होने के कारण था ।

3.12 मानवशक्ति प्रबंधन

सी. ई. ए. ने जल विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में 10वीं और 11वीं योजना में मानवशक्ति प्रति मे.वा. क्रमशः 1.79 (1.53 तकनीकी और 0.26 गैर तकनीकी कर्मचारी) और 1.61 (1.38 तकनीकी तथा 0.23 गैर तकनीकी कर्मचारी) का मानक निर्धारित किया है। कम्पनी के सन्दर्भ में वास्तविक मानवशक्ति, स्वीकृत बल एवं सी.ई.ए. मानकों के अनुसार मानवशक्ति की स्थिति नीचे दी गई है:–

हाईडल

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	स्वीकृत बल	457	457	457	457	457
2.	सी. ई. ए. मानक के अनुसार मानवशक्ति	79	83	76	83	85
3.	वास्तविक मानवशक्ति	134	124	118	116	107
4.	सी. ई. ए. मानक से अधिक मानवशक्ति	55	41	42	33	22
5.	वेतन पर व्यय(₹ लाख में)	200.00	220.00	249.00	280.00	365.00
6.	सी. ई. ए. मानक के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में) [(5/3)X4]	82.09	72.74	88.63	79.65	75.05
7.	प्रति कर्मचारी वेतन पर औसत व्यय (₹ लाख में)	1.49	1.77	2.11	2.41	3.41

अतिरिक्त मानवशक्ति के कारण कम्पनी को वर्ष 2005–10 के दौरान ₹ 3.98 करोड़ अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि कम्पनी की वास्तविक मानवशक्ति स्वीकृत संख्या से घटी है, लेकिन सी. ई. ए. मानक से अधिक है। समीक्षा अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी के वेतन पर किया गया व्यय ₹ 1.49 लाख से ₹ 3.41 लाख बढ़ गया था जो 128.85 प्रतिशत था और ऐसा मुख्यतः छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन के पुनर्रीक्षण के कारण था। सी. ई. ए. मानक की तुलना में अधिक मानवशक्ति के कारण ₹ 3.98 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

थर्मल (ब.वा.श.प्र.)

ब.वा.श.प्र. के सन्दर्भ में वास्तविक मानवशक्ति, स्वीकृत बल एवं सी.ई.ए. मानकों के अनुसार मानवशक्ति की स्थिति नीचे दी गई है:–

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	स्वीकृत बल	921	921	921	921	921
2.	सी. ई. ए. मानक के अनुसार मानवशक्ति	564	564	506	506	506
3.	वास्तविक मानवशक्ति	729	777	643	635	586
4.	वेतन पर व्यय (₹ करोड़ में)	16.43	17.71	19.82	21.72	30.46
5.	प्रति कर्मचारी वेतन पर औसत व्यय (₹ लाख में)	2.25	2.28	3.08	3.42	5.20

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि में वास्तविक मानवशक्ति 729 से घटकर 586 हो गई लेकिन स्वीकृत संख्या नियमित नहीं की गई थी और न कर्मचारियों का कहीं स्थानान्तरण ही हुआ यद्यपि 2006–07 से 2009–10 तक 320 मे. वा. वाली स्थापित क्षमता के विरूद्ध एकमात्र 110 मे. वा. वाली इकाई परिचालित थी।

अत्यधिक मानवशक्ति होने के बावजूद ब.वा.श.प्र. घरेलू रखाव, कोयले के हस्त संयत्र की सफाई, कंडेन्सर की सफाई आदि जैसे नियमित कार्य को करने के लिए नियमित रूप से अस्थाई/संविदा पर कर्मचारियों की बहाली कर रहा था। 2005–10 के दौरान उत्पादन स्टेशन ने ऐसे कार्यो को करने के लिए औसतन 208 अस्थाई कर्मचारियों को रखा था जिसके कारण ₹ 2.94 करोड़ व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त ओवर टाइम नियमित रूप से नियमित कर्मचारी को भुगतान किया जाता था। इसके विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2005–10 में वार्षिक ओवर टाइम का भुगतान 45900 से 56850 घंटों के बीच रहा जोकि 5737 से 7106 कर्मचारियों के कर्तव्य घंटों के बराबर था। समीक्षा अवधि में ब.वा.श.प्र. द्वारा भुगतान किये गये ओवर टाइम के पारिश्रमिक का हिसाब ₹ 3.61 करोड़ होता है। फिर भी कर्मचारी की संख्या को न्यायसंगत बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा कर्मचारियों के समुचित उपयोग हेतु कोई उपाय नहीं खोजा गया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2010) कि उत्पादन के अलावे स्विचयार्ड के विद्युत नियंत्रण संबंधी कार्य एवं इसके फीडर के रख–रखाव के कार्य विद्यमान मानवशक्ति से ही कराया जाता है।

3.13 निर्गत दक्षता

उत्पादन में कमी

वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक थर्मल एवं हाईडल पावर के उत्पादन में कमी और लक्ष्य को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:–

वर्ष	थर्मल			हाईडल		
	लक्ष्य (मि. यू.)	वास्तविक (मि. यू.)	कमी (मि. यू.)	लक्ष्य (मि. यू.)	वास्तविक (मि. यू.)	कमी (मि. यू.)
2005–06	418	120.95	297.05	65.00	72.75	–7.75
2006–07	210	37.25	172.75	63.50	68.61	–5.11
2007–08	315	132.75	182.25	72.75	61.48	11.27
2008–09	310	102.94	207.06	69.53	60.37	9.16
2009–10	360	264.71	95.29	71.00	34.66	36.34
कुल	1613	658.60	954.40	341.78	297.87	43.91

थर्मल

प्रत्येक वर्ष हेतु थर्मल पावर के उत्पादन का लक्ष्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) द्वारा नियत किया जाता है। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि ब.वा.श.प्र. वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक निर्धारित 1613 मि.यू. के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 658.60 मि. यू. की ऊर्जा उत्पादित करने में सक्षम था। फलतः 954.40 मि. यू. की शुद्ध कमी हुई। प्रबंधन ने कहा कि स्थापित क्षमता के आधार पर सी. ई. ए. के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इसलिए वह इकाईयों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक नहीं थें।

हाईडल

प्रत्येक वर्ष जल विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य कम्पनी के द्वारा नियत किया जाता है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) द्वारा अनुमोदन किया जाता है। यह प्रेक्षित किया गया कि कम्पनी वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 341.78 मि. यू. के विरूद्ध कुल 297.87 मि. यू. विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम था। फलतः 43.91 मि. यू. की शुद्ध कमी हुई।

उत्पादन में कमी के मुख्य कारण नहरों में जल की अनुपलब्धता और जिसपर हाईडल इकाई स्थित थे, विद्युत थिरकन इत्यादि थे। 2009–10 में वास्तविक उत्पादन विशेषकर कोशी और गंडक नहर की पुनरूद्धार एवं दृढ़ीकरण के कारण कम था।

उत्पादित होनेवाली ऊर्जा रूपांकण के अनुसार, वास्तविक उत्पादन, प्लांट लोड फैक्टर (पी. एल. एफ.) रूपांकण के अनुसार तथा मार्च 2010 तक अधिकृत ऊर्जा शक्ति परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक प्लांट लोड फैक्टर का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट–17*** एवं ***18*** में दिया गया है।

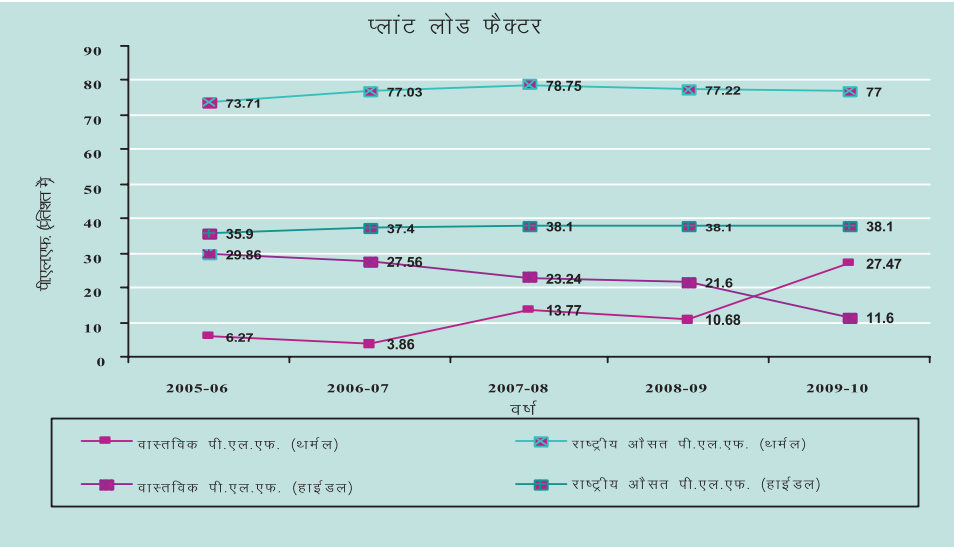
परिशिष्ट–17 एवं 18 के विवरण यह इंगित करते है कि:

- 2009–2010 तक पाँच वर्षों के दौरान उत्पादित किये जाने वाली ऊर्जा एवं रूपांकननुसार पी. एल. एफ. से वास्तविक उत्पादन तथा वास्तविक पी. एल. एफ. काफी कम था।
- 2009–10 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के थर्मल एवं जल विद्युत शक्ति के सन्दर्भ में कुल रूपांकित 5781.60 मि.यू. के उत्पादन एवं 1321.36 मि.यू. की ऊर्जा शक्ति के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन क्रमशः 658.60 मि.यू. एवं 297.87 मि.यू. था जिससे 6146.49 मि.यू. की कमी हुई।

निम्न प्लांट लोड फैक्टर (पी. एल. एफ.)

थर्मल

प्लांट लोड फैक्टर (पी. एल. एफ.) उस अनुपात को इंगित करता है, जो वास्तविक उत्पादन तथा प्रतिष्ठापित क्षमता पर उच्चतम संभव उत्पादन के बीच होता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार थर्मल पावर उत्पादन स्टेशन के लिए पी. एल. एफ. 80 प्रतिशत होने चाहिए, जिसके विरूद्ध राष्ट्रीय औसत 76.74 प्रतिशत था।



मार्च 2010 को समाप्त हुए के पाँच वर्षो के दौरान ब.वा.श.प्र. का पी. एल. एफ. 3.86 से 27.47 के परास था जैसा कि ऊपर दिये गये रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

हाईडल

2005–06 से 2007–08[21] के दौरान जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिए राष्ट्रीय पी. एल. एफ. का परास 35.90 से 38.10 प्रतिशत के बीच था, जिसके विरूद्ध मार्च 2010 को समाप्त हुए के पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी का औसत पी. एल. एफ. का पतन 29.86 से 11.60 प्रतिशत हो गया, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

औसत प्रति इकाई लागत की तुलना में औसत वसूली का विवरण, प्राप्त पी. एल. एफ., राष्ट्रीय पी. एल. एफ. पर औसत वसूली, पी. एल. एफ. जिस पर औसत लागत वसूली जायेगी तथा हाईडल एवं थर्मल के सन्दर्भ में पी. एल. एफ. का प्रतिशत में अंतर नीचे सारणी में दिया गया है:–

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	औसत वसूली (पैसे प्रति इकाई)					
	हाईडल	192	198	198	180	200
	थर्मल	267	288	310	324	303
2.	औसत लागत (पैसे प्रति इकाई)					
	हाईडल	229	302	448	519	946
	थर्मल	521	1234	558	590	482
3.	वास्तविक पी. एल. एफ. (प्रतिशत)					
	हाईडल	29.86	27.56	23.24	21.60	11.60
	थर्मल	6.27	3.86	13.77	10.68	27.47
4.	राष्ट्रीय पी. एल. एफ. (प्रतिशत)					
	हाईडल	35.90	37.40	38.10	38.10	38.10
	थर्मल	73.71	77.03	78.75	77.22	77
5.	पी. एल. एफ. जिस पर औसत लागत की वसूली किया जाना है (प्रतिशत) (2/1X3)					
	हाईडल	35.61	42.04	52.58	62.28	54.87
	थर्मल	12.23	16.54	24.79	19.45	43.70
6.	अंतर (प्रतिशत में (4–3)					
	हाईडल	6.04	9.84	14.86	16.50	26.50
	थर्मल	67.44	73.17	64.98	66.54	49.53

वर्ष 2005–10 के दौरान राष्ट्रीय पी. एल. एफ. से कम पर परिचालन करने के कारण बोर्ड को 3749.09 मि. यू. के उत्पादन की क्षति हुई साथ ही बोर्ड एवं कम्पनी को इस अवधि के दौरान ₹ 39.59 करोड़ के अंशदान की क्षति हुई।

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड एवं कम्पनी के उत्पादन इकाईयों का वास्तविक पी. एल. एफ. राष्ट्रीय पी. एल. एफ. से कम था। फलस्वरूप वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान अनुमानित थर्मल ऊर्जा उत्पादन में 3749.09 मि. यू. (राष्ट्रीय पी. एल. एफ. पर) की गिरावट आयी। इसी प्रकार यह देखा गया कि 2005–06 से 2009–10 के दौरान हाइडल ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित गिरावट 203.80 मि. यू. (राष्ट्रीय औसत पी. एल. एफ. पर) हुई, जिसके फलस्वरूप ₹ 39.59 करोड़ के अंशदान की क्षति हुई।

निम्न पी. एल. एफ. के मुख्य कारण थे:–

21 वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के लिए जल विद्युत स्टेशनों के राष्ट्रीय पी. एल. एफ. के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, 2007–08 के आँकड़ों को केवल तुलना हेतु लिया गया है।

- निम्न संयंत्र उपलब्धता
- निम्न क्षमता उपयोग
- बड़े पैमाने पर काम बंदी तथा मरम्मत एवं रख–रखाव में विलम्ब
- जल विद्युत इकाई हेतु जल का निम्न निकास
- विद्युत थिरकन इत्यादि के कारण संयंत्र का बंद होना।

इनकी परिचर्चा निम्नांकित कण्डिकाओं में की गयी है।

निम्न संयंत्र उपलब्धता

संयंत्र उपलब्धता का अर्थ वास्तविक संचालित घंटे तथा किसी निश्चित अवधि के दौरान उपलब्ध उच्चतम संभव घंटे का अनुपात है। कुल उपलब्ध घंटे, कुल संचालित घंटे, योजनाबद्ध निष्क्रियता, बाध्यकारी निष्क्रियता तथा हाईडल एवं थर्मल इकाईयों के संदर्भ में सम्पूर्ण संयंत्र उपलब्धता का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	कुल उपलब्ध घंटे					
	(i) हाईडल[22]	96360	96360	96624	96360	96360
	(ii) थर्मल[23]	17520	17520	8784	8760	8760
1. अ	हाईडल इकाईयों के लिए अधिकतम संभावित घंटे[24] (1(i) का 2/3)	64240	64240	64416	64240	64240
2.	संचालित घंटे					
	(i) हाईडल	33409	32888	28260	26877	16359
	(ii) थर्मल	3809	1217	2458	1635	4917
3.	योजनाबद्ध निष्क्रियता (घंटे में)					
	(i) हाईडल	12996	22305	28945	36410	30304
	(ii) थर्मल	1565	14043	4578	13	66
4.	बाध्य निष्क्रियता (घंटे में)					
	(i) हाईडल	17835	9047	7211	953	17577
	(ii) थर्मल	12146	2260	1748	7112	3777
5.	संयत्र उपलब्धता (प्रतिशत)					
	(i) हाईडल (2(i)*100/1अ)	52.01	51.20	43.87	41.84	25.47
	(ii) थर्मल	21.74	6.95	27.98	18.66	56.13

सी. ई. आर. सी. के मानक के अनुसार 80 प्रतिशत थर्मल प्लांट की संयंत्र उपलब्धता 2004–09 के दौरान तथा 85 प्रतिशत 2010–14 के दौरान के विरूद्ध 2009–10 तक

22 चार हाईडल प्लांट को लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चुना गया (बारूण पर, डेहरी ओन सोन, कटैया तथा वाल्मिकीनगर) जिनके पास 11 चलित इकाईयाँ है (प्रत्येक इकाई हेतु सलाना 8760 घंटे उपलब्ध) को लिया गया है।

23 दो चलित इकाइयों वाले एक थर्मल प्लांट को लिया गया। 2007–10 के दौरान एक इकाई चालू नहीं थी।

24 केवल कुल उपलब्ध घंटे के 2/3 को वास्तविक उपलब्ध घंटे माना जाए जिसका कारण सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष के चार महीने नहर अवरोध करने से हुई जल की अनुपलब्धता है।

समाप्त हुए पाँच वर्षो के दौरान ब.वा.श.प्र. का औसत संयंत्र उपलब्धता का परास 6.95 से 56.13 प्रतिशत रहा।

इसी प्रकार, 2009–10 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी का औसत संयंत्र उपलब्धता का परास 25.47 से 52.01 प्रतिशत रहा।

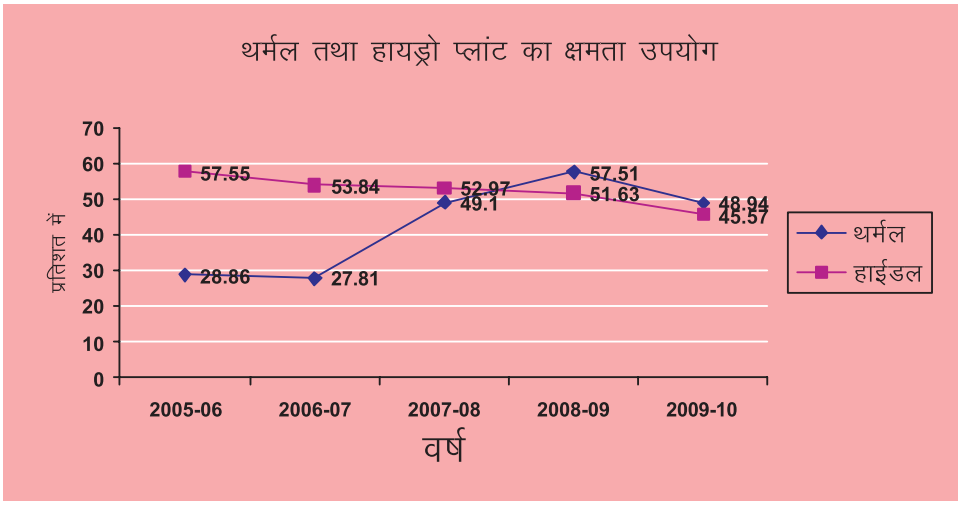
थर्मल शक्ति संयत्रों की निम्न उपलब्धता, लम्बी अवधि के लिए विद्युत निष्क्रियता के कारण होती है जिसका कारण विद्युत थिरकन, यंत्रों में खराबी, कोयले की कमी, इकाई के रख–रखाव कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण यंत्रों के प्रति उदासीनता था।

इकाई संख्या 6 की निष्क्रियता का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि यह इकाई वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान 31995 घंटों के लिए निष्क्रिय रहा जो इसके कुल उपलब्ध घंटे का 73 प्रतिशत था। इसमें 14975 घंटे (34 प्रतिशत) योजनाबद्ध विद्युत निष्क्रियता तथा 17020 घंटे (39 प्रतिशत) बाध्य निष्क्रियता था। इतनी बड़ी निष्क्रियता का कारण रख–रखाव कार्य के प्रति उदासीनता, बोआयलर तथा टर्बो जेनेरेटर कार्य (बी.टी.जी. कार्य) हेतु अधिक समय लेना तथा इकाई को चलाने हेतु अपर्याप्त ईंधन भण्डार था।

इसी प्रकार, हाईडल शक्ति संयंत्र की निम्न उपलब्धता का कारण लम्बी अवधि के लिए विद्युत निष्क्रियता थी जिसका कारण जल की अनुपलब्धता, जल का निम्न निकास, विद्युत थिरकन, यंत्र तथा महत्वपूर्ण आगत में खराबी थी।

निम्न क्षमता उपयोग

क्षमता उपयोग का अर्थ वास्तविक उत्पादन तथा परिचालन के वास्तविक घंटे के दौरान संभावित उत्पादन का अनुपात है। वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान ब.वा.श.प्र. के थर्मल प्लांट की दो इकाईयों का औसत क्षमता उपयोग तथा चार हाईडल प्लांट का क्षमता उपयोग निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है।



ऊपर दर्शाये गये रेखाचित्र में यह देखा जा सकता है कि ब.वा.श.प्र. की दो इकाईयों तथा कम्पनी के चार जल विद्युत संयंत्रों का औसत क्षमता उपयोग का परास वर्ष 2005–10 के दौरान क्रमशः 27.81 से 57.51 प्रतिशत तथा 45.57 से 57.55 प्रतिशत रहा।

2005–10 के दौरान उपलब्ध क्षमता के निम्न उपयोग का कारण जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गयाः–

- वा.श.प्र. का रूग्ण होना;
- आंशिक भार के साथ संयंत्रों का चलना;
- संचरण क्षमता में अवरोध तथा;
- हाईडल ईकाइयों हेतु योजनाबद्ध जल निकास की अनुपलब्धता इत्यादि।

आउटेज (निष्क्रियता)

आउटेज का मतलब उस अवधि से है जिस समय संयंत्र बंद रहता है ताकि योजनाबद्ध/अनिवार्य रखरखाव हो सके। हमलोगों ने योजनाबद्ध और अनिवार्य निष्क्रियता में निम्नलिखित दोषों को प्रेक्षित किया :

थर्मल

वर्ष 2005–06 में योजनाकारी निष्क्रियता के कारण बर्बाद/व्यतीत घंटों की कुल संख्या 1565 घंटे थी (इकाई सं0 6 एवं 7 के लिए) तथा वर्ष 2009–10 में 66 घंटे थी (इकाई सं0 केवल 6)। वर्ष 2005–06 एवं 2009–10 के कुल उपलब्ध घंटों में विद्युत स्टेशनों में अनिवार्य/बाध्य निष्क्रियता क्रमशः 12146 घंटे (इकाई सं0 6 एवं 7) तथा 3777 घंटे (इकाई सं0 केवल 6) रही। बाध्य निष्क्रियता 12.90 और 81.19 प्रतिशत के बीच रही जो उक्त सभी पाँच वर्षों में सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत के मानक से अधिक थी। सी.ई.ए. के मानकों का अनुपालन से समीक्षा की अवधि के दौरान संयंत्र को अतिरिक्त घंटों तक उपलब्ध कराया जा सकता था जिसके फलस्वरूप 2396.21 मि.यू. बिजली का उत्पादन होता। ऐसा मुख्यतः रखरखाव की अनुसूची का पालन नहीं करने तथा पु. एवं आ./आ.वि. कार्य के निष्पादन नहीं करने के कारण हुआ।

हाईडल

वर्ष 2005–06 में योजनाकारी निष्क्रियता के कारण नष्ट किये गये घंटों की कुल संख्या 12996 घंटे से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 30304 घंटे हो गया जो उपलब्ध कुल घंटों का क्रमशः 20.23 प्रतिशत से 47.17 प्रतिशत था। योजनाकारी निष्क्रियता का मुख्य कारण था नहरों की मरम्मत हेतु बंद रहना।

वर्ष 2005–06 में विद्युत स्टेशनों में बाध्य निष्क्रियता 17835 घंटें से घटकर वर्ष 2009–10 में 17577 घंटें हो गई जो संबंधित वर्षों में उपलब्ध कुल घंटों का 27.76 प्रतिशत से 27.36 प्रतिशत था। इस तरह 31 मार्च 2010 को अंत हुए समस्त पाँच वर्षों में बाध्य निष्क्रियता सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत के मानक से अधिक रहा। बाध्य निष्क्रियता का मुख्य कारण पानी का उपलब्ध नहीं होना, संचारण में व्यवधान होना, प्रणाली में गड़बड़ी होना जैसे बार–बार विद्युत ट्रिपींग, कोशी नदी में बाढ़ और कोशी तथा गंडक आदि नदियों में बाढ़ के कारण बहुत अधिक मिट्टी का जमा हो जाना था।

विद्युत शक्ति की अतिरिक्त खपत

थर्मल

अपने उपकरणों/यंत्रों एवं सामान्य सेवाओं को चलाने हेतु विद्युत स्टेशनों द्वारा स्वयं खपत की गई ऊर्जा को बिजली की अतिरिक्त/सहायक खपत कहते हैं। अतिरिक्त/सहायक खपत का अनुमत्य मानक प्रबंधन द्वारा उत्पादित ऊर्जा का 10 प्रतिशत है। फिर भी ऊर्जा की वास्तविक अतिरिक्त खपत वर्ष 2008–09 में 12.37

प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 28.59 प्रतिशत तक थी जिसके फलस्वरूप 39.17 मि.यू. ऊर्जा की अधिक खपत हुई जिसे ग्रिड को सम्प्रेषित नहीं किया जा सका।

हाईडल

अत्यधिक सहायक खपत के कारण बोर्ड एवं कम्पनी को 48.97 मि.यू.ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई जिसे 2005–10 के दौरान टाला जा सकता था। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक सहायक खपत के कारण कम्पनी को ₹ 1.90 करोड़ की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी. ई. आर. सी.) ने उत्पादित बिजली का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली खपत के रूप में उपयोग करने हेतु अनुमति दी थी (दिसम्बर 2009)। फिर भी विद्युत स्टेशनों की वास्तविक अतिरिक्त ऊर्जा खपत वर्ष 2005–06 में 2.43 प्रतिशत तथा वर्ष 2009–10 में 2.42 प्रतिशत के बीच था जिसके फलस्वरूप 9.80 मि.यू. ऊर्जा का अधिक खपत हुआ जिसका मूल्य ₹ 1.90 करोड़ था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2010) कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित 0.5 प्रतिशत ऊर्जा की अतिरिक्त खपत का मानक एक बड़ी परियोजना के लिए सही है। लेकिन, नहर आधारित लघु परियोजना के लिए नहरों के चार महीनों से बंद रहने के कारण यह मानक प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त नहर आधारित परियोजना ज्यादातर अशांत क्षेत्रों में स्थित है जहाँ मुहल्लों में विद्युतीकरण का लेखांकन भी अतिरिक्त खपत में होता है। तथापि यहाँ, यह कहा जा सकता है कि कम्पनी ने इस संबंध में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति याचिका दायर नहीं की है।

3.14 मरम्मत एवं रख–रखाव

कार्य उपलब्धि के समर्थन योग्य लम्बी अवधि के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आवधिक रख–रखाव की अनुसूची का अनुपालन हो। अनुसूची का अनुपालन नहीं होने के कारण उपकरणों द्वारा अधिक कोयले, ईंधन तेल की खपत का जोखिम बना रहता है जिससे बाध्य निष्क्रियता का अधिक जोखिम होता है जिसके फलस्वरूप मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्य की आवश्यकता बनी रहती है। ये कारक उपकरणें की घटती उपलब्धता के कारण शक्ति उत्पादन के लागत में वृद्धि करते हैं जिसका प्रभाव समस्त उत्पादित विद्युत शक्ति पर पड़ता है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने प्रेक्षित किया कि ब.वा.श.प्र. की इकाईयों का वार्षिक रख–रखाव नियमित रूप से नहीं किया गया था। ब.वा.श.प्र. की इकाई संख्या 6 के लिए प्रथम एवं अंतिम पूँजीगत रख–रखाव अक्टूबर 1988 से नवम्बर 1989 में किया गया। समान रूप से इकाई सं0 7 के लिए प्रथम एवं अंतिम पूँजीगत रख–रखाव जुलाई 1992 से मई 1993 में किया गया। इस प्रकार विलम्बित/अनियमित रख–रखाव के कारण उपकरणों की दशा में निरन्तर ह्रास होता गया जिसके फलस्वरूप तेल, कोयला और विद्युत शक्ति के उत्पादन में क्षति के अतिरिक्त बाध्य निष्क्रियता हुई जिसकी चर्चा आगत निष्पादन में की गई है।

जल विद्युत इकाईयों के सन्दर्भ में हमने प्रेक्षित किया कि मरम्मत एंव रख–रखाव का कार्य घरेलू कार्य में लिप्त संविदित अभिकरणों से प्रायः नियमित आधार पर कराया जा रहा था जिसके लिए अभिकरणों को पृथक कार्यादेश बिना निविदा आमंत्रित किये निर्गत किया गया था।

3.15 पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण

पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (प एवं आ) और पुनर्स्थापन संबंधी गतिविधियाँ में वा.श.प्र. की इकाईयों की समस्याओं की पहचान, प्राविधिक–आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन की

तैयारी और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी शामिल हैं जिनसे इन कार्यो से प्राप्त होने वाले लाभों को परिभाषित किया जा सके।

पु. एवं आ. गतिविधियों का उद्देश्य जातिशत दोषों, दोषपूर्ण प्रारूप एवं पुरानीकरण समस्याओं का निराकरण, उन्हें अद्यतन तकनीकों/प्रणालियों से पुनर्संज्जित, संशोंधित एवं संवर्धित करना होता है। इकाईयों के कार्यों एवं आवश्यकताओं के मूल्यांकन के पश्चात प्लांट लोड फैक्टर के 40 प्रतिशत और उससे नीचे में प्रचालित थर्मल पावर स्टेशन में पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य की जिम्मेदारी ली जाती है।

थर्मल

बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) की इकाईयों का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (पु. एवं आ.) के कार्यों में विलम्ब

बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं0 6 और 7 के शेष जीवन मूल्यांकन/पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (शे.जी.मू./पु. एवं आ.) के लिए राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के तहत योजना आयोग, भारत सरकार की अनुशंसाओं (मई, 2005) पर ₹ 187.00 करोड़ की कुल लागत का टर्न–की आधार पर मेसर्स भेल को माँग/अभिप्राय (अ.प.) प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2005)। लेकिन, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण के निष्पादन कार्य जो इसके लिए आयु विस्तार कार्यक्रम है, के स्थान पर इकाई सं0 6 का जीर्णोद्धार कार्य (संयत्र को चालू रखने हेतु अस्थाई मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य) को मार्च 2006 से नवम्बर 2007 तक पूरा किया गया तथा इकाई सं0 7 के सम्बन्ध में कार्य जून 2010 में आरम्भ किया गया और यह अभी भी जारी है (नवम्बर 2010)। इस प्रकार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य में विलम्ब होने के कारण इकाई सं0 7 के अगस्त 2006 से बंद होने/निष्क्रिय होने की वजह से उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका।

2006–07 में इकाई सं0 6 के जीर्णोद्धार करने में बोर्ड को 11817 घंटों के परिहार्य योजनाबद्ध निष्क्रियता के कारण 3.49 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन की क्षति हुई।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि इकाई सं0 6 के जीर्णोद्धार का कार्य मार्च 2006 में शुरू हुआ और यह कार्य 90 दिनों में पूरा किया जाना था (2160 घंटे)। फिर भी, यह कार्य नवम्बर 2007 में पूरा किया गया जिसके फलस्वरूप इकाई की योजनाकारी निष्क्रियता में 13977 घंटे तक की वृद्धि हुई जिनमें से 11817 घंटों को टाला जा सकता था। वर्ष 2006–07 में स्टेशन के 6.95 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता तथा 3.86 प्रतिशत के प्लांट लोड फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन में 3.49 मि.यू. की क्षति हुई।

ब.वा.श.प्र. के इकाईयों के रख–रखाव कार्य को विलम्ब से लेने का विवरण **परिशिष्ट–19** में दिया गया है।

हाईडल

ग्यारहवीं पँचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) में कम्पनी ने डेहरी ल.ज.वि.प. में (प्राक्कलित लागत ₹ 6.05 करोड़) एवं बाल्मिकीनगर ल.ज.वि.प. में (प्राक्कलित लागत ₹ 11.65 करोड़) में निकास नाला के निर्माण की और कटैया ल.ज.वि.प. (प्राक्कलित लागत ₹ 35.00 करोड़) के पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण की परिकल्पना की थी। किन्तु ये कार्य अनुसूची से पीछे थे जिसकी विवेचना नीचे की गई है:

निकास नाला का निर्माण नहीं होने के कारण विद्युत उत्पादन में क्षति

डेहरी (1993) और बाल्मिकीनगर (1995) संयंत्र न्यूनतम आवश्यक परिचालन सुविधाओं से निर्मित था। इन संयंत्रो का अन्य संयंत्रों के मुकाबले कुछ विशेषताओं के समामेलन

जैसे स्वचालित फाटक, निकास नाला[25] का निर्माण से जीवन सक्षम होने के अधिक संभाव्य थे। निकास नाला के निर्माण हेतु डी.पी.आर. में प्रावधान किया गया था जिससे कि उत्पादन के बाद ऐसे निकास नालों के रास्ते से जल नदियों को वापस भेजा जा सके। लेकिन, कम्पनी न तो अपने ही स्त्रोतों से निधि जुटा सकी और न हीं अन्य स्त्रोतों से निधि जुटा सकी।

निकास नाली के निर्माण नहीं होने के कारण बोर्ड को उत्पादन राजस्व के मद में ₹ 42.36 करोड़ की हानि हुई।

निकास नाली के निर्माण हेतु अक्टूबर 2007 एवं नवम्बर 2008 में अभिकरणों के साथ अनुबंध किया गया (मेसर्स गंडक कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि0, बगहा, पश्चिम चंपारण के साथ वाल्मिकीनगर परियोजना में निकास नाली हेतु जिसे 6 महीनों में पूरा किया जाना था और मेसर्स पुरोचन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लि0, पटना के साथ डेहरी परियोजना में निकास नाली हेतु जिसे 12 महीनों में पूरा किया जाना था), लेकिन, कार्य अभी तक पूर्ण किया जाना था (नवम्बर 2010)।

इस तरह इन परियोजनाओं में निकास नाले के निमार्ण के अभाव में ₹ 42.36 करोड़ मूल्य की 211.80 मि.यू. विद्युत शक्ति/ऊर्जा का उत्पादन मार्च 2010 को समाप्त विगत पाँच वर्षो में नहीं किया जा सका (उक्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष दो दौर में अधिकतम चार महीनों के लिए सिंचाई की माँग नहीं करने के कारण नहरों की बंदी पर विचार करते हुए)।

प्रबंधन समिति ने कहा (सितंबर 2010) कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) ने डेहरी और बाल्मिकीनगर में निकास नाले के निर्माण हेतु ऋण की स्वीकृति दी थी, लेकिन बिहार सरकार गारंटी के लिए सहमत नहीं हुई। अब इस ऋण की व्यवस्था नाबार्ड से की जा रही है।

कटैया ल.ज.वि.प. के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण में विलम्ब

कम्पनी ने फरवरी 2007 में ₹ 35.00 करोड़ के अनुमानित व्यय पर कटैया ल.ज.वि.प. के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव दिया (1970–73 में निर्मित एवं अधिकृत और जून 2003 में बि.रा.वि.बो. द्वारा हस्तांरित)। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 32.84 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया (मार्च 2007)। ग्याहरवीं योजना के अनुसार मार्च 2010 तक कार्य पूर्ण किया जाना था, लेकिन कार्य आरम्भ अभी तक किया जाना था (नवम्बर 2010)।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2010) कि उक्त कार्य के लिए निर्गत (मई 2008) अभिप्राय पत्र कोशी नदी में बाढ़ के कारण रद्द कर दिया गया। नई निविदा आमंत्रित की गई (नवम्बर 2009) और अभिप्राय पत्र निर्गत किया गया (अगस्त 2010)। अतः जवाब स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि निविदा को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसके फलस्वरूप कटैया ल.ज.वि.प. के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब हुआ है।

परिचालन एवं रख–रखाव

परिचालन एवं रख–रखाव व्यय में उत्पादन स्टेशनों के कर्मचारियों पर व्यय, मरम्मत एवं रख–रखाव भंडारण और उपभोग्य सामग्रियों को लेते हुए, का खर्च, पूँजीगत व्यय से हटकर पूँजीगत पुर्जो की खपत, सुरक्षा व्यय और प्रशासन पर व्यय इत्यादि सम्मिलित है। इस व्यय के अलावा नैगमिक व्यय को प्रत्येक उत्पादन स्टेशन पर भी भारित किया गया है तथापि इसमें ईंधन पर होने वाला व्यय शामिल नहीं हैं।

[25] निकास नाला का तात्पर्य वैसे निर्मित नाला से है जो मुख्य नहर के उपरी धारा एवं मुख्य नदी की गिरती हुई धारा से संयोजित रहता है जिससे मुख्य नहर में प्रवाह होने वाले पानी को जलविद्युत इकाईयों से गुजरते हुए मुख्य नदी में वापस निष्पादित किया जा सके।

के.वि.वि.आ. ने अपने विनियम 2009 में 200–250 मे.वा. क्षमता वाले वाष्प शक्ति इकाइयों के संबंध में प्रति मे.वा. ₹ 18.20 लाख के परिचालन एवं रख–रखाव के मानक को वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकृति दे दी है। चूँकि बोर्ड की वाष्प इकाइयाँ 110 मे.वा. की थी जो 200 मे.वा. से नीचे है, इसलिए उक्त मानक लागू नहीं होता है। फिर भी, ब.वा.श.प्र. में प्रति मे.वा. परिचालन एवं रख–रखाव का व्यय वर्ष 2005–10 के दौरान ₹ 42.64 लाख से ₹ 75.81 लाख था।

हाइड्रो जेनेरेटिंग पावर स्टेशन के संबंध में वर्ष 2009–10 के लिए प्रति मे.वा. परिचालन और रख–रखाव व्यय ₹ 38.45 लाख निर्धारित था। उपर्युक्त मानक के विरूद्ध कम्पनी द्वारा वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक प्रति मे.वा. परिचालन एवं रख–रखाव पर किया गया कुल व्यय क्रमशः ₹ 24.65 लाख, ₹ 28.83 लाख, ₹ 30.59 लाख, ₹ 38.60 लाख और ₹ 50.35 लाख था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि परिचालन एवं रख–रखाव के मद में हुआ व्यय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक था।

3.16 वित्तीय प्रबंधन

किसी भी संस्थान में सक्षम निधि प्रबंधन समय की आवश्यकता है। यह उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने तथा उचित समय पर अनुकूल शर्तो पर ऋण लेने के निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता हैं।

निधियों के मुख्य स्त्रोत बिजली की बिक्री से प्राप्ति, राज्य/केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता, राज्य सरकार/बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण इत्यादी थे। इन निधियों का उपयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन व्यय, विद्युत क्रय बिल का भुगतान, ऋण भुगतान, कर्मचारी एवं प्रशासन व्यय तथा पूँजी एवं राजस्व संबंधी कार्य सुधार प्रणाली हेतु किया जाता था।

वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक वास्तविक आधार पर कम्पनी के स्त्रोतों एवं संसाधनों के उपयोग का विवरण निम्नलिखित हैः–

हाईडल

समीक्षा अवधि में रोकड़ गति सारणी इस प्रकार हैः–

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
रोकड़ अन्तर्वाह						
1.	शुद्ध लाभ/हानि	(0.13)	(3.49)	(8.22)	(13.69)	(22.14)
2.	योग : समायोजन	8.80	10.12	13.34	15.15	20.65
3.	परिचालन कार्य	13.65	13.01	11.81	10.79	7.14
4.	निवेश गतिविधियाँ (ब्याज)	0.44	0.97	3.70	3.03	2.69
5.	वित्तीय गतिविधियाँ	21.31	71.00	37.81	23.51	45.72
	कुल	44.07	91.61	58.44	38.79	54.06
रोकड़ बहिर्वाह						
6.	परिचालन गतिविधियाँ	9.98	18.83	16.53	9.73	14.51

7.	निर्माणाधीन परियोजनाओं पर निवेश गतिविधियाँ	29.11	43.68	43.77	30.14	26.44
8.	वित्तीय गतिविधियाँ	–	–	–	–	–
9.	कुल	39.09	62.51	60.30	39.87	40.95
रोकड़/रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/ह्रास		4.98	29.10	(1.86)	(1.08)	13.11

उपर्युक्त सारणी में यह देखा जा सकता हे कि शुद्ध रोकड़ (रोकड़ समतुल्य को लेते हुए) वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में घटा है। ऐसा मुख्यतः असंगत वित्तीय प्रबंधन के कारण था। वित्तीय स्थिति के विस्तृत विश्लेषण से आगे प्रकट होता है कि ऋण में ली ली गई निधियों पर निर्भरता समीक्षा अवधि में बढ़ी है और यह वर्ष 2005–06 में ₹ 290.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 के अंत तक ₹ 499.60 करोड़ हो गया। इससे समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 50.53 करोड़ के ब्याज का बोझ अपरिहार्य हो गया जिसके फलस्वरूप कम्पनी का परिचालन व्यय बढ़ गया। अतः आतंरिक संसाधन उत्पाद को समुचित करने हेतु प्लांट लोड फैक्टर में वृद्धि एवं अप्राप्य बकाया के लिए प्रबल अनुसरण तथा बिजली बिल की वसूली को प्रभावकारी बनाना अत्यावश्यक है।

ऋण पर ली गई निधि जिसे वर्ष 2006–07 में निवेशित की गई थी, पर कम्पनी को ₹ 8.40 करोड़ ब्याज की शुद्ध हानि हुई।

यह भी देखा गया कि कम्पनी वांछित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सकी तथा निधियों को चालू खाते/अंशकालिक जमा में समय–समय पर रखती गई। कम्पनी ने राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 32.84 करोड़ (मार्च 2007) के ऋण को, जो कटैया ल.ज.वि.प. (पु. एवं आ. कार्य) के लिए था, अंशकालिक जमा में पहले 50 दिनों के लिए निवेश किया और बाद में समय–समय पर नवीकरण करते हुए अधिकतम 36 महीनों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 4.50 से 10.50 प्रतिशत ब्याज अर्जित करने हेतु निवेश किया। कम्पनी ने इस ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से ₹ 12.81 करोड़ का ऋण दायित्व सृजित कर दिया जबकि इस निधि पर अर्जित ब्याज मार्च 2010 तक ₹ 4.41 करोड़ था जिसके फलस्वरूप ब्याज पर ₹ 8.40 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बोर्ड के राजस्व का मुख्य स्त्रोत टैरिफ राजस्व है जो बिजली विक्रय के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से प्राप्त होता है। राजस्व का अन्य स्त्रोत गैर टैरिफ राजस्व जैसे निविदा की बिक्री, राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं अनुदान है। राज्य सरकार से संसाधन में कमी के रूप में अर्थसाहाय्य भी प्राप्त करता है जिसका उपयोग वह राजस्व घाटे को पाटने में करता है।

3.17 दावें एवं बकायें

विद्युत उत्पादन कम्पनी बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर विद्युत संचरण/वितरण कम्पनी को ऊर्जा बेचती है। बि.वि.वि.आ. कई आर्थिक एवं अन्य कारकों पर विचार करने के बाद टैरिफ दर का निर्धारण करता है। साधारणतया बिक्री मूल्य समस्त निवेश व्यय को समाहित नहीं कर पाता है। अन्तर राशि या तो उत्पादन कम्पनी द्वारा आत्मसात कर ली जाती है या राज्य सरकार से अर्थसाहाय्य के रूप में इस राशि का दावा करती है यदि विद्युत आपूर्ति रियायती दर पर प्रभावित होती है।

चूंकि बोर्ड का असमूहीकरण नहीं किया था, यह विद्युत उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण के कार्य को करता रहा, राजस्व घाटे को पाटने के लिए समीक्षा अवधि के दौरान संसाधन कमी के रूप में अर्थसाहाय्य के दावे के साथ ही बोर्ड द्वारा उसकी प्राप्ति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शित है:–

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	कुल
1.	अर्थसाहाय्य का दावा	844.00	834.87	873.28	798.70	910.08	4260.93
2.	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थसाहाय्य	–	720.00	720.00	720.00	840.00	3000.00
3.	अन्तर (1-3)	844.00	114.87	153.28	78.70	70.08	1260.93

उक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक कुल राशि ₹ 4260.93 करोड़ का राज्य सरकार से अर्थसाहाय्य के रूप में दावा किया गया था जिसमें से मात्र ₹ 3000.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया गया एवं ₹ 1260.93 करोड़ की राशि अप्रतिपूर्तित रह गई।

कम्पनी के मामले में हमने पाया कि कम्पनी के द्वारा राज्य सरकार से अर्थसाहाय्य के रूप में किसी अन्तर राशि का दावा नहीं किया गया था भले ही विद्युत आपूर्ति रियायती दर पर प्रभावी हुई थी।

3.18 दर निर्धारण

कम्पनी/बोर्ड को प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित वर्ष के प्रारंभ होने के 120 दिनों पूर्व अथवा आयोग द्वारा निर्देशित ऐसी अन्य तारीख को विद्युत उत्पादन दर के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हे। आयोग सही एवं उपयुक्त संशोधनों/शर्तों के साथ आवेदन को स्वीकार करता है और जनता तथा अन्य साझेदारों के सुझावों एवं आपत्तियों पर विचारोपरांत नियंत्रणयोग्य मदों का लक्ष्य सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित वर्ष की उत्पादन दर का आदेश आवेदन प्राप्ति के 120 दिन के अन्दर निर्गत करता है।

वर्ष 2009–10 के दौरान टैरिफ याचिका के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹ 1.32 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

यह भी देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 2009–10 में दर याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब की। 15 नवम्बर को या उसके पूर्व दर याचिका प्रस्तुत करने की जगह यह 31 मार्च 2009 को प्रस्तुत किया गया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 दिसम्बर 2009 से प्रभावी आदेश निर्गत किया (22 दिसम्बर 2009)। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किये गये दर याचिका के कारण समय पर इसको लागू नहीं किया सका जिसके फलस्वरूप अप्रैल 2009 से नवम्बर 2009 तक की अवधि के लिए ₹ 1.32 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि आयोग ने ₹ 16.89 लाख़ के दण्ड ब्याज की अनुमति नहीं दी एवं पूँजी ₹ 95.71 लाख़ पर भी ब्याज की अनुमति प्रदान नहीं की जिसके कारण कम्पनी को घाटा में वृद्धि हुआ। तथापि यह खर्च नियंत्रणाधीन एवं परिहार्य था।

बोर्ड ने अलग से उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ हेतु अलग से कोई दर याचिका प्रस्तुत नहीं किया था। चूँकि बिहार विद्युत विनियामक आयोग मई 2005 में गठित हुआ था, इसलिए वर्ष 2005–06 हेतु दर याचिका दायर करने पर कोई विचार नहीं किया गया। फिर भी सामान्य दर याचिका बोर्ड द्वारा विलम्ब से 2006–07 में दायर किया गया। आगे, 2007–08 एवं 2009–10 के लिए दर याचिका को विलम्ब से दायर करने के कारण उसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

3.19 पर्यावरणीय मुद्दें

पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई अधिनियम एवं परिनियम बनाये है। राज्य स्तर पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियामक अभिकरण है जो इन अधिनियमों एवं परिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

को भी विभिन्न परिनियमों के अन्तर्गत शक्तियों से अधिकृत किया गया है। बोर्ड/कम्पनी के पास निगम कार्यालय में कोई पर्यावरण स्कंध नहीं था।

इस संदर्भ में विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपाल से सम्बन्धित हमारी संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:–

3.20 वायु प्रदूषण

स्वच्छ विकास यंत्रावली

पृथ्वी को ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) से बचाव के लिए भारत के साथ कई देशों ने क्योटो प्रोटोकोल (Kyoto Protocol) पर हस्ताक्षर किया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिर्वतन ढाँचागत सभा (यू.एन.एन.एफ.सी.सी.सी.) के दलों के तीसरे सम्मेलन में अंगीगार किया गया था (दिसम्बर 1997) । इस सभा ने किसी खास उद्योग अथवा गतिविधि के लिए अनुमत्य कार्बन छोड़ने के मानक स्तर को स्थापित किया था। कोई अस्तित्व किस विस्तार तक कम कार्बन गैस (सभा के निर्धारित मानक के अनुसार) उत्सर्जित कर रहा है उसे इसके लिए श्रेय दिया जायेगा। ग्रीन हाउस गैस की ऐसी बचत की बुकिंग को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सी.ई.आर.) का क्रय कहते है जिसे सामान्यतया कार्बन साख/धाक कहा जाता है। इस समस्त प्रणाली को स्वच्छ विकास यांत्रिकी (सी.डी.एम.) के नाम से जाना जाता है।

सी.ई.आर. (प्रमाणित उत्सर्जन कटौती) की विक्रय हेतु विद्युत संयंत्र का निबंधन संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन ढाँचागत (यू.एन.एन.एफ.सी.सी.सी.) के साथ एक सी.डी.एम. परियोजना के रूप में कराना आवश्यक है। वैसे विद्युत संयंत्र जो 1 जनवरी, 2000 से या बाद से परिचालित है, वह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध समर्पित करके निबंधन हेतु सक्षम है। हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी नवम्बर 2010 के अंत तक 18 परियोजनाओं (17.1 मे.वा.) से 49248 सी.ई.आर. अर्जित की जिनका मूल्य ₹ 23 करोड़ था। लेकिन अभी तक कम्पनी द्वारा कोई सी.ई.आर. का विक्रय नहीं किया गया था (नवम्बर 2010)।

उन्नत होने के बाद भी विशिष्ट एस.पी.एम. स्तर की अनुपलब्धि

कोयला का राख अच्छा चूर्ण द्रव्य होते हुए कुछ शर्तो के तहत प्रदूषक है जब यह हवा में रहती है और वायुमंडल के घनत्व में इसकी उच्च मिलावट है। चिमनी गैस में धूल्य स्तर का नियंत्रण वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की एक महत्वपूर्ण जवाबदेही हैं। वैद्युत स्थित अवक्षेपक (ई.एस.पी.) यंत्र का प्रयोग चिमनी गैस में संकेन्द्रित धूल को कम करने के लिए किया जाता है। धूल के स्तर का नियंत्रण ई.एस.पी. के कुशल एवं प्रभावकारी कार्य पर निर्भर करता है।

ब.वा.श.प्र. में वैद्युत स्थित अवक्षेपक यंत्र लगाया गया जो प्रति एन.एम.^{3} 378 मि.ग्रा. के एस.पी.एम. स्तर को प्राप्त करने के लिए रूपांकित किये गयें थे। विद्यमान ई.एस.पी. को उन्नत करने हेतु अथवा नया ई.एस.पी. लगाने हेतु बोर्ड के द्वारा कोई प्रयास नही किया गया। फलतः इच्छित एस.पी.एम. स्तर (150 मि.ग्रा. प्रति एन.एम.^{3}) ब.वा.श.प्र के चतुर्दिक क्षेत्रों में प्राप्त नहीं किया जा सका।

ऑन लाइन अनुश्रवण उपकरण का संस्थापन

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधान के अनुसार वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों को एस.पी.एम. स्तर को रिकार्ड करने हेतु ऑन लाइन अनुश्रवण प्रणाली मुहैया कराना चाहिए। लेकिन ब.वा.श.प्र. में कोई ऑन लाइन अनुश्रवण उपकरण नहीं लगाये गये हैं

जिससे कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में एस.पी.एम. के स्तर को रिकार्ड किया जा सके।

उच्च राख मात्रा वाले कोयले का प्रयोग

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प. एवं व.मं.) अधिसूचना (जुलाई 2003) के अनुसार कोयले पर आधारित ऊर्जा/शक्ति प्रतिष्ठान जो कोयले की खान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है अथवा शहरी, संवेदनशील और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित है तो उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कोयले का प्रयोग करे जिसका राख वार्षिक भारित औसत के आधार पर 34 प्रतिशत से कम हो। हमने पाया कि बवा.श.प्र. में पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ई.सी.एल.) के खदानों से प्राप्त कोयले का प्रयोग किया जाता है जो 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। समीक्षा की अवधि के दौरान, ब.वा.श.प्र. ने 7.08 लाख मि.ट. कोयला प्राप्त किया जिसमें भारित औसत राख 41.27 से 46.24 प्रतिशत के परास में था। तथापि बोर्ड वृहत पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए कोयला धोने एवं हितकारी के माध्यम से राख की मात्रा को कम कर सकता था। लेकिन, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राख समापन

समीक्षा अवधि के दौरान राज्य में ब.वा.श.प्र. की चालू संयंत्रों से उड़ती राख का वार्षिक उत्पादन लगभग 17825 मि.ट. से 107349 मि.ट. था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.व. मं.) ने एक अधिसूचना जारी की (सितंबर 1999) जिसमें यह प्रावधानित था कि प्रत्येक वाष्पीय संयंत्र को भवन वस्तु निर्माण इकाईयों को कम से कम 10 वर्षो के लिए मुफ्त में उड़ती राख की आपूर्ति करनी चाहिए। समीक्षा अवधि के दौरान उड़ती राख के उत्पादन एवं निष्पादन की जाँच में यह प्रकट हुआ कि ब.वा.श.प्र. में उत्पादित कुल उड़ती राख के 287430 मि.ट. के विरूद्ध मात्र 51852 मि.ट. ही राख समापित किया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि राख के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2010) कि इसने हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति/कम्पनी को राख आपूर्ति की अनुमति दी है। जवाब असंगत है क्योंकि इसमें विशेषकर निष्पादित राख की मात्रा की वर्षवार चर्चा नहीं की गई है।

3.21 ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 का उद्देश्य सुखद/स्वच्छ हवा को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ ध्वनि उत्पादन करने वाले स्त्रोतों को नियमित एवं नियंत्रित करना है। उक्त उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपकरणों से ध्वनि प्रसारण के स्त्रोतों से नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त चुप्पी उपकरणों का प्रबंध किया जाय तथा ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाय ताकि संयंत्र क्षेत्र के चारों ओर ध्वनि प्रसारण को शमित किया जा सके। वा.श.प्र. के लिए यह आवश्यक है कि वह उक्त उल्लिखित नियम में अनुमानित समस्त क्षेत्रों में ध्वनि स्तर को रिकार्ड करें। सुबह में निर्धारित ध्वनि स्तर 65 डी.बी. था और रात्रि के घंटों में यह 55 डी.बी. था। फिर भी हमारी जाँच से यह प्रतीत होता है कि ब.वा.श.प्र. में ध्वनि स्तर को रिकार्ड करने हेतु कोई उपाय नहीं किये गये थे जो वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.22 जल प्रदूषण

शक्ति संयंत्र का गंदा जल प्रदूषण का स्त्रोत हैं। जल (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार वा.श.प्र. की आवश्यकता है कि वह बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह ले जिसमें जल प्रदूषण के शर्तों एवं अनुबद्धों जिसका

अनुपालन वा.श.प्र. द्वारा किया जाना है, सम्मिलित है। फिर भी बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस दिशा में कोई मानक/मापदण्ड निर्धारित नहीं किया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वा.श.प्र. के निस्सारी में कुल लंबित ठोस (टी.एस.एस.) प्रति लीटर 100 मि.ग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने प्रेक्षित किया कि (मई 2010) ब.वा.श.प्र. से छोड़े गये निस्सारी में टी.एस.एस. 119 मि.ग्रा. प्रति लीटर (2009–10) से 123 मि.ग्रा. प्रति लीटर (2005–06) था। कुल लंबित ठोस मानक के अधिक होने का मुख्य कारण तलछट अवसादन टैंक का अभाव तथा संयंत्र की निस्सारी क्रिया का अप्रभावकारी होना था। चूँकि दोनों कारण नियंत्रणाधीन है, असरकारी और ससमय उठाये गये कदम से जल निकाय को अपूर्णीय क्षति से बचाया जा सकता था।

3.23 उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

राज्य की अर्थव्यस्था में बोर्ड/कम्पनी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे वृहत संस्थान को आर्थिक रूप से, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से परिचालित करने में सफलता प्राप्त करने हेतु परिचालन, सेवा, स्तर एवं लक्ष्य का प्रलेख प्रबन्धन प्रणाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त लक्ष्यों एवं मानकों की उपलब्धि को प्रतिवेदित करने हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का होना अत्यावश्यक है। उपलब्धियों का पुनर्रीक्षण आवश्यक है ताकि कमियों को बताया जा सके और आने वाले वर्षो के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया जा सके। लक्ष्यों को साधारणतया ऐसा होना चाहिए कि जिसकी उपलब्धि संस्थान को आत्मनिर्भर बना सके। इस दिशा में विद्यमान प्रणाली की हमारी समीक्षा से यह बात प्रकट होती है कि कम्पनी दिन प्रतिदिन आधार पर उत्पादन आँकड़े का समेकन करती है। तथापि अन्य परिचालन/वित्तीय मापदण्ड आवश्यकतानुसार तदर्थ तरीके से संकलित की जाती है। बोर्ड के मामलें में उत्पादन स्टेशन आँकड़ों का रख–रखाव करते है जिसका प्रयोग बोर्ड आवश्यकतानुसार करता है। इस प्रकार समेकन दृढ़ीकरण, परिचालन/वित्तीय मापदण्ड की समीक्षा अथवा अनुश्रवण हेतु न तो बोर्ड में और न हीं कम्पनी में एक स्तरीय पद्धति निर्धारित है। आगे, इस संदर्भ में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गई हैः–

- बोर्ड/कम्पनी ने महत्वपूर्ण परिचालन मापदण्ड हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।
- बोर्ड/कम्पनी ने प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तैयार नहीं किया था।
- निदेशक मण्डल ने बोर्ड/कम्पनी के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन पर विवेचना नहीं की थी।
- निदेशक मण्डल ने परियोजना की सफलता दर या सामाजिक आर्थिक मापदण्ड पर सकारात्मक प्रभाव के विश्लेषण हेतु सामाजिक–आर्थिक मापदण्ड का मूल्यांकन नहीं किया।
- 2009–10 में बि.वि.वि.आ. के साथ कम्पनी द्वारा समुच्चय राजस्व आवश्यकता को विलम्ब से प्रस्तुत किया।

निष्कर्ष

- **कम्पनी और बोर्ड क्रमशः वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं होने और विधमान संयंत्रों में पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण/आयु विस्तार का कार्य सम्पादित नहीं होने के कारण राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई माँग के साथ मेल/गति स्थापित नहीं कर सकी।**

- कम्पनी के अन्तर्गत परियोजनाओं का प्रबंधन असरकारी नहीं था क्योंकि 2005–10 में ली गई सभी परियोजनाओं में लागत एवं व्यय वृद्धि के अनेकानेक उदाहरण थे।
- वाष्प संयंत्र का परिचालन निष्पादन कोयले की कम प्राप्ति और निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाले कोयले के फलस्वरूप प्रभावित था। निम्न थर्मल कार्यक्षमता और उच्च ताप दर के कारण कोयले की अत्यधिक खपत हुई।
- प्लांट लोड फैक्टर, संयंत्र उपलब्धता और कम्पनी में उपयोग क्षमता 2005–06 से ही ह्रास प्रवृति दर्शाती है जबकि बोर्ड के मामले में वही मापदण्ड विभिन्न प्रवृत्तियाँ दर्शाती है। दोनों के मामलों में, प्लांट लोड फैक्टर राष्ट्रीय औसत से कम रहा।
- कम्पनी और बोर्ड दोनों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्र.) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार मानवशक्ति का उपयोग नहीं किया।
- उच्च प्रबंधन ने संयंत्रों के परिचालन कार्यों को बढ़ाने हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।
- पर्यावरण परिनियमों का बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) में अनुपालन नहीं हुआ था।

अनुशंसाएँ

कम्पनी एवं बोर्ड को चाहिए कि:

- क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रभावकारी योजना का विकास करना चाहिए ताकि बिजली की कमी को पूरा करते हुए बढ़ती हुई माँग के साथ गति स्थापित किया जा सके।
- नव विद्युत उत्पादन स्टेशन/संयंत्रों को स्थापित करने हेतु प्रभावकारी अनुश्रवण प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए।
- निर्धारित मानक के अन्तर्गत कोयले की खपत को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए।
- पर्याप्त प्लांट लोड फैक्टर, संयंत्र उपलब्धता और क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निष्क्रियता एवं अतिरिक्त खपत को कम करना चाहिए।
- अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मानवशक्ति का विवेकपूर्ण निर्धारण करना चाहिए।
- उच्च राख मात्रा वाले कोयले के मामले में हितकारी कोयले के प्रयोग को बढाना चाहिए तथा पर्यावरण नियमों से संबंधित अनुपालन को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- उत्पादन गतिविधियाँ पर प्रभावकारी प्रबन्धन–नियंत्रण बनाये रखने हेतु प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को विकसित करना चाहिए।

अध्याय–IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान : ₹ चार करोड़

कम्पनी द्वारा अपने साधारण सभा में पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ के दान का निर्णय न केवल अधिनियम के प्रवधान के उल्लंघनों में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1) (ई) एक सार्वजनिक/निजी कम्पनी के निदेशक मंडल के धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हो तथा जो किसी वित्तीय वर्ष में ₹ पचास हजार या विगत तीन वर्षो के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत, दोनों में जो ज्यादा हो, अधिक हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक हो, वहाँ कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाना चाहिए।

हमारे प्रेक्षण (मार्च 2010) में पाया गया कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो एक सार्वजनिक कम्पनी है, ने ₹ एक करोड़ का (विगत तीन वर्षो के अपने औसत लाभ का 16.23 प्रतिशत) का अनुदान (अगस्त 2007) तथा पुनः ₹ तीन करोड़ (अपने विगत तीन वर्षो के अपने औसत लाभ का 60.61 प्रतिशत) का अनुदान (जुलाई 2008) में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, जैसा कि दान की यह राशि अधिनियम के अनुसार साधारण सभा में अनुमति हेतु ले जानी चाहिए थी परन्तु कम्पनी ने ऐसा नहीं किया।

अतः कम्पनी द्वारा अपनी साधारण सभा की पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ (₹ एक करोड़ 2007–08 में तथा ₹ तीन करोड़ 2008–09 में) का दान, जो इसके विगत तीन वर्षो के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक था, न सिर्फ अधिनियम का उल्लंघन करता है बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2010) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ चार करोड़ के भुगतान की स्वीकृति अगले वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में भूतलक्षी प्रभाव से ले ली जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी से कोष में दान हेतु किसी विशेष माँग की जानकारी दस्तावेजों से नहीं पायी गयी है। तथापि, यह विषय भूतलक्षी प्रभाव द्वारा

नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है।

कम्पनी द्वारा धर्मार्थ एवं अन्य कोषों में इस प्रकार के किसी दान देने के पूर्व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध न हों।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.2 (क) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के खातों के अंतिमीकरण के बकाये ।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के खातों के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं लोक धन के रिसाव का जोखिम।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 (धारा 166 एवं 216 के साथ पढ़ा जाय) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणी के साथ) कम्पनी के लेखाओं को रखा जाना चाहिए। तथापि, सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन भी अधिनियम की धारा 619 अ (3) के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। धारा 210 (5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, कम्पनी का निदेशक होते हुए, धारा 210 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए हर संभव प्रयास करने में विफल रहता है तो वह छः माह तक के कारावास दण्ड या दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों का भागी होगा। धारा 210(6) में एक व्यक्ति, जो निदेशक नहीं है परन्तु धारा 210 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी हैं, के लिए समान प्रावधान निहित है।

कम्पनी अधिनियम में उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने खातों का समय से अंतिमीकरण नहीं कर रही है और 31 मार्च 2010 को 20 वर्षों (1989–90 से 2008–09) के इसके लेखाओं अंतिमीकरण हेतु बकाया थे। कम्पनी ने 1988–89 तक के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है। लेखापरीक्षा द्वारा राज्य सरकार (मुख्य सचिव/प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव) के ध्यान में खातों के अंतिमीकरण के बकाये को लाया जा रहा है। यद्यपि, पिछले तीन वर्षों में बकाये के समापन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये है। (31 मार्च 2007 को 19 वर्षों के खाते अंतिमीकरण के लिए बकाया थे)। सरकार कम्पनी में ₹ 125.85 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 5.27 करोड़, ऋण : ₹ 120.58 करोड़) का निवेश उस अवधि के लिए कर चुकी है जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विलम्ब का कारण वैधानिक लेखापरीक्षकों के कम्पनी के लेखाओं से सम्बद्ध प्रश्नों का समाधान न किया जाना था। उदाहरण के तौर पर 1989–90 के लेखाओं पर प्रश्न यथा (*i*) लाभ–हानि खातें के प्रारम्भिक शेष में अंतर जैसा कि कम्पनी के लेखाओं मे उद्धृत था (*ii*) मुख्यालय एवं इकाईयों के असमायोजित शेष (*iii*) इकाईयों के खातों में गोदामों की कमी/आधिक्य को सम्पति की तरह दिखाया जाना इत्यादि, अभी भी कम्पनी द्वारा अनुत्तरित है (जून 2010)।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2010) कि कम्पनी के लेखा का अंतिमीकरण के विलम्ब का कारण वैधानिक लेखापरीक्षकों का असहयोग था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैधानिक लेखापरीक्षकों के कम्पनी के लेखाओं से सम्बद्ध सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका।

ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेशों एवं व्ययों का उचित लेखांकन किया गया है और वे उद्देश्य प्राप्त किये गये या नहीं जिनके लिए कोष निवेशित किये गये थे। इस प्रकार कम्पनी में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा के बाहर है। तथापि, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं लोक धन के रिसाव का जोखिम हैं।

लेखा के अंतिमीकरण में विलम्ब से दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली से ₹ 0.24 करोड़ के बैंक ड्राफ्टों की राशि के वसूली न होने का वर्णन निम्न प्रकार है:–

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण के लिए गेहूँ एवं चावल का जिलावार आवंटन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को किया जाता है। कम्पनी उचित मूल्य दुकानों (उ.मू.दु.) के डीलरों से अग्रिम धन की प्राप्ति के बाद, अनाज प्राप्त कर उसे डीलरों को उनके आवंटन अनुसार आपूर्ति करती है। कम्पनी डीलरों से डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में अग्रिम प्राप्त करती है और उसे बैंक में जमा करती है। जैसा कि कम्पनी बड़े पैमाने पर डी. डी./चेक प्राप्त करती है, बैंक में इन डी. डी./चेकों के जमा एवं सम्बद्ध वसूली की निगरानी के लिए प्रभावपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन तंत्र आवश्यक है। एक उचित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली में निम्न होने चाहिए:

1. भुगतान के रूप में डी. डी./चेकों प्राप्त होने पर उनके नगदीकरण पर ध्यान रखने हेतु निर्धारित पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। इन चेकों की वसूली हेतु शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।
2. प्रबंधन को प्रत्येक माह के अन्त में मिलान सुनिश्चित करना चाहिए। प्राप्ति एवं भुगतानों की असमायोजित मदों के लिए बैंक से प्राप्तियों एवं भुगतान की एक बैंक समाधान विवरणी (बी.आर.एस.) बनायी जानी चाहिए। बी.आर.एस. की अनुपस्थिति में बैंक को प्रेषित रकम एवं कपटपूर्ण आहरण (यदि कोई हो), के लेखांकन नहीं होने का पता नहीं लगेगा।

कम्पनी के भागलपुर कार्यालय के दस्तावेजों की नमूना जाँच में पता चला (मार्च 2009) की डी. डी. के बैंक में जमा करने एवं उनके सम्बद्ध वसूली के सम्बन्ध में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन दोषपूर्ण थी जैसे कि रोकड़ बही की कई राशियाँ ड्राफ्ट पंजी से नहीं मिली। कम्पनी के जिला कार्यालयों द्वारा अगले महीने के 20वीं तारीख तक विपत्रों/विवरणों के साथ बैंक समाधान विवरणी मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए थी। यद्यपि यह नियमित रूप से सम्पादित नहीं किया गया। हमने प्रेक्षण में पाया कि भागलपुर कार्यालय में डीलरों से प्राप्त ₹ 0.24 करोड़ के 197 डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंको में मार्च/अप्रैल 2007 में जमा दिखाये गये परन्तु ये कम्पनी के बैंक खातों में जुलाई 2010 तक जमा नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा द्वारा बैंक से उपर्युक्त ड्राफ्टों के बारें में पूछने पर (जुलाई 2010) बैंक ने बताया कि उल्लिखित जमा तिथि के बाद के दो माह के बैंक विवरणी की जाँच के बाद भी इनका पता नहीं चला। प्रमंडल द्वारा बैंक खातों के प्रमंडलीय रोकड़ बही से मिलान एवं लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन प्रविष्टि के प्रयास नहीं किये गये।

अतः दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली एवं बैंक शेषों के समाधान न होने के कारण कम्पनी ₹ 0.24 करोड़ वसूल करने में विफल रही। इन कोषों के गबन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकारते हुए बताया (मई 2009) कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कम्पनी द्वारा जमा डी. डी. की राशि की वसूली के लिए कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया। यह देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार एवं कम्पनी का प्रबंधन:–

- लेखों के बकायों की समाप्ति हेतु लेखाओं के बाहरी स्त्रोतों से तैयार कराने पर विचार करे और
- बकाये की समाप्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये और सतत रूप से इसका प्रबोधन करें।

लेखाओं के बकाये के समापन के लिए कम्पनी को वैधानिक लेखापरीक्षकों को माँगी गयी आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि वे अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में सक्षम हो सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई/जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.3 उप–पट्टेदार से सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली न होना : ₹ 0.32 करोड़

कम्पनी द्वारा अनुबंध के उपबन्ध को लागू करने में विफलता के कारण सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क के ₹ 0.32 करोड़ की वसूली न होना।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 (कम्पनी) ने बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 (बिस्कोमान) से बिस्कोमान टावर में तीन तल (70,000 वर्ग फीट) अप्रैल, 2002 में तथा अन्य तीन तल अप्रैल 2005 में ₹ छः प्रति वर्ग फीट प्रति माह किराये तथा समान सेवाओं के लिए ₹ 0.20 प्रतिवर्ग फीट प्रति माह की दर से रख–रखाव शुल्क पर पट्टे पर लिया।

कम्पनी द्वारा इस पट्टेकृत भवन संपदा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (एस.टी.पी.) विकसित किया गया तथा विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं को इसमें से 45,366 वर्ग फीट उप–पट्टे पर दे दिया गया। चूँकि बिस्कोमान द्वारा प्रदत्त बाहरी रख–रखाव सेवाएँ निम्न स्तरीय थी, कम्पनी ने बिस्कोमान को मासिक रख–रखाव शुल्क की अदायगी रोक दी (फरवरी 2007) एवं बाहरी रख–रखाव सेवाएँ लेने का निर्णय किया। तदनुसार, आई.एल. एण्ड एफ.एस. प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लि0 (आई. पी. एम. एस. एल.) के साथ एस.टी.पी. के भवन संपदा में ₹ 0.02 करोड़ प्रति माह शुल्क की दर से सुविधा प्रबंधन सेवा प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया गया (दिसम्बर 2008)।

हमारे प्रेक्षण में पाया गया कि रख–रखाव सेवा/सुविधा प्रबंधन सेवा की राशि उप–पट्टेदारों से उनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के उपबंध–I के अनुसार एक पारस्परिक स्वीकार्य दर से वसूलनीय थी। तथापि, कम्पनी रख–रखाव शुल्क के भुगतान सम्बन्धी इस उपबंध को लागू करने में विफल रही।

कम्पनी द्वारा इस उपबंध को लागू करने में विफलता एवं उप–पट्टेदारों से परस्पर स्वीकार्य रख–रखाव शुल्क को वसूल नहीं कर पाने के कारण आई.पी.एम.एस.एल. को भुगतान किये गये ₹ 0.32 करोड़ के सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली में कम्पनी विफल रही।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2010) कि निदेशक मंडल ने पुराने एवं नये सचिवालय की तर्ज पर बिस्कोमान–टावर के रख–रखाव प्रबंधन सेवाओं के लिए ₹ 0.02 करोड़ प्रति माह की दर पर में मेसर्स आई.पी.एम.एस.एल. की सेवाएँ ली जाने की स्वीकृति दी थी (23 सितम्बर 2008)। प्रारम्भ में, सम्पूर्ण लागत बी.एस.ई.डी.सी. द्वारा वहन की जानी थी तथा आई.पी.एम.एस.एल. की सफलतापूर्ण सेवा के बाद व्यय को दखलदारों से उनके जगह के समानुपात में भारित की जानी थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह न केवल

अनुबंध की नियमों एवं शर्तो के विपरीत थी बल्कि यह निदेशक मंडल के इस निर्णय के भी विरूद्ध था कि प्रारम्भ में लघु अवधि के लिए ही लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी। यद्यपि, दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी दखलदारों को उनकी जगह के समानुपात में कोई व्यय भारित नहीं किया गया था।

कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु कम्पनी द्वारा अनुबंध में परस्पर स्वीकृत राशि के उप–पट्टेदारों से वसूली के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.4 राजस्व का न्यून निर्धारण

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उच्च विभव सेवा–1 श्रेणी के उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि : ₹ 0.82 करोड़।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी. ई. आर. सी.) द्वारा अनुमोदित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) का टैरिफ (नवम्बर 2006) अनुबद्ध करता है कि निम्न विभव सेवा (नि.वि.से.) यानि गैर–घरेलू सेवा (एन. डी. एस.)–II टैरिफ 60 कि.वा. तक के स्वीकृत भार वले गैर घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर लागू होती है। उपभोक्ताओं के भार की सत्यापन/जाँच बोर्ड द्वारा समय–समय पर छापा एवं निरीक्षण द्वारा की जाती है।

बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (ग्रामीण) के दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान हमने पाया (सितम्बर 2009) कि एन डी एस टैरिफ की सुविधा भौतिक सत्यापन के दौरान 60 कि.वा. (दिसम्बर 2006) से अधिक भार पाये जाने वाले चार उपभोक्ताओं[1] को जारी रखी गयी। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अधिक भार के उपयोग की सूचना मिलने की तिथि के दो वर्ष बीतने के बाद उपभोक्ताओं को एन.डी.एस. श्रेणी से उ.वि.से.–I श्रेणी में परिणत करने के लिए आवश्यक औपचारिकता[2] पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया (फरवरी 2009), जिसमें विफल रहने पर ऊर्जा आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी। परन्तु उपभाक्ताओं ने न तो इस सम्बन्ध में अनुबन्ध किया और न ही उपभोक्ताओं की ऊर्जा आपूर्ति बोर्ड द्वारा विच्छेदित की गयी एवं टैरिफ प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त उपभोक्ताओं का उ.वि.से.–I टैरिफ की जगह एन.डी.एस. श्रेणी में न्यून दर पर उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण जारी रखा गया। इस प्रकार उपर्युक्त उपभोक्ताओं पर टैरिफ प्रावधान के अनुसार सम्बद्ध भार के आधार पर लागू होने वाले उ.वि.से.–I श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण न करने के कारण ₹ 0.82 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड द्वारा नि.वि.से. से उ.वि.से. में उपभोक्ताओं की श्रेणी के परिवर्तन हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

बोर्ड ने दो मामलों[3] में लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2010) कि ₹ 0.28 करोड़ के न्यून विपत्रीकरण की माँग उपभोक्ताओं से की गयी है ।

1. बौद्ध मंदिर (बी 1797) भार–105 कि. वा., 2. ताइवान मंदिर (बी. 3025) भार–99 कि. वा., 3. बोधी थाई भारत समिति (बी. 3425) भार–81 कि. वा., एवं 4. राष्ट्रपाल मोहाथेरा (बी 2762) भार–72 कि. वा.।
2. एन. डी. एस. श्रेणी से उ. वि. से. श्रेणी में परिवर्तन के लिए आवेदन एवं उ. वि. से. के अनुबन्ध को अंतिम रूप देना।
3. बौद्ध मंदिर और राष्ट्रपाल मोहाथेरा।

बाद में यह बताया गया कि शेष दो मामलों[4] में पुनर्गणना के दौरान उपभोक्ताओं का भार 60 कि.वा. से कम पाये गयें थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो उपभोक्ताओं पर भारित न्यून विपत्रीकरण की राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी जैसे कि अनुबन्ध करना इत्यादि एवं अन्य दो उपभोक्ताओं के मामलें में पुनर्गणना टैरिफ प्रावधानों के विपरीत थी, जैसे कि गीजर के भार को गणना में शामिल नहीं किया गया।

- बोर्ड को चाहिए कि वह प्रमंडलीय स्तर पर ऐसी कमियों के प्रबोधन के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन करें।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.5 त्रुटिपूर्ण श्रेणीयन

उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण श्रेणीयन के कारण बोर्ड ₹ 0.52 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा जारी विज्ञप्ति[5] के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता जो शहरी/नगर फीडर से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पाते हैं, वे घरेलु एवं व्यावसायिक प्रयोग के लिए क्रमशः घरेलु सेवा (डी एस–II) और गैर घरेलु सेवा (एन डी एस–II) के अंतर्गत श्रेणीकृत किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि तीन[6] विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में अप्रैल 2006 से मई 2010 के मध्य शहरी/नगर फीडर से आपूर्ति पाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को त्रुटि पूर्ण रूप से डी एस–I एवं एन डी एस–I तौर पर, डी एस–II एवं एन डी एस–II से कम टैरिफ वाली श्रेणी में, श्रेणीकृत एवं तदनुसार विपत्रीकरण किया गया। इन उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रावधान के अनुसार डी एस–II एवं एन डी एस–II श्रेणी के अनुसार मीटर पठन के अनुसार ऊर्जा खपत या 40 यूनिट (मीटर के दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त/जले होने की स्थिति में 1 किलोवाट (कि.वा.) तक के भार के लिए न्यूनतम मासिक प्रभार) के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। हमने पाया कि उपभोक्ता पंजी का प्रमंडल में उपलब्ध फीडर सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ मिलान नहीं करने के कारण टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण न हो सका।

इस प्रकार बोर्ड ने उपर्युक्त वर्णित अवधि में ₹ 1.74 करोड़ के बदले ₹ 1.22 करोड़ प्रभारित किया और उपभोक्ताओं के गलत श्रेणीयन के कारण ₹ 0.52 करोड़ की क्षति वहन की।

बोर्ड ने अपने जवाब (जुलाई एवं अगस्त 2010) में तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि दो[7] प्रमंडलों के उपभोक्ताओं से न्यून विपत्रीकरण की राशि की माँग की जा चूकी है एवं वसूली प्रक्रिया शुरू हो गयी है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर के बारे में बोर्ड ने बताया कि जमालपुर में मात्र एक फीडर है और उसी से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जाती है और इस प्रकार जमालपुर फीडर एक शहरी

4 ताईवान मंदिर और बोधी थाई भारत समीति।

5 2001, 2006 एवं 2008 में जारी टैरिफ।

6 सीतामढी, मुंगेर और बक्सर ।

7 सीतामढ़ी और बक्सर ।

फीडर नही है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजों से यह पता चला कि जमालपुर फीडर शहरी फीडर था।

तथ्य यह है कि उपभोक्ता पंजी का प्रमंडल में उपलब्ध फीडर सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ मिलान न करने में अनियमितताएँ अद्यतन वैसी ही है और उसी के अनुसार विपत्रीकरण (अक्टुबर 2010) किया जा रहा था।

बोर्ड को चाहिए कि वह प्रमंडलीय स्तर पर ऐसी कमियों के प्रबोधन के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन करे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010), उत्तर प्रतिक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.6 केबल का अनावश्यक क्रय

भूमिगत केबल के अनावश्यक क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ अवरुद्ध एवं ब्याज की आनुषंगिक क्षति ₹ 1.41 करोड़।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के वित्त एवं लेखा संहिता (अध्याय–VII) के अनुसार विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन सहित निर्माण कार्य हेतु सामग्री की खरीद निर्माण कार्यक्रम के आधार पर की जानी चाहिए। निर्माण कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात पूँजीगत कार्यो एवं जमा कार्यो के लिए बोर्ड मुख्यालय के सम्बद्ध स्कन्ध एवं क्षेत्र इकाईयों की माँग के आधार पर सामग्री बजट के आधार पर सामग्री क्रय की जाती है। अनुमोदित सामग्री बजट के अनुसार सामग्रियाँ भण्डारण एवं क्रय स्कंध द्वारा क्रय किया जाता है।

सदस्य (डी. एण्ड आर.ई.) के कहने पर क्षेत्र इकाईयों से 33 के. भी. एवं 11 के. भी. (एक्स एल पी ई)[8] भूमिगत केबल की आवश्यकता की जानकारी माँगी गयी (नवम्बर 2006)। क्षेत्र इकाईयों से प्राप्त आवश्यकता की जानकारी के आधार पर बोर्ड ने 18 कि. मी. 11 के. भी. (3X400 मिमी^{2} आकार के) एवं 14 कि.मी. 33 के. भी. (3X400 मिमी^{2} आकार) भूमिगत केबल (एक्स एल पी ई) की खरीद के लिए ₹ 5.39 करोड़ की आधारभूत लागत पर दो क्रय आदेश[9] दिये। इनका प्रयोग पेसू क्षेत्र एवं मगध, केन्द्रीय, तिरहुत, मिथिला, कोशी एवं भागलपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर केबल बिछाने के लिए किया जाना था। आपूर्तिकर्ता द्वारा नवम्बर 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य 31.841 कि.मी. केबल की आपूर्ति की गयी। आपूर्ति की सामग्री आपूर्ति तिथि के 24 महीने और कार्य प्रारम्भ के 18 महीने की अवधि, दोनो में जो पहले हो, के लिए त्रुटिपूर्ण सामग्री, खराब कारीगरी एवं असंतोषप्रद कार्य निष्पादन के विरूद्ध प्रत्याभूतित थी।

कुल खरीदे गये केबल में से अक्टूबर 2010 तक केवल 10.697 कि.मी. केबल बोर्ड द्वारा बिछाने के लिए प्रयोग किया गया। शेष ₹ 3.35 करोड़ कीमत का 21.144 कि.मी. केबल अप्रयुक्त पड़ा हुआ है (दिसम्बर 2010) जिसके प्रयोग के लिए कोई तत्काल कार्यक्रम नहीं है। इसके कारण बोर्ड की ₹ 3.35 करोड़ की निधि, 34 माह (जनवरी 2008 से अक्टूबर 2010) के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गणना की गयी ₹ 1.41 करोड़ की आनुषंगिक ब्याज क्षति के साथ, अवरूद्ध हो गयी। इसके अतिरिक्त सामग्री की प्रत्याभूति अवधि भी दिसम्बर 2009 मे समाप्त हो गयी।

8 एक्स एल पी ई, क्रास लिंक्ड पॉली एथाइलीन, भूमिगत केबल का एक प्रकार है।

9 क्र.आ.सं.–35 दिनांक 24.08.07 एवं क्र.आ.सं. 36 दिनांक 24.08.07।

इस प्रकार, वित्त एवं लेखा संहिता के प्रावधानो का उल्लंघन कर आवश्यकता से अधिक सामग्री की क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गयी और ₹ 1.41 करोड़ की आनुषंगिक ब्याज क्षति हुई। आवश्यकता के बिना क्रय में निवेश कार्यशील पूँजी पर दबाव बढ़ायी एवं बोर्ड को क्रय की लागत पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

बोर्ड ने बताया (अगस्त 2010) कि जमा शीर्षो के साथ–साथ पूँजीगत कार्यो यथा, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, सड़को के चौड़ीकरण इत्यादि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए 33 के.भी. और 11 के.भी. के भूमिगत केबल की बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी। जबाब मान्य नहीं है क्योंकि जबाब में बताया गया उद्देश्य केबलों के क्रय के पूर्व इकाईयों द्वारा भेजे गये आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी मे दर्शाये गये उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। यह वर्णित करता है कि सामग्रियों की क्रय माँग के बिना किया गया और जबाब में बताया गया उद्देश्य बाद में सोचा–समझा गया एक विचार है। इस प्रकार, उचित योजना के बिना क्रय किए गये भूमिगत केबल के कारण ₹ 3.35 करोड़ निधि का अवरूद्धन एवं ₹ 1.41 करोड़ के ब्याज की क्षति हुई।

यह अनुशंसा की जाती है कि सामग्रियों का क्रय वित्त एवं लेखा संहिता की शर्तो के अनुसार की जाय ताकि इस प्रकार के निरर्थक निवेश को टाला जा सके और क्षेत्र कार्यालयों द्वारा आकलन आवश्यकता की जानकारी प्राप्ति के बाद ही क्रय किया जाय।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.7 *बढ़ी हुई उर्जा क्रय लागत की वसूली नहीं होना*

बिहार विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ याचिका भरने में विलम्ब के कारण ₹ 173.97 करोड़ की निधि अवरूद्ध एवं 10 महीने में ₹ 26.10 करोड़ के ब्याज की हानि और प्रति माह ₹ 2.61 करोड़ के ब्याज की आवर्ती हानि।

सितम्बर 2008 से आगे की अवधि के लिए प्रभावी विद्युत टैरिफ का अनुमोदन बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बी. ई. आर. सी.) द्वारा अगस्त 2008 में किया गया था। टैरिफ को अनुमोदित करते समय बी. ई. आर. सी. में अपने टैरिफ आदेश में ईंधन एवं ऊर्जा क्रय समायोजन सूत्र को भी अनुमोदित किया। सूत्र के अनुसार ऊर्जा लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं (कृषि एवं कुटिर ज्योति श्रेणियों को छोड़कर) से वसूलनीय थी। बोर्ड को टैरिफ अनुमोदन की तिथि से प्रत्येक छः माह बाद क्रय लागत की समीक्षा करनी थी और ऊर्जा क्रय में पाँच पैसे प्रति इकाई से अधिक वृद्धि की स्थिति में, बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली के लिए बी. ई. आर. सी. को दावा प्रस्तुत करना था। अतः बोर्ड द्वारा सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 के विद्युत शक्ति क्रय की लागत की समीक्षा की जानी थी और बी.ई.आर.सी. को मार्च 2009 में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु दावा प्रस्तुत करना था।

हमने प्रेक्षित किया (जून 2010) कि सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 की अवधि के दौरान क्रय किये गये ऊर्जा की समीक्षा बोर्ड ने अपैल 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान किया और बोर्ड ने कुटिर ज्योति एवं कृषि श्रेणियों को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं को बेचे गये प्रति इकाई पर ₹ 0.69 का दावा बी. ई. आर. सी. को सात[10] महीने विलम्ब से दिसम्बर 2009 मे किया। बी. ई. आर. सी. ने बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उपभोक्ताओं को बेचे गये प्रति इकाई पर 69 पैसे की दर से

10 जैसा कि बी.ई.आर.सी. ने मार्च 2009 तक की लागत पर विचार किया और अनुमोदित किया, विलम्ब की अवधि मई से नवम्बर 2009 तक के लिए गणना की गई है।

₹ 173.97 करोड़ की बकाये की वसूली का आदेश दिया (मार्च 2010)। प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार ने एक बैठक (मई 2010) के दौरान मौखिक रूप से बोर्ड को आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ताओं से वसूली न कर राज्य सरकार से अनुदान की माँग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। तदनुसार, बोर्ड ने सरकार से ₹ 173.97 करोड़ के दावे की माँग की और आयोग के आदेश को लागू नहीं किया। परन्तु इस सम्बन्ध में न तो सरकार ने किसी राशि का प्रावधान किया और न ही सरकार से कोई निर्देश ही प्राप्त हुआ है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार राज्य सरकार का कोई निर्देश आवश्यक राशि के अग्रिम भुगतान के बाद ही प्रभावी होता है। जैसा कि सरकार द्वारा अग्रिम में राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली टालने का निर्देश अनियमित था। इस प्रकार, बोर्ड, द्वारा अधिनियम की धारा 62 के उल्लंघन के कारण ₹ 173.97 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई और 10[11] महीने में ₹ 26.10 करोड़ के ब्याज की क्षति हुई।

बोर्ड ने ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (एफ.पी.सी.सी.ए.) प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब एवं उपभोक्ताओं से एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली न होने को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली न होने से बोर्ड को हुई क्षति की भरपाई के लिए बिहार सरकार से अक्टुबर 2008 से मार्च 2009 एवं अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 256.77 करोड़ का दावा अनुदान की स्वीकृति हेतु माँग की गयी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रिय कार्यालयों को जुलाई 2010 के उर्जा विपत्र के साथ बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार छः किस्तों में औद्योगिक एवं उच्च श्रेणी उपभोक्ताओं से वर्णित अवधि के लिए एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली के आदेश दिये गये हैं। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार शक्ति क्रय लागत में बृद्धि उपभोक्ताओं से वसूली की जानी चाहिए थी परन्तु अभी भी एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ₹ 173.97 करोड़ के दावे की राशि वसूलनीय है और बोर्ड को उस पर प्रतिमाह ₹ 2.61 करोड़ के ब्याज की लगातार हानि हो रही है।

बोर्ड द्वारा बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार एफ.पी.सी.सी.ए. की राशि का दावा किया जाना चाहिए और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.8 राजस्व का न्यून निर्धारण

टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की क्षति।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के परिपत्र सं0 477 दिनांक 29.10.2002 एवं टैरिफ 2006 तथा 2008 के कथनानुसार उच्च विभव (एच.टी.) एवं अति उच्च विभव (ई.एच.टी.) उपभाक्ताओं के ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता उनके अनुबन्धित माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की कंडिका 6.24 के प्रावधान के अनुसार ट्रान्सफार्मर की पर्याप्तता के सम्बन्ध में प्रणाली से उच्च विभव उपभोक्ता के ट्रान्सफॉर्मर, स्वीचगियर या

11 बोर्ड द्वारा दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब की अवधि (मई से नवम्बर 2009) एवं उसके बाद के विलम्ब की अवधि (अप्रैल से जून 2010)।

अन्य विद्युत उपकरणों को जोडे जाने के पूर्व, यह अनुज्ञप्तिधारी (जो कि बोर्ड है) के निरीक्षण एवं अनुमोदन के विषयाधीन है एवं अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के बिना इसे जोडा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी उच्च विभव प्रतिष्ठानों विद्युत निरीक्षक से अनुमोदित होनी चाहिए। आपूर्ति विज्ञप्तिक (अक्टूबर 2002) की संशोधित नियम एवं शर्तो की कंडिका 8–अ एवं 8–ड यह भी प्रावधानित करती है कि यदि कोई उपभोक्ता अपने लिए अनुबन्धित माँग के अनुसार स्वीकार्य क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो निर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार विद्यमान दरों की दुगुनी दर से ऐसी पूरी अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा स्थापित ट्रान्सफॉर्मर क्षमता की 2/3 क्षमता को अनुबंधित माँग मानते हुए भारित राशि से भुगतान घटाकर निर्धारित क्षतिपूर्ति उपभोक्ता द्वारा देय होगी। वैसी स्थिति में जहाँ कदाचार की अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, कदाचार का पता चलने से पूर्व का छः माह लिया जाएगा ।

हमने प्रेक्षित किया (अगस्त 2009 से जनवरी 2010) कि तीन अंचलों जो कि गया, आरा, एवं मोतीहारी थे, के तीन एच.टी. उपभोक्ता बोर्ड द्वारा स्वीकार्य क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर प्रयोग करते पाये गये[12]। परन्तु बोर्ड द्वारा इन उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट क्षमता के ट्रान्सफॉर्मर से ट्रान्सफॉर्मर प्रतिस्थापित करने या बढ़े हुए भार के लिए अनुबन्ध करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। तथापि, ये उपभोक्ता प्रचलित टैरिफ[13] एवं बोर्ड के आदेश के अनुसार विपत्रीकृत नहीं किये गये। फलस्वरूप अक्टूबर 2004 से मई 2010 की अवधि में बोर्ड ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा ।

इस प्रकार, टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन न करने, ट्रान्सफॉर्मर क्षमता के सम्बन्ध में नियंत्रण/प्रबोधन तंत्र का प्रेक्षण न करने एवं बोर्ड स्तर पर अनुपालन में विफलता से संस्थापन के समय इस प्रकार की अनियमितताओं का पता नहीं चला और बोर्ड को इसके फलस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

निकट भविष्य में ऐसी हानियों को टालने के लिए बोर्ड को अपना आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ।

मामला बोर्ड/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.9 *निष्फल व्यय*

ट्रक मॉन्टेड हाइड्रॉलिक क्रेन के क्रय में ₹ 2.90 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 1.50 करोड़ का ब्याज दायित्व।

उपकरणों की खरीद के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, उपयोग के अवसरों इत्यादि के साथ उचित नियोजन किया जाना आवश्यक होता है । बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने 11 अंचलों में 14 ट्रक आधारित (मॉनटेड) जलदाब चलित (हाइड्रॉलिक) क्रेन के क्रय हेतु ₹ 2.75 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 2006 एवं जनवरी 2007) । क्रेन का उद्देश्य विद्युत आपूर्ति बाधित (ब्रेक डाउन) होना एवं फ्यूज की समस्या को अविलम्ब दूर करना था। ऋण संस्वीकृति पत्र के अनुसार, बोर्ड को ऋण, ऋण राशि की प्राप्ति के एक वर्ष बाद 10

12 बोर्ड द्वारा पाया गया (विद्युत आपूर्ति अंचल, गया अगस्त 2006, विद्युत आपूर्ति अंचल, आरा अक्टूबर 2004 एवं विद्युत आपूर्ति अंचल, मोतीहारी)– मार्च 2008।

13 बी एस ई बी. टैरिफ 1993 ,बी.ई.आर.सी. टैरिफ आदेश 2006–07, बी.ई.आर.सी. टैरिफ आदेश 2008–09।

समान किस्तों में मूलधन एवं ब्याज (13 प्रतिशत की दर से) चुकाना था। ऋण के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में 2.5 प्रतिशत की दर से दांडिक ब्याज भी देय था।

बोर्ड की निविदा (जून 2006) के आधार पर 14 आयशर 11.10 एच केबिन एवं चेसिस तथा ट्रक आधारित क्रेन की आपूर्ति हेतु क्रमशः मे0 आयशर मोटर्स, नई दिल्ली (आपूर्तिकर्ता–1) एवं मे0 लिफ्टमैक उद्योग प्रा0 लि0 (आपूर्तिकर्ता–2) को दो क्रय आदेश दिये गये। 14 ट्रक आधारित क्रेन की कुल लागत ₹ 3.76 करोड़ थी। 14 ट्रकों के क्रय आदेश के विरूद्ध, बोर्ड ने 9 अंचलो के लिए 11 ट्रक आधारित क्रेन अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 की अवधि में प्राप्त किये, जिसके लिए बोर्ड ने ₹ 2.90 करोड़ (आतंरिक स्त्रोतों से ₹ 15,71,990 सम्मिलित करने हुए) का भुगतान किया।

इन नौ अंचलों के दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि सभी ग्यारह ट्रक आधारित क्रेनें अव्यवहरित पड़े हुए थे। बोर्ड ने इनके प्रयोग हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। लेखापरीक्षा के विश्लेषण में ट्रकों के अप्रयुक्त रहने के कारणों में ट्रकों के पंजीकरण में विलम्ब, क्रेन के परिचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, अपर्याप्त चौड़े एवं खराब सड़के पायी गयीं । यह भी पाया गया कि सरकार को योजना सौंपने एवं क्रेनों की क्रय के पूर्व उपभोक्ताओं के क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों में क्रेनों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्रय में नियोजन की कमी एवं परियोजना में अदूरदर्शिता के कारण 11 ट्रक आधारित क्रेनों के क्रय में निवेशित ₹ 2.90 करोड़ निष्फल हो गये और बोर्ड द्वारा ₹ 1.50 करोड़ के परिहार्य ब्याज का दायित्व भी वहन करना पड़ा (अप्रैल 2010)। इसके अतिरिक्त, क्रेन के स्थापन तिथि से 18 माह की प्रत्याभूति अवधि भी समाप्त हो गयी ।

बोर्ड ने अपने जबाब में बताया (नवम्बर 2010) कि पंजीकरण में विलम्ब का कारण वाणिज्यिक कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब था, परन्तु, जवाब में उन उद्देश्यों हेतु जिनके लिए क्रेनों का क्रय किया गया था, के अनुपयोग का जिक्र नहीं था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.10 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

जनदाहा शक्ति उपकेन्द्र के पुनरूद्धार पर ₹ 0.55 करोड़ व्यय के बाद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हाजीपुर के 33 के.भी. जनदाहा शक्ति उपकेन्द्र (जे.पी.एस.एस.) के पुनरूद्धार का कार्य मार्च 2006 में ₹ 0.37 करोड़ की लागत पर, बोर्ड द्वारा त्वरित शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रान्सफॉर्मर की लागत (₹ 0.18 करोड़) छोड़कर, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि पी.जी.सी.आई.एल. को वैशाली जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत दिये गये 33 के.भी. महनार–जनदाहा लाइन कार्य सितम्बर 2009 (15.09.09) तक पूर्ण होने में विलम्ब था जिसके कारण शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) ऊर्जान्वित नहीं हो पाया था । इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :–

- यद्यपि शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) पुनरूद्धार का कार्य पूर्ण हो गया था और मार्च 2006 में इसका परीक्षण कर लिया गया था, यह लगभग साढ़े तीन वर्षो तक विद्युत शक्ति संचरण के लिए आवश्यक 33 के.भी. कार्यकारी लाइन के अभाव में अकार्यान्वित पड़ा रहा।
- शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) जैसा कि 16 सितम्बर 2009 से 15 अक्टूबर 2009 के मध्य मात्र 21 दिनों (16 सितम्बर 2009 एवं 24 सितम्बर 2009 के मध्य 9 दिनों तथा 4 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के मध्य 12 दिनों) के लिए उर्जान्वित हुआ तथा तबसे पूर्णता के बाद 33 के.भी. लाईन के कंडक्टर की चोरी के कारण अब तक (अक्टूबर 2010) बंद पड़ा है ।
- शक्ति उपकेन्द्र 33 के.भी. लाइन में कण्डकटर की चोरी के कारण लम्बे समय से निष्क्रिय था। अतः लाइन निर्माण के समय चोरी की संभावनाओं को टालने /कम करने हेतु 33 के.भी. लाइन के सुरक्षित स्थान/सड़क किनारे पुनः परिपथीकरण पर विचार किया जाना चाहिए था जो कि बोर्ड द्वारा सिर्फ अगस्त 2009 में विचारित किया गया । यदि बोर्ड द्वारा कथित लाइन के निर्माण के समय 33 के.भी. लाइन के पुनः परिपथीकरण पर विचार होता तो चोरी को परिहार/न्यूनीकरण किया जा सकता था और शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) कार्यकारी होता ।

बोर्ड ने अपने जवाब (सितम्बर 2010) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि दो योजनाओं में कुछ तालमेल की कमी, जनदाहा पी.एस.एस. एवं 33 के.भी. महनार–जनदहा लाइन में अनेक चोरियों के कारण शक्ति उपकेन्द्र सेवा में नहीं रह सका।

इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) पर खर्च हुए ₹ 0.55 करोड़ निष्फल रह गये और बोर्ड व्यय के उद्देश्यों को पाने में विफल रहा ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

सामान्य

4.11 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संवादित किया जाता हैं। सा.क्षे.उ. के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि.प्र. का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। मार्च 2010 तक 19 सा.क्षे.उ. को निर्गत नि.प्र. से यह स्पष्ट होता है कि 510 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1291 कंडिकाएँ सितम्बर 2010 तक लम्बित थी। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से पाँच वर्षो तक अनुत्तरित थी। 30 सितम्बर 2010 तक लम्बित नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार बँटवारा **परिशिष्ट–20** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए प्रधान सचिव/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये जाते है । यद्यपि यह पाया गया कि अप्रैल से नवम्बर 2010 की अवधि में विभिन्न

विभागों को अग्रसारित दो समीक्षाओं एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर **परिशिष्ट–21** के विवरणानुसार प्रतीक्षित थे।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई की प्रक्रिया विद्यमान हो (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

प्रेमन दिनाराज

पटना
दिनांक

(प्रेमन दिनाराज)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट – 1

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2010 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि.रा.बी.नि.लि.)	कृषि	18.7.1977	2.27 (0.65)	1.22 (0.02)	0.22 (0.03)	3.71 (0.70)	-	-	-	-	-- (7.51:1)	89
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.म.वि.नि.लि.)	पशुपालन एवं मतस्य	23.3.1980	3.00 (1.25)	-	-	3.00 (1.25)	2.63	0.03	-	2.66	0.89:1 (0.89:1)	41
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड (स्का.ए.बि.कं.लि.)	जल संसाधन		-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-- (60.60:1)	लागू नहीं
प्रक्षेत्रवार योग				**5.27 (1.90)**	**1.22 (0.02)**	**0.27 (0.03)**	**6.76 (1.95)**	**2.63**	**0.03**	**-**	**2.66**	**-**	**130**
वित्त													
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बि.रा.सा.एवं वि.नि.लि.)	उद्योग	30.1.1975	15.12 (0.12)	-	-	15.12 (0.12)	20.48	-	37.01	57.49	3.80:1 (3.80:1)	54
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.पि.व.वि. एवं वि.नि.लि.)	कल्याण	17.6.1993	17.36 (4.00)	-	-	17.36 (4.00)	-	21.56	-	21.56	1.24:1 (1.30:1)	16
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (बि.रा.अ.वि.नि.लि.)	अल्पसंख्यक विकास	22.3.1984	11.50	-	-	11.50	-	-	34.99	34.99	3.04:1 (3.04:1)	27
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (बि.रा.फि.वि.एवं वि.नि.लि.)	उद्योग	6.3.1983	2.00 (1.00)	-	-	2.00 (1.00)	0.15	-	-	0.15	0.08:1 (0.07:1)	08
प्रक्षेत्रवार योग				**45.98 (5.12)**	**-**	**-**	**45.98 (5.12)**	**20.63**	**21.56**	**72.00**	**114.19**		**105**
आधारिक संरचना													

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि.पु.भ.नि.नि.लि.)	गृह (पुलिस)	26.6.1974	0.10 (0.00)[1]	-	-	0.10 (0.00)	-	0.43	-	0.43	4.30:1 (4.30:1)	292
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.पु.नि.नि.लि.)	पथ निर्माण	11.6.1975	3.50	-	-	3.50	-	-	-	-	-	513
10.	बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.स्वा.परि.वि.नि.लि.)	भवन निर्माण	20.3.2008	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	09
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.प.वि.नि.लि.)	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	105
12.	बिहार शहरी आधारिक संरचना विकास निगम लिमिटेड (बि.श.आ.सं.वि.नि.लि.)	शहरी विकास एवं गृह	16.06.2009	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	11
प्रक्षेत्रवार योग				**28.66 (0.00)**	-	-	**28.66 (0.00)**	-	**0.43**	-	**0.43**		**930**
विनिर्माण													
13.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.इ.वि.नि.लि.)	सूचना प्राद्यौगिकी	21.2.1978	5.67 (1.59)	-	-	5.67 (1.59)	5.93	-	-	5.93	1.05:1 (1.05:1)	66
14.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.ख.वि.नि.लि.)	खनन एवं भूविज्ञान	12.6.1972	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	-	15
15.	बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (बि.रा. बि.नि.लि.)	उत्पाद	25.5.2006	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	308
16.	बिहार एयर प्रोडक्टस लिमिटेड (बि.ए.प्रो.लि.)	उद्योग		-	-	0.80	0.80	-	-	0.60	0.60	(0.75:1) (0.75:1)	30
प्रक्षेत्रवार योग				**20.64 (1.59)**	-	**0.80**	**21.44 (1.59)**	**5.93**	-	**0.60**	**6.53**	-	**419**
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बि.रा.ज.वि.श.नि.लि.)	ऊर्जा	31.3.1982	99.04	-	-	99.04	176.37	-	75.80	252.17	2.55:1 (2.20:1)	137

[1] ₹ 0.01 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
प्रक्षेत्रवार योग				**99.04**	**-**	**-**	**99.04**	**176.37**	**-**	**75.80**	**252.17**	**-**	**137**
सेवा													
18.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.प.वि.नि.लि.)	पर्यटन	28.11.1980	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	211
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बि.रा.खा.एवं अ.आ.नि.लि.)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	22.4.1973	5.27	-	-	5.27	118.64	1.94	-	120.58	22.88:1 (22.88:1)	1389
प्रक्षेत्रवार योग				**10.27**	**-**	**-**	**10.27**	**118.64**	**1.94**	**-**	**120.58**		**1600**
विविध													
20.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.व.वि.नि.लि.)	वन व पर्यावरण	10.2.1975	1.75	0.54	-	2.29	-	-	-	-	-	लागू नहीं
21.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बि.रा.पा.पु.प्र.नि.लि.)	शिक्षा	2.4.1965	0.36	-	0.12	0.48	-	-	-	-	-	197
प्रक्षेत्रवार योग				**2.11**	**0.54**	**0.12**	**2.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**197**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**211.97 (8.61)**	**1.76 (0.02)**	**1.19 (0.03)**	**214.92 (8.66)**	**324.20**	**23.96**	**148.40**	**496.56**	**-**	**3518**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्त निगम (बि.रा.वि.नि.)	उद्योग	2.11.1954	39.95	37.70	0.19	77.84	228.47	-	35.52	263.99	3.39:1 (4.00:1)	307
प्रक्षेत्रवार योग				**39.95**	**37.70**	**0.19**	**77.84**	**228.47**	**-**	**35.52**	**263.99**		**307**
ऊर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो)	ऊर्जा	1.4.1958	-	-	-	-	7151.26	32.49	245.82	7429.57	-	13813
प्रक्षेत्रवार योग				**-**	**-**	**-**	**-**	**7151.26**	**32.49**	**245.82**	**7429.57**	**-**	**13813**
सेवा													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	परिवहन	1.5.1959	74.75	26.52	-	101.27	297.11	-	-	297.11	2.93:1 (0.98:1)	2006
4.	बिहार राज्य भंड़ार निगम (बि.रा.भं.नि.)	सहकारिता	29.3.1957	3.21	-	3.21	6.42	-	-	2.39	2.39	0.37:1 (0.63:1)	247

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
प्रक्षेत्रवार योग				**77.96**	**26.52**	**3.21**	**107.69**	**297.11**	**-**	**2.39**	**299.50**	**-**	**2253**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**117.91**	**64.22**	**3.40**	**185.53**	**7676.84**	**32.49**	**283.73**	**7993.06**	**-**	**16373**
कुल योग (क+ख)				**329.88 (8.61)**	**65.98 (0.02)**	**4.59 (0.03)**	**400.45 (8.66)**	**8001.04**	**56.45**	**432.13**	**8489.62**	**-**	**19891**
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.ज.वि.नि.लि.)	जल संसाधन	12.4.1973	10.00	-	-	10.00	49.68	-	-	49.68	4.97:1 (4.97:1)	लागू नहीं
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड (बि.रा.दु.नि.लि.)	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	6.72	-	-	6.72	1.75	-	-	1.75	0.26:1 (0.26:1)	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (बि.हि.ए.लि.सि.नि.लि.)	लघु सिंचाई	3.6.1975	10.82	-	-	10.82	8.55	-	-	8.55	0.86:1 (0.86:1)	लागू नहीं
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.कृ.उ.वि.नि.लि.)	कृषि	28.4.1966	7.64 (0.07)	-	-	7.64 (0.07)	12.60	-	-	12.60	1.65:1 (1.65:1)	283
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड (बि.फ. एवं स.वि.नि.लि.)	कृषि	8.10.1980	1.61	0.49	-	2.10	0.42	0.70	-	1.12	0.53:1 (0.53:1)	10
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (बि.की.लि.)	उद्योग	27.2.1983	-	-	2.96 (2.39)	2.96 (2.39)	-	-	1.54	1.54	0.52:1 (0.52:1)	69
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल (स्का.ए.बि.लि.ख.)	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी (स्का.ए.बि.लि.,डी.)	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	रकाडा एग्रो बिजनेरा लिमिटेड, आरा (रका.ए.बि.लि.,आ.)	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद (स्का.ए.बि.लि.,औ.)	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया (स्का.ए.बि.लि.,मो.)	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	रकाडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	कृषि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[$$]				2009–10 के ऋण/ साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
	(रका.ए.व.कं.लि.,ख.)					नहीं				नही			
प्रक्षेत्रवार योग				**36.79 (0.07)**	**0.49**	**2.96 (2.39)**	**40.24 (2.46)**	**73.00**	**0.70**	**1.54**	**75.24**	-	**362**
वित्त													
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड (बि.पं.रा.वि.नि.लि.)	पंचायती राज	20.4.1974	1.44 (0.38)	--	--	1.44 (0.38)	-	-	-	-	-	लागू नहीं
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (बि.रा.ह.ए.ह.नि.लि.)	उद्योग	21.5.1974	10.00	--	--	10.00	1.16	-	-	1.16	0.12:1 (0.12:1)	लागू नहीं
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड (बि.रा.ल.उ.नि.लि.)	उद्योग	29.10.1961	7.18	-	-	7.18	10.40	-	1.83	12.23	1.70:1 (1.70:1)	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.औ.व.नि.लि.)	उद्योग	5.11.1960	14.04	-	-	14.04	66.54	-	0.02	66.56	4.74:1 (4.44:1)	823
प्रक्षेत्रवार योग				**32.66 (0.38)**	-	-	**32.66 (0.38)**	**78.10**	-	**1.85**	**79.95**	-	**872**
आधारिक संरचना													
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.नि.नि.लि.)	जल संसाधन	22.8.1974	11.00	-	-	11.00	-	-	-	-		1086
प्रक्षेत्रवार योग				**11.00**	-	-	**11.00**	-	-	-	-		**1086**
विनिर्माण													
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (बि.सो.के.लि.)	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 79	0.20	-	0.88	1.08	-	-	0.89	0.89	0.82:1 (0.82:1)	लागू नहीं
19.	मगध मिनरल लिमिटेड (म.मि.लि.)	उद्योग	22.11.1984	-	-	0.36 (0.36)	0.36 (0.36)	-	-	0.47	0.47	1.31:1 (1.31:1)	05
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (कु.मे.का.इ.लि.)	उद्योग	25.10.1983	-	-	2.17	2.17	-	-	6.63	6.63	3.06:1 (3.06:1)	लागू नहीं
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (बे.वि.सि.लि.)	उद्योग	19.9.1984	-	-	5.05	5.05	-	-	4.51	4.51	0.89 (0.89:1)	लागू नहीं
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (बे.मा.सि.लि.)	उद्योग	30.1.1986	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	-	लागू नहीं

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (बे.इ.लि.)	उद्योग	1.3.1988	-	-	0.00[2]	0.00	-	-	-	-	-	लागू नहीं
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बि.रा.ची.नि.लि.)	ईख	26.12.1974	20.00	-	-	20.00	322.95	-	-	322.95	16.15:1 (16.15:1)	लागू नहीं
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (बि.रा.सी.नि.लि.)	उद्योग	17.10.1981	-	-	0.00[3]	0.00	0.03	-	-	0.03	42.86:1 (45.29:1)	लागू नहीं
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.औ.एवं र.वि.नि.लि.)	उद्योग	22.2.1978	16.54 (0.78)	-	-	16.54 (0.78)	4.28	-	-	4.28	0.26:1 (4.60:1)	52
27.	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड (बि.मे.प्रो.लि.)	उद्योग	2.9.1982	-	-	0.74 (0.74)	0.74 (0.74)	-	-	0.02	0.02	0.03:1 (0.03:1)	लागू नहीं
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (बि.ड्रु. एवं के.लि.)	उद्योग	12.8.1983	-	-	4.00	4.00	1.28	-	-	1.28	0.32:1 (0.32:1)	लागू नहीं
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (बि.रा.व.नि.लि.)	उद्योग	21.2.1978	10.78	-	-	10.78	2.27	-	-	2.27	0.21:1 (0.42:1)	51
प्रक्षेत्रवार योग				**47.52 (0.78)**	**-**	**15.68 (1.10)**	**63.20 (1.88)**	**330.81**	**-**	**12.52**	**343.33**	**-**	**108**
सेवाएँ													
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (बि.रा.नि.नि.लि.)	उद्योग	29.12.1974	2.00	-	-	2.00	1.22	-	-	1.22	0.61:1 (0.61:1)	23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.00**	**-**	**-**	**2.00**	**1.22**	**-**	**-**	**1.22**		**23**
विविध													
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड (बि.पे.मि.लि.)	उद्योग	8.7.1977	-	-	7.77	7.77	-	-	10.72	10.72	1.38:1 (1.38:1)	लागू नहीं
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाइल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड (बि.रा.ग.टा.एवं सि.लि.)	उद्योग	2.4.1984	-	-	1.40 (0.25)	1.40 (0.25)	-	-	3.66	3.66	2.61:1 (2.61:1)	32
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (वि.पे.उ.लि.)	उद्योग	18.6.1983	-	-	1.74	1.74	-	-	0.81	0.81	0.47:1	लागू नहीं

[2] ₹ 0.28 लाख

[3] ₹ 0.07 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2009–10 के अंत में बकाया ऋण[**]				2009–10 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2010 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
						(0.60)	(0.60)					(0.47:1)	
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (झं.पे.उ.लि.)	उद्योग	27.2.1982	-	-	1.49 (0.42)	1.49 (0.42)	-	-	0.46	0.46	0.31:1 (0.31:1)	13
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (वि.रा. टै.ए.लि.)	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	-	-	1.57	1.57	-	-	2.14	2.14	1.36:1 (1.36:1)	लागू नहीं
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (बि.रा.फि.ले.नि.लि.)	उद्योग	20.4.1982	-	-	1.47	1.47	9.18	-	-	9.18	6.24:1 (6.24:1)	लागू नहीं
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड(सि.रे.इ. लि.)	उद्योग	14.12.1982	-	-	0.31	0.31	-	-	1.05	1.05	3.39:1 (3.39:1)	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड (भ.ऐ.का.लि.)	उद्योग	26.3.1985	-	-	0.09	0.09	-	-	-	-	-	लागू नहीं
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.च.वि.नि.लि.)	उद्योग	23.3.1974	17.40	-	-	17.40	12.43	-	1.70	14.13	0.81:1 (1.41:1)	लागू नहीं
40.	बिहार स्कूटर लिमिटेड (बि.एस.लि.)	उद्योग	19.1.1978	-	-	1.63	1.63	6.09	-	-	6.09	3.74:1 (3.74:1)	लागू नहीं
प्रक्षेत्रवार योग				**17.40**	-	**17.47 (1.27)**	**34.87 (1.27)**	**27.70**	-	**20.54**	**48.24**	-	**45**
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**147.37 (1.23)**	**0.49**	**36.11 (4.76)**	**183.97 (5.99)**	**510.83**	**0.70**	**36.45**	**547.98**	-	**2496**
कुल योग (क+ख+ग)				**477.25 (9.84)**	**66.47 (0.02)**	**40.70 (4.79)**	**584.42 (14.65)**	**8511.87**	**57.15**	**468.58**	**9037.60**	-	**22387**

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 एवं 16 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

$ प्रदत पूँजी में आवंटन हेतू अंश आवेदन राशि शामिल हैं जो कि कॉलम 5 (क) से 5 (घ) तक कोष्टक में दिखाई गई हैं।

** वर्ष 2009–10 तक बकाया ऋण दीर्घकालिक ऋण को दर्शाते हैं।

लागू नहीं यह दर्शाते हैं कि संबंधित कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी हैं।

क्रम सं0 क–7, क–20, ग–1 से ग–3, ग–6 से ग–14 एवं ग–17 से 40 के कम्पनियां की राशियाँ लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2008–09 से ली गई हैं क्योंकि वांछित सूचनाएँ संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

परिशिष्ट–2
(कंडिका 1.14 में संदर्भित)
सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष, जिसका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[3]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यशील कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बि.रा.बी.नि.लि.	1998-99	2010-11	(-)2.73	2.77	0.07	(-)5.57	5.33	(-)1.53	3.71	(-)53.45	2.90	(-)2.80	-
2.	बि.रा.म.वि.नि.लि.	1992-93	1996-97	(-)0.01	0.17	0.04	(-)0.22	-	-	1.75	(-)1.92	1.74	(-)0.05	-
3.	स्का.ए.बि.कं.लि.	2005-06	2009-10	0.02	-	0.02	0.00[4]	0.51	-	0.05	(-)1.91	1.17	0.00	-
	प्रक्षेत्रवार योग			**(-)2.72**	**2.94**	**0.13**	**(-)5.79**	**5.84**	**(-)1.53**	**5.51**	**(-)57.28**	**5.81**	**(-)2.85**	-
वित्त														
4.	बि.रा.सा.एवं वि.नि.लि.	2002-03	2008-09	4.40	8.55	0.04	(-)4.19	6.44	(-)4.15	15.00	(-)139.71	15.66	4.36	27.84
5.	बि.रा.पि.व.वि. एवं वि.नि.लि.	1997-98	2006-07	0.41	0.68	0.02	(-)0.29	0.64	-	3.62	0.53	3.86	0.39	10.10
6.	बि.रा.अ.वि.नि.लि.	2006-07	2009-10	(-)0.38	0.37	0.00[5]	(-)0.75	0.35	(-)1.59	8.95	(-)4.69	8.95	(-)0.38	-
7.	बि.रा.फि.वि.एवं वि.नि.लि.	1991-92	2000-01	0.02	-	0.00[6]	0.02	-	-	0.95	(-)0.12	0.88	0.02	2.27
	प्रक्षेत्रवार योग			**4.45**	**9.60**	**0.06**	**(-)5.21**	**7.43**	**(-)5.74**	**28.52**	**(-)143.99**	**29.35**	**4.39**	-
आधारिक संरचना														
8.	बि.पु.भ.नि.नि.लि.	1994-95	2009-10	(-)1.13	-	0.01	(-)1.14	0.00[7]	-	0.10	(-)8.22	(-)9.77	(-)1.14	-
9.	बि.रा.पु.नि.नि.लि.	2001-02	2010-11	(-)0.73	-	0.22	(-)0.95	5.07	**	3.50	(-)14.02	42.03	(-)0.95	-
10.	बि.रा.रवा.परि.वि.नि.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	बि.रा.प.वि.नि.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	बि.श.आ.सं.वि.नि.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[4] ₹ (-)0.18 लाख
[5] ₹ 0.49 लाख
[6] ₹ 0.29 लाख
[7] ₹ 0.79 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**(-)1.86**	**-**	**0.23**	**(-)2.09**	**5.07**	**-**	**3.60**	**(-)22.24**	**32.26**	**(-)2.09**	**-**
विनिर्माण														
13.	बि.रा.इ.वि.नि.लि.	2002-03	2010-11	(-)0.27	0.92	0.04	(-)1.23	1.46	(-)0.17	5.67	(-)15.90	2.12	(-)0.31	-
14.	बि.रा.ख.वि.नि.लि.	2000-01	2004-05	9.42	-	0.13	9.29	31.55	-	9.97	7.04	20.68	9.29	44.92
15.	बि.रा.बि.नि.लि.	2007-08	2009-10	1.27	-	0.18	1.09	502.84	-	5.00	1.43	5.60	1.09	19.46
16.	बि.ए.प्रो.लि.	1992-93	1994-95	0.39	0.23	0.10	0.06	2.21	-	0.80	(-)1.03	1.33	0.29	21.80
प्रक्षेत्रवार योग				**10.81**	**1.15**	**0.45**	**9.21**	**538.06**	**(-)0.17**	**21.44**	**(-)8.46**	**29.73**	**10.36**	
ऊर्जा														
17.	बि.रा.ज.वि.श.नि.लि.	1995-96	2004-05	(-)1.08	5.52	0.30	(-)6.90	2.96	(-)26.06	89.26	(-)5.48	128.34	(-)1.38	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)1.08**	**5.52**	**0.30**	**(-)6.90**	**2.96**	**(-)26.06**	**89.26**	**(-)5.48**	**128.34**	**(-)1.38**	**-**
सेवाएँ														
18.	बि.रा.प.वि.नि.लि.	1997-98	2010-11	0.19	-	0.09	0.10	1.97	-	5.00	2.07	7.63	0.10	1.31
19.	बि.रा.खा.एवं अ.आ.नि.लि.	1988-89	2007-08	2.53	5.65	0.63	(-)3.75	166.38	(-)2.75	4.46	(-)29.20	31.78	1.90	5.98
प्रक्षेत्रवार योग				**2.72**	**5.65**	**0.72**	**(-)3.65**	**168.35**	**(-)2.75**	**9.46**	**(-)27.13**	**39.41**	**2.00**	
विविध														
20.	बि.रा.व.वि.नि.लि.	2000-01	2005-06	0.34	-	0.06	0.28	22.81	(-)0.40	2.29	0.32	1.17	0.28	23.93
21.	बि.रा.पा.पु.प्र.नि.लि.	1997-98	2009-10	(-)4.30	-	0.06	(-)4.36	7.28	-	0.48	(-)5.97	(-)6.51	(-)4.36	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)3.96**	**-**	**0.12**	**(-)4.08**	**30.09**	**(-)0.40**	**2.77**	**(-)5.65**	**(-)5.34**	**(-)4.08**	
योग–क (प्रक्षेत्रवार सभी कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**8.36**	**24.86**	**2.01**	**(-)18.15**	**757.80**	**(-)36.65**	**160.56**	**(-)270.23**	**259.56**	**6.35**	
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें														
वित्त														
1.	बि.रा.वि.नि.	2008-09	2009-10	20.52	19.12	0.04	1.36	15.35	(-)1.74	77.84	(-)383.93	444.17	20.48	4.61
प्रक्षेत्रवार योग				**20.52**	**19.12**	**0.04**	**1.36**	**15.35**	**(-)1.74**	**77.84**	**(-)383.93**	**444.17**	**20.48**	
ऊर्जा														
2.	बि.रा.वि.बो.**	2008-09	2010-11	(-)144.09	902.64	55.55	(-)1102.28	1675.56	-	-	(-)3113.98	3374.64	(-)199.64	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)144.09**	**902.64**	**55.55**	**(-)1102.28**	**1675.56**	**-**	**-**	**(-)3113.98**	**3374.64**	**(-)199.64**	
सेवाएँ														
3.	बि.रा.प.प.नि.	2002-03	2009-10	(-)25.57	28.77	1.40	(-)55.74	18.19	(-)9.28	101.27	(-)680.17	(-)428.03	(-)26.97	-

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	बि.रा.भ.नि.	2007-08	2009-10	2.00	0.56	0.86	0.58	41.93	(-)7.03	5.31	4.10	20.10	1.14	5.67
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)23.57**	**29.33**	**2.26**	**(-)55.16**	**60.12**	**(-)16.31**	**106.58**	**(-)676.07**	**(-)407.93**	**(-)25.83**	
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**(-)147.14**	**951.09**	**57.85**	**(-)1156.08**	**1751.03**	**(-)18.05**	**184.42**	**(-)4173.98**	**3410.88**	**(-)204.99**	
कुल योग (क+ख)				**(-)138.78**	**975.95**	**59.86**	**(-)1174.59**	**2508.83**	**(-)54.70**	**344.98**	**(-)4444.21**	**3670.44**	**(-)198.64**	
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बि.रा.ज.वि.नि.लि.	1978-79	1997-98	3.03	0.25	0.61	2.17	-	-	5.00	11.20	26.70	2.42	9.06
2.	बि.रा.दु.नि.लि.	1994-95	2007-08	(-)0.02	-	-	(-)0.02	-		6.72	(-)10.58	3.68	(-)0.02	-
3.	बि.हि.ए.लि.सि.नि.लि.	1982-83	1993-94	0.18	0.13	0.31	(-)0.26	0.01	-	5.60	(-)0.86	9.53	(-)0.13	-
4.	बि.रा.कृ.उ.वि.नि.लि.	1989-90	2009-10	(-)5.02	0.65	0.03	(-)5.70	2.79	-	7.57	(-)28.96	(-)1.41	(-)5.05	-
5.	बि.रा.फ. एवं स.वि.नि.लि.	1994-95	2010-11	(-)0.12	0.73	0.07	(-)0.92	0.00	(-)0.14	2.10	(-)7.82	(-)0.07	(-)0.19	-
6.	बि.की.लि.	1986-87	1991-92	(-) 0.52	0.16	0.35	(-) 1.03	-	-	0.57	(-) 1.03	2.35	(-) 0.87	-
7.	स्का.ए.बि.ख.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	स्का.ए.बि.लि.,डी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	स्का.ए.बि.लि.,आ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	स्का.ए.बि.लि.,औ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	स्का.ए.बि.लि.,मो.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	स्का.ए.व.लि.,ख.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.47**	**1.92**	**1.37**	**(-)5.76**	**2.80**	**(-)0.31**	**27.56**	**(-)38.05**	**40.78**	**(-)3.84**	
वित्त														
13.	बि.पं.रा.वि.नि.लि.	1984-85	1991-92	0.23	0.24	0.00[8]	(-)0.01	-	-	1.44	(-)0.03	5.86	0.23	3.92
14.	बि.रा.ह.ए.ह.नि.लि.	1983-84	1996-97	0.02	0.11	0.01	(-)0.10	-	(-)0.01	6.28	(-)0.44	7.08	0.01	0.14
15.	बि.रा.ल.उ.नि.लि.	1990-91	2005-06	(-) 0.21	1.15	0.06	(-)1.42	15.22	(-)0.53	7.18	(-)16.56	1.86	(-)0.27	-
16.	बि.रा.औ.व.नि.लि.	1987-88	2009-10	2.22	5.35	0.38	(-)3.51	6.59	(-)9.28	14.04	(-)26.42	29.54	1.84	6.23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.26**	**6.85**	**0.45**	**(-)5.04**	**21.81**	**(-)9.82**	**28.94**	**(-)43.45**	**44.34**	**1.81**	

[8] ₹ 16,235.26

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आधारिक संरचना														
17.	बि.रा.नि.नि.लि.	1986-87	2004-05	1.38	0.00[9]	0.13	1.25	18.70	(-)6.65	7.00	(-)2.79	(-)10.27	1.25	-
प्रक्षेत्रवार योग				**1.38**	**0.00**	**0.13**	**1.25**	**18.70**	**(-)6.65**	**7.00**	**(-)2.79**	**(-)10.27**	**1.25**	
विनिर्माण														
18.	बि.सो.के.लि.	1986-87	1995-96	(-)0.05	0.11	0.16	(-)0.32	-	(-)0.24	0.66	(-)0.32	1.67	(-)0.21	-
19.	म.मि.लि.	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
20.	कु.मे.का.इ.लि.	1994-95	1995-96	(-)1.13	0.38	0.88	(-)2.39	10.89	-	2.17	(-)8.16	0.91	(-)2.01	-
21.	बे.वि.सि.लि.	1987-88	1998-99	(-)0.09	0.05	0.01	(-)0.15	0.75	-	1.21	(-)0.22	1.02	(-)0.10	-
22.	बे.मा.सि.लि.	1989-90	2002-03	(-)0.07	-	0.03	(-)0.10	0.41	-	1.26	(-)0.49	0.52	(-)0.10	-
23.	बे.इ.लि.	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
24.	बि.रा.ची.नि.लि.	1984-85	1996-97	(-)2.84	6.00	0.36	(-)9.20	-	(-)4.67	9.97	(-)72.31	(-)10.24	(-)3.20	-
25.	बि.रा.सी.नि.लि.	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
26.	बि.रा.औ.एवं र.वि.नि.लि.	1985-86	1992-93	(-)0.16	0.00[10]	0.01	(-)0.17	-	-	3.62	(-)0.74	6.87	(-)0.17	-
27.	बि.मे.प्रो.लि.	1983-84	1987-88	(-)0.03	-	0.00[11]	(-)0.03	-	-	0.67	(-)0.06	0.80	(-)0.03	-
28.	बि.इ. एवं के.लि.	1985-86	1991-92	(-)0.03	-	0.00[12]	(-)0.03	-	-	0.94	(-)0.16	1.16	(-)0.03	-
29.	बि.रा.व.नि.लि.	1987-88	1995-96	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	-	(-)0.02	4.98	(-)0.32	3.72	(-)0.09	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)4.48**	**6.54**	**1.46**	**(-)12.48**	**12.05**	**(-)4.93**	**25.48**	**(-)82.78**	**6.43**	**(-)5.94**	
सेवाएँ														
30.	बि.रा.नि.नि.लि.	1991-92	1999-00	0.11	0.20	0.01	(-)0.10	4.94	(-)0.03	2.00	(-)0.01	3.75	0.10	0.27
प्रक्षेत्रवार योग				**0.11**	**0.20**	**0.01**	**(-)0.10**	**4.94**	**(-)0.03**	**2.00**	**(-)0.01**	**3.75**	**0.10**	
विविध														
31.	बि.पे.मि.लि.	1985-86	1997-98	(-)0.05	-	0.01	(-)0.06	-	0.00[13]	1.56	(-)0.31	1.44	(-)0.06	-

[9] ₹ 11,589.31
[10] ₹ 1,680.50
[11] ₹ 9,052.80
[12] ₹ 328.52
[13] ₹ 36,000

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32.	बि.रा.ग.टा.एवं रि.लि.	1985-86	1997-98	(-)0.06	0.02	0.00[14]	(-)0.08	-	-	0.16	(-)0.51	3.50	0.06	-
33.	वि.पे.उ.लि.	1984-85	1988-89	(-)0.01	-	0.00[15]	(-)0.01	-	-	0.40	(-)0.01	0.69	(-)0.01	-
34.	झं.पे.उ.लि.	1985-86	1991-92	(-)0.01	0.00[16]	0.00[17]	(-)0.01	-	(-)0.03	0.42	(-)0.02	0.59	(-)0.01	-
35.	बि.रा.टै.ए.लि.	1988-89	1993-94	(-)0.16	0.16	0.00[18]	(-)0.32	-	-	1.03	(-)0.67	2.49	(-)0.16	-
36.	बि.रा.फि.ले.नि.लि.	1983-84	1986-87	(-)1.49	-	-	(-)1.49	-	-	1.47	(-)2.13	6.15	(-)1.49	-
37.	सि.रे.इ.लि.	1983-84	1987-88	(-)0.02	0.00[19]	-	(-)0.02	-	-	0.09	(-)0.01	0.17	(-)0.02	-
38.	भ.ऐ.का.लि.	1985-86	1989-90	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.02	(-)0.01	0.01	(-)0.01	-
39.	बि.रा.च.वि.नि.लि.	1982-83	2004-05	(-)0.25	0.08	0.04	(-)0.37	-	(-)0.01	5.14	(-)2.92	2.56	(-)0.29	-
40.	बि.एस.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.06**	**0.26**	**0.05**	**(-)2.37**	**-**	**(-)0.04**	**10.29**	**(-)6.59**	**17.60**	**(-)2.11**	
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**(-) 5.26**	**15.77**	**3.47**	**(-)24.50**	**60.30**	**(-)21.78**	**101.27**	**(-)173.67**	**102.63**	**(-)8.73**	
कुल योग (क+ख+ग)				**(-)144.04**	**991.72**	**63.33**	**(-)1199.09**	**2569.13**	**(-)76.48**	**446.25**	**(-)4617.88**	**3773.07**	**(-)207.37**	

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 एवं 16 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

लेखो पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा सीएजी के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि /हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी /हानि में वृद्धि को दर्शाते है।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी, के योग का द्योतक है।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ में लाभ–हानि लेखे पर भारित व्याज को जोड़कर किया गया है।

** लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा, जोकि इन निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक है, 30 सितम्बर 2010 तक प्रगति में है।

[14] ₹ 47,550.94
[15] ₹ 7,623.00
[16] ₹ 2,533.30
[17] ₹ 421.36
[18] ₹ 22,074.77
[19] ₹ 5,814.45

परिशिष्ट–3
(कंडिका संख्या 1.10 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान बजट के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिभूति/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान और अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2010 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[a]		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		ईक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज/ दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4 (क)	4 (ख)	4(ग)	4 (घ)	5(क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6(ग)	6 (घ)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	15.46	-	15.46	-	-	-	-	-	-
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	-	-						4.40[g]				
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	**15.46**	-	**15.46**	-	-	-	-	-	-
वित्त													
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00	-	-	-	-	-	-	25.00[a]	-	-	-	-
4.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	30.00[a]	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**1.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.40**[a]	**-**	**-**	**-**	**-**
आधारिक संरचना													
5.	बिहार राज्य पथ विकास लिमिटेड	20.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		ईक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज / दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4 (क)	4 (ख)	4(ग)	4 (घ)	5(क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6(ग)	6 (घ)
	विकास निगम लिमिटेड												
प्रक्षेत्रवार योग		**25.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊर्जा													
7.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	-	17.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**17.88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**26.00**	**17.88**	-	**15.46**	-	**15.46**	-	**59.40**[$]	-	-	-	-
ख. कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	-	44.15 35.32[#]	-	-	0.12	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	-	-	-	-	**44.15** **35.32**[@]	-	-	**0.12**	-
ऊर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	546.39	-	840.00	-	840.00	-	61.49[$]	-	-	--	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**546.39**	-	**840.00**	-	**840.00**	-	**61.49**[$]				
सेवाएँ													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	-	206.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**206.09**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक		-	**752.48**	-	**840.00**	-	**840.00**	-	**44.15** **96.81**[#]	-	-	**0.12**	-

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		इक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज / दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4 (क)	4 (ख)	4(ग)	4 (घ)	5(क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6(ग)	6 (घ)
निगमें)													
कुल योग (क+ख)		**26.00**	**770.36**	-	**855.46**	-	**855.46**	-	**44.15** **156.21**[@]	-	-	**0.12**	-
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	18.33	-	18.33	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	**18.33**	-	**18.33**	-	-	-	-	-	-
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		-	-	-	**18.33**	-	**18.33**	-	-	-	-	-	
कुल योग (क+ख+ग)		**26.00**	**770.36**	-	**873.79**	-	**873.79**	-	**44.15** **156.21**[@]	-	-	**0.12**	-

[@] आंकड़े वर्ष के अंत तक कुल बकाया प्रतिभूतियों को सूचित करते हैं।

परिशिष्ट–4
(कंडिका 1.24 में संदर्भित)
सा. क्षे. उ. जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

सा. क्षे. उ. का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	नवीनतम पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं			
			साधारण पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)
(क) कार्यशील कम्पनियाँ						
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1998-99	3.71	-	2.28	41.22	-
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1997-98	0.48	-	-	-	205.00
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	3.62	12.74	7.49	-	-
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1997-98	5.00	-	-	-	-
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1988-89	4.46	0.81	202.25	-	-
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2001-02	3.50	-	-	-	-
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	1994-95	0.10	-	-	-	-
बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	89.26	9.78	165.65	-	-
बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	-	-
बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2.29	-	-	-	-
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2002-03	15.12	-	57.49	-	-
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1991-92	0.95	1.05	0.01	-	-
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2001-02	5.67	-	-	-	-
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2006-07	8.95	2.55	-	-	-
बिहार राज्य विवरेज निगम लिमिटेड	2007-08	5.00	-	-	-	-
बिहार हेल्थ प्राजेक्ट निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	0.06*	0.06	-	-	-
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	20.00*	20.00	-	-	-
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	5.00*	5.00	-	-	-
कुल – (क)			**53.24**	**440.80**	**52.22**	**205.00**

सा. क्षे. उ. का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	नवीनतम पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं			
			साधारण पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें						
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2008-09	-	-	546.39	840.00	-
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2002-03	101.27	-	297.11	-	-
बिहार राज्य वित्त निगम	2008-09	77.84	-	-	-	-
बिहार राज्य भण्डार निगम	2007-08	5.31	-	-	-	-
कुल – (ख)			**-**	**843.50**	**840.00**	**-**
कुल – (क + ख)			**53.24**	**1284.30**	**892.22**	**205.00**
अकार्यशील कम्पनियाँ						
बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	7.18	-	1.66	-	2.46
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	3.62	12.92	6.30	-	-
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	14.04	-	38.47	-	-
बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	5.14	12.26	43.18	-	-
बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	4.98	5.80	2.74	-	-
बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1994-95	6.72	-	-	-	-
बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1986-87	7.00	4.00	1.05	-	-
बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	5.60	5.22	18.78	-	55.41
बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	9.97	10.03	365.32	-	-
बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1.44	-	-	-	-
बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	5.00	5.00	154.33	-	-
बिहार राज्य कृषि उद्योग लिमिटेड	1989-90	7.57	0.07	24.66	-	-
बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2.10	-	4.65	21.07	-
बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	2.00	-	2.21	-	0.07
बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	6.28	3.72	0.25	-	0.48
बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	0.66	-	-	-	-
बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	-	-	-	-	-
बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	0.94	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1.03	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल			**59.02**	**663.60**	**21.07**	**58.42**
कुल योग			**112.26**	**1947.90**	**913.29**	**263.42**

* राशियाँ कम्पनियों द्वारा तैयार सूचनाओं पर आधारित है।

लागू नहीं ईंगित करता है कि सूचनाएं संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है।

परिशिष्ट–5

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
(क) दायित्त्व			
अंश पूँजी	---	---	---
सरकार से ऋण	5,577.62	5,764.95	6151.01
आरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	---	---	---
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	2,812.26	3,049.34	3302.59
पूंजीगत दायित्व	3,829.17	4,423.27	5616.64
कुल (क)	**12,219.05**	**13,237.56**	**15070.24**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल सम्पत्तियाँ	2,242.43	2418.34	2556.51
घटे मूल्य ह्रास	1,630.81	1684.44	1740.85
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	611.62	733.89	815.66
पूँजीगत कार्य में प्रगति	833.97	808.74	934.10
चालू सम्पत्तियाँ	4,454.49	4,702.33	4927.47
निवेश	415.01	503.94	899.78
सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य	4,315.65	4,315.65	4,315.65
सम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं	3.61	3.61	3.61
नियामक परिसम्पतियॉं	60.00	60.00	60.00
विविध व्यय	---	---	---
घाटा	1524.70	2109.41	3113.98
कुल – ख	**12,219.05**	**13,237.56**	**15070.24**
(ग) नियोजित पूँजी*	3,087.81	3195.62	3374.64
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦			
विवरण	**2007-08**	**2008-09** (औपबंधिक)	**2009-10** (औपबंधिक)
(क) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	182.29	200.91	404.01
उधार (सरकार)	--	--	--
(अन्य)	--	--	--
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	1,109.90	1173.69	1215.52
कुल – क	**1,292.49**	**1374.90**	**1619.53**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
कुल ब्लाक			
घटे मूल्य ह्रास			
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	47.00	41.60	37.00

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पतियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

चालू पूँजी प्रगति (चेचिस मूल्य शामिल)	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	298.92	310.16	495.90
संचित हानियाँ	946.57	1023.14	1086.63
कुल – ख	**1,292.49**	**1374.90**	**1619.53**
ग – नियोजित पूँजी #	(-)763.98	(-)821.93	
3. बिहार राज्य वित्त निगम			
विवरण	**2007-08**	**2008-09 (औपबंधिक)**	**2009-10 (औपबंधिक)**
(क) दायित्व			
प्रदत्त पूँजी *	**77.84**	**77.84**	**77.84**
आरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित	**10.05**	**10.05**	**10.05**
उधार	**260.81**	-	-
बाण्डस एवं ऋण पत्र	**87.52**	**79.47**	**35.32**
राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतान	--	**232.02**	**228.47**
चालू दायित्व एवं प्रावधान	241.19	290.94	293.27
कुल – क	**677.41**	**690.32**	**644.94**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	76.35	91.82	48.76
निवेश	0.04	0.04	0.04
ऋण एवं अग्रिम	202.22	204.82	204.86
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.67	0.64	0.68
चालू सम्पत्तियाँ	11.83	9.07	7.56
लाभांश हानि खाता	1.01	-	-
घाटा	385.29	383.93	383.04
कुल – ख	**677.41**	**690.32**	**644.94**
(ग) नियोजित पूँजी **	439.28	390.81	375.53
4. बिहार राज्य भण्डार निगम ✱			
विवरण	**2007-08**	**2008-09 (औपबंधिक)**	**2009-10 (औपबंधिक)**
क – दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	5.31	5.31	6.42
आरक्षित एवं अधिशेष	16.23	15.56	23.01
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्व (प्रावधान के साथ)	17.89	39.76	28.09
कुल – क	**39.43**	**60.63**	**57.52**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियां	17.28	17.28	17.28
घटे मूल्य ह्रास	0.86	1.69	2.52
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	16.42	15.59	14.76
पूँजीगत कार्य प्रगति में	--	--	--
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	23.01	45.04	42.76
लाभ एवं हानि लेखा	--	--	--
कुल – ख	**39.43**	**60.63**	**57.52**
ग नियोजित पूँजी #	**26.22**	**24.94**	**31.82**

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी का योग है।

* प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन पूँजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूँजी, रिजर्व (उन रिजर्वों को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

✱ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–6
(कंडिका 1.14 में संदर्भित)
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

1.	**बिहार राज्य विद्युत बोर्ड**			
क्रम सं.	**विवरण**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1,392.26	1588.26	1765.30
	(ख) सरकार से साहाय्य	720.00	720.00	720.00
	कुल	**2,112.26**	**2,308.26**	**2485.30**
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	2,041.09	2277.08	2643.65
3	वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (1–2)	71.17	31.18	(-) 158.35
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	(-)58.25	266.24	97.71
5	वर्ष का अन्तिम सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (3+4)	12.92	297.42	(-) 60.64
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास (पूँजीगत घटाकर)	58.22	53.62	55.55
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	482.73	570.03	611.23
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	339.58	278.68	291.40
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भारों पर कुल ब्याज (ख+ग)	822.31	848.71	902.63
(ड़)	पूँजीकृत ब्याज घटाएँ	13.00	20.20	14.26
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	809.31	828.51	888.37
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	867.53	882.13	943.92
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरण से पूर्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (5–6(छ)–1(ख))	(-)1574.61	(-)1304.71	(-) 1709.96
8	शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(–) 5–6(छ)	(-)854.62	(-) 584.71	(-) 1004.56
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	(-)45.31	243.80	(-) 116.19
10	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	7.63	--
2	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम▲**			
	विवरण	**2007-08**	**2008-09 (औपबंधिक)**	**2009-10 (औपबंधिक)**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	51.84	39.85	19.50
(ख)	व्यय	71.56	78.77	49.54
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-)19.72	(-) 38.92	(-) 30.04
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	3.63	2.90	2.73
(ख)	व्यय	35.87	37.70	36.18
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-)32.24	(-)34.80	(-) 33.45
	राजस्व	55.47	42.75	22.23
	व्यय	107.43	116.47	85.72
	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	(-)51.96	(-) 73.72	(-) 63.42

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल शुद्ध आधिक्य/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को छोड़कर)

▲ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

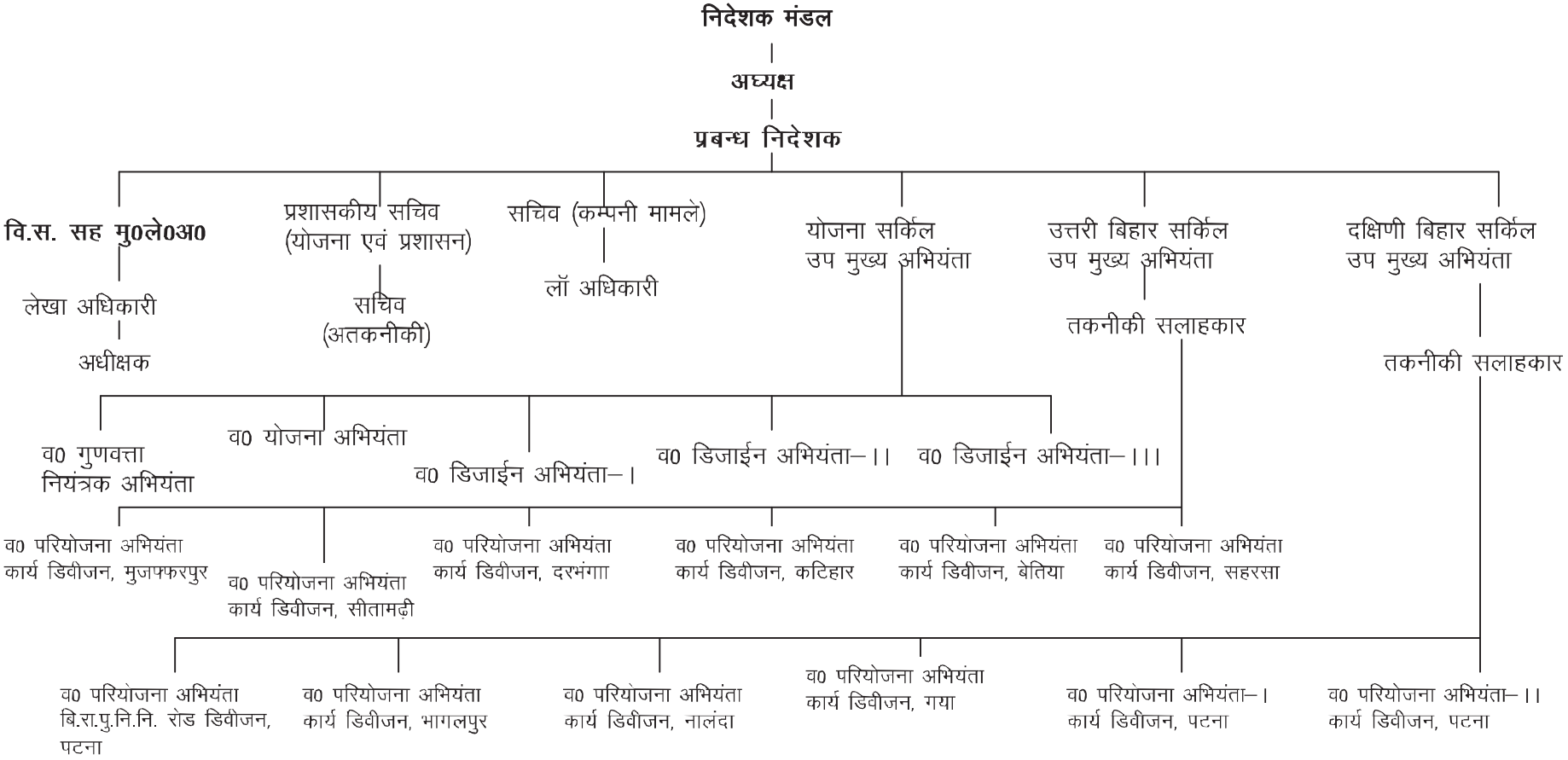
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	18.53	18.80	18.53
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)33.43	(-)54.92	
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▲**			
	विवरण	**2007-08**	**2008-09** (औपबंधिक)	**2009-10** (औपबंधिक)
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	9.29	8.85	13.33
ii)	अन्य आय	47.97	23.44	6.78
	कुल – 1	**57.26**	**32.29**	**20.11**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	20.45	19.12	5.96
	(ख) अक्रियाशील सम्पतियों के लिए प्रावधान	--	--	1.72
	(ग) अन्य व्यय	8.51	11.78	11.54
	कुल – 2	**28.96**	**30.90**	**19.22**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	28.30	1.39	0.89
4.	कर का प्रावधान	0.02	0.02	--
5.	अन्य विनियोजन	--	--	--
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	--	--	--
7.	लाभांश	--	--	--
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	48.75	20.51	6.85
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	11.10	5.25	1.82
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम▲**			
	विवरण	**2007-08**	**2008-09** (औपबंधिक)	**2009-10** (औपबंधिक)
1.	आय			
(क)	भण्डारण प्रभार	7.85	8.69	10.00
(ख)	अन्य आय	34.53	47.29	55.10
	कुल – 1	**42.38**	**55.98**	**65.10**
2.	**व्यय**			
(क)	स्थापना प्रभार	4.90	4.93	5.06
(ख)	अन्य व्यय	36.34	45.68	53.53
	कुल – 2	**41.24**	**50.61**	**58.59**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	1.14	5.37	6.51
4.	पूर्वावधि समायोजन	--	--	--
5.	अन्य विनियोजन	--	2.03	--
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	1.14	3.34	6.51
7.	वर्ष के लिए लाभांश	0.19	0.60	0.60
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	1.14	3.34	6.51
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	4.35	13.39	20.46

▲ आँकड़े निगम द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जा सकता है।

उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित निधि हेतु विनियोजन के पश्चात् है।

परिशिष्ट–7
(कंडिका 2.1 में संदर्भित)
बिहार राज्य पुल निमार्ण निगम लिमिटेड की संगठन तालिका



परिशिष्ट–8
(कंडिका 2.9.2 में संदर्भित)
अनुपयोगी पुलों की विवरणी

क्र.सं.	पुलों के नाम	पुल निर्माण कार्य के पूरा होने की तिथि	पहुँच–पथ के निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि	पुल की लागत (₹ करोड़ में)	विलम्ब महीने में
1.	बॉका जिले में सिमनगरदी के नजदीक बेलहा नदी पर आर. सी. सी. पुल	30-04-2008	24-11-2008	0.68	07
2.	बॉका जिले में बिलासी नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-03-2009	जुन 2009	1.19	03
3.	भागलपुर जिले में बैसा गाँव में सनहौला बैसा रोड में एस.पी. पुल	30-04-2008	24-11-2008	1.21	07
4.	भागलपुर जिले में सोनुचक पूरैनी में आर. सी. सी. पुल	30-04-2008	24-11-2008	0.85	07
5.	भागलपुर जिले में ममलाखा लैलख में लोहारी नदी पर आर. सी. सी. पुल	31.03.2009	प्रगति में	7.65	13
6.	मुंगेर जिले में एन.एच. 80 में शिवपुर से मनगड़ सिंधिया रोड में आर. सी. सी. पुल	30-06-2008	24-11-2008	0.56	05
7.	मुंगेर जिले में हेंजापुर से महाराना रोड से दूसरे कि.मी . में आर. सी. सी. पुल	30-06-2008	24-11-2008	0.54	05
8.	मुंगेर जिले में हेंजापुर से महाराना रोड से तिसरे कि.मी . में आर. सी. सी. पुल	30-06-2008	जनवरी 2009	0.55	07
9.	मुंगेर जिले में हेंजापुर से महाराना रोड से चौथे कि.मी . में आर. सी. सी. पुल	30-06-2008	जनवरी 2009	0.56	07
10.	बॉका जिले में गोरगामा केन्दौर के नजदीक बिलासी नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-07-2009	24-11-2009	1.81	04
11.	बॉका जिले में ब्रिंदावन भवन कोरमा के नजदीक कटारिया नदी पर आर. सी. सी. पुल	29-07-2009	24-11-2009	1.96	04
12.	बॉका जिले में शक्ति घाट खेसर के बीच लोहागढ़ नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-05-2009	दिसम्बर 2009	2.39	07
13.	बॉका जिले में दूधारी गोगीयाडीह में डकाई नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-07-2009	नवम्बर 2009	1.36	04
14.	बॉका जिले में मंगरा से	30-06-2009	24-11-2009	0.76	05

क्र.सं.	पुलों के नाम	पुल निर्माण कार्य के पूरा होने की तिथि	पहुँच–पथ के निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि	पुल की लागत (₹ करोड़ में)	विलम्ब महीने में
	बलियानहर के बीच नोनिया बसार में आर. सी. सी. पुल				
15.	भागलपुर जिले में पिरपैंती नदी के दरगाह घाट पर आर. सी. सी. पुल	31-03-2009	15-03-2010	1.87	12
16.	भागलपुर जिले में सिद्धीघाट से अजगैबीनाथ सुलतानगंज में आर. सी. सी. पैदल पुल	30-06-2009	24-11-2009	5.59	05
17.	जमुई जिले में धमना किट्टा खैरा बैजल रोड में कथारा नदी पर आर. सी. सी. पुल	30-06-2009	अप्रैल 2010	1.26	10
18.	जमुई जिले में लहीला अकौनी रोड के नजदीक बहौर नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-05-2009	अप्रैल 2010	1.68	11
19.	जमुई जिले में खुटखट नवाबगंज रोड में बहौर नदी पर आर. सी. सी. पुल	31-12-2009	अप्रैल 2010	1.57	04
20.	जमुई जिले में सिकंदरा दुर्गास्थान के नजदीक बहौर नदी पर आर. सी. सी. पुल	30-06-2009	अक्टूबर 2009	1.61	04
21.	जमुई जिले में गदीतेलवा घासी तरी के नजदीक बहौर नदी पर आर. सी. सी. पुल	30-06-2009	16-04-2010	2.81	10
22.	नरहट गाँव में मोरहर नदी पर आर. सी. सी. पुल	06-02-2007	30-05-2007	1.16	3.5
23.	पटना में आशियाना दीघा रोड में मुंदरशाह में पुल	28-02-2008	सितम्बर 2010	0.28	27
24.	एस पी एम दौलतपुर अलवलपुर रोड पर पुल	30-06-2008	31-03-2009	2.08	09
25.	बघाकोल लघर शिवपुर चौराहा में लाई रोड में आठवें कि.मी. में पुल	30-06-2008	31-03-2009	2.68	09
26.	सबनिमा से रामनगर में गंगा नदी की शाखा में पुल	30-06-2008	30-06-2009	4.35	12
27.	फतेहपुर गाँव के नजदीक पुनपुन नदी पर पुल	30-06-2008	31-07-2009	7.91	13
28.	मानस पंचायत पुल सं0 2 में मानस मेन रोड में पुल	31-05-2009	31-03-2010	2.13	10
29.	मानस पंचायत पुल सं0 3 में मानस मेन रोड में पुल	31-05-2009	31-03-2010	2.12	10
30.	बियुर से देवरगी में मनार रोड में कोहीरा नदी पर पुल	30-06-2009	31-08-2009	1.08	02

क्र.सं.	पुलों के नाम	पुल निर्माण कार्य के पूरा होने की तिथि	पहुँच–पथ के निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि	पुल की लागत (₹ करोड़ में)	विलम्ब महीने में
31.	लखीसराय में रेहुआ मोरबीया के बीच हरोहर नदी पर पुल	नवम्बर 2009	मार्च 2010	8.70	04
32.	घोसी–सूखीयावन–हुलासगंज रोड में फल्गू नदी पर पुल	जुन 2006	8-02-2007	6.478	07
33.	रतनबीघा के नजदीक घोसी–इस्लामपुर रोड में फल्गू नदी पर पुल	सितम्बर 2006	8-02-2007	4.894	04
34.	मदनपुर देव पथ में केशहर नदी पर पुल	सितम्बर 2009	24-1-2009	3.609	02
35.	इकवनीया बीघा में रामरेखा नदी पर पुल	दिसम्बर 2009	22-01-2010	1.329	01
36.	ओबरा सुरखी रोड पर अदरी नदी पर पुल	दिसम्बर 2009	22-01-2010	0.845	01
37.	शादीपुर डीहुरी नवाडीह रोड पर बुध नदी पर पुल	फरवरी 2010	सितम्बर 2010	1.333	04
38.	अकौनाधीना बीधा में जमुने नदी पर पुल	अप्रैल 2009	11-06-2009	1.603	1.5
39.	बाजीतपुर रोड में मुथाई नदी पर पुल	अप्रैल 2009	11-06-2009	2.631	1.5
40.	कमारपुर दावा के नजदीक मोरहर नदी पर पुल	अप्रैल 2009	11-06-2009	0.793	1.5
41.	चरोई ओकरी पथ में फल्गू नदी पर पुल	जनवरी 2010	प्रगति में	4.367	5
42.	ईरकी थीथाई बीधा रोड पर दरधा नदी पर पुल	जनवरी 2010	31-03-2010	4.593	02
43.	कुरमावा–गया–डोभी रोड पर जमुने नदी पर पुल	सितम्बर 2009	24-11-2009	1.183	1.5
44.	अरवल बस स्टैंड के नजदीक सोन नहर पर पुल	सितम्बर 2009	24-11-2009	1.203	1.5
45.	बैजलपुर–गोह उपहारा रोड के नजदीक नाला पर पुल	सितम्बर 2009	सितम्बर 2010	0.904	06
	कुल			**106.715**	

परिशिष्ट–9
(कंडिका 2.9.3 में संदर्भित)
2005–06 से 2009–10 के दौरान योजित/अनायोजित निर्मित पुलों पर लागत वृद्धि की विवरणी

(राशि : ₹ लाख में)

क्र.सं.	पुलों के नाम	शीर्ष	आबंटन का वर्ष	ए.ए. की राशि	सेंटेज शुल्क को शामिल करते हुए किया गया व्यय (सितम्बर 2010 तक)	अधिकाय व्यय
1	कैमुर जिले में मोहनिया–भभुआ रोड से 11वें कि.मी . में पुल	योजना	2005-06	89.45	101.06	11.61
2	बक्सर जिले में बक्सर–चौसा रोड से दूसरे कि.मी. में थोरा नदी पर पुल	योजना	2005-06	325.00	598.33	273.33
3	जहानाबाद जिले में मखदुमपुर सोनवा बौरी हुलासगंज रोड से 16वें कि.मी. में पुल	योजना	2005-06	900.00	1623.35	723.35
4	कैमुर जिले में कुदरा परसाथुआ रोड से 9 वें कि.मी. में बसही नदी पर पुल	योजना	2005-06	300.00	467.26	167.26
5	शेखपुरा जिले में पुरैना बरहिया रोड से 13वें कि. मी. में हरोहर नदी पर पुल	योजना	2005-06	326.53	657.18	330.65
6	भोजपुर जिले में आरा सलेमपुर रोड से 17वें कि. मी. में दाउस नदी पर पुल	योजना	2005-06	232.16	412.96	180.80
7	जहानाबाद जिले में घोसी इसलामपुर रोड से तीसरे कि.मी. में हयूम पाइप कल्वर और रोड रेजिंग का फल्गू नदी पर निर्माण	योजना	2006-07	43.94	47.30	3.36
8	सुपौल जिले में कोरिया पट्टी के नजदीक त्रिवेणीगंज जदीया बलुआ रोड में सुरसर नदी पर पुल	योजना	2006-07	298.17	488.82	190.65
9	गार्डेन रीच शीप बिल्डर्स एवं इंजिनियर्स लिमिटेड तक बेली पुल	योजना	2006-07	530.00	557.22	27.22
10	शेखपुरा जिले में शेखपुरा बरहिया रोड में भया घाट कुसुंबा के नजदीक 13.8वें	योजना	2006-07	137.30	164.90	27.60

	कि.मी. में पुल					
11	शेखपुरा जिले में शेखपुरा बरहिया रोड में भया घाट कुसुंबा के नजदीक 14.4वें कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	137.30	145.90	8.60
12	शेखपुरा जिले में शेखपुरा बरहिया रोड में भया घाट कुसुंबा के नजदीक 13.8वें कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	228.50	229.35	0.85
13	पटना जिले में बाढ़ अरबन सरमेरा रोड में 22वें कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	184.64	194.84	10.20
14	पटना जिले में बाढ़ अरबन सरमेरा रोड में 26वें कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	275.84	279.31	3.47
15	नवादा जिले में बारसलीगंज खारत रोड में दरियापुर के नजदीक सकरी नदी पर पुल	योजना	2006-07	1340.00	1346.76	6.76
16	कटिहार जिले में पूर्णिया–कदवा–सोनौली–आजमगढ़ आबादपुर रोड में कचौरा (महन्त स्थान) में दूसरे कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	545.47	612.67	67.20
17	कटिहार जिले में डोरिया के नजदीक गेरूआ–दलमलपुर–जोकीहाट रोड में दूसरे कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	545.84	668.50	122.66
18	कटिहार जिले में पूर्णिया–कदवा–सोनौली–आजमगढ़ आबादपुर रोड में मरंगीकुंड (सौसाचक के पूर्व में) में दूसरे कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	303.04	396.45	93.41
19	कटिहार जिले में पूर्णिया–कदवा–सोनौली–आजमगढ़ आबादपुर रोड में चापरघाट पर पहले कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	303.17	352.28	49.11
20	कटिहार जिले में पूर्णिया–कदवा–सोनौली–आजमगढ़ आबादपुर रोड पर सिमलकुंड में पहले कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	228.77	285.73	56.96
21	कटिहार जिले में पूर्णिया–कदवा–सोनौली–	योजना	2006-07	545.47	588.51	43.04

	आजमगढ़ आबादपुर रोड पर उत्तमकुंड में तीसरे कि.मी. में पुल					
22	जमुई जिले में नरीयावन घाट में खैरा–सोनीपथ पर दूसरे कि.मी. में पुल	योजना	2006-07	1131.19	1350.45	219.26
23	भोजपुर जिले में आरा सलेमपुर रोड में पहले कि.मी. में पुल	योजना	2007-08	63.17	69.18	6.01
24	भागलपुर जिले में अजगैबीनाथ मन्दिर के नजदीक सुलतानगंज में गंगा नदी पर पुल	योजना	2007-08	558.66	594.63	35.97
25	शिवहर जिले में शिवहर–मीनापुर–झपाहा रोड पर 10वें कि.मी. में बागमती नदी पर पुल	योजना	2007-08	194.31	442.23	247.92
26	शिवहर जिले में शिवहर–मीनापुर–झपाहा रोड पर 15वें कि.मी. में बागमती नदी पर पुल	योजना	2007-08	181.00	195.03	14.03
27	शिवहर जिले में शिवहर–मीनापुर–झपहा रोड पर पहले कि.मी. में बागमती नदी पर पुल	योजना	2007-08	177.63	245.29	67.66
28	दरभंगा जिले में घनश्यामपुर–रसियारी रोड पर कमला नदी पर पुल	योजना	2007-08	1900.07	1974.32	74.25
29	पूर्णिया जिले में बहादुरगंज रोड पर 9वें मील में बैसाघाट पुल पर बचाव कार्य	योजना	2008-09	124.24	127.30	3.06
30	आर सी डी के अन्दर विश्वेशरैया कॉसिल के प्रशिक्षण हॉल और साथ के कमरों का पुनर्निर्माण कार्य	योजना	2009-10	22.55	73.02	50.47
31	कटिहार जिले में मोगीयाधर में पेहलागढ़–बेलहारी रोड पर 11वें कि.मी. में पुल	केन्द्रीय सड़क निधि	2007-08	107.57	139.18	31.61
32	पूर्णिया जिले में परमानेधर में पलसाधाट के नजदीक पलसा–मछरहटटा पर पुल	केन्द्रीय सड़क निधि	2008-09	1038.60	1118.99	80.39
33	एन.एच. 107 पर	रोड	2007-08	238.04	376.61	138.57

	महेशखुंट–मौलीचक रोड में 7वें कि.मी. में पुल	सेक्टर				
34	एन.एच. 107 पर महेशखुट–मौलीचक रोड में 8वें कि.मी. में पुल	रोड सेक्टर	2007-08	355.56	583.17	227.61
35	एन.एच. 107 पर पनसलवा के नजदीक महेशखुंट–मौलीचक रोड में 21वें कि.मी. में पुल	रोड सेक्टर	2007-08	309.54	589.07	279.53
36	पटना जिले में कंकड़बाग टी जंक्सन पर उपरी पुल	रोड सेक्टर	2007-08	3034.12	3836.73	802.61
37	पटना जिले के न्यू कैपिटल रोड डिवीजन में कंकड़बाग मेन रोड (पुरानी बाईपास) में फुटपाथ तथा नाला और चैनल कवर का निर्माण	रोड सेक्टर	2007-08	418.06	1099.79	681.73
कुल				**17674.90**	**23033.67**	**5358.77**

परिशिष्ट–10
(कंडिका 2.11.4 में संदर्भित)
सीलिंग दर से 8 से 15 प्रतिशत उपर नामांकन के आधार पर कार्य देने के कारण हानि को दर्शाती विवरणी

(राशि : ₹ लाख में)

क्र. सं.	पुल के नाम	नामांकनों की संख्या	सीलिंग दर से उपर प्रतिशत	कुल मूल्य	हानि (v)-(v*107/100+ प्रतिशत से उपर)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
कटिहार डिविजन					
1.	अररिया कुरसेला पलास रोड में 42वें कि.मी. में पुल	8	15	16.20	1.13
2.	–वही–	2	10	4.98	0.14
3.	कटिहार प्राणपुर रोड में 18वें कि.मी. में पुल	15	10	302.30	8.24
4.	कटिहार में कदमा कुरूआहाट रोड में पहले कि.मी. में पुल	19	12	33.11	1.48
5.	–वही–	35	10	69.54	1.90
6.	कटिहार प्राणपुर रोड में 16वें कि.मी. में पुल	17	10	59.50	1.62
7.	कटिहार प्राणपुर रोड में 15वें कि.मी. में पुल	08	10	68.51	1.87
8.	कटिहार प्राणपुर रोड में 14वें कि.मी. में पुल	4	12	33.51	1.50
9.	पूर्णियाँ कदमा आजमपुर रोड में 46वें कि.मी. में पुल	20	12	44.19	1.97
10.	अररिया पलासी रोड में 10वें कि.मी. में पुल	10	15	12.81	0.89
11.	अररिया जोकीहाट रोड में 28वें कि.मी. में पुल	12	15	14.40	0.99
12.	जोकीहाट पलासी रोड में 27वें कि.मी. में पुल	8	15	18.96	1.32
13.	–वही–	10	10	6.49	0.17
14.	अररिया कुरसाकांटा रोड में 40वें कि.मी. में पुल	3	15	7.38	0.51
15.	कुल	171		691.88	23.73
दरभंगा डिविजन					
16.	पूसा पुल	15	15	1227.44	85.39
17.	–वही–	01	12	5.38	0.24
18.	–वही–	02	10	0.76	0.04
	कुल	18		1233.58	85.67

क्र. सं.	पुल के नाम	नामांकनों की संख्या	सीलिंग दर से उपर प्रतिशत	कुल मूल्य	हानि (v)-(v*107/100+ प्रतिशत से उपर)
भागलपुर डिविजन					
19.	सुलतानगंज में सिद्धिघाट से अजगैबीनाथ	5	15	234.09	16.28
20.	–वही–	10	10	152.68	4.16
21.	जमुई में खैरा सोना रोड में दूसरे कि.मी. में पुल	18	15	755.34	52.55
22.	–वही–	4	10	55.77	1.52
23.	जमुई में खैरा सोना रोड में 10वें कि.मी. में पुल	1	15	6.09	0.42
24.	–वही–	5	10	219.16	5.98
25.	जमुई में खैरा सोना रोड में 17वें कि.मी. में पुल	3	10	146.74	4.11
26.	बॉका में कुमहरसार और धौरी धरमसाला के बीच बदुआ नदी पर पुल	2	10	25.69	0.70
27.	**कुल**	48		1595.56	85.72
	कुल योग	**237**		**3521.02**	**195.12**

सीलिंग दर से 15 प्रतिशत उपर नामांकनों की कुल संख्या = 80

सीलिंग दर से 12 प्रतिशत उपर नामांकनों की कुल संख्या = 44

सीलिंग दर से 10 प्रतिशत उपर नामांकनों की कुल संख्या = 113

नामांकनों की कुल संख्या **237**

परिशिष्ट–11
(कंडिका 2.13 में संदर्भित)

वर्ष 2005–10 के दौरान बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय निष्पादन को दर्शाती विवरणी (राशियाँ औपबंधिक में)

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरणी	2005-06 (औपबंधिक)	2006-07 (औपबंधिक)	2007-08 (औपबंधिक)	2008-09 (औपबंधिक)	2009-10 (औपबंधिक)
प्रदत्त पूँजी	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
पुल विकास फंड	81.39	85.83	93.37	98.72	102.71
संचय एवं अधिशेष (कुल पूँजी अनुदान को शामिल करते हुए एवं ह्रास रिजर्व को छोड़कर)	-	-	44.74	89.95	131.61
चालू अदायगी एवं प्रावधान	616.43	1238.80	1802.38	2568.07	3290.70
कुल	**701.32**	**1328.13**	**1943.99**	**2760.24**	**3528.52**
सकल ब्लॉक	7.15	8.74	15.27	36.09	56.65
ह्रास को छोड़कर	4.70	4.94	5.52	6.38	10.64
शुद्ध अचल सम्पत्ति	2.45	3.80	9.75	29.71	46.01
पुल विकास निधि	24.97	34.87	85.58	96.03	96.17
चालू सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	662.72	1289.20	1848.66	2634.50	3386.34
संचित हानि	11.18	0.26	-	-	-
कुल	**701.32**	**1328.13**	**1943.99**	**2760.24**	**3528.52**
नियोजित पूँजी	48.74	54.20	56.03	96.14	141.65
कार्य परिणाम					
कुल आय	13.13	28.38	88.26	110.73	111.60
कुल व्यय	7.16	11.16	12.21	20.30	23.79
कर एवं समायोजन के पहले लाभ/(हानि)	5.97	17.22	76.05	90.43	87.81
सेंटेज शुल्क प्राप्त	7.75	12.94	41.75	75.60	85.38
कुल आय के प्रतिशत में सेंटेज	59.03	45.60	47.30	68.27	76.51
सावधि जमा पर ब्याज	4.85	14.61	40.55	28.89	16.38
कुल आय के प्रतिशत में सावधि जमा पर ब्याज	36.94	51.48	45.94	26.09	14.68

परिशिष्ट–12

(कंडिका 3.5 में संदर्भित)

2005–06 से 2009–10 के दौरान कम्पनी द्वारा बिजली उत्पादन की लागत, राजस्व उगाही, सकल आधिक्य/हानि एवं प्राप्तियॉं और प्रति इकाई कार्यान्वयन की लागत को दर्शाती विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (औपबंधिक)
1.	आय					
	उत्पादन राजस्व	13.61	12.86	11.67	10.48	6.78
	ब्याज/अर्थसाहाय्य को शामिल करते हुए अन्य आय	0.52	1.11	3.84	3.33	3.06
	कुल आय	14.13	13.97	15.51	13.81	9.84
2.	उत्पादन					
	कुल उत्पादन (मि.यू. में)	72.75	68.61	61.48	60.37	34.66
	घटा करः अतिरिक्त/स्वयं खपत (मि.यू. में)	1.77	3.65	2.67	2.18	0.84
	ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूसन के लिए कुल उपलब्ध उत्पादन (मि.यू. में)	70.98	64.96	58.81	58.19	33.82
3.	व्यय					
(क)	स्थिर लागत					
(i)	कर्मचारी लागत	2.00	2.20	2.49	2.80	3.65
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	3.43	3.77	4.32	5.80	1.85
(ii)	ह्रास	4.06	4.79	5.48	6.28	7.33
(iii)	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	5.08	6.20	11.45	11.80	15.92
	कुल स्थिर लागत	14.57	16.96	23.74	26.68	28.75
(ख)	परिवर्तनीय लागत					
(i)	लूब्रीकैंटस् और खपत योग्य	1.34	1.86	2.05	2.01	2.16
(ii)	ह्रास और रख–रखाव	0.39	0.83	0.56	1.54	1.08
	कुल परिवर्तनीय लागत	1.73	2.69	2.61	3.55	3.24
ग.	कुल लागत 3(क) + (ख)	16.30	19.65	26.35	30.23	31.99
4.	उगाही (प्रति यूनिट)	1.92	1.98	1.98	1.80	2.00
5.	स्थिर लागत (₹ प्रति यूनिट)	2.05	2.61	4.04	4.58	8.50
6.	परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति यूनिट)	0.24	0.41	0.44	0.61	0.96
7.	प्रति यूनिट कुल लागत (5+6)	2.29	3.02	4.48	5.19	9.46
8.	अंशदान (4-6) (₹ प्रति यूनिट)	1.68	1.57	1.54	1.19	1.04
9.	लाभ(+)/हानि (-) (4-7)	-0.37	-1.04	-2.50	-3.39	-7.46

परिशिष्ट–13
(कंडिका 3.5 में संदर्भित)

2005–06 से 2009–10 के दौरान ब.वा.श.प्र. द्वारा बिजली उत्पादन की लागत, राजस्व उगाही, सकल आधिक्य/हानि एवं प्राप्तियाँ और प्रति इकाई कार्यान्वयन की लागत को दर्शाती विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरणी		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	आय						
	उत्पादन राजस्व		25.58	7.66	35.45	29.23	68.66
	ब्याज/अर्थसाहाय्य को शामिल करते हुए अन्य आय		0.19	0.15	0.68	0.68	0.17
	कुल आय		25.77	7.81	36.13	29.91	68.83
2.	उत्पादन						
	कुल उत्पादन (मि.यू. में)		120.95	37.25	132.75	102.94	264.71
	घटा कर : अतिरिक्त/स्वयं खपत (मि.यू. में)		25.13	10.65	18.40	12.73	38.11
	ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूसन के लिए कुल उपलब्ध उत्पादन (मि.यू. में)		95.82	26.60	114.35	90.21	226.60
3.	व्यय						
(क)	स्थिर लागत						
(i)	कर्मचारी लागत		16.43	17.71	19.82	21.72	30.46
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		1.14	0.79	0.90	0.98	1.08
(iii)	ह्रास		4.41	3.76	0.94	2.43	2.43
	कुल स्थिर लागत		21.98	22.26	21.66	25.13	33.97
(ख)	परिवर्तनीय लागत						
(i)	इंधन खपत						
	(क)	कोयला	17.32	5.34	26.12	14.85	46.31
	(ख)	तेल	4.74	1.30	10.81	5.72	16.34
	(ग)	गैस	0.34	0.20	0.13	0.37	-
	(घ)	अभाव/आधिक्य को शामिल करते हुए अन्य ईंधन संबंधी मूल्य	-	0.02	-	-	4.01
(ii)	जल की लागत (हाईडल/थर्मल/गैस/अन्य)		2.43	2.38	2.81	2.76	3.15
(iii)	लूब्रीकैंटस् और खपत योग्य		0.27	0.08	0.15	0.80	0.50
(iv)	मरम्मत और रख–रखाव		2.87	1.24	2.18	3.56	4.96
	कुल परिवर्तनीय लागत		27.97	10.56	42.20	28.06	75.27
ग.	कुल लागत 3(क) + (ख)		49.95	32.82	63.86	53.19	109.24
4.	उगाही (प्रति यूनिट)		2.67	2.88	3.10	3.24	3.03
5.	स्थिर लागत (₹ प्रति यूनिट)		2.29	8.37	1.89	2.79	1.50
6.	परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति यूनिट)		2.92	3.97	3.69	3.11	3.32
7.	प्रति यूनिट कुल लागत (5+6)		5.21	12.34	5.58	5.90	4.82
8.	अंशदान (4-6) (₹ प्रति यूनिट)		-0.25	-1.09	-0.59	0.13	-0.29
9.	लाभ(+)/हानि (-) (4-7)		-2.54	-9.46	-2.48	-2.66	-1.79

परिशिष्ट–14
(कंडिका 3.7 में संदर्भित)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड की उत्पादन क्षमता को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	स्थापित क्षमता				(मे. वा.)	
(क)	ताप ऊर्जा	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
(ख)	जल शक्ति	44.10	45.10	47.10	51.10	52.80
	कुल	364.10	365.10	367.10	371.10	372.80
2.	सामान्य अधिकतम माँग	1175.00	1275 .00	1800.00	1900.00	2500.00
	गत वर्ष से अधिक का प्रतिशत	-	8.51	41.18	5.56	31.58
3.	उत्पादित विद्युत					(एम. के.डब्लू.एच.)
(क)	ताप ऊर्जा	120.95	37.25	132.75	102.94	264.71
(ख)	जल शक्ति	72.75	68.61	61.48	60.37	34.66
	कुल	193.70	105.86	194.23	163.31	299.37
	गत वर्ष से अधिक/कम(-) का प्रतिशत	-	(-)45.35	83.48	(-)15.92	83.31
4	घटा करः अतिरिक्त खपत					
(क)	ताप ऊर्जा	25.13	10.65	18.40	12.73	38.11
	(प्रतिशत)	20.78	28.59	13.86	12.37	14.40
(ख)	जल शक्ति	1.77	3.65	2.67	2.18	0.84
	(प्रतिशत)	2.43	5.32	4.34	3.61	2.42
	कुल	26.90	14.30	21.07	14.91	38.95
	(प्रतिशत)	13.89	13.51	10.85	9.13	13.01
5.	शुद्ध उत्पादित विद्युत	166.80	91.56	173.16	148.40	260.42
5 क	ग्रिड में भेजे गये वास्तविक विद्युत (मि.यू. में)	148.73 (52.91+ 95.82)	73.36 (46.76+26.60)	159.58 (45.23+114.35)	131.75 (41.54+90.21)	241.89 (15.29+ 226.60)
6.	कुल माँग (मि.यू. में)	10293 .00	11169.00	15768.00	16644.00	21900.00
7.	विद्युत हानि (-) (मि.यू. में)	(-)10144.27	(-)11095.64	(-)15608.42	(-)16512.25	(-)21658.11
8.	खरीदी गई विद्युत (मि.यू. में)					
(क)	राज्य के अंदर					
	(i) सरकारी उपक्रम	7234.69	7884.60	7707.68	8588.71	9349.88
	(ii) निजी (चीनी मिल)	-	-	2.32	13.12	11.12
(ख)	कुल खरीदी गई विद्युत (बि.रा.वि.बो. द्वारा दिया गया आकड़ा)	7234.69	7884.60	7710.00	8601.83	9361.00
9.	शुद्ध हानि (मि.यू. में) 7 – 8 (ख)	2909.58	3211.04	7898.42	7910.42	12297.11

परिशिष्ट–15
(कंडिका 3.9 में संदर्भित)

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान कम्पनी द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल.ज.वि.प.) के अध्ययन को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	अध्ययन किये गये मामले का शीर्षक	डी.पी.आर./अनुबंध में किये गये प्रावधान	परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति	निष्पादन में त्रुटि	अन्तिम प्रभाव
1	त्रिवेणी ल.ज.वि.प.				
	(क) निष्पादन में विलम्ब	- प्राक्कलित लागत ₹ 9.15 करोड़ -प्रथम गतिमान अग्रिम के भुगतान की तिथि से 48 महीनों के अन्दर पूरा किया जाना था; - इस परियोजना के पूर्ण होने का निर्धारित समय अक्टूबर 2005 था।	-टर्न–की आधार पर एजेंसी को ₹ 13.50 करोड़ में दिया गया (अप्रैल 2001); - अक्टूबर 2001 में गतिमान अग्रिम दिया गया; - परियोजना फरवरी 2009 में चालू किया गया; - 31 मार्च 2010 को वास्तविक खर्च ₹ 19.38 करोड़ था; - एजेंसी के अन्तिम विपत्रों का निपटान किया जाना था।	- अग्रिम देने में विलम्ब (छः महीना); - भूमि अधिग्रहण में विलम्ब; - संवेदक द्वारा सामग्रियों (ई/एम) की आपूर्ति में विलम्ब इत्यादि।	- प्राक्कलित लागत की लागत वृद्धि (₹ 10.23 करोड़); - समय वृद्धि (39 महीना); - प्रबंधन द्वारा परियोजना के निष्पादन क्रियान्वयन को बेहतर योजनावयन एवं प्रबोधन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।
	(ख) परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण उत्पादन की हानि	- कम्पनी को प्रति वर्ष अक्टूबर 2005 से 15.77 मिलियन यूनिट्स (मि.यू.) विद्युत उत्पादन करना विचारित किया था।	-चूँकि, विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध था; परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण कम्पनी को संभाव्य राजस्व की हानि हुई।	–वही–	- ₹ 10.25 करोड़ मूल्य की उत्पादन की हानि
	(ग) एजेंसी को परिहार्य भुगतान	- परियोजना का निष्पादन टर्न–की आधार पर एक एजेंसी (मै0 पारीक पावर प्राइवेट लिमिटेड, राँची) को प्रदान किया गया; - ई/एम सामग्रिओं की आपूर्ति उप एजेंसी–(मै0 ज्योति लिमिटेड, बड़ोदरा) द्वारा ₹ 4.41 करोड़ के लागत मूल्य	- उप–संवेदक के वित्तीय समस्या के कारण ई/एम सामग्रिओं के आपूर्ति में विलम्ब; - कम्पनी ने उप एजेंसी को सीधे रूप से अग्रिम भुगतान कर दिया और यह निर्णय लिया (जुलाई 2003) कि मै0 पारीक पावर प्राइवेट लिमिटेड को मै0 ज्योति लिमिटेड द्वारा ई/एम सामग्रिओं के आपूर्ति पर वास्तविक विपत्र पर तीस प्रतिशत अधिक भुगतान होगा;	- जब एजेंसी से टर्न–की निष्पादन के लिए अनुबंध किया गया तब ₹ 1.09 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना परिहार्य और अतर्कसंगत था।	- ₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य भुगतान

		पर किया जाना था जिसके लिए दोनो एजेंसियों ने अनुबंध किया था।	- मै0 पारीक पावर प्राइवेट लिमिटेड को कमीशन के रूप में ₹ 1.09 करोड (मै0 ज्योति लिमिटेड को ₹ 3.96 करोड़ के भुगतान का 30 प्रतिशत) का भुगतान किया गया।		
2	सेवारी ल.ज.वि.प.				
	(क) निविदा किये हुए मात्रा की वृद्धि के कारण अत्यधिक व्यय	- सभी बड़े संविदाओं में मात्राओं में परिवर्तन संबंधी एक प्रावधान निरपवाद रूप से शामिल किया जाता है। - समान्यतः तय मात्राओं में परिवर्तन मात्र 25 प्रतिशत तक सीमित है।	- दस मदो में अधिक निष्पादित कार्य की प्रतिशतता 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी; - अनुबंध (मार्च 2010) में तय अधिकतम कार्य की मात्रा को सीमित करने संबंधित कोई प्रावधान नही होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यय हुआ।	- संविदा अनुबंधों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मात्रा परिवर्तन शर्त अर्थात तय मात्राओं में परिवर्तन को सीमित करने हेतु शर्त शामिल नहीं किया गया था।	-₹ 3.62 करोड़ का अत्यधिक व्यय; - यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी.पी.आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।
	(ख) डी.पी.आर. में कार्य के निष्पादन में अत्यधिक व्यय के लिए विचार नहीं किया गया था।	- डी.पी.आर. और अनुबंध में मूलतः वर्णित नहीं थे।	- संवेदक के साथ किए गये अनुबंध में शामिल मात्राएँ और डी. पी. आर. एवं चालू खाता विपत्रों की नमूना जाँच से यह उजागर हुआ कि ₹ 0.04 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ।	- यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।	-₹ 0.04 करोड़ का अत्यधिक व्यय
	(ग) दूसरे संवेदक के द्वारा अपूर्ण कार्य पूरा करने में अत्यधिक व्यय	- सेवारी ल.ज.वि.प. का कार्य संवेदक द्वारा जिससे अुनुबंध किया गया था, पूर्ण नहीं किया जा सका।	- कम्पनी को अपूर्ण कार्य (लागत ₹ 14.83 लाख) एक दूसरे एजेंसी से अनुबन्ध (मार्च 2009) कर ₹ 64.09 लाख में पूर्ण करना पड़ा, इस तरह वास्तविक अनुबन्ध लागत से अधिक व्यय (₹ 0.49 करोड़) हुआ।	- यह कम्पनी प्रबंधन के अप्रभावी नियंत्रण एवं प्रबोधन को दर्शाता है।	-₹ 0.49 करोड़ का अत्यधिक व्यय
	(घ) टरबाईन और गियरबाक्स के रनर डायमीटर में बढ़ोतरी के कारण अत्यधिक व्यय		- परियोजनाओं के संचिकाओं/अभिलेखों की जाँच करने पर यह उजागर हुआ कि डी.पी. आर./अनुबंध में तय डिजाईन आकार के विरूद्ध रनर डायमीटर और गियरबाक्स के आकार में बढ़ोतरी के कारण ₹ 0.79 करोड़ का अतिरिक्त लागत लगा।	- यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।	-₹ 0.79 करोड़ का अत्यधिक व्यय
3	शिरखिण्डा ल.ज.वि.प.				
	(क) निविदा किये हुए मात्रा की वृद्धि के कारण अत्यधिक व्यय	- सभी बड़े संविदाओं में मात्राओं में परिवर्तन संबंधी एक प्रावधान निरपवाद रूप से शामिल किया जाता है। - समान्यतः तय मात्राओं में	- दस मदा में अधिक निष्पादित कार्य की प्रतिशतता 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी; - अनुबंध (मार्च 2010) में तय अधिकतम कार्य की मात्रा को सीमित करने संबंधित कोई	- संविदा अनुबंधों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मात्रा परिवर्तन शर्त अर्थात तय मात्राओं में परिवर्तन को सीमित करने हेतु शर्त शामिल	-₹ 1.19 करोड़ का अत्यधिक व्यय; - यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।

		परिवर्तन मात्र 25 प्रतिशत तक सीमित है।	प्रावधान नही होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ।	नहीं किया गया था।	
	(ख) कार्य के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय जिसका कि डी. पी. आर. में विचार नहीं किया गया था।	- डी. पी. आर. और अनुबंध में मूलतः वर्णित नहीं थे।	- संवेदक के साथ किए गये अनुबंध में शामिल मात्राएँ और डी. पी. आर. एवं चालू खाता विपत्रों की नमूना जाँच से यह उजागर हुआ कि ₹ 1.23 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ।	- यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।	-₹ 1.23 करोड़ का अत्यधिक व्यय
	(ग) टरबाईन और गियरबाक्स के रनर डायमीटर में बढ़ोतरी के कारण अत्यधिक व्यय		- परियोजनाओं के संचिकाओं/अभिलेखों की जाँच करने पर यह उजागर हुआ कि रनर डायमीटर और गियरबाक्स के आकार में बढोतरी के कारण ₹ 0.76 करोड़ का अतिरिक्त मूल्य लगा जबकि डी.पी.आर./अनुबंध में डिजाईन आकार तय किये हुए थे।	- यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।	-₹ 0.76 करोड़ का अत्यधिक व्यय
4	नासरीगंज ल.ज.वि.प.				
	(क) निविदा किये हुए मात्रा की वृद्धि के कारण अत्यधिक व्यय	- सभी बड़े संविदाओं में मात्राओं में परिवर्तन संबंधी एक प्रावधान निरपवाद रूप से शामिल किया जाता है। - समान्यतः तय मात्राओं में परिवर्तन मात्र 25 प्रतिशत तक सीमित है।	- दस मदो में अधिक निष्पादित कार्य की प्रतिशतता 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी; - अनुबंध (मार्च 2010) में तय अत्यधिक कार्य की मात्रा को सीमित करने संबंधित कोई प्रावधान नही होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यय हुआ।	- संविदा अनुबंधों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मात्रा परिवर्तन शर्त अर्थात तय मात्राओं में परिवर्तन को सीमित करने हेतु शर्त शामिल नहीं किया गया था।	-₹ 1.65 करोड़ का अत्यधिक व्यय; - यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।
	(ख) टरबाईन और गियरबाक्स के रनर डायमीटर में बढ़ोतरी के कारण अत्यधिक व्यय		-परियोजनाओं के संचिकाओं/अभिलेखों की जाँच करने पर यह उजागर हुआ कि डी.पी. आर./अनुबंध में तय डिजाईन आकार के विरूद्ध रनर डायमीटर और गियरबाक्स के आकार में बढ़ोतरी के कारण ₹ 0.22 करोड का अतिरिक्त लागत लगा जबकि डी.पी.आर./अनुबंध में डिजाईन आकार तय किये हुए थे।	- यह सर्वेक्षण/निरीक्षण, डी. पी. आर. एवं प्राक्कलन तैयार करने में उत्साहहीन तरीके को दर्शित करता है।	-₹ 0.22 करोड़ का अत्यधिक व्यय
5	विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण होने में प्रभावी नियंत्रण की कमी	-17 परियोजनाओं (कुल क्षमता 16.75 मे.वा.) के कार्य पूरा होने की तय तिथि 31 मार्च 2005 को नाबार्ड द्वारा (मई 2003) में निधिक/स्वीकृत किया गया।	- 17 परियोजनाओं (कुल क्षमता 16.75 मे.वा.) में से कोई भी पूर्ण होने की तय तिथि अर्थात 31 मार्च 2005 तक पूरा नहीं किया गया।	- परियोजनाओं की स्वीकृति के सात वर्षों के बाद केवल छः परियोजनाएं (7.7 मे.वा. क्षमता का) हीं पूर्ण हुए थे (नवम्बर 2010)।	- परियोजनाओं के पूरा होने में प्रभावी योजना तथा प्रबोधन का अभाव।

परिशिष्ट–16
(कंडिका 3.11 में संदर्भित)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में स्टेशन वार अत्यधिक कोयले की खपत के मूल्य को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बी.टी.पी.एस. इकाई सं0 6 एवं 7						
1.	इकाई उत्पादन (मि.यू.)	120.95	37.25	132.75	102.94	264.71
2.	मानक के अनुसार कोयले की जरूरत (मि.ट.) 0.519 कि.ग्रा./के. डब्लू. एच.	62773	19333	68897	53426	137384
3.	कोयले की खपत (मि.ट.)	125985	39398	135280	98158	260304
4.	अत्यधिक खपत (मि.ट.) (3 – 2)	63212	20065	66383	44732	122920
5.	प्रति मि.ट. दर (₹)	1318.37	1496.95	1551.95	1243.76	1750
6.	कोयले की प्रति इकाई खपत (कि.ग्रा.) [(3 x 1000) / 1]	1.042	1.058	1.019	0.954	0.983
7.	अत्यधिक कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में) (4 x 5)	8.33	3.01	10.30	5.56	21.51

परिशिष्ट–17
(कंडिका 3.13 में संदर्भित)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में स्टेशनवार वर्षवार डिजाईन के अनुसार ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और डिजाईन के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर ऊर्जा साथ हीं साथ वास्तविक उत्पादन को दर्शाती विवरणी

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)		प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)	
	डिजाईन के अनुसार	वास्तविक	डिजाईन के अनुसार	वास्तविक
बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं0 6				
2005-06	963 .60	83.48	100	8.66
2006-07	चालू अवस्था में नहीं			
2007-08	963 .60	132.75	100	13.77
2008-09	963 .60	102.94	100	10.68
2009-10	963 .60	264.71	100	27.47
बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं0 7				
2005-06	963.60	37.47	100	3.88
2006-07	963.60	37.25	100	3.86
2007-08	चालू अवस्था में नहीं	-	-	-
2008-09	चालू अवस्था में नहीं	-	-	-
2009-10	चालू अवस्था में नहीं	-	-	-
कुल	**5781.60**	**658.60**		

परिशिष्ट–18
(कंडिका 3.13 में संदर्भित)

बि.रा.ज.वि.श.नि. लिमिटेड में वर्षवार डिजाईन के अनुसार उर्जा उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और डिजाईन के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर ऊर्जा साथ हीं साथ वास्तविक उत्पादन को दर्शाती विवरणी

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)		प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)	
	डिजाईन के अनुसार	वास्तविक	डिजाईन के अनुसार	वास्तविक
2005-06	243.60	72.75	50	29.86
2006-07	248.91	68.61	50	27.56
2007-08	264.54	61.48	50	23.24
2008-09	279.48	60.37	50	21.60
2009-10	284.83	34.66	50	11.60
कुल	**1321.36**	**297.87**		

परिशिष्ट–19
(कंडिका 3.15 में संदर्भित)
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाईयों के रख–रखाव में विलम्ब को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	इकाई का नाम/सं0	कब से बाकी	कब किया गया	विलम्ब
1	4	1989	पु. एवं आ./आ. वि. पूरा नहीं किया गया	-
2	5	1991	पु. एवं आ./आ. वि. पूरा नहीं किया गया	-
3	6	2003	पु. एवं आ./आ. वि. का कार्य इकाई सं0 7 का वही कार्य पूरा होने के बाद किया जायेगा	7 वर्ष
4	7	2005	जून 2010 में कार्य आरम्भ किया गया। कार्य प्रगति में (नवम्बर 2010)	5 वर्ष

परिशिष्ट–20
(कंडिका 4.11 में संदर्भित)
विभागवार बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की संख्या	बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बाकी कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जहाँ से कंडिकाए बाकी हैं
1.	उद्योग	3	8	45	2004-05
2	सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	8	2007-08
3.	वन एवं पर्यावरण	1	4	22	2004-05
4.	कृषि	1	3	5	2004-05
5.	ऊर्जा	2	466	1067	2004-05
6.	पशुपालन	1	1	5	2006-07
7.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1	6	41	2004-05
8.	पर्यटन	1	2	15	2005-06
9.	मानव संसाधन विकास	1	2	10	2004-05
10.	पथ निर्माण	1	1	2	2007-08
11.	गृह	1	4	23	2004-05
12.	खान एवं भू–विज्ञान	1	1	6	2004-05
13.	परिवहन	1	2	12	2004-05
14.	सहकारिता	1	5	21	2004-05
15.	उत्पाद	1	1	5	2008-09
16.	अल्पसंख्यक कल्याण	1	2	4	2005-06
	कुल	**19**	**510**	**1291**	

परिशिष्ट–21
(कंडिका 4.11 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी किए जाने की अवधि
1.	ऊर्जा	7	1	अप्रैल–सितम्बर 2010
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	3	-	अप्रैल–नवम्बर 2010
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	-	मई 2010
4.	पथ निर्माण	-	1	जुलाई 2010